

महा
मेट्रो

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017-18



New Airport Station



Airport South Station



महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पुर्व मे नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उपक्रम

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly known as Nagpur Metro Rail Corporation Limited)
A joint venture of Govt. of India & Govt. of Maharashtra



VISION MISSION



To create an energy efficient Metro Rail System of International standard which will enhance the quality of life of the citizens of Nagpur and Pune be instrumental in the overall development of the city by making it more vibrant & attractive and utilize the full potential of 'Green Energy' in the form of Solar, Wind, etc.,



To provide a safe, reliable, efficient, affordable, commuter friendly and environmentally sustainable rapid public transport system for the Nagpur and Pune Metro Region.



एक अंतरराष्ट्रीय मानक की, उर्जा कुशल मेट्रो रेल प्रणाली बनायें, जो की नागपुर एवं पुना के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि लाएगी और सौर, पवन आदि के रूप में 'हरित ऊर्जा' की पूरी क्षमता का उपयोग कर, शहर को अधिक फुरतीला और आकर्षक बनाएगी और शहर के समग्र विकास में सहायक होगी।



नागपुर एवं पुना मेट्रो क्षेत्र के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय, कुशल, सस्ती, कम्प्युटर अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तेजी से चलनेवाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करना ।

CONTENTS

1.	<i>Board of Directors</i>	1
2.	<i>Chairman's Speech</i>	2
3.	<i>Events in the year 2017-18</i>	4
4.	<i>Key Achievements & Awards</i>	12
5.	<i>Director's Report</i>	16
6.	<i>Secretarial Audit Report FY 2017-18</i>	48
7.	<i>Corporate Governance Report</i>	51
8.	<i>Financial Statements FY 2017-18</i>	68
9.	<i>Significant Accounting Policies & Notes to Accounts</i>	72
10.	<i>Statutory Auditors' Report</i>	124
11.	<i>Comments of Comptroller and Auditor General of India</i>	134

STATUTORY AUDITORS

M/s Jodh Joshi & Company
Chartered Accountants
Nagpur

SECRETARIAL AUDITORS

M/s Parag Dasarwar
Company Secretaries
Nagpur

INTERNAL AUDITORS

M/s Ekbote Deshmukh & Company
Chartered Accountants
Nagpur

COMPANY SECRETARY

Ms. Nitika Agrawal

REGISTERED OFFICE:

Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd.
Metro House, 28/2 Anand Nagar,
C K Naidu Marg, Civil Lines, Nagpur- 440 001
Tel: 0712-2554217
Fax: 0712-2553300
Website: www.metrotrainnagpur.com
CIN. U60100MH2015SGC262054

BOARD OF DIRECTORS

SHRI. DURGA SHANKER MISHRA	Chairman- Maha Metro Ltd. & Secretary (MoHUA), Nirman Bhavan, New Delhi: 110 011
DR. BRIJESH DIXIT	Managing Director- Maha Metro Ltd. Metro House, 28/2 Anand Nagar, C K Naidu Marg, Civil Lines, Nagpur: 440 001.
SMT. JHANJA TRIPATHY	Director- Maha Metro Ltd & JS/FA (UD), (MoHUA), Nirman Bhavan, New Delhi: 110 011.
SHRI. MUKUND KUMAR SINHA	Director- Maha Metro Ltd & OSD (UT)/JS (UD) (MoHUA), Nirman Bhavan, New Delhi: 110 011.
SHRI. AVANISH PANDEY	Director- Maha Metro Ltd & Chief Engineer/Con., South East Central Railway, Nagpur- 440 001.
SHRI. NAGSEN DHOKE	Director- Maha Metro Ltd & Director (RSE & OM) BMRCL, Shantinagar, Bangalore- 560 027.
SHRI. U P S MADAN	Director- Maha Metro Ltd & Additional Chief Secretary, Finance Department GoM, Mantralaya, Mumbai- 400 032.
DR. NITIN KAREER	Director- Maha Metro Ltd & Principal Secretary (UD-1), Urban Development Department, Mantralaya, Mumbai -400 032.
SHRI. SAURABH RAO	Director- Maha Metro Ltd & Municipal Commissioner, Pune Municipal Corporation (PMC), Shivaji Nagar, Pune – 411 005.
SHRI. VIRENDRA SINGH	Director- Maha Metro Ltd & Municipal Commissioner, Nagpur Municipal Corporation (NMC), Civil Lines, Nagpur- 440 001.
SHRI. MAHESH KUMAR	Director (Projects) -Maha Metro Ltd. Metro House, 28/2 Anand Nagar, C K Naidu Marg, Civil Lines, Nagpur: 440 001.
SHRI. SUNIL MATHUR	Director (Rolling Stock & Systems)- Maha Metro Ltd. Metro House, 28/2 Anand Nagar, C K Naidu Marg, Civil Lines, Nagpur: 440 001.
SHRI. S SIVAMATHAN	Director (Finance)/CFO- Maha Metro Ltd. Metro House, 28/2 Anand Nagar, C K Naidu Marg, Civil Lines, Nagpur: 440 001.

CHAIRMAN'S SPEECH



Dear Shareholder,

It gives me immense pleasure to welcome you all to the 3rd Annual General Meeting of Maha Metro.

I am delighted to present the performance of your company for the Financial Year ending 31st March 2018 alongwith the Annual Report of the company. The Audited Financial Statements, Director's Report and the Auditor's Report along with comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, have already been circulated to you. Your Company has adopted the Indian Accounting Standards (IND AS) in preparation of the Financial Statements being mandatory to comply w.e.f 01.04.2017.

It is indeed a pleasure, that your company has set a benchmark by reaching the trial run stage in 5.4 km At- Grade Priority Section along with 3 stations (from Mihan Depot to Airport South Station) in 27 months. CMRS authorization for the same was received in record of 33 months on 16th April 2018. This being a small and thinly populated section, commercial operation in this section will commence along with elevated section upto Sitabuldi by March 2019. However, in the meanwhile a few rides named as "Joy Rides" have been organised to introduce this new means of urban transport to the waiting Citizens of Nagpur. Till now, over 3000 people have enjoyed the Joy Rides and recorded their appreciation and useful suggestions.

It is remarkable to mention here that Nagpur Metro Rail Project has achieved 60.01% of physical progress and 40.11% of the financial progress upto 31st March 2018.

Early commissioning of the Project was enabled by another novel achievement of your company by taking 2 rakes of Rolling Stock on lease basis from L&T Metro Rail, Hyderabad. This has also helped Maha Metro for furthering the benefit of standardisation of various equipment's in accordance with the policy of MoHUA, GOI.

Your company has set another benchmark by Integrating Solar Energy from Inception to meet 65% of energy requirement by generating 14 MWp making it the "Greenest Metro". Further, Indian Green Building Council (IGBC) has awarded Maha Metro Nagpur with Platinum rating for three newly opened metro stations of priority section namely Airport South, New Airport and Khapri. Platinum rating is the highest rating for metro stations awarded as per IGBC Green MRTS rating system.

I appreciate the efforts of your company for taking several unique and innovative initiatives, which have resulted in the optimization and rationalization of the design of civil and system infrastructure, creation of a Digital Project Management Platform, based on 5 Dimensional Building Information Modelling (5D BIM) technology and integrated it with Enterprise Resource Planning (ERP), providing full control on time, costing and quality.

Your company has taken initiatives in improving the non-motorized transportation facilities and plans to integrate all modes of transport at all the metro stations. Multimodal Integration will provide a seamless and comfortable journey to the travellers/commuters to achieve projected ridership, improving financial viability.

It is noteworthy to mention that GOM & Maha Metro are at the forefront in making highly capital-intensive Metro Rail systems financially sustainable in the long run with affordable fare. From this view, special emphasis is being laid on Non-Fare Box Revenue Generation by 1% Additional Surcharge as Stamp Duty in the form of Betterment Levy (Till 31.03.2018, Rs. 85.61 crores has been collected by GOM), Transit Oriented Development along the Nagpur Metro Corridors (TOD) as Nagpur is one of the first cities with TOD notification in place (Till 31.03.2018, Rs. 3.08 crores has been earned), Property Development along the Metro corridors through Land Value Capture, Advertising, Station Naming, train wrap etc. and by executing external project to earn additional revenue.

I am glad to note that your company has garnered Non Fare Box Revenue of Rs. 91.87 crores upto 31.03.2018, even before commercial operations.

Your Company is also adopting unique construction methods in which Multiple Utilities sharing the same Right of Way. This includes Constructing the 3/4 Layered transport System for the first time in the country along Metro Corridors including stations for total length of 8 km. Here, one right of way is being shared by multiple utilities. This has not only created a cost and space efficient structure but has also added to the aesthetics of the city.

Negotiations for extending ODA loan from AFD France and European Investment Bank (EIB) for company's new metro rail project at Pune are in advanced stage. Civil works on Stations and Viaducts are on full swing in Reach 1 (PCMC to Range Hill) and Reach 2 (Vanaz to Civil Court) and tenders for remaining works are under progress. Upto 31st March 2018, the Project has achieved 15.00% of physical progress and 14.08% of financial progress.

I wish to thank various departments of both GOI & GOM, KfW Germany, AFD France, Urban Local Bodies of Nagpur and Pune, national and international contractors, consultants and employees of the company at all the levels. I would also like to express my sincere gratitude to the citizens of Nagpur and Pune without whose support our continued progress momentum would not have been possible.

I would also like to thank all the fellow Board members for their unstinted support and encouragement in taking the company to greater heights.

Thanking You,

Sd/-

(Durga Shanker Mishra)

Chairman

Maharashtra Metro Rail Corporation Limited

Date: 28.09.2018

Place: New Delhi

EVENTS 2017-18

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION AT METRO HOUSE, NAGPUR



Maha Metro Nagpur celebrated the 71st Independence Day with great fervour at Metro House. The Tiranga was unfurled by MD. Patriotism filled the air as the flag hoisting was followed with the singing of the National Anthem.

1ST PILLAR AT PCMC AREA



The 1st pillar erected by MAHA-Metro, Pune at Nashik Phata on 7th Oct 2017 within 115 days of work commencement (Pier 298)

BADMINTON JEWELS VISIT NAGPUR METRO



On 7th November 2017, National Badminton Players PV Sindhu, Srikanth Kidambi, Pullela Gopichand, Parupalli Kashyap and Sai Praneeth visited the At Grade corridor of the Nagpur Metro Rail Project. These Badminton jewels who are also international stars were in Nagpur for the 82nd Senior Nationals Badminton Championship which was being sponsored by Maha Metro.

Pullela Gopichand, former Indian badminton player who is presently the Chief National Coach for the Indian Badminton team said” **Implementing a project of such a magnitude at the current pace is a herculean task. This would provide safety, improve health and environment of the city. I commend the work done by Maha Metro and the progress achieved till date. I personally congratulate the team who is behind the execution of the project.**”

PV Sindhu also praised the efforts of Maha Metro for a seamless travel experience and wished Maha Metro a great success in the future.

SAHYOG KENDRA INAUGURATED IN PUNE



The Sahyog Kendra inaugurated on 20th November 2017 by MD at Vallabh Nagar for Reach-I and at Paud Road, Vanaz for Reach-II operates from 7am to 11pm all seven days a week.

NAGPUR MARATHON 2017



Maha Metro organized the Nagpur Marathon on 26th November 2017, to encourage the fitness among the citizens of Nagpur and to encourage people to use public transport. The was graced by Olympic Medallist Mary Kom and was flagged off by MD Brijesh Dixit.

QUICK RESPONSE TEAM DEPLOYED IN PUNE



To tackle any kind of emergency situation during the construction of ongoing project, a Quick Response Team (QRT) with a specially designed vehicle was deployed on 27th November 2017 in Pune. The QRT consists of specially trained personnel who are always alert and prepared to face any incident/ untoward situation and conducting regular patrol throughout the reaches.

INVESTOR'S MEET FOR PROPERTY DEVELOPMENT



With a view to involve land developers and all other players of this industry in the proposed development along the metro

corridor, Maha Metro has organized an Investors' Meet in Nagpur on December 8, 2017. More than 50 real estate developers and experts from this area participated in one of the most important meet on real estate development, held in Nagpur.

Maha Metro is taking up property development on a big scale at 6 major sites in the city. The 6 sites are – Zero Mile, Sita Buldi, Metro City at MIHAN, Cotton Market, Kasturchand Park Station and Orange Market near Railway Station (popularly known as Santra Market). A total of 2,65,859 sq mtr of construction has been planned in these areas.

TREE TRANSPLANTATION USING ARBORICULTURE



On 12th December 2017, “Tree Transplantation” was carried by Maha Metro- Pune. It was One of its kind in India using the best Global scientific technology- Arboriculture. Around 301 trees transplanted till 31st March 2018 with 100% survival rates in both the reaches.

Though the process is spread over 3-4 months with extreme care right from the point of identification of trees to Physical transplantation, however, it is worth the effort in comparison to the successful rates of survival.

FIRST SEGMENT LAUNCHED IN PUNE



The 1st Segment of Reach-1, PCMC to Range Hill stretch was launched on 14th Dec 2017 in between Pier P348 to P349 through ground launching system near Kharalwadi.

MAHA METRO, PMC SIGNS GRANT AGREEMENT WITH TFI & SCE SINGAPORE



A 3-day workshop (10th -12th January 2018) was organized in Pune by TEMASEK FOUNDATION INTERNATIONAL- SINGAPORE COOPERATION ENTERPRISE (TFI & SCE) in coordination with Maharashtra Metro Rail Corporation Limited and Pune Municipal Corporation.

The event witnessed the signing of the Grant Agreement for the Capacity building programme on Urban Management (Multi-Modal Transport) Programme in Pune. A tripartite agreement was signed between TFI & SCE, Maharashtra Metro Rail Corporation Limited and Pune Municipal Corporation. It was signed by Dr. Brijesh Dixit Managing Director Maha- Metro, Ms Prerna Deshbhratar Addl. Municipal Commissioner (Spl) PMC and Mr Kong Wy Mun CEO SCE for the Multi Modal Integration.

MAHA METRO NAGPUR LAUNCHES TETRA TOWER



Maha Metro Nagpur's first state-of-the-art communication tower was inaugurated by MD on 12th January at Khapri Metro Station. With the inauguration, Maha Metro Nagpur has attained a major milestone and has moved towards setting up a telecommunication system for its project.

The tower installed at Khapri Station enables wireless communication between train operator and Centralized Control, wayside station controller and maintenance staff of Nagpur metro. It is used for safe and reliable operation of the Metro. The technology used in the process is widely known as 'TETRA' (Terrestrial Trunked Radio) and works on 'Push-to-Talk System'.

The most important aspect of technology is that it suppresses background noise and only picks up the voice and thus ensures clarity in conversation even under extreme audio-related disturbances.

CMRS INSPECTION OF ROLLING STOCK- NAGPUR METRO



A three-member team of Commissioner of Metro Rail Safety (CMRS) visited Maha Metro Nagpur project on 16th January 2018 for the inspection of Rolling Stock. The team checked the braking system, evacuation system and other on-board measures related to passenger safety during emergent situations. The team also enquired about various train features and safety provisions in the train and granted the clearance certificate to the Rolling Stock.

EIB & AFD APPRAISAL MISSION VISIT TO PUNE METRO RAIL PROJECT.



Officials from Agence Francaise de Development (AFD) and European Investment Bank (EIB) were on an appraisal mission of Maha Metro-Pune. Both the funding agencies EIB and AFD completed their respective appraisal Missions and in the next two months would go to their respective boards for final sanction of EIB 600 and AFD 245 million euros each respectively.

The financial closure of the Pune Metro Project is close to the finalization and we are confident that we will be signing the loan agreement with both the funding Agencies by Oct 2018.

FIRST ANNIVERSARY CELEBRATION: 19TH TO 23RD JAN. 2018

To mark the first anniversary of Maha Metro-Pune and also the incorporation of both Nagpur Metro and Pune Metro into Maharashtra Metro Rail Corporation Limited, a five-day Event organized by Maha Metro- Pune was a great success.

- River Bed Cleaning
- Drawing and creative writing Competition
- Vasantotsav
- Panel discussion
- Press Visit

River Bed Cleaning on 19th Jan 2018

The five-day event started with a cleanliness drive in the Mutha riverbed for 1.45 km stretch. Around 250 officials of Maha Metro and General Consultants (GC), college students, employees of contractor participated in the cleanliness drive held in the 1.45 km stretch of the Mutha riverbed from Panchaleshwar Temple to Vrudhsheshwar Temple. Garbage including mainly the plastic dumped in the riverbed was collected in this drive filling over 250 garbage bags. The EIB team inspected the area and appreciated the efforts being made by the Maha Metro team. It is noted that during the cleanliness drive, a number of college students, citizens of Pune contributed to this good cause by joining in.



Drawing and creative writing Competition on 20th & 22nd Jan 2018

The second event was marked by organizing Drawing and Creative writing competition at Government School of PMC and PCMC area. The topic of the competition was evolving around Metro and the City of Pune. Around 850 students participated in the event with strong involvement of officials from Maha Metro, Pune and school authorities. An event was organized on the final day at Hotel Citrus to felicitate the winners.



Vasantotsav on 21st Jan 2018

The third event, was the 'Vasantotsav' a musical night festival started in the memory of Shri Vasantrao Deshpande. A number of renowned artist from across India, participated in the event. MD Brijesh Dixit took the opportunity to showcase the upcoming Maha Metro, Pune project to an audience of 10,000.



Press Visit on 1st anniversary of Maha Metro, Pune

The closing ceremony on the fifth day culminated at Hotel Citrus, Pimpri with media visits in the morning for both the reaches and Press Conference and distribution of prizes in the afternoon.



Panel discussion on 23rd Jan 2018

The next event with series was hoisting of a panel discussion in the presence of MD Brijesh Dixit, Shashikant Limaye and the other eminent personalities from all walks of life on 23rd Jan 2018. The topic of discussion was “**Metamorphosis of the city through Metro Rail**”. The participation of the panellists and the involvement of the citizens was praise worthy and notable.



REPUBLIC DAY CELEBRATION AT METRO HOUSE, NAGPUR



Republic Day 2018 was celebrated at Metro House. Managing Director hoisted the National Flag in the presence of Officers, staff and General Consultants of Nagpur Metro Rail Project. The event was held at the beautifully decorated lawn of Metro House.

NAGPUR METRO-PHASE 2 DPR – STAKEHOLDER CONSULTATION



The Phase 2 DPR for the Nagpur Metro Rail Project has been prepared by RITES. The proposed Phase will be spread over 48.3 km length with 35 stations and will boost transport connectivity facilities in rural area of Nagpur. The corridors identified for Phase 2 are Automotive Square to Kanhan, MIHAN to Butibori MIDC ESR, Prajapati Nagar to Transport Nagar, Lokmanya Nagar to Hingna and Vasudev Nagar to Dattawadi

MAHA METRO OBSERVES SAFETY WEEK



National Safety Week was observed in Maha Metro Nagpur between 4th and 10th March. This week is observed to promote

awareness on Occupational Health and Safety. To kick off the safety week, the safety pledge was administered. Prime Minister Narendra Modi's message (Man Ki Baat) on Safety was broadcast to attendees as part of the event. Various activities like awareness programs, competitions, Safety Skits were planned during the week across the various project sites to promote safety measures.

3RD FOUNDATION DAY



Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. celebrated its 3rd Foundation Day on 17th February 2018. A Panel discussion on 'Maha Metro – Upgrading the lifestyle of Nagpur' was held chaired by Smt. Nandatai Jichkar (Mayor Nagpur), Shri Ashwin Mudgal (NMC Commissioner) and other eminent personalities. On this occasion Metro Mitra's gave presentations on topics like 'Young Generations Perception of Metro', 'How Metro is beneficial to working women' etc.

FIRST JOY RIDE

22nd April 2018, proved to be historic day for Nagpur when the first joyride was held. It was conducted specifically for under privileged children. After the initial joy ride, several other joy rides have been conducted for the various strata of society like Senior Citizens, Differently abled children, Old Age Home residents, Children below the Poverty line, School children, Various NGO's and Social Organizations, Various Professional Groups from Nagpur and its satellite towns, Media Houses, Bollywood Personalities and Politicians.



KEY ACHIEVEMENTS & AWARDS

KEY ACHIEVEMENTS

1. Nagpur Metro – Trial Run Flag Off & Launch of Maha Card

Hon. Chief Minister of Maharashtra Shri Devendra Fadnavis and Hon. Union Minister of Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation Shri Nitin Gadakri have flagged off the official trial run of the 5.4 Km At-Grade section (Priority Section) of Nagpur Metro from MIHAN Depot to Airport South Station on the auspicious occasion of 30th September 2017.

Hon. Chief Minister Shri Devendra Fadnavis congratulated the Maha Metro Team for completing the Priority Section of the Nagpur Metro Rail project in 27 months making it one of the fastest metro's to have reached this stage and hoped that this project will help the Orange city to reach new heights in terms of economic growth. Also, on this occasion State Bank of India Chairperson, Smt. Arundhati Bhattacharya launched the “MAHA Card”, the next generation Common Mobility Card for the city.

2. CMRS Inspection of Nagpur Metro Rolling Stock

A three-member team of Commissioner of Metro Rail Safety (CMRS) visited Maha Metro Nagpur project on 16th January 2018 for the inspection of Rolling Stock. The team checked the breaking system, evacuation system and other on-board measures related to passenger safety during emergent situations. The team also enquired about various train features and safety provisions in the train and granted the clearance certificate to the Rolling Stock.

3. CMRS Authorization for the 5.4 km At-Grade section

The final inspection of the 5.4 km At-Grade priority section took place on 16th April 2018 with Nagpur Metro attaining the clearance certificate certifying the safety and competence of the system and clearing the decks for the much-awaited Joy Rides between the Airport South and Khapri Metro Stations. Maha Metro Nagpur was able to achieve this in just a matter of 33 months.

4. IGBC Platinum Rating for the 3 At-Grade Stations

IGBC has awarded Nagpur Metro Rail Project with Platinum rating for three metro stations of priority section namely South Airport, New Air Port and Khapri. Platinum rating is the highest rating for metro stations awarded as per IGBC Green MRTS rating system.

This achievement is significant as it recognizes that designs implemented at Maha Metro Nagpur are efficient as well as sustainable. Presently there is no other organization in country either in government or private sector who rates the projects on sustainability aspects. IGBC is a not for profit organization and participation in IGBC rating program is voluntary for the project proponents. In such scenario it is commendable for Maha Metro that the design & other administrative requirements for IGBC rating are in-built in contract agreements with civil contractors, designers and architects working on the project.

The initiative shall result in considerable water (>30% saving over business as usual scenario), energy savings (>15%) and enhance the travel experience of passenger by providing more comfort & convenience and information on city's culture, heritage and traditions.

5. Maha Metro Nagpur appointed as Special Planning Authority

The Government of Maharashtra vide their Notification No. TPS-2417/183/CR-172/2017/UD-09 dated 11th June 2018 have appointed Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. (Maha Metro) to act as a "Special Planning Authority", for Maha Metro owned areas along the Nagpur Metro Rail Alignment.

KEY AWARDS

10TH URBAN MOBILITY INDIA CONFERENCE – BEST EXHIBITOR



The 10th Urban Mobility India Conference 2017 & XVII CODATU Conference was held in Hyderabad from 4-6 November 2017. This year Maha Metro won the award for the Best Exhibitor amongst all the various other participating Metro's. Maha Metro exhibited its Double Decker structure, 5D BIM, Multimodal integration and First & Last Mile Connectivity by showcasing Mobike and ESupro.

7TH ANNUAL METRO RAIL INDIA SUMMIT 2018 – MOST PROMISING METRO RAIL PROJECT



The 7th Annual Metro Rail India Summit was organised by ITP Media (India) and Construction

Week Magazine. Maha Metro Nagpur was recognized as the 'Most Promising Metro Rail Project' because of the various innovative features it has implemented.

MAHA METRO CONFERRED WITH SAP ACE AWARD



Maha Metro Nagpur has been Conferred with the prestigious SAP ACE Award. The award was Conferred on Nagpur Metro for its pioneering work in the 'Breakthrough Innovation' category in the field of 5D BIM. The award was received by Maha Metro MD Dr Brijesh Dixit and Director (Rolling Stocks and System) Sunil Mathur. In all 80 government and private sector organizations had applied for this award and Maha Metro Nagpur is one of the proud recipients of this award.

DIRECTORS' REPORT

Dear Members,

Your Board of Directors are pleased to present the Company's 3rd Annual Report along with the Audited Financial Statements and comments of Comptroller & Auditor General of India for the financial year ended 31st March 2018.

MAJOR HIGHLIGHTS

- Your Company Set a benchmark by reaching the trial run stage in 5.4 km At- Grade Priority Section along with 3 stations (from MIHAN Depot to Airport South Station of Nagpur Metro) in a record 27 months.
- CMRS authorization for the same was received in record 33 months on 16th April 2018.
- A few rides named as “Joy Rides” have been organized to introduce this new means of urban transport to the waiting Citizens of Nagpur. Till now, over 3000 people have enjoyed the Joy Rides and recorded their appreciation and useful suggestions.
- Early commissioning of the Project was enabled another notable achievement of your company by taking 2 rakes of Rolling Stock on lease basis from L&T Metro Rail, Hyderabad.
- Government of Maharashtra has appointed your company as a “Special Planning Authority” for Maha Metro owned property along the Nagpur Metro Rail Alignment. This will enable your company to frame its own regulations for any upcoming commercial/residential structures along Metro Alignment.

1. NAGPUR METRO RAIL PROJECT:


The Progress of the Project as on 31/03/2018 is as under:

Physical Progress : 60.01%

Financial Progress : 40.11%

Land Acquisition : 91.78%.

REACH-WISE PROGRESS:



Depot (2nos): DDC for Depot is 80.05% & Construction 42.47% completed.

2. PUNE METRO RAIL PROJECT:


The Progress of the Project as on 31/03/2018 is as under:

Physical Progress : 15.00%

Financial Progress : 14.08%

Land Acquisition : 85.00%.

REACH-WISE PROGRESS:



- i. **Reach-3:** Tender process is on.
- ii. **Reach-4:** Tender documents prepared and sent to Funding Agency for NOC to invite tenders.
- iii. **Depot (2nos):** DDC for Depot is 19 %

3. INNOVATIVE & UNIQUE FEATURES IMPLEMENTED BY YOUR COMPANY:


- i. **INTEGRATION OF SOLAR POWER RIGHT FROM THE INCEPTION TO MEET 65% OF THE ENERGY REQUIREMENT INCLUDING THAT OF TRACTION, FOR THE FIRST TIME EVER, MAKING IT THE "GREENEST METRO"**

14 MWp solar power is being installed which will be upgraded to 25 MWp in the future. All station rooftops, depot boundary walls, depot shed rooftops and vacant ground spaces will be mounted with solar PV panel "Grid connected" 'Net Metered' under RESCO model. Under RESCO model Maha Metro will pay Rs. 3.58/ unit against the MSEDCL rate of Rs. 9.53/ unit, resulting in a cost savings of Rs. 5.95/ unit. This will result in reduction in the operating cost of the Metro.



ii. **EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT BY USING 5 DIMENSIONAL – BUILDING INFORMATION MODELLING (5-D BIM) TECHNOLOGY – TIGHT CONTROL ON TIME, COST AND QUALITY BY UNIQUELY INTEGRATING FOUR MAJOR SOFTWARES (BENTLEY, ORACLE, SAP AND RIB) FOR THE FIRST TIME EVER**

Your company is a pioneer in adopting 5-Dimensional Building Information Modelling (5D BIM) and integrating it with ERP to create 'ONE PROJECT ONE PLATFORM' thereby automating its project management platform. It enables the company to successfully face challenges of cost and time overrun and to ensure world class quality, safety and environmental protection of the project.



iii. **INNOVATIVE & NOVEL DESIGN AND CONSTRUCTION METHODOLOGIES & STRATEGIES:**

Civil Infrastructure:

- Viaduct width optimized from 10.3m to 8.5m.
- Right of Way for land rationalized from 20m to 18m, resulting in estimated savings of 10% area of land required.
- Construction of viaducts is independent of the stations. Viaducts have been designed in such a way that it allows for commissioning of the whole line even with few functional stations.
- Station platform length rationalized from 140m to 75m for 3 coach configuration. Scope for future extension is also available.

Depot:

- Maintenance shed in depots: Size rationalised to half.
- Stabling lines: Trains are to be maintained in depot once in three days. Only trains requiring maintenance (one third) to be stabled at Depot and remaining trains (two- third) to be stabled at Terminal Stations.
- No roof covering for stabling lines.
- Overall track length of depots reduced to 8 km from 10 km.
- Reduction in length of inspection bay lines to 80m from 166m.
- Reduction in length of repair bay lines to 80m from 166m.
- Elimination of procurement of jigs & fixtures for repairs of electronics equipments included in AMC of OEM.
- Heavy repair shop only in one out of two depots.

Traction:

- Traction sub stations rationalized from 4 to 2.
- Hollow Tubular Portals instead of solid section vertical masts to support OHE.



Signalling requirement rationalized:

- Elimination of sub master clocks and servers thereof at stations.
- Virtualization of Telecom subsystem servers in OCC leading to hardware optimization.
- Elimination of 48 Volts DC supply in the Telecom system design.
- Signaling rooms eliminated from stations not having interlocking.

E & M:

- Regenerative VVVF Drive for lift & Escalator led to saving of energy by 20%.
- Only LED Lighting on universal basis over entire Metro system.

Track (P-Way):

25m long rail of grade 1080 (HH Rail) procured first time in the country, which reduces total number of joints to be welded. This led to improved safety, riding comfort, maintenance and overall cost reduction.



iv. AUTOMATIC FARE COLLECTION – INNOVATIVE FINANCING AND O&M ON THE BASIS OF PPP

AFC Business Model:

- Consortium led by M/s. State Bank of India (SBI) along with M/s. Aurion Pro & M/s. SC Soft have been awarded Automatic Fare Collection contract on BOT Model.
- Full upfront Capital Cost of Rs.260 crores to be borne by the Consortium.
- Maintenance cost for 10 years to be borne by the Consortium.
- Consortium to pay royalty of Rs. 30 Crores to Maha-Metro. Already paid Rs. 2.30 Crores.
- Consortium gets 4% Fare-box Revenue Share of Nagpur Metro.
- Maha-Metro will get 25% share on transaction costs of non-transit use of card.
- Consortium has exclusive issuance rights for Metro & Bus commuters.



Technical details of Maha Card:

- Maha card is a dual interface card i.e. chip based contact and EMV based contactless smart card.
- Maha card can be used for transit purposes in Maha Metro, feeder busses, parking, retail transactions, utility payments etc.
- Maha cards may be issued at the metro stations and at the branches of SBI.

v. ROLLING STOCK PROCURED AT MOST COST-EFFECTIVE PRICE

- Liberalization of eligibility criteria leading to competitive bidding and achieving lowest rate per coach.
- For the first time in India, company has adopted unique design with 3 car configuration, 25kV AC Traction and 16T axle load (66.67% powering).
- Unique Interior - Plug type bi-parting doors, wider windows for better view, wider gangways, and Eccentric emergency evacuation door.
- The use of only regenerative braking from 70 kmph upto 10 kmph has helped in bettering the Specific Energy Consumption (SEC) of train.



vi. NON-FARE BOX REVENUE

It is noteworthy to mention that GOM & Maha Metro are at the forefront in making highly capital-intensive Metro Rail systems financially viable in the long run to ensure that the fare structure is affordable for common public. In accomplishing the same, special emphasis is on Non-Fare Box Revenue Generation through the following means:

- 1% Additional Surcharge as Stamp Duty in the form of betterment duty - Till 31.03.2018, Rs. 85.61 crores has been collected by GOM. The said amount along with future accruals on this head will flow to Maha Metro from Revenue Opening Date (ROD).
- Transit Oriented Development along the Nagpur Metro Corridors (TOD). Nagpur is one of the first cities with TOD notification in place. Till 31.03.2018, Rs. 3.08 crores has been earned by your company.
- Property Development along the Metro corridors through Land Value Capture.
- Advertising, Station Naming, train wrap etc.

- Execution of external project to earn additional revenue.
 - Due to above innovative financing, Maha-Metro is not only able to meet its O&M cost but also service the Overseas Development Assistance (ODA) loan on its own.
- vi. MULTIPLE UTILITIES SHARING THE SAME RIGHT OF WAY: UNIQUE DESIGN & CONSTRUCTION METHODS**
- Maha Metro is executing a 8 km 3/4 layered super structure including metro stations, a railway crossing on existing National Highway on Wardha-Kamptee Road in Nagpur city using a unique design adding to the beauty of the city.
 - This 4-layer transportation system is a cost-efficient structure by integrating all facilities on a common pier and the Right of Way being shared by:
 - Existing Road at Ground Level
 - Existing Railway line at the First Level
 - Elevated National Highway at the Second Level
 - Metro Corridor on the Third Level
 - It is a highly cost and space efficient structure as The Right of Way is being shared by 4
 - All the facilities are integrated on a common pier.
 - Rib & Spine design has been used for construction.
 - In addition to cost savings, your company will earn 3% as supervision/ administrative fees from NHAI for the work done.
- viii. SETTING UP STATE OF THE ART ULTRA-MODERN MATERIAL TESTING LABS WITH INTERNATIONAL COLLABORATION FROM M/S. BUREAU VERITAS OF ITALY:**
- Your company has setup a well-equipped ultra-modern lab with Bureau Veritas (A global leader in Testing, Inspection and Certification) to test the quality of materials used in the construction works. This facility is also used for training purpose, to disseminate technical knowledge to the staff of Maha Metro as well as contractors and consultants. This facility will also provide testing services to other Government agencies based at Nagpur and Central India. Bureau Veritas is sharing part of its revenue to your company.
- ix. EFFECTIVE & ECONOMICAL SEGMENTAL BOX GIRDERS FOR VIADUCT:**
- The segmental box girders being used in Nagpur Metro Rail Project are having top width of 8.5 m (at non OHE locations) and 9.52 m. (at OHE locations) as compared to conventional box girders with top width of 9.91 m. (at non OHE locations) and 10.7 m. (at OHE locations) used in other metro projects. This was made possible by adopting 'Front and Rear Evacuation' instead of 'side evacuation' and thus avoiding the requirement of walkways on either side of the viaduct. The parapets are cast integrally with the box segment and also height of the parapet is curtailed to 700 mm. Adoption of these unique features have reaped the following benefits:

- i. Weight of the girder is less since the width of girder is reduced due to avoidance of side walkways.
- ii. Absence of side walkways reduced the Superimposed Dead Load (SIDL) on superstructure and thus reduces substantial loads that are to be transferred to the substructure during service.
- iii. Erection of precast parapets is avoided as the parapet is cast integral with box girder segments.
- iv. Stitching of parapet with box girder at a higher level is also avoided, which enhances safety in construction.
- v. Time & cost of construction is also reduced to a great extent as the stages of parapet launching and stitching are avoided completely.

4. FINANCIAL HIGHLIGHTS

- During the financial year total revenue earned by the company was Rs.168.47 Crores (P.Y. Rs. 53.11 Crore).
- After meeting expenses, the loss for the year after tax is Rs. 261.65 Crores (PY Rs. 1.65 Crore)
- During the year 2017-18, equity shares of Rs.618.96 crore have been allotted in favour of GOI and GOM (Rs.309.48 crore each). With this, total equity share capital allotted in favour of both the governments stands at Rs. 1,048.90 crores (Rs. 524.45 crore each) as on 31st March 2018.
- KfW and AFD loan amounting to Rs. 1,152.26 crore was received during the year. With this, total amount of outstanding KfW & AFD Loan is Rs. 1,265.00 crores as on 31st March 2018.
- Interest-free Subordinate Debt of Rs.300 crore towards Central Taxes was received during the year. With this, total contribution against Interest-free Subordinate Debt as on 31st March 2018 is Rs.349.21 crore.

5. UNIQUE ARCHITECTURAL METRO STATIONS:

NAGPUR METRO RAIL PROJECT: ARCHITECTURAL CONCEPT OF STATIONS


The station design for Nagpur Metro is unique in itself. It provides the sense of heritage and transforming it to modern architecture. The theme for Nagpur metro is based on 3T's: - Tiger-Teak-Tribes. Modern interior finishes with art work depicting history of Nagpur, Vidarbha and Maharashtra are incorporated in layout and facade.

Stations provide user-friendly facilities to the commuters. All the stations are equipped with most modern Automatic Fare Collection gates (AFC gates), Passenger Information Display System (PIDS), Analog Clocks and public-address systems for the ease of commuters. Some of the stations of Nagpur will have distinctive and unique architecture features, reflecting their distinct surroundings and showcasing Nagpur's rich history and cultural heritage. Located on the intersection of the North –South and East-West corridors, the proposed Nagpur City Centre will act as a generator of urban form and

catalyst for urban reform of Nagpur city. It includes development of two premium properties in the heart of the city – Sitabuldi and Zero Mile.

➤ **INTERCHANGE STATION AT SITABULDI**

With total area of 19889 sqm, (5 acres) will have premium high-end retail, exclusive parking and cultural & institutional spaces. Seamless, safe and convenient inter-connectivity to the interchange station, attractive Green Riverfront Promenade, Sky Garden connection, new urban belvedere making it an iconic tower. The Sitabuldi Interchange Station will be connected to the City Centre.



➤ **ZERO MILE – A 20 STOREY METRO STATION WITH PLATFORM ON THE 5TH LEVEL:**

With a total area of 138090.21 sq. feet, it will be a pivotal station for the proposed Nagpur City Centre. It will be developed as a center of urban growth.

- First 20 storey station building in the country.
- Platforms will be at 5th level. Above 5th level will be commercial development.
- Work places will be directly accessible from platform.
- The proposed station also envisages a mixed use of development of above said station and a carefully planned Heritage Walk connecting all the archaeological and cultural heritage sites.
- M/s. Enia, an internationally known French architect, has been appointed as main Architect for Inter-change station at Sitabuldi & Iconic Station building at Zero Mile.



- Similarly, other stations i.e. Dharampeth College (Ambazari Lake) Station, Airport Station, Nagpur Railway Station, Gaddigodaam Station, Ujjwal Nagar Station, NEERI, Jaiprakash nagar, Chhatrapati sq. are also being developed as state of the arts stations.

PUNE METRO RAIL PROJECT:

A particularly noteworthy thing is about station development of Pune. A very distinct station architecture is being developed there fully reflecting the rich history, heritage,

art, and culture of the great city of Pune. The stations near industrial area will reflect industrial themes. Those near historical monuments will include their theme. Stations by the riverfront will have a reflection of that in such a way that they become the modern identity of the city and are ready to complete the rejuvenation of the surrounding areas. Rich musical heritage of the city will also be suitably included in the station design.



SECURITY, DISASTER MANAGEMENT AND BARRIER FREE FEATURES

- **DIFFERENTLY ABLED FRIENDLY FEATURES:** To enable your company to be disabled friendly, the design criteria for a barrier free movement has been followed in addition to the CPWD Guidelines and Space Standards for Barrier Free Built Environment for Disabled and Elderly Persons. Special lifts for persons with different abilities, old people and parents with babies have been provided to commuters, one on each platform. The lift buttons have Braille for benefit of the blind and visually impaired people.

A special ticket counter is proposed for children and differently abled people. Tactile flooring is proposed to guide the visually impaired persons from street to platform level. Toilet facility for general public and unisex toilet exclusively for differently abled persons are proposed on the concourse level.

Dedicated Disabled Car parking will be provided in the Parking zone with barrier free access from Parking zone to the station main entry and shall have at least one designated barrier free route leading into the building, linking to all possible passenger destinations within the building in compliance with the applicable Codes and guidelines on accessibility in the Built Environment.



- **SECURITY** : Security plays a vital role in facilitating the public transport system to become preferred mode of choice and the increasing ridership demands it as a prerequisite for Metro System. The Security model is planned to keep pace with rapid expansion of the metro network and changing security scenario.

A self-policing design such as “Crime Prevention Through Environmental Design” (CPTED) principles will be followed to reduce dead ends, corners and dark areas while designing the station space and function. Space for security screening either manual or automatic system along main passenger circulation in order to control passenger safety and also to manage security from any threat in the metro premises will be provided. In such cases, a security screening section will be identified in all station entry points, X – ray baggage scanners, Door Frame Metal Detectors (DFMD) and Hand Held Explosive Detectors (HHED) will be positioned before AFC and ticket gates in all station buildings to achieve the highest level of security. The Entry and Exit gates are separated so that the control line could easily be achieved and flow of IN and OUT are managed without any extra efforts.

All Paid and Unpaid areas will be designed to be well-lit with minimal blind-spots for optimum CCTV / Camera coverage and the Key structural elements will be adequately protected from vandalism.

- **SIGNAGE DESIGN**: Signage systems in stations are planned to be visually oriented information systems, consisting of Signs, Maps, Arrows, Colour coding systems, Pictograms and different Typographic elements.

Metro Transit Signage system are planned to facilitate a seamless, fast and convenient movement of commuters to their destinations and to enable the commuters to obtain the required information and identify the facilities without any ambiguity.

- **AMBAZARI VIEWING GALLERY** : Your company is developing a 730m long elevated viewing gallery connecting Subhash Nagar station and Dharampeth College (Ambazari Lake-view) station. It is designed for public to pause and move, while enjoying new angles of the serene Ambazari Lake and its prepossessing landscape. It will accommodate spaces for relaxation, seating, restaurant/eateries, shops, etc. The interiors and its illumination are designed on various contemporary themes. The walkway will also house meeting and party spaces providing opportunities for casual and formal interactions. This will also become a part of night life of the city with care taken for security and safety of the public on walkway. Light shows will happen on the exterior façade of the walkway along with both the stations at particular timings in the evenings. This project will be first of its kind in India and will become a major tourist attraction.

6. FIRST & LAST MILE CONNECTIVITY AND NON MOTARIZED TRANSPORT

- **Feeder Bus Services**: Your company plans to introduce E-Vehicles surrounding the metro stations upto 2.5 km of buffer zone to improve the first and last mile connectivity in Nagpur which includes identification of 40 feeder routes for around 210 km across the city connecting all the metro stations with 151 electric vehicles of 6-8 seating capacity.

- **Multimodal Integration:** Planning of integrating the various modes of transport such as public transport, para transit, private vehicles and pedestrians at all the metro stations and the adjoining areas. At present Maha Metro started implementing the aspects of multi modal integration at the three priority metro stations namely Airport South, New Airport and Khapri. Following are the facilities provided in these metro stations:
 - Feeder service pickup and drop off zone
 - City bus service pickup and drop off zone
 - Para transit/Taxi pick up and drop off zone
 - Parking facilities as provided station wise
- **City Bus Route Rationalization:** Once the Metro system becomes operational, the existing city bus routes along the Metro corridor will become non-viable. Therefore, city bus routes need to be rationalize considering impact of Metro system. This study has been carried out through M/s UMTC with the KfW funding and is shared with NMC for its implementation.
- Metro has identified 210 Kms of bicycle network along the metro corridor to access the metro stations.
- Planned to improve the non-motorized transport users' safety, comfort and accessibility for the entire city of Nagpur & Pune.
- The arrangement of cycle track, cycle parking, wider footpath for pedestrian movement etc. is planned as per provision of Guidelines to achieve Green Urban Mobility. The same kind of arrangement is also proposed for all Metro Stations.

7. SAFETY MEASURES AND INITIATIVES ADOPTED

Security of the passengers is a major concern. Your company is committed to provide a totally safe and secure environment to its commuters. Various Safety Measures and initiatives undertaken by your company are as under:

- Contractor's safety team along with General Consultant/Maha-Metro are doing regular Safety Walk every week. Safety expert of Maha-Metro, GC and contractors are working round the clock to ensure the safety measures at sites and a monthly safety audit is also done.
- Every tender contract includes a detail of safety, health and environment (SHE) Manual wherein detail instructions, guidelines are given to contractors to execute the work safely and with least disturbance to the public.
- All construction areas are barricaded, and works are carried out in this confined area.
- Alert traffic signages are provided along the entire metro corridor.
- Quick Response Team (QRT) has been deployed at various locations of Maha-Metro is in place to help in emergency situations.
- Wherever construction activity is finished roads are restored and opened for public.

- All lifting equipments are being tested and certified by authorized third party expert agencies every six month before putting in use. Color coding is being followed to ensure effective inspection. Regular electrical inspection is being done at site.
- Regular Safety Awareness programs for site personnel as well as public including:
 - Awareness Campaigns
 - Competition within Schools & Colleges
 - Street Plays & Road Shows
- Specialized training program to Crain operators, riggers & heavy equipment operators/divers along with traffic marshal.
- Safety Manual has been issued to each contractor to systematically ensure the safety standards during the course of construction work.
- Sufficient number of Traffic Marshals have been deployed all along the project site to control the traffic in consultation with Traffic Officer and for guiding the travellers on the road.
- Contractors have Emergency Response System in place which is to be utilized during any emergency. Mock drills are the regular practice at site to ensure the system works during any emergency.
- Contractors are tied up with nearby hospitals for any emergency situations.
- The metro system has provided with several safety gazettes and systems which would ensure very high degree of surveillance & preventive checks round the clock for avoiding any untoward incidents and making sure that passenger safety is not compromised. This includes systems like CCTV, X-RAY Screening machine, metal detectors, visual analytics to detect any suspicious movement of a miscreant. These are fully compliant to the world standards. The underground stations in Pune Metro would have appropriately designed fire-fighting system and tunnel ventilation.

8. TRACTION SYSTEM, POWER SUPPLY AND ELECTRICAL & MECHANICAL

- Nagpur Metro has designed the power supply arrangement of its corridors by two nos. RSS strategically placed centre. GIS has been considered with double bus system having common bus bar for AMS (132/33 KV) & TSS (132/25 KV) with 33 KV ring main network throughout the corridors to ensure un-interrupted power supply to stations. GIS substation has been considered as it requires very less space compared to AIS substations. Hence with the use of GIS, space saving is one of the advantage. Also, it is maintenance free and hence more reliable system.
- Two RSS are planned at Sitabuldi and Jhansi Rani Square, one for each corridor. The power supply is sourced from MSETCL's Mankapur GSS to Jhansi Rani RSS and MSETCL's Jatrodli GSS to Sitabuldi RSS through 132 KV underground double circuit cable. Also the two RSS are interconnected through 132 KV, 33 KV & 25 KV underground cables so that in case failure of one substation the other substation itself will feed the auxiliary & traction power of both the corridors. Both the corridors except priority section are planned with tubular portal for Overhead catenary system.

- For priority section, a separate 33/25 kV TSS has been installed at Mihan depot. The power supply is sourced from nearest substation of MSETCL at Khapri GSS through double circuit 3 phase 33 KV underground cable.
- At each Metro station, 33/0.415 kV Auxiliary Substation has been installed for the complete Electrical power supply for station. At each ASS, 33/0.415 kV Dry Type Transformer has been installed. The 33 kV cable ring main network with double cable circuit has been designed throughout the North-south corridor ASS and East-West corridor ASS so that in case of failure of supply from one circuit other standby will work. To meet emergent situation in case of failure of both supplies of 33 KV ring network, the stations are provided with DG sets for essential services to meet essential loads like signalling, fire protection, lightning etc.
- All the station would be provided with lift & escalators of industrial grade, design and sizes to manage seamless flow of passenger from entry points to concourse and paid areas of the station. Suitable fire detection & control system have been provisioned which are compliant to relevant world standards for fire protection.

9. SIGNALLING & TELECOMMUNICATION

- The Communication Based Train Control (CBTC) System adopted by your company is based on moving-block operation principle which ensures high system performance (e.g. minimal headway) with continuous train to trackside communication. The Signalling and train control system (CBTC system) adopted by Nagpur metro Rail Project is awarded to consortium of M/S Siemens India Ltd. and M/S Siemens Rail Automation Ltd., Spain.
- The signalling system shall provide the means for an efficient train control, ensuring safety in train movements. It assists in optimization of metro infrastructure investment and running of efficient train services on the network. According with the Train Operation assumptions, the Signaling Design are as follows:
 - Design headway of 90 sec and operational headway of 120 sec
 - Dwell time: Maximum 45 sec & minimum 15 sec
 - Length of a train of 3 cars
 - Operation System GOA2.
 - Continuous Automatic Train Control system (CATC) based on Communication Based Train Control system (CBTC) which includes Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Operation (ATO) and Automatic Train Supervision (ATS).
- The work of signaling system for three stations of Nagpur Metro are completed in priority section and in progress for the remaining sections.
- The signaling & train control system for Pune Metro Rail Project would be also moving block type (CBTC) based signaling system, this type of signaling system monitors accurate location of all the train on real time basis, this is highly reliable and demands very low maintenance due to significant reduction in wayside hardware equipment. The tender has been prepared and consent of funding agency has been taken. The tender is online for the bidders through e-portal of Maha-Metro.

10. AUTOMATIC FARE COLLECTION (AFC)

Your company is adopting the EMV (Euro Master Visa) smart card based Open loop Automatic Fare Collection system which will be implemented across all metro stations. This system will enable smart card as additional fare media for commuters to pay for the intended travel. Passengers will be able to purchase single journey tickets & smart cards for multiple fare products from manually operated Ticket Office Machines & Automatic Ticket Vending Machines. Excess Fare Office & Customer center will be established at the stations to look into the passenger grievances about the ticketing inconveniences.

State of art Automatic Fare Collection system will ensures fare & transparent revenue collection and settlement. This promotes no financial frauds & leakages. System also generates accurate ridership & revenue figures for the transit authority.

Smart card stores information about commuter along with the balance amount. This Information will be read by validators installed on access gates in Metro stations.

Automatic gates will be retractable flap types to ensure the safety of the passing passengers & prevents tail gating (Unauthorized access) into the station. AFC system has been proposed keeping in mind the priority to differently able people with wide entry & exit gates at the stations for the wheelchair movements. Depending on the business rules set by Maha-Metro, commuters would be allowed/ denied access to the station based on information stored on card, especially balance amount. To provide additional flexibility following fare media options would be offered to commuters in addition to EMV smart cards

- a. QR code ticketing
- b. Mobile ticketing system

The AFC system for Pune metro rail project is envisaged on the similar lines as that of Nagpur.

11. 5D BIM and ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

Your company has conceptualized a project to deploy a Digital Project Management Platform to manage the project through an integrated solution with proven integrated ERP (Enterprise Resource Planning) and 5D-BIM (5-Dimensional Building Information Modelling) which shall automate its operations and integrate its processes. To realize the above-mentioned success factors, Maha Metro decided to embed a Digital Project Strategy management platform for the project delivery complemented by an Owner Support Office (OSO) fully aligned and enabled with digital strategy

ERP implementation of the Company envisages seamless integration of all business processes, enable decision making based on information that is visible and transparent across all levels. With a single transaction base that is shared, updated and drawn upon by the entire organization, standardization of all the master data across business functions are expected to be achieved. Business Process Owner as well as core committee to carry out the implementation task has been formed. The best suited products for Maha-metro viz., Bentley, SAP, Primavera and RIB and System Integrator (SI) have been implemented for both Nagpur and Pune metro Rail project and work for all the design and ERP system is in progress on the digital platform.

The same facility of 5D BIM has been extended to Pune Metro project from the very beginning and engineering designs are being created and reviewed on 3D models. The financial progress and transactions/payments are being done with ERP system (SAP). This ensures timely payment to all the contractors & helps to maintain complete transparency in the system.

12. IT INITIATIVES

Keeping in view of the Company's growing need, Your Company has set-up a IT Cell in order to ensure an effective Computerization of all the functional areas of the Company. In order to ensure an adequate IT infrastructure, Steps taken by the IT Cell are as under:

- Development of a State-of-the-art Data center of Maha -metro is provided at Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) Mumbai. All the Project Site offices are connected to the Data-Center over high speed dedicated Multi-protocol label Switching (MPLS) connection. High speed Virtual Private Data Network (VPN) connection is also in place as a Network backup.
- To meet immediate needs of the Company Off-the-Shelf software are procured and are being used to automate the office work and to reduce Paper work.
- Design, Develop & Hosted a dynamic internet website of Maha- Metro.
- All the tenders for procurement of goods and services above a threshold value are now published on the Company's website to bring transparency in the procurement process.

13. OPERATION AND MAINTENANCE OF METRO PROJECT

Your Company has two wings viz. the Project Wing and the O&M Wing. Since it is an early stage of the project life cycle where a Priority Section of 5.4 km including 3 stations and a maintenance Depot at MIHAN to be opened for public shortly, both wings are having the Executive & Non-Executive staff of hybrid status i.e. on contract basis or drawn on deputation from Central Government Departments/Central PSUs, or regular status depending upon the need basis.

O&M POLICY:

O&M Strategy has been in place, elaborating the O&M requirements, O&M structure, Maintenance Groups and Department wise strength including experienced and freshers, number of staff including in-house and outsourced, Digital Management Systems to bring O&M on 5D BIM platform, multi- tasking and multi-skill development, training, etc.

O&M WORKFORCE AND HR DEVELOPMENT:

Keeping the Mission and Vision statement of your company, the experienced manpower necessary for operation & maintenance of the Priority Section were recruited on time and training was also imparted to them as need basis in Training Institute of LTMRHL, Hyderabad.

Need based recruitment has been carried out in a phased manner. In view of the peak construction activities for Reach-1 & Reach-3 for the subsequent revenue operations, the

intake of more experienced manpower is in progress so that they further build the competency of the freshers and develop a competent O&M team.

As on 31 March 2018, Maha-Metro has a team of highly dedicated and experienced personnel necessary for O&M of the Priority Section. The experienced staff includes the following from different disciplines in O&M Wing.

Designation	No. of Personnel
Chief Controllers	08
Sr. Station Controllers/Sr.Train Operators	17
Sr. Section Engineers/Section Engineers	11
Sr. Technicians	07

O&M PREPARATION:

All necessary O&M documents as Station Working Orders, Standard Operating Procedures, Special Instructions, etc. along with O&M manuals, etc. have been approved by Authorized Officer I.e. Director (Rolling Stock & Systems).

Most of the installation, testing & commissioning work in the Priority Section is over for Civil, Track, Traction OHE, Traction Sub Station, Auxiliary Sub Station at stations, E&M at stations, Signaling, Telecommunication, Automatic Fare Collection, etc. and the section is ready. O&M activities will also be assisted by the contractors/OEMs as per the provisions in the contract.

Your company has also engaged an agency for Facility Management Services (FMS) for assisting various Operations activities such as housekeeping, security, Customer Facilitation, TOM operators, etc.

14. CORPORATE COMMUNICATION MANAGEMENT AND COSTUMER CARE

The Corporate Communication department of your company has been continuously exploring all the mediums of communication to reach the general public in order to update them about the project and allied activities through print, electronic, radio, social media depicting facts and figures. Your company has taken major initiatives as part of its citizen Outreach Program by tapping all possible mediums for establishing two-way communication with the citizens through electronic as well as direct reach out and citizen centric help centers. It has successfully implemented various mediums in this endeavor. A brief outline of these can be mentioned as follows:

MAHITI KENDRA

Mahiti Kendra, located at Zero Mile in Nagpur & Sambhaji Udyan in Pune, is a replica of Metro coach, which has turned up into a major landmark for the cities of Nagpur & Pune. It has been designed to make the citizens aware about the interiors as well as exteriors of a Metro Coach. Representatives are stationed there for 2 shifts a day, the timings of operations being from 7 AM to 11 PM.

Citizens can walk in anytime during the working hours, 7 days a week, to get details about the Project and may also convey their suggestions/complaints. All the relevant details of the Rolling Stock are provided in this coach and there is also a repository of knowledge elements in electronic format.

Mahiti Kendra has average footfall of around 250 people per day.



SAHAYOG KENDRA

Sahayog Kendra located in Nagpur and Pune is a Pagoda structure and serves as a walk-in interaction/information Centre for the citizens of Nagpur & Pune. It is located at one of the most important business hubs of Nagpur & Pune where the area is also densely populated. Your company planned a facilitation centre for the citizens here in the form of Sahayog Kendra.

People walk in here to lodge complaints and also to get information on the current status of Project. The major utility of the centre is making people aware about the road blockages and the alternate routes. They can also view the facilities that would be upcoming in this area through a Metro gallery that is erected adjacent to the Sahayog Kendra. Around 54 complaints/suggestions are received at this centre each day.

CONTROL CENTRE

The Epi- Centre of all the activities revolving around the gamut of direct citizen contact is the Control Centre. It is a call centre having a toll-free number, which is circulated hugely among the citizens. Having 24x7 operations, throughout the year, it serves as a single point of contact for all citizens to register complaints or to offer any suggestions. It also serves as a co-ordination centre between Sahayog, Mahiti Kendra and the QRT. All these citizen facilitation units act in close co-ordination with the concerned officers at each stretch through the Control Centre.

SOCIAL MEDIA

Your company has understood the utility of Social Media channels quite earlier and started the dialogue with citizens through Social Media from the day of its inception. As a result, it is of the front runners for the highest number of followers on its social media channels.

- Nagpur Metro is leading on Facebook with the highest number of page like among all the other metro projects in India with 4,42,379 page likes and 4,42,283-page followers while the Facebook page of Pune Metro Page has crossed 3 lakh likes in a record time of 16 months.
- The twitter handle of Nagpur Metro has 4,525 followers. Pune metro is ranked 1st in twitter handle with maximum no. of followers in a record time of 17 months.
- The website of Nagpur Metro has around 32,16,757 visitors till date.
- The website of Pune Metro has around 4,45,800 visitors till date

METRO SAMWAD

Your Company has started an innovative medium to engage the citizens through “Samwad”, which is basically a gathering of people from different walks of life focused on creating awareness among the citizens about the facilities that they would get once the metro rail facility and the stations come up. It is usually a gathering at a public place and people are invited from around the vicinity. A presentation is given about the basics of the project which is followed by a Question & Answer session.

Similarly, the concept of Metro Samwad has also been carried forward for the city of Pune. Till date, Nagpur Metro has conducted around 83 Samwads touching base with all most all stations, while 15 such Samwads have taken place in Pune.

15. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

During the period under review, your company is in the project phase and there has not been any operating profits. Since there was no operational income, your company is not required to spend towards CSR activities as required under section 135(1) of the Companies Act, 2013.

16. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Your Company's employment practices are aligned to attract and retain talent. As on 31st March 2018, the employee strength of the Company was 313. In view of the fast approaching deadline for completion of construction activities, the intake of manpower and their competency building has also increased considerably. Your company is imparting Trainings, organizing programmes, workshops, etc. for its employees. Workshops have also been organized to impart the Company Vision, Mission and Culture to improve its visibility among the employees at all levels.

The guidelines issued by the GOI from time to time with regard to reservation of services for SCs/STs/PH/OBCs are being followed. Further, officer has been appointed as Liaison Officer (LO) for SC/ST and PWD (Person with Disabilities) employees of the Company. A separate grievance register has also been kept in the office of LO.

Prevention of sexual harassment at workplace: Your company is committed towards providing a safe working environment to its female employees. Your company has constituted “Internal Complaint Committee” to look into the complaints of sexual harassment of women employees at work place.

TRAINING:

Your company has recruited Experienced Manpower in the field of Metro Rail Organization from other Metro Rail and Indian Railways on Deputation/Contract/Regular/Re-employment basis, so that the work in all respect can be carried out speedily & efficiently.

Your company Provides to its employees detailed training on unique software and application called File Life Cycle Management System (FLM) under 5D BIM Platform, which not only help to minimize the paper work of the office but also provide unique way to move the file online, speedily with digital records available forever in Computer System.

Your company Provides training on newly adopted 5D BIM technology which includes online file movement called File Life Cycle Management System (FLM), Employee Self Service (ESS) & Manager Self Service (MSS) and System Application and Product (SAP) to each and every employee of your company.

Company Provides various training to all levels of employee. Generally, the training is provided at well-known Metro Rail Training Institute of India i.e. Hyderabad Metro Rail Training Institute, Hyderabad and Delhi Metro Rail Training Institute, New Delhi.

Your company also provides specialized training in the field of Civil, Rolling Stock, Electrical, Signaling and Telecom, Train Operation Procurement, HR and Finance by sending its employees to workshop, Seminar and Training etc.

The remuneration package offered by the organization is comparable with DMRC and other Metro Rail Companies in India, which help to attract and retain talent.

17. OFFICIAL LANGUAGE

During the year, a separate Rajbhasha Division, headed by Addl. General Manager (HR) has been established in the Company. The website of the Company has also been made bilingual.

18. RIGHT TO INFORMATION (RTI)

The Company has implemented the provisions of the Right to Information Act, 2005. Total of 142 RTI applications and appeals were processed during the year.

19. VIGILANCE

The Vigilance Department in the company is headed by the Chief Vigilance Officer, who reports to the Managing Director. The Vigilance Unit follows the Central Vigilance Commission guidelines, extant internal guidelines concerning the business and affairs of the company. Prevention rather than punitive action is the sole thrust in the preventive checks. Outcome of the checks is carefully drafted into system improvement circulars for plugging the loopholes.

20. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Your Company has taken several measures in saving energy cost and to generate & use the power through alternate means:

- **Through architectural scape of buildings and design of infrastructure:**
 - Maximum usage of Natural Light at Stations during day time in all the technical, paid and unpaid areas.
 - Usage of tubular portals instead of individual masts for OHE throughout the elevated corridor. Aesthetic look provided & hollow tubes results in reduction of steel consumption.

- Controlled air-conditioning based on public occupation using VRV/VRF (Variable Refrigerant Flow) technology in stations and VFD based chillers in selected stations.
- **Solar Based generation:**
 - As a renewable energy source, Solar power plants are being installed over the roof tops of all the metro stations and depot areas,
 - All the Metro Stations roof, depot and Boundary wall will be fitted with Solar Panels.
 - It is planned that up to 65% of power requirements during operational phase, including traction power shall be catered from solar energy. Your company is taking benefits of city's Solar Power conducive environment to plan for such an aspiring use of solar power. Investment, design, installation, commissioning and O&M are to be done by selected bidder on RESCO Model. Solar energy will lead to significant saving in O&M cost by more than 20 %.
 - Your company has already entered into an agreement with a reputed Solar PV developer, selected through Solar Energy Corporation of India (SECI) for development of 312.65 kWp & 273 kWp Solar PV systems to be installed at the three stations viz., Khapri, New Airport & Airport South and Metro Bhavan respectively.
- **Lighting and HVAC control using efficient technologies**
 - 100% usage of LED lighting in all the metro stations, offices, depot areas, viaduct, parking areas, property development areas and wherever the lighting is required.
 - Energy efficient LED lights are used in lighting the interior and exterior of the trains.
 - Exclusive KNX based lighting control system in stations and Admin building to cut the wastage of power during unused or empty areas.
 - Use of high efficiency VFD (Variable Frequency Drive) based chiller plants in Admin building and selected stations. Remaining all the stations use VRV/VRF technology which is 14% more efficient than conventional DX based units.
 - VVVF (Variable Voltage Variable Frequency) drive for the lifts & escalators, which provides sleep mode for the lifts and idling or slow speed mode escalators when passengers are not detected.
- **Through Rolling Stock:**
 - Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) drive for the train's propulsion system, which uses optimized energy during the powering of the train. High specific energy consumption during regenerative braking.
 - Efficient Heat exchange in HVAC in coaches.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

(Rs.in Lakhs)

S. No.	Particulars	2017-18	2016-17
A	Value of imports calculated on CIF basis:		
	(i) Raw Material	NIL	NIL
	(ii) Stores & Spares	NIL	NIL
	(iii) Capital Goods	5,307.19	NIL
B	Expenditure in Foreign currency on:		
	(i) Professional and consultancy fee	1,040.06	721.27
	(ii) Tours and Travels	47.50	50.19
	(iii) Contracts	7,573.20	280.52
	(iv) Others	0.17	NIL
C	Earnings in Foreign Exchange:		
	(i) Consultancy	NIL	NIL
	(ii) Interest	NIL	NIL
	(iii) Others	NIL	NIL
D	Value of Components, spare parts & store consumed:		
	(i) Imported	NIL	NIL
	(ii) Indigenous	NIL	NIL

21. ENVIRONMENTAL INITIATIVES:

Your Company has planned, designed and implemented to be the Greenest Metro with many innovative and unique features. It has various sustainable features which already initiated from its inception stage itself. More attention has been given to conserve resources like water and non-renewable energy. The various environmental initiatives are briefed below:

STRONG CONTRACT FOR ENVIRONMENT PROTECTION: The built-in contractual provisions for design of project to incorporate IGBC norms, to adopt zero (pollution) discharge technologies/measures, to procure state of the art materials and engineering for energy efficiency, adherence to environmental and social management plan during construction phase of project gives this project an edge while deploying of environmentally friendly measures, materials and engineering.

INTERNATIONAL STANDARD ENVIRONMENTAL & SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP): Project specific ESMP (KfW, funding agency) has been prepared for environment & social management during construction & operation phase of project. ESMP includes International best practices in environment & social management. It's onsite implementation makes this project stand-out from other infrastructure projects.

All the Contractors working with your company are bound to follow the ESMP plan during construction phase. Along with ESMP measures, your company has also prepared various guidelines like Noise control measures, Monsoon preparedness plan, setting up of Batching plant and labour camps etc. These guidelines have helped in enhancing

environmental protection measures at sites. Monitoring of ambient Environmental Parameters at work front site is a regular practice for the contractors. The details of Monthly Environmental Monitoring status is given below:

Identified sensitive environmental receptors are monitored to ensure that during construction phase instantaneous and cumulative impacts are not exceeding the permissible/acceptable levels. The status of ambient Environmental Monitoring for Nagpur Metro Rail Project – Up to March 2018 is noted below:

I) Ambient Air Quality Monitoring around Project (Particulate Matter) since June 2017

Number of monitored locations – 620 and all the Air quality parameters are within the standard limit given by CPCB.

II) Ambient Noise Quality Monitoring around Project (Night Time Noise Levels)

Number of monitored locations – 620 and 1.45 % (9 no.) are the percentage exceedance to Noise levels limit given by CPCB.

III) Ground Water & Soil Leachate

Number of monitored locations – 22 and the parameters like petroleum hydrocarbons & heavy metals are within the limit.

IV) Waste Management

Quantity of construction waste recycled > 70% and 100% disposal of Domestic Waste by Authorized Agency.

Compensatory Afforestation: Infrastructure development in the city should not lead to ecological or environment degradation. As part of green initiatives, Maha-Metro has planted more than 5000 numbers of saplings in 30 Hectares land at Ambazari area in Nagpur and calls it as “Little Wood” in the first phase of initiative. Some 38 varieties of trees have been planted and all of them are suitable for local climate with survival rate of more than 90%. Similarly, for Pune Metro Rail Project your company is using the best Global scientific technology- Arbori Culture and around 301 trees transplanted till date with 100% survival rates. Your company also plans to plant saplings and trees in several parts of the city to enhance green surroundings.



Trees coming in the way are proposed to be transplanted to an alternate location rather than cutting them.

Your company has introduced Vertical Garden on the pillars which will not only be a pleasant sight but also helps in reducing Carbon Footprint in the city. It is also developing “Eco-Park” in MIHAN area with an objective to enhance greenery, boost tourism, improve the ambient air quality, provide a recreational atmosphere for entertainment and boost

the quality of life of people living nearby. It is planned that, water requirement for Eco-park will be fulfilled from treated water of coach/Train washing plant.

Green MRTS: Your company and its utilities have been planned to achieve Platinum Rating under Indian Green Building Council (IGBC). All stations, administrative building and depots have been planned and designed as per IGBC norms. The feasibility studies for two depots at Nagpur are completed. The energy simulation modelling for stations is in progress. The project will get following benefits:



- Enhanced sustainability of the project
- Reduce environmental impacts in terms of resource conservations
- Reduce the consumption of Energy & Water
- Reduce load on Urban Infrastructure (Sewer & Storm Water Lines etc)
- Enhance comfort for Occupants through improved Indoor Environment

IGBC has awarded Nagpur Metro Rail Project with Platinum rating for three metro stations of priority section namely Airport South, New Airport and Khapri. Platinum rating is the highest rating for metro stations awarded as per IGBC Green MRTS rating system.



The initiative shall result in considerable water (>30% saving over business as usual scenario), energy savings (>15%) and enhance the travel experience of passenger by providing more comfort & convenience and information on city's culture, heritage and traditions.

External E&S Audit: In line with international standards, your company has engaged external environmental and social monitoring experts for the construction phase of Nagpur Metro. These experts undertake independent periodic reviews to verify that the project is being executed in compliance with national & international regulations (World Bank Performance Standards) and that established social and environmental management plans are implemented.

The monitoring is based on the established Social Management Plan (SMP), Environmental Management Plan (EMP), Resettlement Action Plan (RAP) and Resettlement and Rehabilitation (R&R) Policy. The first audit conducted by M/s. ERM was during November -2017 followed by quarterly monitoring audit during first quarter of 2018. The first audit report was submitted to funding agencies for their perusal during Feb-2018.

Waste Management: Your company has outlined a comprehensive waste management plan for construction & operation phase of the project. The waste generated during construction phase includes excess soil, C&D waste, garbage & sewage. The excess soil generated during construction is re-used for backfilling, landscaping and plantation at project utilities. The C & D waste is stored at designed location for their further necessary action. The garbage generated at sites is segregated at sites in three categories viz: recyclable waste, bio-degradable waste and hazardous wastes. Recyclable wastes are sold to the recycle vendors. Hazardous wastes are handed over to authorized recyclers for environmentally acceptable disposal. The sewage generated during construction is treated with the help of bio-digesters by ensuring that effluent is conforming to land discharge standards.

During operation of Metro, your company will install Defense Research and Development Establishment (DRDE) developed Bio-digester technology at all stations, depots and headquarter for on-site disposal of human waste. The proposed technology is natural method for treating sewage with minimal energy use and zero sludge formation. It will ensure that 100 % of sewage generated during operations is treated at station location and re-used at stations for various purposes. Advantages of DRDE technology are as given below:

- Dispose Human Waste in Eco-friendly manner
- No sludge formation and maintenance free
- No energy requirement
- Effluent is safe for environmental discharge
- No ground water pollution
- Zero pollution load on public infrastructure The treated water is proposed to be re-used for floor washing and gardening purposes.



Hazardous Waste Management: Dedicated storage space have been provided for hazardous solid wastes such as oil filters, oil contaminated clothes, welding electrodes etc. Impervious & Shaded Storage platforms for waste oil, diesel, batteries, paints have been provided to avoid spillage of waste. Fuel transfer pump & drip tray are being used to control oil spillage & Burned lubricant oil have been separate stored in waste oil room to control Land pollution.

Separate Waste bin have been provided at Labor camp, Casting Yard and various working location at site for safe disposal of Biodegradable and recycle waste.

Water conservation: Design of Metro Project as per IGBC norms ensures the reduction of water up to 30% and this conservation will be achieved without compromising on human comfort. In addition to this your company will reduce the water demand by using treated water for gardening & floor washing purposes. The native and adoptive species for plantation and landscaping by drip irrigation method will further reduce fresh water demand as compared to conventional practices.

Water Conservation through Rain Water Harvesting (RWH)

- RWH pits are designed for 100 % collection of roof top run-off;
- RWH provisions at stations roof top, viaduct and building rooftop run-off;
- Sanitary Fixtures are chosen in such a way that it delivers optimum discharge at specified pressure;
- Dual plumbing line is provided for re-using treated sewage for non-contact uses.



RWH System at MIHAN Depot

Air pollution mitigation: Dedicated Water Sprinkling Arrangements at sites, cover for conveyor belt at Batching plant, Bag filters for controlling silo borne dust and regular maintenance of Construction Equipment & Vehicles (CEV) and DG Sets are the measures adopted to control the construction borne air pollution.



Environmental parameters are regularly being monitored at construction sites which help in mitigating concerned impacts. Toe dust accumulated on barricade boards is cleaned on regular basis to minimize road side dust pollution. This helps in keeping the road clean.

Clean Development Mechanism (CDM): Clean Development Mechanism (CDM) is a market driven mechanism and offers an opportunity to contribute towards environmental sustainability through business operations while at the same time helps to generate revenue by selling carbon credits.

Under the project, your company will earn Certified Emission Reduction (CERs) for

- Using regenerative braking system in rolling stock (trains).
- Shifting of public travel from cars/buses and other means (cars, taxis, two/three wheelers) of road transport to the metro trains.

22. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT.

There are no material changes and commitments, affecting the financial position of the company, except for adoption of Indian Accounting Standard (IND AS), statutorily required to be adopted by companies having net worth of Rs. 500 crores of more.

23. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE.

There are no significant and material orders passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going-concern status of the company and affecting its operations.

24. DEPOSITS:

The company has not invited any deposits from Public under Chapter V of Companies Act 2013.

25. PARTICULARS OF EMPLOYEES:

There was no employee in the company falling under the category of employees required to be reported under Section 197(12) of the Companies Act 2013, read with Rules 5(2) and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014. The details of the remuneration paid to the Functional Directors are as stated in the Audited Accounts for the Financial Year 2017-18.

Further, the Board of Directors hereby state that the company has not received any complaints under "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2011" during the Financial Year under review.

26. PARTICULARS OF LOANS, INVESTMENTS AND GUARANTEE IN TERMS OF SECTION 134(3) (G) OF THE COMPANIES ACT 2013:

During the year under review, the company has not

- given any loan to any person or other body corporate;
- given any guarantee or provided security in connection with any loan to any other body corporate or person; and
- acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under section 186 of the Companies Act, 2013.

27. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES REFERRED TO IN SUB-SECTION (1) OF SECTION 188 IN THE FORMAOC-2:

During the year under report, your company has not entered into any contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013.

28. STATUTORY AUDITORS REPORT:

The Comptroller & Auditor General, India (CAG) have appointed M/s Jodh Joshi & Co., Chartered Accountants, Nagpur as the Statutory Auditors of the company for the Financial Year 2017-18. The Report of the Statutory Auditor forming part of Financial Statements is annexed. The observation of the Statutory Auditors in their report, read with the relevant notes to accounts are self-explanatory and do not require further explanation.

29. REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL, INDIA (CAG):

The Comptroller & Auditor General of India has given 'Nil' comments on annual accounts and auditor's report for the FY 2017-18.

30. SECRETARIAL AUDITORS:

Pursuant to the provisions of section 204 of the Companies Act 2013, M/s Parag Dasarwar, Practicing Company Secretary, was appointed to conduct the Secretarial Audit

of your company for the FY 2017-18. The Report from the Secretarial Auditor is annexed to this Report.

31. CORPORATE GOVERNANCE REPORT:

Your company consistently endeavors to adopt the best practices of Corporate Governance to pursue transparency, integrity and accountability in all its activities. The Corporate Governance Report has been annexed to this Report.

32. RISK MANAGEMENT POLICY:

Risk Management is an integral part of the company's strategic planning, the purpose of this is protecting the assets and resources and ensuring that the risks are reduced to an acceptable and manageable level on an on-going basis. Your company is committed to identify potential risks before they occur so that the risk management activities may be planned and invoked as and when needed during the life of the project and to mitigate its adverse impacts on achieving the larger objective.

Keeping this in view your company has prepared a duly approved Risk Management Policy and also identified the following specific objectives:

1. To ensure that all the current and future material risk exposures of the Company are identified, assessed, quantified, appropriately mitigated, minimized and managed on time.
2. To ensure that high priority risks are aggressively managed and eliminated.
3. To ensure that all risks are cost-effectively managed throughout the project.
4. To promote information sharing at all levels of the management to make informed decisions on issues critical to the success of the project.
5. To ensure compliance with the appropriate regulations, wherever applicable.

Your company has adopted the following measures to achieve and improve the specific objectives:

- Conducting quarterly internal audit by independent auditors; their observations are reviewed by the Audit Committee and corrective actions taken wherever found appropriate.
- Physical verification of assets at regular intervals by a team constituted for the purpose and by the internal auditors.
- Use of data encryption technology for communication and storage of data which ensures safety and data security.
- Insure the assets of the Company.

33. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS:

The Board has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient

conduct of your company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial statements.

34. EXTRACT OF THE ANNUAL RETURN:

The extract of the Annual Return for the FY 2017-18, as provided under sub-section (3) of section 92 of the Companies Act 2013, in the prescribed form MGT-9 is annexed to this report.

35. DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP):

As on date of this report, the Board of Directors of Maharashtra Metro Rail Corporation Limited comprises 13 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 5 Directors are nominees of the Government of Maharashtra and 3 are Functional Directors. The Chairman is Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA), Nominee of Government of India, and the Managing Director is a Nominee of the Government of Maharashtra.

35.1 COMPOSITION OF THE MAHA METRO BOARD AS ON THE DATE OF THIS REPORT

SR. NO	NAME OF DIRECTOR	CATEGORY	DIN	DATE OF APPOINTMENT
1	Shri. Durga Shanker Mishra, Chairman, Maha Metro & Secretary (UD), MoHUA.	Nominee of GOI	02944212	23/06/2017
2	Shri. Brijesh Dixit, Managing Director, Maha Metro.	Managing Director-Nominee of GOM	07065694	18/02/2015
3	Smt. Jhanja Tripathy, Director, Maha Metro & JS/FA (UD) MoHUA	Nominee of GOI	06859312	18/02/2015
4	Shri. Mukund Kumar Sinha, Director, Maha Metro & OSD (UT) & ex-Officio JS (UD) MoHUA	Nominee of GOI	06774923	18/02/2015
5	Shri. N. M. Dhoke, Director, Maha Metro & Director (RSE & OM) BMRCL, Bangalore.	Nominee of GOI	06900265	20/10/2016
6	Shri. A. K. Pandey, Director, Maha Metro & Chief Engineer/Con. South East Central Railway, Nagpur.	Nominee of GOI	07941012	21/08/2017
7	Shri. U. P. S. Madan, Director, Maha Metro & Additional Chief Secretary, Finance Department, GOM.	Nominee of GOM	03570256	02/05/2018

8	Shri. Nitin Kareer, Director, Maha Metro & Principal Secretary (UD-1), Urban Development Department, GOM	Nominee of GOM	01624863	18/02/2015
9	Shri. Saurabh Rao, Director, Maha Metro & Municipal Commissioner, Pune Municipal Corporation (PMC).	Nominee of GOM	08127958	17/04/2018
10	Shri. Virendra Singh, Director, Maha Metro & Municipal Commissioner, Nagpur Municipal Corporation (NMC).	Nominee of GOM	08158247	04/05/2018
11	Shri. Mahesh Kumar, Director (Projects), Maha Metro.	Whole-time Functional Director	06564150	06/01/2016
12	Shri. Sunil Mathur, Director (RS&S), Maha Metro.	Whole-time Functional Director	07434150	21/01/2016
13	Shri. S. Sivamathan, Director (Finance), Maha Metro.	Whole-time Functional Director	07534472	14/09/2016

35.2 DIRECTORIAL CHANGES THAT OCCURRED DURING THE FINANCIAL YEAR 2017-18:

During the year 2017-18, four Board Meetings were held. The following changes among the Directors took place during the year:

- i. Shri. Durga Shanker Mishra, Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs joined the Board on 23rd June 2017, in place of Shri. Rajiv Gauba, former Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs.
- ii. Shri. Avanish Kumar Pandey, Chief Engineer/ Con. South East Central Railways, Nagpur joined the Board on 21st August 2017, in place of Shri. Shailendra Singh, former EDME (Chg.), Railway Board.
- iii. Shri. Ashwin Mudgal, Municipal Commissioner, Nagpur Municipal Corporation joined the Board on 21st April 2017, in place of Shri. Shravan Hardikar, former Municipal Commissioner, Nagpur Municipal Corporation.

35.3 DIRECTORIAL CHANGES THAT OCCURRED DURING THE CURRENT FINANCIAL YEAR 2018-19 (BEFORE THE DATE OF ANNUAL GENERAL MEETING):

- i. Shri. Urvinder Pal Singh Madan, Additional Chief Secretary, Finance Department, UD (GoM) joined the Board on 2nd May 2018, in place of Shri. Dinesh Kumar Jain, former Additional Chief Secretary, Finance Department, UD (GoM).
- ii. Shri. Saurabh Rao, Municipal Commissioner, Pune Municipal Corporation, joined the Board on 17th April 2018, in place of Shri. Kunal Kumar, former Municipal Commissioner, Pune Municipal Corporation.

iii. Shri. Virendra Singh, Municipal Commissioner, Nagpur Municipal Corporation joined the Board on 4th May 2018, in place of Shri. Ashwin Mudgal, former Municipal Commissioner, Nagpur Municipal Corporation.

Your company has the following Key Managerial Personnel as on date of Annual General Meeting:

Name	Designation	Date of Appointment
Shri. Brijesh Dixit	Managing Director	18/02/2015
Shri. S. Sivamathan	Director Finance/Chief Financial Officer	14/09/2016
Ms. Nitika Agrawal	Company Secretary	09/03/2017

36. MEETINGS OF THE BOARD AND ITS COMMITTEES:

BOARD MEETINGS:

In accordance with Section 173 of the Companies Act 2013, during Financial Year 2017-18, the Board of Directors had 4 Board Meetings the details of these meetings are as follows:

Number of Board Meeting	Date of the Board Meeting	No. of Directors Present
1	1 st July 2017	10
2	23 rd September 2017	9
3	6 th January 2018	4
4	9 th February 2018	11

COMMITTEES OF THE BOARD:

The Board has constituted four sub-committees. These are

1. Audit Committee
2. Project Committee
3. Investment Committee
4. Human Resource Committee

Each of these Board Sub-committees meet according to the requirements of the company from time to time. The details of sub-committees of Board are provided under the report "Corporate Governance Report".

37. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT:

The financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards INDAS under the historical cost convention on accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values and as per the provisions of Companies Act 2013.

The Company has adopted all the applicable INDAS and the adoption was carried out in accordance with applicable transition guidance. Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

Pursuant to the requirement under section 134(3) (C), and 134(5) of the Companies Act 2013 with respect to Directors' Responsibility Statement,

The Directors hereby confirmed that:

- (a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) The directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) The directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The directors have prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) The directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

38. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS

The Company is 50:50 Joint Venture of GOI & GOM and it is exempted from appointing Independent Directors.

39. SECRETARIAL STANDARDS OF ICSI

Pursuant to the approval from the Ministry of Corporate Affairs, the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has on June 2017, notified the Revised Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) effective from 1st October 2017. The company is complying with the same.



40. ACKNOWLEDGMENTS

The Board of Directors wish to place on record its sincere gratitude to the Government of India, Government of Maharashtra, Office of the C&AG, regulatory authorities, local authorities, Statutory Auditors, Secretarial Auditors, Internal Auditors, KfW, AFD, State Bank of India, ICICI Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra and various Stakeholders connected with the affairs of the Company for their support and co-operation. The Board also places on record its sincere appreciation of the commitment and the whole-hearted co-operation extended by the officers, consortium members of General Consultants, Contractors and other staff members of your company.

**For and on behalf of the Board of Directors
Maharashtra Metro Rail Corporation Limited**

**Place : New Delhi
Date : 28.09.2018**

**SD/-
(Durga Shanker Mishra)
Chairman**

SECRETARIAL AUDIT REPORT



PARAG DASARWAR
Company Secretaries

Form No. MR-3

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2018

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly Known as 'Nagpur Metro Rail Corporation Limited')

Metro House ,28/2 Anand Nagar,

C K Naidu Marg, Civil Lines Nagpur 440001

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED** Formerly Known as 'Nagpur Metro Rail Corporation Limited' (hereinafter called "**the company**") having CIN: U60100MH2015SGC262054. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2018, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to an extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31.03.2018 according to the provisions of:

- i. The Companies Act, 2013 ("**the Act**") and the rules made thereunder;
- ii. Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978;
- iii. Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002;
- iv. Metro Railways (Amendment) Act, 2009;
- v. Provisions of the regulations and guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') were not applicable to the company by virtue of not being listed on an Stock Exchanges of the company under the financial year 2017-18.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

Secretarial Standards as issued by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines and Standards as mentioned above.

I further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted. There are changes in the composition of the Board of Directors took place during the period under review in following manner;

CHANGES IN THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS;

Sr. No.	Name of director	Designation	Date of appointment	Date of cessation
1.	Shri. Shравan Pramod Hardikar	Nominee director (Ex-officio)	-	21/04/2017
2.	Shri. Ashwin Ashok Mudgal	Nominee director (Ex-officio)	21/04/2017	-
3.	Shri. Shailendra Singh	Nominee director (Ex-officio)	-	24/05/2017
4.	Shri. Rajiv Gauba (IAS) Secretary, Ministry of Urban Development	Chairman & Nominee Director (Ex-officio)	-	23/06/2017
5.	Shri. Durga Shanker Mishra Secretary, Ministry of Urban Development	Chairman & Nominee Director (Ex-officio)	23/06/2017	-
6.	Shri. Avanish Kumar Pandey	Nominee Director	21/08/2017	-

DETAILS OF KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP) APPOINTED DURING THE YEAR;

During the period under review no Key Managerial Personnel (KMP) were appointed by the Company.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that during the audit period, there were no instances of:

- Redemption/ buy-back of securities
- Major decisions taken by the members in pursuance to section 180 of the Companies Act, 2013.
- Merger/ amalgamation/ reconstruction, etc.
- Foreign technical collaborations

Place: Nagpur
Date: 30/07/2018

FOR PARAG DASARWAR
COMPANY SECRETARIES

Sd/-

Parag Dasarwar
Company Secretary
Proprietor
FCS No. 9304
CP No.: 8227

Encl.: Annexure – I

Annexure – I Notes on the Secretarial Audit report of Maharashtra Metro Rail Corporation Limited dated 30/07/2018:

Our report of event date is to be read along with the following notes:-

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. I have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. I believe that the processes and practices, I have followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the company. Further, the scope of our audit does not include financial laws and allied acts.
4. Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

Place: Nagpur
Date: 30/07/2018

FOR PARAG DASARWAR
COMPANY SECRETARIES

Sd/-

Parag Dasarwar
Company Secretary
Proprietor
FCS No. 9304
CP No.: 8227

CORPORATE GOVERNANCE REPORT FOR FINANCIAL YEAR 2017-18

Corporate Governance is a set of standards which aims to improve the company's image, efficiency and effectiveness. Maharashtra Metro Rail Corporation Limited is an unlisted Public Limited Company, but keeping the underlying principles of Corporate Governance i.e. value, ethics and commitment to follow best practices and ensuring that the company is well managed in the interests of all, your Directors place the following Corporate Governance Report before the Members of the company:

In the performance of its functions, Maha Metro is guided by the Articles of Association (AoA) of the company, the provisions of the Companies Act 2013, applicable IND AS, regulations prescribed by authorities like the C&AG, provisions of the Right to Information Act, 2005 and Rules made thereunder. In addition, all the applicable statutes governing the functioning of the organization in respect of safety, health, environment, welfare of the employees and those engaged through contractors, provision for fair compensation, rehabilitation and resettlement of project affected persons etc., are appropriately complied with.

1. BOARD OF DIRECTORS

In terms of the Articles of Association of the company, strength of the Board shall not be less than 3 Directors with maximum number as stipulated under Section 149 of the Companies Act 2013, along with the exemptions applicable to Government Companies. These Directors may be either nominee Directors or whole-time functional Director or part-time Directors.

2. CONSTITUTION OF BOARD

Maha Metro is a Government company within the meaning of Section 2 (45) of Companies Act 2013. Presently, 100% of the total paid-up share capital is held by Government of India (GoI) and Government of Maharashtra (GoM) in 50:50 ratio. Both the Governments have right to nominate five Directors each on the Board of the Company. The Government of India has the right to appoint Chairman amongst their nominees. Accordingly, the secretary (Ministry of Housing and Urban Affairs), Government of India is the ex-officio Chairman of the company. The Government of Maharashtra has the right to nominate the Managing Director amongst their nominees.

3. COMPOSITION OF THE BOARD

As on date of this report, the Board of Directors of Maharashtra Metro Rail Corporation Limited comprises 13 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 5 Directors are nominees of the Government of Maharashtra and 3 are Functional Directors. The said nominee Directors are Senior officials of Government of India and Government of Maharashtra having considerable experience in functioning of Government and expertise across a range of disciplines, including general management, construction, project management, design, business strategy, finance etc.

4. RESPONSIBILITIES

The primary role of the Board is that of guiding force to see that the mandate assigned to the company by the Government is fully met and at the same time the shareholders' value is protected and enhanced. The Board ensures that the company has clear goals and policies for achieving these goals. The Board oversees the company's strategic direction, reviews corporate performance, authorizes and monitors strategic decision, ensures regulatory compliance and safeguards interests of shareholders and social commitments. The Board ensures that the company is managed in a manner that fulfils stakeholders' aspirations and societal expectations. Board Members also ensure that their other responsibilities do not impinge on the responsibilities as a Director of the company.

5. BOARD/COMMITTEE MEETINGS AND PROCEDURE

a) Institutionalized decision making process/Board procedures

With a view to institutionalizing all corporate governance and setting up systems and procedures for advance planning for matters requiring discussion and decision by the Board in an informed and efficient manner, the Company has well defined procedures for meetings of the Board of Directors and Committees thereof.

b) Scheduling and selection of Agenda items for Board/ Committee Meetings

1. The meetings are convened by giving appropriate notice, after obtaining the approval of the Chairman of the Board. To address specific urgent needs, meetings are also called at shorter notice. The Board also pass Resolutions by Circulation, but only for such matters, which are of utmost urgency and which are permissible in terms of the provisions of the Companies Act 2013;
2. The agenda papers are prepared by the concerned Heads of Departments and submitted to the Functional Director for approval before submitted to Managing Director. Duly approved detailed agenda notes, management reports and other explanatory statements, backed by comprehensive background information are circulated by the Company Secretary in consultation with the Managing Director well in advance amongst the Directors/members for facilitating meaningful, informed and focused discussions and decisions at the meetings;
3. Where it is not desirable to attach any document or if the agenda is of sensitive nature, the same is placed on the table at the meeting with the approval of the Managing Director. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary item(s), which are not on the agenda, are taken up for discussion with the permission of the Chair of the Board;
4. The Board is also informed of major events/items and approvals taken whenever necessary. The Managing Director keeps the Board apprised of the overall performance of the company at the Board Meetings;
5. The members of the Board have complete access to all the information of the company;
6. The Board meetings are conducted in line with the applicable Secretarial Standards.

c) Briefing by the Managing Director/Director

At every meeting of the Board, the Managing Director/Directors briefs the Board members about the key developments, including the status of the projects and other important achievements/developments relating to the company in various areas and make presentations to the Board Members. Members of top management, consultants and experts are also called to brief the board and make presentation whenever required.

d) Recording minutes of proceedings at the Board meeting

Minutes of the proceedings of each Board are recorded and are entered in the Minutes Book. The minutes of the meetings are circulated in accordance with the provisions of the Companies Act 2013, and the applicable Secretarial Standards. The minutes of the Board meetings are submitted for confirmation at its next meeting after the same approved and signed by the Chairman. The minutes of the meetings of the Sub-Committees of the Board are also placed before the Board for their information.

e) Compliance

The Heads of Departments and Functional Directors while preparing agenda notes ensures adherence to the provisions of all the applicable laws, rules, guidelines etc. The Company Secretary ensures compliance of all applicable provisions of the Companies Act 2013, and other statutory requirements.

During the year 2017-18, four Board Meetings were held on 1st July 2017, 23rd September 2017, 06th January 2018 and 9th February 2018.

Details of designation, category of Directors, number of Board meetings attended, attendance at last Annual General Meeting (AGM), are tabulated below:

Sr. No.	Name of Director	Category	Board Meetings held during respective tenure of the Director	No. of Board Meeting Attended	Attendance at last AGM (held on 23.09.2017)
1.	Shri. Durga Shanker Mishra, Chairman, Maha Metro & Secretary (UD), MoHUA.	Nominee of GOI	4	4	Yes
2.	Shri. Brijesh Dixit, Managing Director, Maha Metro.	Managing Director-Nominee of GOM	4	4	Yes
3.	Smt. Jhanja Tripathy, Director, Maha Metro & JS/FA (UD) MoHUA	Nominee of GOI	4	4	Yes
4.	Shri. Mukund Kumar Sinha, Director, Maha Metro & OSD (UT) & ex-Officio JS (UD) MoHUA	Nominee of GOI	4	4	Yes
5.	Shri. N. M. Dhoke, Director, Maha Metro & Director (RSE & OM) BMRCL, Bangalore.	Nominee of GOI	4	3	Yes
6.	Shri. A. K. Pandey, Director, Maha Metro & Chief Engineer/Con. South East Central Railway, Nagpur.	Nominee of GOI	3	1	No
7.	Shri. D K Jain, Director, Maha Metro & Additional Chief Secretary, Finance Department, GOM.	Nominee of GOM	4	0	No
8.	Shri. Nitin Kareer, Director, Maha Metro & Principal Secretary (UD-1), Urban Development Department, GOM	Nominee of GOM	4	2	Yes

9.	Shri. Kunal Kumar, Director, Maha Metro & Municipal Commissioner, Pune Municipal Corporation (PMC).	Nominee of GOM	4	2	No
10.	Shri. Ashwin Mudgal, Director, Maha Metro & Municipal Commissioner, Nagpur Municipal Corporation(NMC).	Nominee of GOM	4	1	No
11.	Shri. Mahesh Kumar, Director (Projects), Maha Metro.	Whole-time Functional Director	4	3	Yes
12.	Shri. Sunil Mathur, Director (RS&S), Maha Metro.	Whole-time Functional Director	4	3	Yes
13.	Shri. S. Sivamathan, Director (Finance), Maha Metro.	Whole-time Functional Director	4	3	Yes

6. INFORMATION PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTOR

The Board of Directors delegated the powers to the Managing Director on all routine matters to manage the day-to-day affairs of the company with financial powers. In order to enable speedy decision making, the day-to-day operation of the company and also to delegate the responsibility to the senior management team, Schedule of Powers (SOP) has been prepared and the same has been approved and circulated. Matters, which are beyond the delegated powers are being brought before the Board and the same inter-alia includes the following:

- Annual accounts, Directors' Report etc.
- Minutes of meetings of all Committees of the Board.
- All proposals which involve change in technology/technology parameters other than contemplated in DPR.
- All proposals which involve change of corridors, additional stations etc.
- Progress report on Projects.
- Property Development Matters.
- Information required to be placed out of obligation arising from Companies Act 2013.
- Award of large contracts.
- Other materially important information.
- Other matters desired by the Board from time to time.

7. COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS:

The Board has constituted four sub-committees, These are

1. Audit Committee.
2. Project Committee.
3. Investment Committee.
4. Human Resource Committee.

The Company Secretary is secretary to the various committees. Each of these Board Sub-committees meet according to the requirements of the Company from time to time. The details regarding the Board sub-Committees are given below:

1. Audit Committee:

In terms of provisions of Section 177 of the Companies Act 2013, and applicable rules thereunder along with the exemptions applicable to Government Companies, only those companies which require to appoint Independent Directors are required to constitute an Audit Committee. However, the Board of Directors of your Company has constituted an Audit Committee. The constitution, quorum, scope etc. of Audit Committee are detailed below:

Composition

As on 31st March 2018, Audit Committee comprises of the following Directors:-

Sr. No.	Audit Committee Members	Designation
1.	JS/FA (UD), MoHUA/GOI Nominee (Smt. Jhanja Tripathy)	Chairperson
2.	PMC Commissioner/GOM Nominee (Shri. Kunal Kumar)	Member
3.	NMC Commissioner/ GOM Nominee (Shri. Ashwin Mudgal)	Member

Members of Audit Committee are qualified and have requisite insight to interpret and understand financial statements, Director (Finance), other concerned Director(s) and Senior Officers of Maha Metro, Statutory Auditors and Internal Auditors and are also invited in the Audit Committee Meetings without conferring any right to vote.

Quorum for the Audit Committee is two Members.

Scope of Audit

The Audit Committee to have discussions with the auditors periodically about internal control systems, the scope of audit including the observations of the Internal auditors and review of Internal Audit Reports and annual financial statements before submission to the Board and also to ensure compliance of internal control systems.

The Audit Committee shall have authority to investigate into any matter in relation to the items specified under the Companies Act or as may be referred to it by the Board and for this purpose, shall have full access to information contained in the records of the company and may seek external professional advice, if necessary.

The Chairperson of the Audit Committee shall attend the Annual General Meetings of the company to provide any clarification on matters relating to audit.

Meeting and attendance

During the year 2017-18, the Audit Committee met thrice viz., 1st July 2017, 15th September 2017 and 8th February 2018.

Attendance record of Members:

Sr. No.	Members of Audit Committee as on 31 st March 2018	Meetings held in FY 2017-18 during respective tenure of Directors	No. of Meetings attended
1.	Smt. Jhanja Tripathy, JS/FA (UD), MoHUA-Chairperson, Audit Committee.	3	3
2.	Shri. Kunal Kumar, Commissioner Pune Municipal Corporation, GOM- Member Audit Committee.	3	3
3.	Shri. Ashwin Mudgal, Commissioner Nagpur Municipal Corporation, GoM- Member Audit Committee.	3	Nil

As on date of this report the Composition of Audit Committee comprises of the following Directors:-

Sr. No.	Audit Committee Members	Designation
1.	JS/FA (UD), MoHUA/GOI Nominee (Smt. Jhanja Tripathy)	Chairperson
2.	PMC Commissioner/GOM Nominee (Shri. Saurabh Rao)	Member
3.	NMC Commissioner/ GOM Nominee (Shri. Virendra Singh)	Member

2. Project Committee

The Project Committee was constituted on 09th March 2017, for examination & recommendation of any project implementation issues and other matter as referred by the Board.

The composition of the Project Committee as on 31st March 2018 is as follows:

Sr. No.	Project Committee Members	Designation
1.	Shri. Brijesh Dixit (Managing Director)	Chairman
2.	Shri. N.M Dhoke (GOI Nominee)	Member
3.	Shri. Kunal Kumar (GOM Nominee)	Member
4.	Shri. Ashwin Mudgal (GOM Nominee)	Member
5.	Concerned Functional Director: For Civil works - Director (Projects). For System works- Director (RS&S).	Member

The Committee met twice viz. 1st July 2017 and 18th January 2018.
Attendance record of Members:

Sr. No.	Members of Project Committee as on 31 st March 2018	Meetings held in FY 2017-18 during respective tenure of Directors	No. of Meetings attended
1.	Shri. Brijesh Dixit (Managing Director)	2	2
2.	Shri. N.M Dhoke (GOI Nominee)	2	2
3.	Shri. Kunal Kumar (GOM Nominee)	2	2
4.	Shri. Ashwin Mudgal (GOM Nominee)	2	Nil
5.	Concerned Functional Director: For Civil works - Director (Projects). For System works- Director (RS&S).	2	2

As on date of this report the Composition of Project Committee comprises of the following Directors:-

Sr. No.	Project Committee Members	Designation
1.	Shri. Brijesh Dixit (Managing Director)	Chairman
2.	Shri. N.M Dhoke (GOI Nominee)	Member
3.	Shri. Saurabh Rao (GOM Nominee)	Member
4.	Shri. Virendra Singh (GOM Nominee)	Member
5.	Concerned Functional Director: For Civil works - Director (Projects). For System works- Director (RS&S).	Member

3. Investment Committee:

The Investment Committee was constituted on 09th March 2017, to consider and approve investments of temporary project funds of the company, review the Investment Policy and suggest modifications and any other matter as may be referred by the Board. The composition of the Investment Committee is as follows:

1. Brijesh Dixit, Managing Director
2. Mahesh Kumar, Director (Projects)
3. S. Sivamathan, Director (Finance)

Based on the requirement of investment/re-investment of temporary surplus of project funds available, the Investment Committee met 28 times during the FY 2017-18.

4. Human Resource Committee:

In terms of provisions of Section 178 of the Companies Act 2013, and applicable rules thereunder along with the exemptions applicable to Government Companies, only those companies which require to appoint Independent Directors are required to constitute Nomination and Remuneration Committee.

Thus, the Board of Directors has formed an internal Human Resource (HR) Committee instead of Nomination and Remuneration Committee.

The composition of the Human Resource Committee as on 31st March 2018 is as follows:

Sr. No.	HR Committee Members	Designation
1.	Shri. Mahesh Kumar (Director Projects)	Chairman
2.	Shri. Ashwin Mudgal (GOM Nominee)	Member
3.	Shri. S. Sivamathan (Director Finance)	Member

The Committee met once on 18th December 2017.

Attendance record of Members:

Sr. No.	Members of HR Committee as on 31 st March 2018	Meetings held in FY 2017-18 during respective tenure of Directors	No. of Meetings attended
1.	Shri. Mahesh Kumar (Director Projects)	1	1
2.	Shri. Ashwin Mudgal (GOM Nominee)	1	1
3.	Shri. S. Sivamathan (Director (Finance))	1	1

As on date of this report the Composition of HR Committee comprises of the following Directors:-

Sr. No.	HR Committee Members	Designation
1.	Shri. Mahesh Kumar (Director Projects)	Chairman
2.	Shri. Virendra Singh (GOM Nominee)	Member
3.	Shri. S. Sivamathan (Director Finance)	Member

8. RELATED PARTY DISCLOSURES

All the transactions with related parties were in the ordinary course of business and no arms' length basis. There are no related party transactions entered into by the company with its Promoters, Directors or Management, their subsidiaries or relatives etc., which had potential conflict with the interest of the company at large. Transactions with the related parties are disclosed in Notes to the financial statements in the Annual Report.

9. SHAREHOLDERS' GRIEVANCE COMMITTEE

Maha Metro is a Government company, presently, 100% of the total paid up capital is held by GOI and GOM in 50:50 ratio. The Shareholders are 10 in numbers which is done so as to comply with the minimum number of shareholders under the provisions of the Companies Act 2013. Hence the company does not foresee any reason for grievance and has not constituted any Shareholders Grievance Committee.

10. GENERAL BODY MEETINGS

2nd Annual General Meeting (AGM) - date, time and location where 2nd Annual General Meeting was held is as under:

Date & Time	23 rd September 2017 at 12:45 PM
Venue	At 9 th floor, "Committee Room", New MMRDA building, Bandra Kurla Complex, Bandra E, Mumbai-400051
Special Resolution (s) passed	Nil

11. COMPANY'S WEBSITE:

The company's website is www.mahametro.org. All major information pertaining to the company, including project, tenders, contracts, job, recruitment process and results, etc. are given on the website. The Website also provides information on all important events, activities and progress of the Metro Rail Projects (Nagpur & Pune) and other significant developments, and is continuously updated.

Registered Office:

Maharashtra Metro Rail Corporation Limited,
CIN U60100MH2015SGC262054;
Metro House, 28/2 Anand Nagar,
C K Naidu Marg, Civil Lines, Nagpur- 440 001

Pune Project Office:

Pune Metro Rail Project:
The Orion Building, 1st floor,
Opposite Don Bosco Youth Centre,
Near Saint Meera's Girls School,
Koregoan Park Pune-411001

Company Secretary:

Ms. Nitika Agrawal
Maharashtra Metro Rail Corporation Limited,
Metro House, 28/2 Anand Nagar,
C K Naidu Marg, Civil Lines, Nagpur.
Tel: +91 0712-2554217;
Email: cs@metrorailnagpur.com

FORM NO. MGT-9

Extract of Annual Return

As on the Financial Year ended 31st March 2018
[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

CIN	U60100MH2015SGC262054
Registration Date	18/02/2015
Name Of The Company	Maharashtra Metro Rail Corporation Limited (formerly known as Nagpur Metro Rail Corporation Limited)
Category / Sub-Category of The Company	Company Limited by Shares (Government Company)
Address Of The Registered Office And Contact Details	Metro House, 28/2 Anand Nagar, C K Naidu Marg, Civil Lines, Nagpur-440001. Tel: 0712-2554217 Fax:0712-2553300 E-mail:md.nmrcl@gmail.com Website:www.mahametro.org
Whether Listed Company	No
Name, Address And Contact Details Of Registrar And Transfer Agent, If Any	Not Applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:

Sr. No.	Name and Description of main Products / Services	NIC Code of the Product/ Service	% to total turnover of the Company
1	External Project (mainly regarding Bridges & Elevated highways)	99532213	76.95%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES –

NOT APPLICABLE

IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity Share Capital breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year 01.04.2017				No. of Shares held at the end of the year 31.03.2018				% Changes during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1). Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Individual/ HUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Central Govt.	-	214970000	214970000	50	-	524450000	524450000	50	-
State Govt.	-	214970000	214970000	50	-	524450000	524450000	50	-
Body Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub – Total A. (1)	-	429940000	429940000	100	-	1048900000	1048900000	100	-
(2). Foreign	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NRIs-Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Individual	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Body Corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub – Total A. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Shareholding of Promoter A=A. (1) + A. (2)	-	429940000	429940000	100	-	1048900000	1048900000	100	-
B. Public Shareholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1). Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
State Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FII	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foreign Venture Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sub- Total B. (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2). Non- Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Body Corporates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Individual share -holder holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub- Total B. (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding B= B.(1)+ B.(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAND TOTAL (A+B+C)	-	429940000	429940000	100	1048900000	1048900000	100	1048900000	1048900000	100	100	-

ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in share in holding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of Shares of the company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1.	Government of India (Represented by President of India) & 4 nominees holding 1 share each.	214970000	50	-	524450000	50	-	-
2.	Government of Maharashtra (Represented by Governor of Maharashtra) & 4 nominees holding 1 share each.	214970000	50	-	524450000	50	-	-
	Total	429940000	100	-	1048900000	100	-	-

iii) Change in Promoters' Shareholding (Please specify, if there is no change)

Sr. No.	Name of Promoter	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
A. At the beginning of the year					
1.	President of India – (GOI)	214970000	50	-	-
2.	Governor of Maharashtra-(GOM)	214970000	50	-	-
	Total	429940000	100	-	-
B. Change in Shareholding					
1.	President of India-1 st July 2017 (Allotment).	29480000	-	244450000	50
2.	Governor of Maharashtra-1 st July 2017 (Allotment).	29480000	-	244450000	50
3.	President of India-23 rd September 2017 (Allotment).	20000000	-	444450000	50
4.	Governor of Maharashtra-23 rd September 2017 (Allotment).	20000000	-	444450000	50
5.	President of India-9 th February 2018 (Allotment).	80000000	-	524450000	50
6.	Governor of Maharashtra-9 th February 2018 (Allotment).	80000000	-	524450000	50
C. At the end of the year					
1.	President of India – (GOI)	-	-	524450000	50
2.	Governor of Maharashtra-(GOM)	-	-	524450000	50
	Total	-	-	1048900000	100

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sr. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NOT APPLICABLE			
	Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year				
	At the End of the year				

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No.	For Each of the Directors and KMP		Shareholding at the beginning of year		Cumulative Shareholding during the year	
	Name of Directors	No. of shares	No. of shares	% of total shares of company	No. of shares	% of total shares of the company
1	Shri. Mukund Kumar Sinha					
	At the beginning of the year	1		-	-	-
	At the end of the year	1		-	-	-
2	Smt. Jhanja Tripathy					
	At the beginning of the year	1		-	-	-
	At the end of the year	1		-	-	-
3	Shri. Shailendra Singh					
	At the beginning of the year	1		-	-	-
	At the end of the year	0		-	-	-
4	Shri. A K Pandey					
	At the beginning of the year	0		-	-	-
	At the end of the year	1		-	-	-
5	Shri. Brijesh Dixit					
	At the beginning of the year	1		-	-	-
	At the end of the year	1		-	-	-
6	Shri. Nitin Kareer					
	At the beginning of the year	1		-	-	-
	At the end of the year	1		-	-	-
7	Shri. Sharavan Hardikar					
	At the beginning of the year	1		-	-	-
	At the end of the year	0		-	-	-
8	Shri. Ashwin Mudgal					
	At the beginning of the year	0		-	-	-
	At the end of the year	1		-	-	-
9	Shri. N. M. Dhoke					
	At the beginning of the year	1		-	-	-
	At the end of the year	1		-	-	-
10	Shri. D. K. Jain					
	At the beginning of the year	1		-	-	-
	At the end of the year	1		-	-	-

Note: The Directors hold shares as nominees of the Government.

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rs. in Lakhs)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	-	13573.87	-	13573.87
ii) Interest due but not paid	-	0	-	0
iii) Interest accrued but not due	-	11.27	-	11.27
Total (i+ii+iii)	-	13585.14	-	13585.14
Change in Indebtedness during the financial year (including int. accrued but not due)				
Addition	-	148149.90	-	148149.90
Reduction	-	0	-	0
Net Change	-	148149.90	-	148149.90
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	-	161420.70	-	161420.70
ii) Interest due but not paid	-	123.99	-	123.99
iii) Interest accrued but not due	-	179.01	-	179.01
Total (i+ii+iii)	-	161723.70	-	161723.70

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

a) Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars of Remuneration Name & Designation	Name of MD/WTD/ Manager					TOTAL	
		Shri. Brijesh Dixit (MD)	Shri Mahesh Kumar (WTD)	Shri Sunil Mathur (WTD)	Shri S. Sivamathan (WTD)			
1.	Gross Salary	34.02	35.92	34.47	33.62		138.03	
a.	Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	29.55	31.81	30.36	29.52		121.24	
b.	Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	4.47	4.11	4.11	4.10		16.79	
c.	Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	NIL	NIL	NIL	NIL		NIL	
2.	Stock Option	-	-	-	-		-	
3.	Sweat Equity	-	-	-	-		-	
4.	Commission as % of profit - others, specify	-	-	-	-		-	
5.	Others –PF Contribution		3.14		2.60		5.74	
6.	Others –Medical Benefits, Camp Office Allowance, Lease etc.	49.20	9.66	21.65	12.20		92.71	
	Total (A)	83.22	48.72	56.12	48.42		236.48	
	Ceiling as per the Act (10% of Net Profits)	Not Applicable						

b) Remuneration to other directors: (Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	Total Amt.
1.	Independent Directors	-	-
A	Fee for attending board committee meetings	-	-
B	Commission	-	-
C	Other Non-Executive Director	-	-
D	Fee for attending board committee meetings	-	-
E	Commission	-	-
	TOTAL (2)	-	-
	Total (B) = (1+2)	-	-
	Total Managerial Remuneration (A+B)	-	-
	Overall Ceiling as per the Act (11% of Net profits)	-	-
	TOTAL (1)	-	-

During the year the Company has not paid any remuneration to the Non-Executive Directors.

c) Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD: - (Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel		
		CEO	CS	CFO
1.	Gross salary	-	8.01	-
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-	7.07	-
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) IT Act, 1961	-	0.94	-
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify	-	-	-
5.	Others-PF Contribution	-	0.66	-
	Total	-	8.67	-
				8.67

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES :

During the FY 2017-18, there were no penalty/punishment/ compounding of offences under the Companies Act, 2013.

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly known as Nagpur Metro Rail Corporation Limited)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

(Rs. in Lakh)

Particulars	Note no	As at 31st March 2018	As at 31st March 2017	As at 1st April 2016
ASSETS				
1) NON-CURRENT ASSETS				
a) Property, Plant & Equipment	2	214,267.64	69,428.44	50,403.85
b) Capital Work in Progress	3	202,900.05	44,552.95	7,008.01
c) Intangible Assets	4	5,139.63	5,032.85	17.94
d) Financial Assets				
i) Loans	5	89.66	64.69	7.38
ii) Other Financial Assets	6	6,878.99	225.97	7.87
e) Other Non-Current Assets	7	24,673.59	12,592.65	4.43
f) Deferred tax assets (net)	8	-	111.19	-
	A	453,949.56	132,008.74	57,449.48
2) CURRENT ASSETS				
a) Financial Assets				
i) Trade receivables	9	15,998.48	3,983.40	-
ii) Cash & Cash Equivalents	10	13,662.81	10,215.84	9,182.48
iii) Other Bank Balances	11	17,029.35	6,309.00	2,737.00
iv) Loans	5	28.39	13.25	1.35
v) Other Financial Assets	6	284.76	316.64	287.72
b) Other Current Assets	7	49,142.43	14,267.20	1,610.51
c) Current Tax Assets (Net)	12	477.59	257.03	59.28
	B	96,623.81	35,362.36	13,878.34
TOTAL ASSETS	A+B	550,573.37	167,371.10	71,327.82
EQUITY AND LIABILITIES				
EQUITY				
a) Equity Share Capital	13	104,890.00	42,994.00	15,594.00
b) Other Equity	13 A	3,331.05	119.41	287.72
	C	108,221.05	43,113.41	15,881.72
LIABILITIES				
1) NON-CURRENT LIABILITIES				
a) Financial Liabilities				
i) Borrowings	16	153,270.45	11,698.96	700.00
ii) Other Financial Liabilities	14	299.34	37.77	7.33
b) Provisions	15	516.30	137.90	3.53
c) Deferred Tax Liabilities	8	24,730.47	-	14.91
d) Deferred Income-Government Grants	17	226,446.15	75,466.82	53,166.33
	D	405,262.71	87,341.45	53,892.10
2) CURRENT LIABILITIES				
a) Financial Liabilities				
i) Trade Payables		17,693.79	5,483.61	1,309.39
ii) Other Financial liabilities	14	18,225.13	30,107.66	73.09
b) Other Current liabilities	18	1,130.60	1,314.27	139.50
c) Provisions	15	40.09	10.70	32.02
	E	37,089.61	36,916.24	1,554.00
TOTAL EQUITY & LIABILITIES	C+D+E	550,573.37	167,371.10	71,327.82
Significant Accounting Policies	1			
Notes to Financial Statements	24			

FOR JODH JOSHI & CO.
Chartered Accountants
FRN. 104317W

Yash K. Verma,
Partner
Membership No: 105954

Nitika Agrawal
Company Secretary

S. Sivamathan
Director (Finance)
(DIN 07534472)

Brijesh Dixit
Managing Director
(DIN 07065694)

Place: Nagpur
Date: 23.07.2018

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly known as Nagpur Metro Rail Corporation Limited)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(Rs. in Lakh)

Particulars	Note no	For the year ending on 31st March 2018	For the year ending on 31st March 2017
INCOME			
i) Revenue from Operations			
External Project Revenue		12,964.01	4,482.23
Consultancy Income		274.50	-
ii) Other income	19	3,608.69	828.98
TOTAL INCOME		16,847.20	5,311.21
EXPENSES			
i) Operating Expenses			
External Project Expenses		12,611.61	4,388.45
Consultancy expense		274.50	-
ii) Employee benefits expense	20	235.45	9.08
iii) Finance costs	21	-	-
iv) Depreciation and amortisation expense	2&4	1,561.47	226.33
v) Other expenses	22	3,475.74	977.14
TOTAL EXPENSES		18,158.77	5,601.00
PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX		-1,311.57	-289.79
Tax Expenses			
i) Current Tax		-	-
ii) Deferred Tax	8	-24,853.75	124.67
PROFIT/ (LOSS) FOR THE YEAR		-26,165.32	-165.12
OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR			
A (i) Items that may be reclassified to profit or loss			
B (i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
(a) Remeasurements of the defined benefit liabilities / (asset)	23	-39.13	-4.62
(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss			
(a) Remeasurements of the defined benefit liabilities / (asset)	8	12.09	1.43
OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR		-27.04	-3.19
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR		-26,192.36	-168.31
Earnings Per Share (Equity Share of Rs 10/- each)			
Basic	24(14) (e)	-3.71	-0.05
Diluted	24(14) (e)	-2.50	-0.05
Significant Accounting Policies	1		
Notes to Financial Statements	24		

FOR JODH JOSHI & CO.
Chartered Accountants
FRN. 104317W

Yash K. Verma,
Partner
Membership No: 105954
Place: Nagpur
Date: 23.07.2018

Nitika Agrawal
Company Secretary

S. Sivamathan
Director (Finance)
(DIN 07534472)

Brijesh Dixit
Managing Director
(DIN 07065694)

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly known as Nagpur Metro Rail Corporation Limited)

STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

A. Equity Share Capital

For the year ended 31st March 2018

(Rs. in Lakh)

Balance as at 31st March 2018	Changes in the capital during the year	Balance as at 31st March 2017
104,890.00	61,896.00	42,994.00

For the year ended 31st March 2017

(Rs. in Lakh)

Balance as at 31st March 2017	Changes in the capital during the year	Balance as at 31st March 2016
42,994.00	27,400.00	15,594.00

B. Other Equity

For the year ended 31st March 2018

(Rs. in Lakh)

Particulars	Share application money Pending allotment	Retained earnings	Total Other Equity
Balance as at 01.04.2017	648.00	-304.37	343.63
Ind AS adjustments	-	-224.22	-224.22
Balance at 31.03. 2017 after Ind AS adjustments	648.00	-528.59	119.41
Ind AS adjustments			-
Profit/ (Loss) for the Year		-26,165.32	-26,165.32
addition to OCI		-27.04	-27.04
Additions	29,404.00		29,404.00
Closing balance as at 31.03. 2018	30,052.00	-26,720.95	3,331.05

(Rs. in Lakh)

Particulars	Share application money Pending allotment	Retained earnings	Total Other Equity
Balance as at 01. 04. 2016 (IGAAP)	648.00	-59.00	589.00
Ind AS adjustments on first time adoption		-301.28	-301.28
Balance as at 01. 04. 2016 after Ind AS adjustments	648.00	-360.28	287.72
Profit/ (Loss) for the year	-	-165.12	-165.12
Additions to OCI		-3.19	-3.19
Closing balance as at 31. 03. 2017	648.00	-528.59	119.41

Significant Accounting Policies	1	
Notes to Financial Statements	24	

FOR JODH JOSHI & CO.
Chartered Accountants
FRN. 104317W

Yash K. Verma,
Partner
Membership No: 105954

Nitika Agrawal
Company Secretary

S. Sivamathan
Director (Finance)
(DIN 07534472)

Brijesh Dixit
Managing Director
(DIN 07065694)

Place: Nagpur
Date: 23.07.2018

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly known as Nagpur Metro Rail Corporation Limited)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018

(Rs. in Lakh)

Particulars	For the year ended on 31st March 2018		For the year ended on 31st March 2017	
A. Cash Flow From Operating Activities				
Profit/(Loss) Before Tax	-1,311.57		-289.79	
Adjustments for:				
Unwinding Interest on Financial Assets	-1,200.20		-77.47	
Depreciation and Amortisation	1,561.47		226.33	
Interest from Fixed Deposit	-1,738.97		-730.84	
(Profit)/Loss on Sale of Assets	-0.10		0.53	
Foreign Exchange (Gain)/Loss	22.77	-2,666.60	-	-871.24
Operating Profit / (Loss) Before Working Capital Changes		-2,666.60		-871.24
Changes in working capital:				
Adjustments for (Increase) / Decrease in Operating Assets:				
Loans	-37.54		-68.46	
Other Non-Financial Assets	-428.86		-1,457.48	
Trade Receivables	-12,015.08		-3,983.40	
Fixed Deposits with Bank	-10,720.35		-3,572.00	
Other Financial Assets	-6,618.72		-255.26	
Current Tax Assets (Net)	-220.55		-197.75	
Adjustments for Increase / (Decrease) in Operating Liabilities:				
Other Financial Liabilities	-11,620.98		30,065.01	
Trade Payable	12,210.17		4,174.25	
Other Current liabilities	-183.67		1,174.76	
Provisions	368.66	-29,266.92	108.43	25,988.10
Net Cash Flow From / (Used In) Operating Activities (A)		-31,933.52		25,116.86
B. Cash Flow From Investing Activities including Capital Advances				
Capital Expenditure on Fixed Assets	-213,146.22		-67,444.45	
Disposals	7.55		21.71	
Profit/(Loss) on Sale of Assets	0.10		-0.53	
Interest Income From FDR	1,749.99		739.80	
Foreign Exchange Gain	-22.74	-211,411.32	-	-66,683.47
Net Cash Flow From / (Used In) Investing Activities (B)		-211,411.32		-66,683.47
C. Cash Flow From Financing Activities				
Proceeds From Issue of Equity Shares	61,896.00		27,400.00	
Share Application Money Received / (Refunded)	29,404.00		-	
Proceeds From Long-Term Borrowings & Grant	155,491.81		15,199.97	
		246,791.81		42,599.97
Net Cash Flow From / (Used in) Financing Activities (C)		246,791.81		42,599.97
Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		3,446.96		1,033.36
Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year		10,215.84		9,182.48
Cash and cash equivalents at the end of the Year		13,662.81		10,215.84

* Cash and cash equivalents includes Rs. 3,0052.00 Lakhs (31.03.2017 Rs 648.00 Lakhs, 01.04.2016 Rs 648.00 Lakhs) as unutilized equity contribution.

The above cash flow statement has been prepared under the " Indirect Method" as set out in the Indian Accounting Standard (INDAS-7)"Statement of Cash Flow".

FOR JODH JOSHI & CO.
Chartered Accountants
FRN. 104317W

Yash K. Verma,
Partner
Membership No: 105954

Nitika Agrawal
Company Secretary

S. Sivamathan
Director (Finance)
(DIN 07534472)

Brijesh Dixit
Managing Director
(DIN 07065694)

Place: Nagpur
Date: 23.07.2018

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

Note 2

Property, Plant & Equipment

(Rs. in Lakh)

Particulars	Land	Leasehold Building	Furniture, Fittings and Equipment	Plant and Machinery	Office Equipments	Vehicle	Computer	Total
Gross Carrying Amount								
As at 01.04. 2017	67,743.16	533.57	344.90	30.98	286.32	46.46	597.92	69,583.30
Additions During the Year	144,034.76	30.39	113.32	450.31	175.45	0.11	328.98	145,133.32
Disposals During the Year	-	-	-5.94	-	-0.60	-	-2.77	-9.31
Ind AS Adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Gross Carrying Amount as at 31.03.2018	211,777.92	563.96	452.28	481.29	461.17	46.57	924.13	214,707.31
Accumulated Depreciation & Amortization								
As at 01. 04. 2017	-	18.70	28.04	1.28	46.27	8.79	51.78	154.86
Depreciation charged During the Year	-	22.80	35.69	11.15	66.64	5.52	144.76	286.56
Depreciation on Disposals	-	-	-0.68	-	-0.10	-	-0.97	-1.75
Ind AS Adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Accumulated Depreciation/ Amortization as at 31. 03. 2018	-	41.50	63.05	12.43	112.81	14.31	195.57	439.67
Net carrying amount as at 31. 03. 2017	67,743.16	514.87	316.86	29.70	240.05	37.66	546.14	69,428.44
Net carrying amount as at 31. 03. 2018	211,777.92	522.46	389.23	468.86	348.36	32.26	728.56	214,267.64

NOTE: Total Land of Rs. 211,777.92 lakhs includes leasehold land of Rs. 79,187.29 lakhs and freehold land of Rs. 132,590.63 lakhs (at the year end 31.03.2018)

Particulars	Land	Leasehold Building	Furniture, fittings and equipment	Plant and Machinery	Office Equipments	Vehicle	Computer	Total
Gross Carrying Amount								
As at 01. 04. 2016	49,567.69	533.57	80.97	8.67	122.64	39.46	81.35	50,434.35
Additions During the Year	18,175.47	-	267.76	22.31	171.84	7.00	528.03	19,172.41
Disposals During the Year	-	-	-3.15	-	-8.09	-	-10.94	-22.18
Ind AS Adjustment	-	-	-0.68	-	-0.08	-	-0.52	-1.28
Closing Gross Carrying Amount as at 31. 03. 2017	67,743.16	533.57	344.90	30.98	286.31	46.46	597.92	69,583.30
Accumulated Depreciation & Amortization								
As at 01. April. 2016	-	1.80	3.35	0.03	10.41	3.88	11.01	30.48
Depreciation Charged During the Year	-	16.90	24.69	1.25	36.23	4.91	40.87	124.85
Depreciation on Disposals	-	-	-	-	-0.37	-	-0.10	-0.47
Ind AS Adjustment	-	-	-	-	-	-	-	-
Closing Accumulated Depreciation/ Amortization as at 31. March. 2017	-	18.70	28.04	1.28	46.27	8.79	51.78	154.86
Net carrying amount as at 31.03. 2016	49,567.67	531.77	77.62	8.64	112.23	35.58	70.34	50,403.85
Net carrying amount as at 31.03. 2017	67,743.16	514.87	316.86	29.70	240.05	37.66	546.14	69,428.44

NOTE: Total Land of Rs. 67,743.16 lakhs includes leasehold land of Rs. 20,040.74 lakhs and freehold land of Rs. 47,702.42 lakhs (at the year end 31.03.2017)

Explanatory Note for Note No 2**1. Disclosure in respect of Land:**

- 1.1 Land admeasuring 4815.5927 Sq. mtr belonging to Medical college (Pune) has been acquired. Physical possession of the said land was taken by the company on 06.04.2017. However, the cost of land indicated by the collector was based on the prevailing market rate applicable for the year 2016. The cost of land has been considered provisionally on ready reckoner rate basis applicable for the year 2016.
- 1.2 Land admeasuring 3320.43 sq. mtr belonging to PWD-world bank division of Nagpur has been acquired which was previously belonging to Morris College. Due to dispute regarding the ownership between Morris College and PWD, possession letter was not issued by PWD to the company but working permission was granted. Pending issue of possession letter, the company has taken over the land for construction and the cost of the land has been booked based on ready reckoner rate applicable on the date of take over.
- 1.3 Land admeasuring 7495 sq. mtr was handed over by Maharashtra Tourism Development Corporation (MTDC) to the company. The said land was previously leased to M/s. Orbit Motels and Inns. Ltd (M/s. Orbit) by MTDC. M/s Orbit had filed an appeal before the hon'able High court which was decided in favour of the party. The company filed special leave petition in hon'ble Supreme Court against the order of hon'ble High court and the Hon'ble Supreme court stayed the Hon'able High court decision and advised both the parties to sit together to find an amicable solution. The land was taken over by the company for construction and the cost of land has been booked as per the prevailing ready reckoner rate.

2. Disclosure in respect of Property, Plant & Equipment's:

- 2.1 Exchange differences arising on the settlement or translation of monetary items are recognized in profit or loss in the year in which it arises with the exception that exchange differences on long term monetary items related to acquisition of property, plant and equipment up to 31.03.2017 are adjusted to carrying cost of property, plants and equipment. Accordingly as per Indian Accounting Standard (Ind As)-21 amount of exchange difference (net) Capitalized Rs Nil Lakhs (31.03.2017 De-capitalized Rs. 0.27 lakhs, 01.04.2016 capitalized Rs. NIL lakhs).
- 2.2 Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind As)-36 "Impairment of Assets". During the year, the company assessed the impairment loss of assets and is of the opinion that since the project is in construction stage and has a long life, no indication exists for the impairment of the assets, therefore, it is considered that during the year, there is no impairment loss of assets.
- 2.3 Lease hold building comprising of Flats valuing Rs.563.95 lakhs has been acquired by the company from Nagpur Improvement Trust (NIT) on 24th February 2016. Possession of the said flats were given to the company on 14.12.2015. The lease deed was executed during the FY

2017-18, i.e. on 09.08.2017. The lease period is 30 years (from 14.12.2015 to 13.12.2045). During the PY 2016-17, the lease charge was amortised by leaving 5% residual value. As per accounting policy No.6.3 (iv), entire lease charge has to be amortised over the tenure of 30 years. Accordingly, an amount of Rs.22.80 lakhs have been charged to Statement of Profit & Loss during FY 2017-18, so as to arrive at correct value to be amortised over residual lease period. Accordingly, an amount of Rs. 4.19 lakhs are debited over what is required as per Ind AS-17.

2.4 Property, Plant & equipment and intangible assets costing Rs. 5000/- or less upto 31.3.17 are charged to revenue at the time of purchase. However, during the FY 2017-18, individual assets costing Rs. 5000 or less are depreciated fully in the year of purchase & accordingly Rs. 1.18 lakhs charged to depreciation.

2.5 Land (free hold/lease hold) given by government and possession taken by the company, fair valuation has been done by applying Ready Reckoner Rate prevailing on the date of possession in respect of Nagpur Metro Rail Project, the fair value is considered as Grant. However, in respect of Pune Metro Rail Project, the present value of the land has been booked as subordinate debt and the difference between Fair Value and Present Value has been booked as grant in accordance with sanction order date 9 Jan 2017 issued by Government of India.

2.6 Details of Freehold and Leasehold Land:

Particulars	Freehold Land (Sq. Mts.)	Leasehold Land (Sq. Mts.)	Total (Sq. Mts.)
Sale/Lease deed not executed (Nagpur)	3,56,761.342	4,27,275.640	7,84,036.982
Sale/Lease deed not executed (Pune)	1,59,664.000	1,56,155.000	3,15,819.000
Total	5,16,425.342	5,83,430.640	10,99,855.982

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 3

Capital Work in Progress

(Rs. in Lakh)

Particulars	As at 31.03.2018	Ind AS Adjustments	As at 31.03.2017	Ind AS Adjustments	As at 01.04.2016
CWIP- Building	41,546.91	-	5,425.16	-	631.01
CWIP- Electrical	4,018.29	-	1,113.86	-	-
CWIP- Permanent Way	4,262.64	-	178.22	-	-
CWIP- Structures	94,818.38	-	22,293.26	-	5,298.86
CWIP- Expenditure During Construction (Net)	36,299.31	1,047.94	14,346.32	28.54	1,078.14
CWIP - Rolling Stock	1,460.16	-	-	-	-
CWIP - Traction & Power	4,892.54	-	-	-	-
CWIP - Escalators	392.15	-	-	-	-
CWIP - Signalling & Telecom	5,628.41	-	-	-	-
Sub Total (A)	193,318.79	1,047.94	43,356.82	28.54	7,008.01
Construction Stores*	9,581.26	-	1,196.13	-	-
Sub Total (B)	9,581.26	-	1,196.13	-	-
Total	202,900.05	1,047.94	44,552.95	28.54	7,008.01

* Construction stores of Rs 7,064.13 Lakhs (31.03.2017 Rs 1,196.13 Lakhs, 01.04.2016 Rs Nil Lakhs) lying with contractors.

* Exchange rate as published by CAAA/MOF(GOI) has been adopted for the purpose of account of foreign currency transactions.

Explanatory Note:

1) As per Indian Accounting Standard (Ind As)23" Borrowing Cost" Rs. 529.59 lakhs including Commitment charges of Rs. 170.21 lakhs (31.03.2017 Rs. 57.11 lakhs including Commitment charges of Rs. 22.76 lakhs , 01.04.2016 Rs. Nil lakhs) has been transferred to CWIP during the year.

Note 4

Intangible Assets

(Rs. in Lakh)

Particulars	Software & Licenses	Total
I. Gross Block		
Balance as at 1st April, 2017	5,137.87	5,137.87
Additions during the year	1,381.69	1,381.69
Disposals during the year	-	-
Balance as at 31st March, 2018	6,519.56	6,519.56
II. Accumulated amortisation for the year 2017-2018		
Balance as at 1st April, 2017	105.02	105.02
Depreciation/Amortisation charged during the Year	1,274.91	1,274.91
Eliminated on disposal of assets	-	-
Balance as at 31st March, 2018	1,379.93	1,379.93
III. Net block as on 31st March 2018 (I-II)	5,139.63	5,139.63

(Rs. in Lakh)

I. Gross Block		
Balance as at 1st April, 2016	21.48	21.48
Additions during the year	5,116.39	5,116.39
Disposals during the year	-	-
Balance as at March 31st 2017	5,137.87	5,137.87
II. Accumulated amortisation for the year 2016-2017		
Balance as at 1st April, 2016	3.54	3.54
Depreciation/Amortisation charged during the Year	101.48	101.48
Balance as at March 31st 2017	105.02	105.02
Net Block as on 31st March 2017 (I-II)	5,032.85	5,032.85

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 5

Financial assets - Loans

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017		As at 01.04.2016	
		Non-Current	Current	Non-Current	Current	Non-Current	Current
Secured, Considered Good							
1	HBA Loan	53.96	18.58	56.56	9.62	7.21	1.35
2	Car Loan	2.54	2.25	1.54	0.83	-	-
3	Interest Recoverable from Employees on HBA & Car Loan	27.19	-	3.50	-	0.17	-
UnSecured, Considered Good							
1	Multi Purpose Advance (MPA)	4.70	7.56	2.80	2.80	-	-
2	Interest Recoverable from employees on MPA	1.27	-	0.29	-	-	-
Total		89.66	28.39	64.69	13.25	7.38	1.35

Note 6

Financial assets - Others

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017		As at 01.04.2016	
		Non-Current	Current	Non-Current	Current	Non-Current	Current
1	Interest accrued but not due on FD	-	205.88	-	216.90	-	225.87
2	Interest receivable from contractors	-	-	-	-	-	33.27
3	Security Deposit Paid	1,087.68	68.85	225.97	99.34	7.87	27.26
4	Caution Money	-	-	-	0.40	-	0.20
5	Grant for Land	5,791.31	-	-	-	-	-
6	Others	-	10.03	-	-	-	1.12
Total		6,878.99	284.76	225.97	316.64	7.87	287.72

Note

The Security Deposits paid to the Governmental Authorities towards the connections for Utilities are not considered for discounting under Ind AS.

Note 7

Other Non-Financial Assets

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017		As at 01.04.2016	
		Non-Current	Current	Non-Current	Current	Non-Current	Current
1	Prepaid Expenses						
	Deferred Cost due to Fair Valuation						
a	Employee Benefits	32.51	4.07	30.39	2.52	3.97	0.39
b	Rent/Hire Charges	3.23	2.89	1.90	1.62	0.46	0.44
c	Tree Cutting Expense	11.38	9.27	-	-	-	-
d	Management Fees on KfW Loan	816.74	47.31	864.05	47.31	-	-
e	Others	-	597.55	-	-	-	-
2	Capital Advances	2,159.86	-	2.88	-	-	-
3	Other Recoverable	-	324.35	-	568.33	-	-
4	Royalty	-	-	-	103.00	-	200.00
5	Advances to Suppliers (Unsecured, Considered Good)	-	-	-	-	-	57.16
6	Advances to Employee (Unsecured, Considered Good)	-	-	-	4.92	-	1.15
7	Advances to Contractors (Secured, Considered Good)						
a	Advance for Material at Site	-	1,767.69	-	376.28	-	-
b	Mobilization Advance	21,649.87	46,288.97	11,693.43	13,163.22	-	1,351.37
8	Balance with Government Authorities	-	100.33	-	-	-	-
Total		24,673.59	49,142.43	12,592.65	14,267.20	4.43	1,610.51

Explanatory Note:- Other Recoverable includes amount to be recovered from Pune Chinchwad Municipal Corporation & Thane Municipal Corporation.

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 8

Deferred Tax

Deferred Tax arising from temporary differences and unabsorbed depreciation as on 31st March 2018

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2017	Recognised in Statement of Profit & Loss	As on 31.03.2018
1	Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Asset			
	Interest Income Transferred to CWIP	221.97	256.05	478.02
	Preliminary Expense	74.49	-18.13	56.36
	Unabsorbed Depreciation	356.64	553.95	910.59
	Adjustment to CWIP	-	307.77	307.77
	Prepaid Management fees			
	Security deposit fair valuation			
	Impact of OCI	-	12.09	12.09
	Total	653.10	1,111.73	1,764.83
2	Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Liability			
	Depreciation	-519.40	-227.02	-746.42
	Ind AS Timing Difference	-22.51	22.51	-
	Adjustment to CWIP	-	-	-
	CWIP Building (Grant)	-	-22.76	-22.76
	CWIP Expenses During Construction	-	-337.27	-337.27
	Other Assets	-	-268.02	-268.02
	Land at fair value (Grant)	-	-25,120.83	-25,120.83
	Total	-541.91	-25,953.39	-26,495.30
	Deferred Tax Asset/Liability (Net)	111.19	-24,841.66	-24,730.47

Deferred Tax arising from temporary differences and unabsorbed depreciation as on 31st March 2017

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As on 01.04.2016	Recognised in Statement of Profit & Loss	As on 31.03.2017
1	Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Asset			
	<u>IGAAP Position</u>			
	Interest Income Transferred to CWIP	-	221.97	221.97
	Preliminary Expense	-	74.49	74.49
	Unabsorbed Depreciation	-	356.64	356.64
	Total	-	653.10	653.10
2	Tax Effect of Items Constituting Deferred Tax Liability			
	<u>IGAAP Position</u>			
	Depreciation	-14.91	-504.49	-519.40
	Total	-14.91	-504.49	-519.40
3	Deferred Tax Asset (Net)	-14.91	148.61	133.70
	Tax Effect on Ind AS Implementation (DTL)			
	Interest income on unwinding of Security Deposits	-	-22.51	-22.51
	Deferred Tax Asset (Net) after Ind AS	-14.91	126.10	111.19

- The company is having unabsorbed depreciation of Rs 910.59 Lakh (31.03.2017 Rs 356.64 Lakhs and 01.04.2016 NIL) as per provision of Income Tax Act 1961. Unabsorbed depreciation is available for unlimited period.
- The company is certain that it will be able to improve its physical and financial performance in future. Consequently, the Company will be able to earn sufficient future taxable profits to adjust unabsorbed depreciation and short-term capital losses.
- Accordingly, Deferred Tax Liability of Rs 24,730.47 Lakhs (Deferred Tax Assets for 31.03.2017 Rs 111.19 Lakhs, 01.04.2016 Rs. -14.91 lakhs) on unabsorbed depreciation and temporary differences has been recognized as on 31st March 2018.

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 9

Trade receivables

(Rs. in Lakh)

Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
Unsecured, Considered Good			
Trade receivables	15,998.48	3,983.40	-
Total	15,998.48	3,983.40	-

1. Receivable from NHAI for External Project:

The company has taken up construction of flyover near Ajni Square to Pride Hotel including one ROB from Manish Nagar and flyover from Automotive Square to Gaddigodam within Nagpur city on behalf of National Highway Authority of India (NHAI) as deposit work. The Detailed Project Report (DPR) for the said works have been submitted to NHAI. Approved completion cost by NHAI for the first two works includes Maha-Metros' administration charges @ 3% on the cost. Pending approval by NHAI, administration charges @3% on the cost and work done upto 31.03.2018 have been assumed on the flyover work from Automotive Square to Gaddigodam.

2. Receivable from MSRDC:

Memorandum of Understanding between the company and Maharashtra State Road Development Corporation Limited (MSRDCL) was made on 07.07.2017 for construction of Maha Metro viaduct through the eastern side ramp and construction of north side ramp of Santra Market ROB (Ramjhula) on Central Avenue Road at Nagpur. As per the MOU, part of ROB Ramp towards east (Bhandara Side) from pier P-7 is to be executed by the company along with all ancillary works like slip road, utility shifting and reconstruction of boundary wall of Mayo Hospital etc., on deposit term basis on behalf of MSRDC Ltd. The cost of the work as agreed in the MOU was Rs. 4.37 crores. It has been mentioned in the MOU that no escalation, no claims, no revision of rates, no extra items and additional works etc., shall be entertained by MSRDC Ltd., over and above the cost of BOQ. The actual cost of work executed by the company upto 31.03.2018 is Rs. 5.14 crores. Company vide letter dated 09.06.2018 requested MSRDC Ltd. to reimburse the actual cost to be incurred by the company, which is estimated at Rs. 6.82 crores. Therefore, the difference between the actual cost spent by the company upto 31.03.2018 and amount stated in the MOU of Rs. 0.77 crore has been shown as amount recoverable from MSRDC Ltd.

Note 10

Current Financial Assets-Cash & Cash Equivalents

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
1	Cash And Cash Equivalents			
	a) Cash On hand	-	-	0.80
	b) Balance With Banks			
	- In Current Account*	10,610.12	-243.50	9,166.72
	- Flexi Deposit*	3,007.42	10,409.02	-
	- ESCROW Accounts	45.27	50.32	14.96
	Cash and Cash Equivalents as per statement of cash flows	13,662.81	10,215.84	9,182.48

* Includes Rs. 3,0052.00 Lakhs (31.03.2017 Rs 648.00 Lakhs, 01.04.2016 Rs 648.00 Lakhs) as unutilized equity contribution.

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 11

Current Financial Asset - Other Bank Balances

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
1	Investment in FDR With original maturity of more than 3 months but less than 12 months	17,002.60	6,309.00	2,737.00
	Maturity of more than 12 months	26.75		
	Total	17,029.35	6,309.00	2,737.00

* Includes Rs. 3,0052.00 Lakhs (31.03.2017 Rs 648.00 Lakhs, 01.04.2016 Rs 648.00 Lakhs) as unutilized equity contribution.

Note

Details of the Fixed Deposits Receipts held under Lien

(Rs. in Lakh)

	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
Fixed Deposits lien against Letter of Credit (LC)	4,302.60	6,309.00	2,737.00
Fixed Deposits lien against Bank Guarantee (BG)	25.75		

Note 12

Current Tax Assets (Net)

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
1	Advance tax	22.75	62.03	-
2	TDS	-	28.85	20.25
3	TDS- 2016-17	175.09	166.15	-
4	TDS- 2017-18	279.75	-	-
5	Education Cess (Income Tax)	-	-	1.55
6	Income Tax (Company) 15-16	-	-	34.11
7	Surcharge (Income Tax)	-	-	3.37
	Total	477.59	257.03	59.28

Note 13 A

Other Equity

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
1	Share Application Money Pending Allotment	30,052.00	648.00	648.00
2	Retained earnings	-26,693.91	-525.40	-360.28
3	Other Items of Other Comprehensive Income			
	- Remeasurements of Defined Benefit Obligation	-27.04	-3.19	-
	Total	3,331.05	119.41	287.72

(ii) Nature and purpose of each reserve within Other equity

Share Application Money Pending Allotment

Company's share application money is mainly on account of money received from President of India (31.03.2018 Rs 30,052.00 lakhs) and Governor of Maharashtra (31.03.2017 Rs. 648.00 lakhs).

Retained earnings:

Retained earnings represents the surplus / (deficit) of the statement of profit or loss. The amount that can be distributed by the Company as dividends to its equity shareholders is determined based on the financial statements of the Company and also considering the requirements of the Companies Act, 2013.

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 13

Equity Share Capital

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017		As at 01.04.2016	
		No. Of Shares	Amount	No. Of Shares	Amount	No. Of Shares	Amount
1	Authorized Share Capital	5,000,000,000	500,000.00	5,000,000,000	500,000.00	3,000,000,000	300,000.00
2	Issued, Subscribed and Fully Paid Par Value Per Share (Rs. 10)	1,048,900,000	104,890.00	429,940,000	42,994.00	155,940,000	15,594.00
3	Reconciliation of No. Of Shares & Share Capital Outstanding;						
	Opening Share Capital	429,940,000	42,994.00	155,940,000	15,594.00	-	-
	Add: No. of Shares/share capital Issued and Subscribed during the Year	618,960,000	61,896.00	274,000,000	27,400.00	155,940,000	15,594.00
	Closing Share Capital	1,048,900,000	104,890.00	429,940,000	42,994.00	155,940,000	15,594.00
4	Shares in the Company held by Shareholder holding more than 5%						
	President of India	524,450,000	52,445.00	214,970,000	21,497.00	77,970,000	7,797.00
	Governor of Maharashtra	524,450,000	52,445.00	214,970,000	21,497.00	77,970,000	7,797.00

- During the period of Two years immediately preceding the date as at which the Balance Sheet is prepared :
 - No Class of Shares were allotted as fully paid up pursuant to contract without payment being received in cash.
 - No Class of Shares were allotted as fully paid up by way of bonus shares for consideration other than cash.
 - No Class of Shares were bought back by the company.
- There are no calls unpaid.
- There are no forfeited shares.

Note 14

Financial Liability- Others

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017		As at 01.04.2016	
		Non-Current	Current	Non-Current	Current	Non-Current	Current
1	Earnest Money Deposit	-	268.70	-	247.93	-	43.84
2	Security Deposit	299.34	79.77	37.77	70.44	7.33	20.31
3	Commitment charges payable	-	20.28	-	9.07	-	-
4	Interest Accrued	-	179.01	-	11.27	-	-
5	Loan from GOI (PTA)	-	13,500.26	-	28,476.13	-	-
6	Employee Related Payables	-	522.45	-	-	-	6.37
7	Retention Payable	-	3,535.93	-	706.72	-	-
8	Payable for Purchase of Fixed Assets	-	118.73	-	586.10	-	2.57
	Total	299.34	18,225.13	37.77	30,107.66	7.33	73.09

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 15

Provisions

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017		As at 01.04.2016	
		Non Current	Current	Non Current	Current	Non Current	Current
A	For Employee Benefits	-	-	-	-	-	-
	Provision for Leave Encashment	281.71	6.06	86.26	2.66	-	32.02
	Provision for Gratuity	73.18	-	13.77	-	3.53	-
	Provision for Post Retirement Medical Facility	79.47	0.08	32.67	0.33	-	-
	Provision for Leave Travel Concession	-	33.56	-	6.93	-	-
	Provision for Employees Terminal Benefit	81.94	0.39	5.20	0.78	-	-
	Total	516.30	40.09	137.90	10.70	3.53	32.02

Note 16

Non-Current Financial Liabilities-Borrowings

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
	Term Loans			
1	Loan from GOI (KfW)	1,06,074.23	11,273.87	-
2	Loan from GOI (AFD)	20,425.51	-	-
	Subordinate Debt			
3	Land	20,005.43	-	-
4	Taxes	6,765.28	425.09	700.00
	Total	1,53,270.45	11,698.96	700.00

Explanatory Notes

- The company has received an Interest Free Subordinate Debt from Government of India, Government of Maharashtra and ULB towards central taxes, state taxes and cost of land. The loan becomes repayable in 5 equal yearly installments after other long term loans raised for the project are fully repaid.
- KfW (Germany) has agreed to provide total loan of 500 million Euro in five tranches to the GOI for implementation of sustainable and integrated public transport system in the city of Nagpur through construction of a metro by Maharashtra Metro Rail Corporation Limited. The Loan agreement between GOI & KfW (Germany) was signed on 01.04.2016. The Project Agreement was signed between KfW and the company on 10.04.2016. Tranche-wise loan amount committed by KfW Germany is as per below:

Loan Tranche No	Sanctioned Loan Amount (Euro)
1	3,10,00,000
2	10,78,00,000
3	14,21,00,000
4	12,87,00,000
5	9,04,00,000

- In addition to the above, French Development Agency, Agency Francoise Development (AFD) has agreed to provide total loan of 130 million Euro to the Government of India for part funding of Nagpur

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Metro Rail Project. The Credit Facility Agreement between GOI & AFD was signed on 17.11.2016. The Project Agreement between AFD and the company was signed on 15.12.2016.

4. The Loan amount is disbursed to GOI as per two procedures Viz. Reimbursement Procedure and Commitment Procedure. The proceeds of this loan are lent to the company by GOI through Pass Through Assistance (PTA) in equivalent INR in terms of MOU dated 14.07.2015 signed between GOI, GOM and Maha Metro.
5. Interest bearing loan from KfW & AFD is repayable in two equal yearly installments over a period of 15 years after the expiry of moratorium period of 5 years from the date of signing of loan agreement.
6. In the case of Pune Metro Rail Project, Loan agreement between GOI and Official Development Assistance (ODA) funding Agencies are yet to be signed. Therefore, Subordinate Debt has been assumed to be repayable from the F/Y 2040-2044 (assuming that agreement with ODA funding agencies will be signed in 2019).
7. Subordinate Debt as on 01.04.2016 of Rs. 700 Lakhs was not fair valued as the company has adopted the Exemption available in IndAS 101.
8. SD for Government Land : Cost of Land provided by State government/ ULBs (freehold/ Lease hold) has been arrived based on ready reckoner rate prevailing on the date of taking possession. The present value has been booked by the company as "Interest Free Subordinate Debt" and the difference between fair value and present value has been booked as grant.

Note 17

Deferred Income - Government Grants

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
1	NIT Contribution	35,016.67	5,898.67	3,598.64
2	Grant for Land	16,897.18	67,743.16	49,567.69
3	NIT (Preliminary Expense)	-	-	73.67
3	NMC Contribution	36,100.00	-	-
4	Grant for Sub Debt	1,38,432.30	1,824.99	-
Total		2,26,446.15	75,466.82	53,166.33

Explanatory Note :-

Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS) 20, "Accounting for Government Grants and disclosure of Government Assistance":

The break up of total grant in aid received upto 31.03.2018 for various purpose is as under

Grant Received for	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
Grant Contribution (ULB) NIT	6,716.67	5,898.67	3,598.64
Grant- Government of Maharashtra	1985.22		
Grant- Government of India	25276.33	1824.99	
Monetary Grant (a)	33,978.22	7,723.66	3,598.64
Grant Contribution (ULB) NIT	28,300.00	28,300.00	21,782.07
Grant Contribution (ULB) NMC	36,100.00	36,100.00	27,785.62
Grant- Government of Maharashtra	82,458.50	3,343.16	-
Grant Contribution (ULB) PMC	45,609.43		
Non-Monetary Grant (b)	1,92,467.93	67,743.16	49,567.69
Total Grant Received (a+b)	2,26,446.15	75,466.82	53,166.33

SD for Government Land : Cost of Land provided by State government/ ULBs (freehold/ Lease hold) has been arrived based on ready reckoner rate prevailing on the date of taking possession. The present value has been booked by the company as "Interest Free Subordinate Debt" and the difference between fair value and present value has been booked as grant.

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 18

Other liabilities- Current

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
1	Statutory Liabilities Payable	55.16	502.83	31.25
2	TDS Payable	619.58	811.44	108.25
3	Goods & Service Tax Payable	177.01	-	-
4	Service Tax Payable	37.44	-	-
5	Advance From Customers	241.41	-	-
Total		1,130.60	1,314.27	139.50

Note 19

Other income

(Rs. in Lakh)

Sr. No	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1	Interest on Fixed Deposits	1,738.97	730.84
2	Other Misc. Income	237.46	17.60
3	Penalties	63.41	-
4	Vendor Registration	53.24	-
5	Grant From FSI	307.93	-
	Deferred Income (on Fair Valuation)	-	-
6	Unwinding of Interest on Sub Debt	1,184.44	75.99
7	Unwinding of Interest on Employee Benefit	9.79	3.80
8	Unwinding of Interest on Security Deposit	13.45	0.75
Total		3,608.69	828.98

Note 20

Employee Benefit Expense

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1	Salaries, wages and bonus	223.45	6.56
2	Contribution to PF, Gratuity and other funds	12.00	2.52
Total		235.45	9.08

Note 21

Finance Cost

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1	Interest on Security Deposit Payable		
	Unwinding of Interest Expense on Security Deposit Payable	12.32	2.46
	Less: Transferred to Expenses during Construction	-12.32	-2.46
	Total Transfer to Statement of P&L	-	-
2	Interest on Subordinate Debt		
	Unwinding of Interest Expense on Subordinate Debt	1,035.62	26.07
	Less: Transferred to Expenses during Construction	-1,035.62	-26.07
	Total Transfer to Statement of P&L	-	-
Total (1+2)		-	-

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 22

Other expenses

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1	Audit Fees :		
	Statutory Audit	8.47	5.75
	Tax Audit	2.36	2.30
2	Exhibitions, Public Relation & Sponsorship Expenses	258.85	198.36
3	Garden & Landscaping Expenses	2.60	40.08
4	Legal and Professional Fees	663.71	31.58
5	Loss on Sale of Fixed Asset	-	0.53
6	Miscellaneous expenses	117.97	104.43
7	Office expenses	16.72	16.77
8	Printing & Stationery	102.21	65.88
9	Program, Function, Seminar & Meeting Expenses	460.01	305.37
10	Rent, Rates and Taxes	308.78	67.83
11	Repairs & Maintenance	1,515.57	126.86
12	Telephone and Internet Charges	18.49	11.40
	Total	3,475.74	977.14

Note 23

Other Comprehensive Income

(Rs. in Lakh)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
1	Gratuity Actuarial Gain/Loss	24.16	4.62
2	Retirement Benefit Actuarial Gain/Loss	14.19	-
3	Terminal Benefit Actuarial Gain/Loss	0.78	-
	Total	39.13	4.62

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly known as Nagpur Metro Rail Corporation Limited)

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 1

Other Notes to Financial Statements

COMPANY INFORMATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. COMPANY INFORMATION

1) Reporting Entity

Maharashtra Metro Rail Corporation Limited (referred to as “the company”) is domiciled and incorporated in the State of Maharashtra, India (CIN No.U60100MH 2015SGC262054) with equal equity participation of the Government of India and Government of Maharashtra. The registered office of the company is situated in Nagpur. The company is primarily involved in construction and operation of Metro Rail Projects at Nagpur and Pune in the state of Maharashtra. Other business of the company includes construction works for external agencies and consultancy to other organisations.

**2) Basis of Preparation – Measurement and Significant Accounting Policies-
Statement of Compliances**

The financial statements of the company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013, as notified under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (as amended), and other accounting principles generally accepted in India on accrual basis. Further, the Guidance Note/ Announcements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) are also considered wherever applicable.

The company has adopted all the Ind AS standards, as applicable to the company, and the adoption was carried out in accordance with Ind AS 101, “First-Time Adoption of Indian Accounting Standards”. The transition was carried out from the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

The financial statements for the year ended 31st March 2018 are the first financial statements prepared by the company in accordance with Ind AS. Some of the Company's Ind AS Accounting Policies used in the opening Balance Sheet differed from its Indian GAAP Accounting Policies applied as at 31st March, 2016, and accordingly the adjustments were made to restate the opening balances as per Ind AS. As required under Ind AS 101, the resulting adjustments arising from events and transactions before the date of transition to Ind AS, were recognised directly through retained earnings as at 1st April, 2016. An explanation as to how the transition to Ind AS has affected the company's equity, financial position, financial performance and its cash flows is provided in Note no. 16.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly-issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

Current v/s Non-Current classification: All assets and Liabilities have been classified as Current or Non-Current as per Company's normal operating cycle and other criteria set out in Schedule III to The Companies Act, 2013. The company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of classification of assets/liabilities into current and non-current.

3) Basis of Measurement

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for:-

- a. Financial assets and liabilities that are measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments).
- b. Defined benefit plans - and plan assets measured at fair value.
- c. Land received from State Government for the project as per MOU is measured at ready reckoner rate (fair value).

The methods used to measure fair values are discussed further in notes to financial statements.

4) Use of Estimates and Judgements

The preparation of the financial statements in conformity with the recognition and measurement principles of Ind AS requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues and expenses during the reported period and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures of contingent liabilities on the date of financial statements. Some of the estimations require higher degrees of judgement to be applied than others. Management continuously evaluates all of its estimates and judgements based on available information and its experience and believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Further, actual results could differ from these estimates and the differences between actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

In order to enhance understanding of the financial statements, information about significant areas of estimation, uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements is necessary. The areas involving critical estimates or judgements are as under:

- a) **Determination of estimated useful life of Tangible Assets and Components of Cost:** Property, plant and equipment represent a significant proportion of asset base of the company. The charge in respect of periodic depreciation is derived after determining the estimate of an asset expected useful life, the expected residual value at the end of its life and depreciation method. The useful lives and residual values of company's assets are determined by the management at the time the asset is acquired and reviewed

at the end of each reporting period along with depreciation method. The useful lives are based on historical experience with similar assets as well as anticipation of future events, which may impact their life, such as changes in technology. The reassessment of useful life may result in change in depreciation expense in future periods. Assessment is also made as to which components & cost may be capitalised.

- b) **Determination of estimated useful life of Intangible assets and components of cost.**
- c) **Provisions:** Provisions are recognised when the company has present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. It is determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.
- d) **Contingent liabilities/Assets:** Contingent liabilities/assets are disclosed on the basis of judgment of management/independent experts through note to the financial statements. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate.
- e) **Post-employment benefit plans:** Employee benefit obligations are measured on the basis of actuarial assumptions which include mortality and withdrawal rates as well as assumptions concerning future developments in discount rates, the rate of salary increases and the inflation rate. The company considers that the assumptions used to measure its obligations are appropriate and documented. However, any changes in these assumptions may have a material impact on the resulting calculations.
- f) **Impairment test of non-financial assets:** The recoverable amount of PPE is determined based on judgment of assumptions of technical experts. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in impairment.
- g) **Recognition of Deferred Tax Assets:** The company reviews the carrying amount of deferred tax assets at the end of each reporting period. The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the company's future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized. In addition, significant judgement is required in assessing the impact of any legal or economic limits.
- h) **Fair Value of Financial Instruments -Discount rate for Fair Value of Financial Instruments.**

5) Measurement of Fair Values

The company's accounting policies require financial instruments to be measured at fair values. The company has established control framework with respect to the measurement of fair values. The company uses valuation techniques that are appropriate in circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

The management regularly reviews significant unobservable inputs. Fair values are categorised in different levels of hierarchy based on inputs used in valuation techniques as follows:

- Level 1 inputs : Quoted unadjusted prices in active market.
- Level 2 inputs : Other than quoted prices that are observable either directly or indirectly.
- Level 3 inputs : Unobservable inputs

Maharashtra Metro Rail Corporation Limited
Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 1

B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1) Functional and Presentation Currency

These Financial Statements are presented in Indian Rupees (INR), which is the Company's functional currency.

2) Property, Plant & Equipment and Intangible Assets

2.1 On transition to Ind AS, the company has opted to continue with the carrying value of all of its Property, Plant and Equipment recognised as at 1st April 2016 measured as per the previous GAAP and use that carrying value as the deemed cost of the Property, Plant and Equipment. Accordingly, Property, Plant and Equipment and Intangible Assets are shown at their acquisition cost / historical cost.

The cost of fixed asset comprises its purchase price, including any import duties and other taxes net of recoverable taxes and any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use including interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying fixed assets up to the date the asset is ready for its intended use and net of any trade discounts and rebates and other incidental expenses and an initial estimate of the costs of dismantling, removing the item and restoring the site on which it is located, if any.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, only if it is probable that the future economic benefit associated with the item will flow to the company and that the cost can be reliably measured. When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted for as separate items (major components).

2.2 In the case of assets put to use, where final settlement of bills with contractors is yet to be effected, capitalisation is done on provisional basis subject to necessary adjustment in the year of final settlement.

2.3 Intangible assets acquired separately are measured at initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets carried at cost less accumulated amortization/impairment.

3) Land

3.1 Land is recognised as an asset on the basis of control as required by the Framework for the preparation and presentation of financial statements in accordance with Indian Accounting Standards.

3.2 The land parcels handed over by the landowners including various government bodies and departments and taken possession by the company have been capitalized at the time of taking the possession of the land by the company or on making payment whichever is earlier without waiting for the registration of title deeds in the name of the company.

- 3.3 Enhanced compensation, if any, under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 shall be booked as and when the payment is due since the amount cannot be estimated.
- 3.4 Compensation, replacement etc. relating to the cost of rehabilitation of Project Affected Persons (PAPs) is booked to CWIP and on completion is added to the cost of related constructed assets.
- 3.5 Payments made provisionally / liability provided towards cost or compensation related to the land including lease-hold land in possession, cost of acquisition of structures less sale proceeds of such structures demolished are treated as cost of the land or lease-hold land.
- 3.6 Payment made provisionally / liability provided towards land acquired on temporary basis is amortised over the possession period of the land.
- 3.7 Land handed over for construction, which belongs to various government bodies and departments at free of cost, control/ownership of which vests with the company is recognized at fair value of the land received which is calculated on the basis of ready reckoner rates.
- 3.8 Lease hold land having lease period of 30 years and above is treated as Finance Lease and is recognised as per ready reckoner rate (fair value).

4) Capital Work-in-Progress

- 4.1 Income pertaining to construction period such as interest earned on short-term deposits attributable to the subordinate debt and equity is adjusted in Statement of Profit and Loss. Income pertaining to construction period such as interest earned on Pass Through Assistance (PTA) against loan from KfW and AFD and advance provided to the project contractors, sale of tender documents, etc. is adjusted against the Expenditure During Construction.
- 4.2 Claims including price variations are accounted for on acceptance.
- 4.3 Liquidated Damages are accounted for on settlement of final bill and deducted from cost.
- 4.4 Administrative and general overheads (net of income) directly attributed to project are allocated in the ratio of assets capitalised to the total CWIP as at the end of the month of commissioning.
- 4.5 Lease of assets under which significant portion of risk and rewards of ownership are retained by lessor are classified as operating lease. Lease payment under the operating lease are recognised as part of cost of project till commencement of commercial operations.

5) Allocation of Interest during Construction

Interest during Construction (IDC) in respect of qualifying assets commissioned during the year, is allocated in the ratio which the value of commissioned assets bear to the qualifying CWIP as at the end of the month of commissioning. In other cases, IDC is allocated based on the date of capitalisation of the last section.

6) Depreciation/Amortisation

- 6.1 Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided on Straight Line Method as per useful life prescribed in Schedule-II of Companies Act, 2013

except in respect of following assets / components of assets, where useful life is determined based on technical assessment:

Nature of asses / Components	Useful life (Years)
Mobile Handsets provided to employees other than Directors	3
Furniture's, Fixtures, Office Equipment's and any other asset provided to Directors at residential camp office	4

- 6.2 Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting period and are adjusted appropriately.
- 6.3 Parameters considered for identification of components of assets:
- Assets having value of Rs.10 Lakhs & above and components of value more than 10% in relation to the main asset have only been considered for componentization. The maximum life of component-has been restricted to the life of main asset.
 - Components of assets having same useful life have been clubbed together with main component irrespective of the percentage in relation to main asset.
 - Remaining components or insignificant parts have been combined together with the main asset.
 - Leasehold Buildings are not componentised as these are amortised based on apportionment of total pay-out over the period of lease.
 - Vehicles, Safety Equipment, I.T. System, Office Equipment, and Furniture & Fixtures are not componentised as these assets are having insignificant value as compared to the total assets value of the company.
- 6.4 Property, Plant & Equipment and Intangible Assets costing less than Rs.5,000/- are depreciated / amortised fully in the year of purchase.
- 6.5 Intangible assets with finite useful life are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the asset may be impaired. Intangible assets including software which is not an integral part of related hardware are amortised on Straight Line Method over a period of legal right to use or 5 years whichever is earlier. The amortization method and period are reviewed at end of each reporting period. Residual value is estimated to be immaterial and hence has been considered as nil.
- 6.6 Leasehold assets (if any) except land are amortised over the lease term or its useful life whichever is shorter.
- 6.7 Depreciation on addition to / deduction from an existing asset which forms integral part of main assets capitalised earlier, is charged over the remaining useful life of that asset.
- 6.8 Expenditure on the items, control / ownership of which is not with the Company is charged off to revenue in the year of incurrance of such expenditure.
- 6.9 Residual value of 5% has been retained for all the Tangible Assets in line with the provisions of the Schedule-II.
- 6.10 Fully depreciated asset still in use are retained in the Financial Statement.

7) Foreign Currency

- 7.1 Transactions denominated in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing at the time of transaction.
- 7.2 Monetary items denominated in foreign currencies are translated at exchange rates as at the reporting date.
- 7.3 Exchange differences arising on the settlement or translations of monetary items are recognized in profit or loss in the year in which these arise.

8) Impairment of Assets

The carrying values of assets at each Balance Sheet date are reviewed for impairment. If any indication of such impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment is recognised. The impairment loss recognised is charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there is a change in the estimate of the recoverable amount.

9) Inventories

Inventories including loose tools are valued at the lower of cost, determined on weighted average basis, and net realisable value.

10) Revenue Recognition

- 10.1 Interest on deposits is recognised on time proportion basis taking into account the outstanding amount and the rate applicable.
- 10.2 Income from consultancy services is accounted for on the basis of actual progress / technical assessment of work executed, except in cases where contracts provide otherwise.
- 10.3 Revenue from external project work is recognised as follows:
 - 10.3.1 Cost plus contracts- revenue is recognised by including eligible contractual items of expenditure plus proportionate margin as per contract.
 - 10.3.2 Fixed price contract- revenue represents the cost of work performed on the contract plus proportionate margin, using the percentage of completion method. Percentage of completion is determined as a proportion of cost of work performed to-date to the total estimated contract cost.
- 10.4 Other non-operating incomes are recognised on receipt basis.

11) Retirement Benefits

- 11.1 The contribution to the Provident Fund for the period is recognized as expense and is charged to the Statement of Profit & Loss. Company obligation towards post-retirement benefits and baggage allowance, sick leave, earned leave, leave travel concession are actuarially determined and provided for.
- 11.2 The company has set up a Gratuity Trust Fund with LIC of India and gratuity liability to employees is provided for on the basis of actuarial valuation.

- 11.3 Re-measurements comprising of actuarial gains and losses as well as the difference between the return on plan assets and amount included in net interest on the net defined benefit liability / assets are recognised in the Other Comprehensive Income (OCI), net of income tax.
- 11.4 Other expenses related to defined benefit plan are recognised as employee cost.

12) Insurance Claims

Insurance claims are accounted for based on acceptance of claims.

13) Prior Period Expenses and Income

Individual items of prior period expenses and incomes over Rs.1,00,000/- each are recognised.

14) Prepaid Items

Individual items of Prepaid Expenses over Rs.1,00,000/- each are recognised.

15) Grant-In-Aid from Government / Local Body

- 15.1 Grant-in-Aid received by the company from Government of India (GOI), Government of Maharashtra (GOM) / Urban Local bodies towards Capital Expenditure for creation of assets are initially shown as 'Deferred Income'. These are subsequently recognised as income as under:

SD for Taxes : Up to the tenure of the subordinate debt on straight line basis.

SD for Land : Over the balance tenure of the subordinate debt after commissioning of the relevant constructed assets on it on straight line pattern.

Grant for Capital works : Over the life of the relevant assets in proportion to depreciation on those assets.

- 15.2 Grants from the Government/Non-Government or other authorities towards Revenue are recognised in the Statement of Profit & Loss under the head 'Other Income'.

- 15.3 Where the Company receives non-monetary grants, the asset and the grant are recorded in gross at fair values and released to the income statement over the tenure of the debt expected useful life and pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

16) Borrowing Cost

- 16.1 Borrowing cost incurred on the funds borrowed specifically for the project and identified therewith is capitalised up to the time of commissioning of the project or part thereof and thereafter charged to revenue to the extent assets are under commercial operation.

- 16.2 Interest costs in connection with the borrowings of funds to the extent not directly related to the acquisition of qualifying assets are charged to the Statement of Profit and Loss over the tenure of the loan.

17) Taxation

- 17.1 Income tax is determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.
- 17.2 Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilised.
- 17.3 Deferred tax liabilities and assets are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.
- 17.4 Income tax expense, comprising current and deferred tax, is recognized in the Statement of Profit and Loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in Other Comprehensive Income (OCI) or equity, in which case it is recognized in OCI or equity.

18) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

A provision is recognised when the company has a present obligation as a result of a past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date and are not discounted to present value. Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of the management / independent experts through note to the financial statements. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate. Contingent assets are not recognised but disclosed in the financial statements.

19) Cash Flow Statement

Cash Flow Statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed in Indian Accounting Standard (Ind AS) - 7 on 'Statement of Cash Flows'. Cash and Cash equivalents in the Balance Sheet includes cash at bank and in hand, deposits held at call with financial institutions, other short term highly liquid investments with maturity less than 3 months that are readily convertible into cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

20) Provision for Doubtful Debts and Advances

Provision for doubtful debts / advances is made when there is uncertainty of realisation irrespective of the period of its dues and written off on establishment of non-recoverability.

21) Segment Reporting

The Company has only one reportable operating segment, which is developing, running and maintaining Metro Rail Systems in Nagpur and

Pune. Accordingly, the amounts appearing in the financial statements are related to the company's single business segment. In notes to account table showing segregation of external projects consultancy and other activity is disclosed.

22) Financial Instruments

22.1 Recognition, Initial Measurement and De-recognition:

- 22.1.1 Financial assets and financial liabilities are recognised and are measured initially at fair value adjusted by transactions costs, except for those financial assets which are classified at Fair Value through Profit & Loss (FVTPL) at inception.
- 22.1.2 Financial assets are derecognised when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the financial asset and all substantial risks and rewards are transferred. A financial liability is derecognized when it is extinguished, discharged, cancelled or expires.

22.2 Classification and subsequent measurement of financial assets:

- 22.2.1 For the purpose of subsequent measurement, financial assets are classified into the following categories upon initial recognition:
- Financial assets at amortised cost using effective interest rates (EIR)
 - Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)
 - Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)
- 22.2.2 All financial assets except for those at FVTPL are subject to review for impairment at least at each reporting date.

22.3 Effective Interest Rate (EIR) is calculated as follows:

- 22.3.1 Advances to Employees - Interest rate used for calculation of perquisite value of employees under Income Tax Act, 1961 (i.e. State Bank India rate at the beginning of the financial year) for each type of long-term advance.
- 22.3.2 Financial assets & financial liabilities which are interest bearing at market rates: EIR in these cases are equivalent to instrument's interest rate.
- 22.3.3 Other financial assets or financial liabilities not at fair value: SBI-MCLR at end of financial year.

22.4 Classification and subsequent measurement of financial liabilities:

Financial liabilities are measured subsequently at amortized cost using the effective interest method, except for financial liabilities held for trading or designated at FVTPL, that are carried subsequently at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. All derivative financial instruments are accounted for at FVTPL.

23) Earnings per share

- 23.1 Basic earnings per share are computed by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

- 23.2 For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

24) Leases

- 24.1 The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is assessed for whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement. Lease of the asset where the company has substantially all the risk and rewards of ownership are classified as finance lease.

24.2 Transition to Ind AS

For arrangement entered into prior to April 01, 2016, the Company has determined whether the arrangement contains a lease on the basis of facts and circumstances existing on the date of transition.

24.3 Company as a lessee

A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. Finance leases that transfer to the Company substantially all of the risks and benefits incidental to ownership of the leases item, are capitalized at the commencement of the lease at the fair value of the leased property.

- 24.4 A depreciable leased asset is depreciated over the lease term or its useful life whichever is shorter.

- 24.5 An operating lease is a lease other than a finance lease. Operating lease payments incurred for other than land during the construction period are recognized as Expenditure During Construction. Thereafter operating lease payments are recognized as an Operating Expenses in the Statement of Profit & Loss.

24.6 Company as a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Rental income, if any, from operating lease is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease except the case where incremental lease reflects inflationary effect and lease expense is accounted in such case by actual rent for the period.

- 24.7 Leases are classified as finance leases when substantially all of the risks and rewards of ownership are transferred from the company to the lessee. Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the net investment outstanding in respect of the lease.

25) Event after the reporting period

Material adjusting events (that provides evidence of condition that existed at the balance sheet date) occurring after the balance sheet date are recognized

in the financial statements. Non-adjusting events (that are indicative of conditions that arose subsequent to the balance sheet date) occurring after the balance sheet date that represent material change and commitment affecting the financial position are disclosed in the reports of the board of directors.

26) Recent Accounting Pronouncements

Application of New and Revised Ind AS: All the Indian Accounting Standards ("Ind AS") issued and notified by the Ministry of Corporate Affairs are effective and considered for the significant accounting policies to the extent relevant and applicable to the Company.

The Company has not applied the following new and revised Indian Accounting Standards ("Ind AS") that have been issued and notified by the Ministry of Corporate Affairs in March 2018 but are not yet effective. These amendments are in accordance with the recent amendments made by the International Accounting Standards Board (IASB). The Company is evaluating the impact of these pronouncements on the financial statements.

Ind AS 115 – Revenue from Contracts with Customers: On 28th March 2018, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has notified the Ind AS 115, Revenue from Contract with Customers. The core principle of the new standard is that an entity should recognise revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. Further, the new standard requires enhanced disclosures about the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows arising from the entity's contracts with customers

The standard permits two possible methods of transition:

- Retrospective approach – Under this approach the standard will be applied retrospectively to each prior reporting period presented in accordance with Ind AS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.
- Retrospectively with cumulative effect of initially applying the standard recognized at the date of initial application (Cumulative catch-up approach). The effective date for adoption of Ind AS 115 is financial periods beginning on or after 1st April 2018.

The Company is in the process of making an assessment of the impact of Ind AS 115 upon initial application.

Appendix B to Ind AS 21, Foreign Currency Transactions and Advance Consideration: On 28th March 2018, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2018 containing Appendix B to Ind AS 21, Foreign currency transactions and advance consideration which clarifies the date of the transaction for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of the related asset, expense or income, when an entity has received or paid advance consideration in a foreign currency. The amendment will come into force from 1st April, 2018.

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED
(Formerly known as Nagpur Metro Rail Corporation Limited)

Notes forming part of Financial Statements for the year ended March 31, 2018

Note 24

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1. Funding Pattern of the Company

Maharashtra Metro Rail Corporation Limited is incorporated under the Companies Act, 2013 and is a government company within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013. The Company was setup as a joint venture between Government of India (GOI) and Government of Maharashtra (GOM), with equal equity shareholding i.e. 50:50 ratios, to implement the Metro Rail Project in Nagpur & Pune cities. Approved Funding Pattern is as under,

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Nagpur Metro Project	Pune Metro Project
1	Equity by GOI	1,11,400	1,31,000
2	Subordinate Debt for Central Taxes by GOI	44,100	64,400
3	Equity by GOM	1,11,400	1,31,000
4	Subordinate Debt for Central Taxes by GOM	44,100	64,400
5	SD for State Taxes by GOM and ULB	18,100	58,100
6	Grant by ULB	22,400	2,850
7	Contribution for Land Acquisition from ULB	64,400	93,200
8	PTA against loan from KfW, AfD, etc .	4,52,100	5,83,150
9	Interest During Construction (IDC) by GOM/ULB	-	13,900
	Total Project Completion Cost	8,68,000	11,42,000

2. Contingent Liabilities

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
	Claims against the company not acknowledge as debt including foreign currency claim towards:			
	- Capital Works	NIL	NIL	NIL
	- Land cases #	477.33	NIL	NIL
	Total	477.33	NIL	NIL

#The Land Acquisition Collector has demanded establishment & facilities charges amounting to Rs. 477.33 Lakhs @ 3% on the total cost of private land acquired of Rs.15,911.07 Lakh. The company has requested Govt. of Maharashtra to grant exemption from the payment of said

charges. The decision on said request is pending with the Govt. of Maharashtra.

- Nagpur Municipal Corporation (NMC) has demanded 50% of the profit due on some parcels of land given to Maha Metro mentioning that land was meant for commercial use. The land given to Maha Metro is being used exclusively for Metro construction and not for commercial purpose and therefore not appropriate to include the profit element to the cost of land. Company vide letter dated 23.08.2017 requested NMC to correct the same in accordance with the Govt. of Maharashtra (GOM) approval and accordingly, the same has not been provided for in the books of accounts.
- Nagpur Municipal Corporation (NMC) has demanded Rs.216.56 crores towards right of way in respect of Metro alignment coming in the median of the road. As per the DPR, metro alignment coming in the median of the road does not involve any land acquisition. Company vide letter dated 23.08.2017 requested NMC to correct the cost towards right of way as Zero. NMC vide letter No.1249 dated 28.09.2017 agreed to the views of company. Therefore, the same has not been provided for in the books of accounts.
- Company have acquired some parcels of the land for construction of entry–exit structure at stations as well as passenger amenities from private parties by paying applicable full considerations. The said land was leased to these parties by NMC. As per the extant policy, demand @ 12% on 1.5 times of awarded value (5140.59 sq.ft.) and @ 8% on 1.5 times of awarded value (3351.00 sq.ft.) has been raised by NMC on the company. The amount payable as per demand of NMC works out to Rs.1.97 crores. The land acquired by the company shall be used exclusively for construction of entry–exit structure at stations as well as passenger amenities, and not for commercial activities. Company vide letter dt.02.06.2018 requested NMC to review the demand. Pending conformation from the NMC, the amount has not been provided for in the books of accounts.

Contingent Asset: Nil

3. Commitments:

(a) Capital Commitments:

Estimated amount of contracts including foreign currency contracts net of advances remaining to be executed on capital account and not provided for is Rs. 5,85,647.88 Lakhs (31.03.2017 Rs. 3,58,421.55 Lakhs, 01.04.2016 Rs. 37,441.31 Lakhs)

(b) Other Commitments:

Estimated amount of contracts including foreign currency contracts net of advances remaining to be executed on account of external projects and not provided for is Rs. 56,175.71 Lakhs (31.03.2017 Rs. 31,909.16 Lakhs, 1.04.2016 Rs. NIL)

4. Payment to the Statutory Auditors:

(₹ in Lakhs)

Particulars	2017-18	2016-17
Audit Fees	7.00	5.00
Tax Audit Fees	2.00	2.00
GST/Service Tax	1.62	1.05

5. Details of foreign currency exposure not hedged by a derivative instrument or otherwise

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Currency	Amount equivalent in INR		
			As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
a)	Borrowings, including interest accrued but not due thereon	Euro	NIL	NIL	NIL
		USD			
b)	Sundry creditors/deposits and retention monies	Euro	870.78	184.50	NIL
		USD	1,615.79	43.31	NIL
c)	Sundry debtors and bank balances	Euro	NIL	NIL	NIL
		USD	NIL	NIL	NIL
d)	Unexecuted amount of contracts remaining to be executed	Euro	25,136.14	17,083.18	NIL
		USD	67,546.85	67,369.26	NIL

6. Additional information pursuant to Schedule III of the Companies Act, 2013:

(₹ in Lakhs)

No.	Particulars	2017-18	2016-17
A	Value of imports calculated on CIF basis:		
	(i) Raw Material	NIL	NIL
	(ii) Stores & Spares	NIL	NIL
	(iii) Capital Goods	5,307.19	NIL
B	Expenditure in Foreign currency on:		
	(i) Professional and consultancy fee	1,040.06	721.27
	(ii) Tours and Travels	47.50	50.19
	(iii) Contracts	7,573.20	280.52
	(iv) Others	0.17	NIL
C	Earnings in Foreign Exchange:		
	(i) Consultancy	NIL	NIL
	(ii) Interest	NIL	NIL
	(iii) Others	NIL	NIL
D	Value of Components, spare parts & store consumed:		
	(i) Imported	NIL	NIL
	(ii) Indigenous	NIL	NIL

7. Some debit/credit balances of parties are subject to confirmation and reconciliation; consequential impact thereof is given below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Debit Balance as at 31.03.2018				Credit Balance as at 31.03.2018 (ref Note-14,15,17,18& Trade Payable)	
	Trade Receivables (ref Note-9)		Others (ref Note-5,6,7&12)		Amount	In (%)
	Amount	In (%)	Amount	In (%)		
Balance for which confirmation certificate received or reconciled with customer/vendors	15,998.48	100.00	65,989.26	81.76	13,667.35	3.28
Balance related to Govt. / PSU	-	-	7,946.36	9.85	3,95,626.87	94.80
Cases under Legal Proceedings	-	-	-	-	-	-
Security Deposits	-	-	-	-	285.41	0.07
Retention Money	-	-	-	-	1,478.83	0.35
EMD	-	-	-	-	54.20	0.01
Balances under reconciliation	-	-	6,767.81	8.39	6,210.32	1.49
Total Debit/Credit balance as per books	15,998.48	100.00	80,703.43	100.00	4,17,322.98	100.00

The above Figures are transaction value and not fair value.

8. Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises:

(₹ in Lakhs)

S.N	Particulars	2017-18	2016-17
1	Amount remaining unpaid to any supplier: a) Principal Amount b) Interest due thereon	NIL	NIL
2	Amount of interest paid in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day.	NIL	NIL
3	Amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL
4	Amount of interest accrued and remaining unpaid	NIL	NIL
5	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

Disclosure requirements of Indian Accounting Standards

9. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-1 “Presentation of Financial Statements”:

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to maximize the shareholder value. The company monitors its capital structure using Debt: Equity ratio, which is long term debt divided by total owner's capital. The Debt equity ratio are as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017	As at 01.04.2016
(a)Total Debt	1,66,770.71	40,175.09	700.00
(b)Total Equity	1,08,221.05	43,113.41	15,881.72
Debt : Equity Ratio (a/b)	1.54	0.93	0.04

For the purpose of the company's capital management, Capital includes issued capital and reserves. Debt includes long term loans and borrowings and PTA.

10. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-11 “Construction contracts”:

(₹ in Lakhs as at 31.03.2018)

Customer Name	Revenue recognized during the year	Cost incurred during the year	Advance from Client	Amount due from client
NHAI	12,504.80	12,152.40	NIL	15,875.09
MSRDC	459.21	459.21	NIL	121.34
Total	12,964.01	12,611.61	NIL	15,996.43

(₹ in Lakhs as at 31.03.2017)

Customer Name	Revenue recognized during the year	Cost incurred during the year	Advance from Client	Amount due from client
NHAI	4,482.23	4,388.45	NIL	3,983.40
MSRDC	NIL	NIL	NIL	NIL
Total	4,482.23	4,388.45	NIL	3,983.40

11. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-17 "Leases":

- The company has taken on lease/rent premises for employees. These lease arrangements are usually renewable on mutually agreed terms. During the year the company has paid lease rent (net of recoveries) amounting to Rs. 340.22 Lakhs and included under the head Expenditure-Salaries & Wages/ Expenditure During Construction (EDC) (31.03.2017 Rs. 157.95, 01.04.2016 Rs. 44.51).
- The company has taken two rakes consisting of 3 coach each from L&T Metro Rail (Hyderabad) Ltd on lease. The Lease agreement is for a period of four years with lock in period of 3 years. The term of this agreement is extendable for an additional period of two years by mutual agreement between the parties. During the year the company has

paid lease rent (Gross Amount) amounting to Rs. 1,770 Lakhs (Out of which an amount of Rs. 1,232 Lakhs is included under the head CWIP Rolling Stock and Rs. 538 Lakhs as prepaid expense, 31.03.2017 Rs. NIL, 01.04.2016 Rs. NIL).

- iii) The company has not leased out any of its assets on operating lease basis. However, the company has received ground rent amounting to Rs.1.12 Lakhs (31.03.2017 Rs.1.25 Lakhs, 1.04.2016 Rs.1.34 Lakhs) for temporary use of land received from various Government Authorities.

Disclosure of Gross Carrying value and depreciation on lease business assets as per Ind As -17

(₹ in Lakhs)

Description	Gross Carrying value of Assets		Accumulated Depreciation		Depreciation for the Year	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Building	563.96	533.57	41.50	18.70	22.80	16.90
TOTAL	563.96	533.57	41.50	18.70	22.80	16.90

12. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19 "Employee Benefits"

12.1 General description of various defined employee's benefits schemes are as under:

a) Provident Fund

The company's Provident Fund is managed by Regional Provident Fund Commissioner. The company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate. The liability is recognised on accrual basis.

b) Gratuity

The company has a defined benefit plan. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26 x last drawn basic pay plus dearness pay / dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination, and disablement or on death. A trust has been formed for this purpose.

This scheme is managed by Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the company. The disclosure of information as required under Ind AS -19 have been made in accordance with the actuarial valuation and liability is recognised on the basis of actuarial valuation. As per actuarial valuation company's best estimates for FY 2018-19 towards the Gratuity Fund Contribution is Rs. 118.54 Lakhs (including actuarial deficit of Rs.73.18 Lakhs for FY 2017-18).

However, the company is making contribution to the fund as per demand made by Life Insurance Corporation of India

c) Pension

In respect of deputationist employee, pension contribution is calculated as per lending organization /Govt. of India Rules and is accounted for on accrual basis.

d) Post –retirement medical Facility

The company has Post–retirement medical Facility (PRMF), under which retired employees and the spouse are provided medical facility for indoor treatment at the same rate as applicable to regular employee.

The Liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation.

e) Terminal Benefits

Terminal Benefit includes settlement at home-town or to the place where employees and their family intends to settle in India including Baggage Allowance. The liability on this account is recognized on the basis of actuarial valuation.

f) Leave

The company provides for earned leave benefits (including compensated absence) and half-pay leave to the employees of the company, which accrue annually at 30days & 20 days respectively. Only the leave in the encashable leave account is encashable once in a calendar year while in service and a maximum of 300 days (including non-encashable portion and half pay leaves without commutation) on superannuation. The liability on this account is recognised on the basis of actuarial valuation.

In respect of deputationist employees leave salary contribution is payable to their parent department at 11% of pay drawn (basic pay including Dearness Pay & Special pay) and is accounted for on accrual basis.

g) Leave Travel Concession (LTC)

The company provides financial assistance to the employees in meeting the expense of travel involved while availing of rest & recreation with their family away from the headquarters to their home town or elsewhere periodically as per its policy. The liability on this account is recognised on the basis of actuarial valuation. Leave travel concession liability as at 31.03.2018 is Rs.33.56 Lakhs (as at 31.03.2017 is Rs. 6.93 Lakhs).

12.2 The summarized position of various benefits recognised in the Statement of Profit & Loss, Other Comprehensive Income (OCI) and balance sheet & other disclosures are as under:

Net defined benefit obligation:

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Post - Retirement Medical Facility (non- Funded)	Leave (non-Funded)	Terminal benefits (non-Funded)
Defined Benefit Obligation	C.Y.	(93.39)	(79.55)	(246.88)	(12.48)
	P.Y.	(27.55)	(33.00)	(88.92)	(5.98)
Fair value of plan and assets	C.Y.	20.21	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	13.78	NIL	NIL	NIL
Funded status	C.Y.	(73.18)	(79.55)	(246.88)	(12.48)
	P.Y.	(13.77)	(33.00)	(88.92)	(5.98)
Effect of asset ceiling	C.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
Net Defined benefit Assets / (Liabilities)	C.Y.	(73.18)	(79.55)	(246.88)	(12.48)
	P.Y.	(13.77)	(33.00)	(88.92)	(5.98)

Movement in defined benefit obligation

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity Funded	Post-Retirement Medical Facility (non-Funded)	Leave (non-funded)	Terminal benefits (non-Funded)
Defined benefit obligation - Beginning of the year	C.Y.	27.55	33.00	88.92	5.98
	P.Y.	3.53	NIL	32.01	NIL
Current Service Cost	C.Y.	21.83	29.92	22.01	5.28
	P.Y.	2.60	33.00	7.38	5.98
Interest Cost	C.Y.	2.04	2.44	5.94	0.44
	P.Y.	0.27	NIL	2.43	NIL
Benefits Paid	C.Y.	NIL	NIL	(17.29)	NIL
	P.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
Past service cost- Plan Amendments and Acquisition	C.Y.	18.33	NIL	36.43	NIL
	P.Y.	12.33	NIL	50.42	NIL
Re-measurements -actuarial loss/(gain)	C.Y.	23.64	14.19	110.87	0.78
	P.Y.	8.82	NIL	(3.32)	NIL
Defined benefit obligation - End of the year	C.Y.	93.39	79.55	246.88	12.48
	P.Y.	27.55	33.00	88.92	5.98

Movement in plan Assets:

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Post-Retirement Medical Facility (non-Funded)	Leave (Non-funded)	Terminal (Non funded)
Fair value of plan assets at beginning of year	C.Y.	13.78	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
Interest income	C.Y.	1.23	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	0.35	NIL	NIL	NIL
Employer contributions	C.Y.	5.72	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	9.23	NIL	NIL	NIL
Benefits paid	C.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
Re-measurements -Actuarial (loss)/ gain	C.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
Re-measurements - Return on plan assets greater / (less) than discount rate	C.Y.	(0.52)	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	4.20	NIL	NIL	NIL
Fair value of plan assets at end of year	C.Y.	20.21	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	13.78	NIL	NIL	NIL

Amount Recognized in Statement of Profit and Loss

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Post-Retirement Medical Facility (non-Funded)	Leave (Non-funded)	Terminal (Non funded)
Current service cost	C.Y.	21.83	29.92	22.01	5.28
	P.Y.	2.60	33.00	7.38	5.98
Past service cost - Plan Amendment	C.Y.	9.49	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
Curtailment cost/(credit)	C.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
Settlement cost/(credit)	C.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	NIL	NIL	NIL	NIL
Service Cost(A)	C.Y.	31.32	29.92	22.01	5.28
	P.Y.	2.60	33.00	7.38	5.98
Net interest on Net Defined Benefit Liability / (assets) (B)	C.Y.	0.81	2.44	5.94	0.44
	P.Y.	(0.08)	NIL	2.43	NIL
Immediate recognition of (gains)/losses-other long term employee benefit plans(C)	C.Y.	NIL	NIL	110.87	NIL
	P.Y.	NIL	NIL	(3.32)	NIL
Cost recognized in P& L (A+B+C)	C.Y.	32.13	32.36	138.82	5.72
	P.Y.	2.52	33.00	6.49	5.98

Amount Recognized in other Comprehensive Income (OCI)

(₹ in Lakhs)

Particulars		Gratuity (Funded)	Post-Retirement Medical Facility (non-Funded)	Leave (Non-funded)	Terminal (Non funded)
Actuarial(gain)/loss due to DBO Experience	C.Y.	27.50	17.75	120.95	1.04
	P.Y.	8.11	NIL	(5.67)	NIL
Actuarial(gain)/loss due to assumption changes	C.Y.	(3.86)	(3.56)	(10.08)	(0.26)
	P.Y.	0.71	NIL	2.35	NIL
Actuarial (gain)/loss arising during the period(A)	C.Y.	23.64	14.19	110.87	0.78
	P.Y.	8.82	NIL	(3.32)	NIL
Return on Plan assets (greater) / less than discount rate (B)	C.Y.	0.52	NIL	NIL	NIL
	P.Y.	(4.20)	NIL	NIL	NIL
Actuarial (gain)/loss recognized in OCI (A+B)	C.Y.	24.16	14.19	NIL	0.78
	P.Y.	4.62	NIL	NIL	NIL

Sensitivity Analysis

(₹ in Lakhs as at 31.03.2018)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Post-Retirement Medical Facility (non-Funded)	Leave (Non-funded)	Terminal Benefits (non-funded)
Discount rate	+0.50%	(5.94)	(8.89)	(15.49)	(0.40)
	-0.50%	6.57	10.46	17.15	0.44
Salary growth rate	+1.00%	13.96	-	36.43	-
	-1.00%	(11.59)	-	(30.21)	-
Price inflation rate	+1.00%	-	-	-	0.93
	-1.00%	-	-	-	(0.80)
Medical inflation rate	+1.00%	-	22.61	-	-
	-1.00%	-	(16.58)	-	-
Mortality rate	+3 years	-	(5.53)	-	-
	-3 years	-	5.40	-	-

(₹ in Lakhs as at 31.03.2017)

Assumption	Change in Assumption	Gratuity (Funded)	Post-Retirement Medical Facility (non-Funded)	Leave (Non-funded)	Terminal Benefits (non-funded)
Discount rate	+0.50%	(1.72)	-	(5.69)	-
	-0.50%	1.90	-	6.30	-
Salary growth Rate	+1.00%	4.02	-	13.36	-
	-1.00%	(3.35)	-	(11.08)	-
Price inflation Rate	+1.00%	-	-	-	-
	-1.00%	-	-	-	-
Medical inflation rate	+1.00%	-	-	-	-
	-1.00%	-	-	-	-
Mortality rate	+3 years	-	-	-	-
	-3 years	-	-	-	-

Actuarial Assumption:

Particulars		Gratuity (Funded)	PRMF (Non-Funded)	Leave (Non-Funded)	Terminal (Non-Funded)	LTC
Method Used	CY	Projected Unit Credit(PUC) Actuarial Method	Projected Unit Credit(PUC) Actuarial Method	Projected Unit Credit(PUC) Actuarial Method	Projected Unit Credit(PUC) Actuarial Method	Projected Unit Credit(PUC) Actuarial Method
	PY	Projected Unit Credit(PUC) Actuarial Method	Projected Unit Credit(PUC) Actuarial Method	Projected Unit Credit(PUC) Actuarial Method	Projected Unit Credit(PUC) Actuarial Method	Projected Unit Credit(PUC) Actuarial Method
Discount rate	CY	7.70%	7.70%	7.70%	7.70%	7.10%
	PY	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%	6.30%
Salary growth Rate	CY	6.00%	-	6.00%	-	-
	PY	6.00%	-	6.00%	-	-
Price inflation	CY	-	-	-	5.00%	5.00%
Rate	PY	-	-	-	5.00%	5.00%
Medical inflation rate	CY	-	6.00%	-	-	-
	PY	-	6.00%	-	-	-
Mortality rate	CY	INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08)Ult.	Annuitants mort 96-98 (With Suitable Mortality Improvement Applied)	INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08)Ult.	INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08)Ult.	INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08)Ult.
	PY	INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08)Ult.	INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08)Ult.	INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08)Ult.	INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08)Ult.	INDIAN ASSURED LIVES MORTALITY (2006-08)Ult.

Expected Benefit Payments

(₹ in Lakhs)

Sr. No	Year of payment	Gratuity (funded)	PRMF (Non-funded)	Leave (Non-funded)	Terminal benefits (non-funded)
1	March 31, 2019	1.24	0.08	6.29	0.40
2	March 31, 2020	4.34	0.94	11.56	2.21
3	March 31, 2021	8.87	1.90	15.43	2.28
4	March 31, 2022	10.75	2.95	17.77	12.58
5	March 31, 2023 to March 31, 2027	228.74	54.02	255.41	34.34

Category of Investment in Plan Assets:

Category of Investment	% of fair value of Plan Assets
LIC-Conventional Products	100%

13. Disclosure in respect of Ind AS-21- "The Effects of changes in Foreign Exchange Rates."

The amount of exchange differences (net) debited to the statement of profit & loss Rs. 22.74 Lakhs. (P.Y. Credit Rs. 0.27Lakhs)

14. Disclosure in respect of Ind AS-24- "Related Party Disclosures"

a) Key Management Persons:

- Shri Brijesh Dixit, Managing Director
- Shri Mahesh Kumar, Director (Projects)
- Shri Sunil Mathur, Director (Rolling Stock)
- Shri S. Sivamathan, Director (Finance)

b) Disclosure of transactions of the company with Key Management Persons

(₹ in Lakhs)

Particulars	2017-18	2016-17
Salaries & Allowances	138.03	111.84
Contribution to Provident Fund and other Funds, Gratuity & Group Insurance	5.74	4.11
Other Benefits	92.71	53.18
Total (included in Employees Cost)	236.48	169.13
Recovery of Loans & Advances during the year	-	-
Advances released during the year	-	-
Closing Balance of Loans & Advances	-	-

In addition to the above remuneration:

- The whole time directors have been allowed to use the staff car (including for private journeys) subject to recovery as per the company's rules;
- The provisions for contribution towards gratuity, leave encashment, post-retirement medical benefits and terminal benefits as ascertained on actuarial valuation, amounted to Rs. 18.53 Lakhs (As at 31.03.2017 Rs. 7.12lakhs).

c) Disclosure of transactions with the trust created for Post-Employment Benefit Plans of the Company:

(₹ in Lakhs)

Particulars	2017-18	2016-17
Contribution to Gratuity Trust	5.72	9.23
Refund from Trust (Payments)	NIL	NIL

d) Balances with Trust created for Post-Employment Benefit Plans of the Company

(₹ in Lakhs)

Sr. No	Amount Payable	2017-18	2016-17
1	Gratuity Trust	39.88	13.78

e) Disclosure in respect of Ind AS – 33- Earning Per Share

(₹ in Lakhs)

Particulars	2017-18	2016-17
Profit after taxation as per Statement of Profit & Loss	(26,165.32)	(165.12)
<u>Weighted average number of equity shares outstanding:</u>		
Basic	70,47,75,726	30,98,30,411
Diluted	104,65,32,229	33,55,89,541
Basic Earnings Per Share (₹) (Face value of ₹ 10/- per share)	(3.71)	(0.05)
Diluted Earnings Per Share (₹) (Face value of ₹ 10/- per share)	(2.50)	(0.05)

15. Disclosure in respect of Ind AS -37- "Provisions, Contingent liabilities and contingent Assets":

(₹ in Lakhs)

Particulars	Bal. as at 01.04.2017	Additions /transfer during the year	Utilization during the year	Adjustment during the year	Written back during the year	Bal. As at 31.03.2018
Retirement Benefits	137.90	378.40	-	-	-	516.30
Expenses	10.70	35.11	(5.72)	-	-	40.09
Provision for acquisition of Land	67,743.16	-	-	(67,743.16)	-	-

(₹ in Lakhs)

Particulars	Bal. as at 01.04.2016	Additions /transfer during the year	Utilization during the year	Adjustment during the year	Written back during the year	Bal. As at 31.03.2017
Retirement Benefits	3.53	134.37	-	-	-	137.90
Expenses	32.02	(21.32)	-	-	-	10.70
Provision for acquisition of Land	49,567.69	18,175.47	-	-	-	67,743.16

16. Disclosure in respect of Ind AS-101: "First-time adoption of Indian Accounting Standards ":

These are the Company's first Financial Statements for the year ended 31.03.2018.

The accounting policies set out in Note 1 have been applied in preparation of financial statements for the year ended 31st March 2018, the comparative information presented in these financial statements for the year ended 31st March 2017 and in the preparation of opening Ind AS balance sheet as at 1st April 2016 (the Company's date of transition). For transition to Ind AS the company has availed the following Mandatory/Optional exemptions as per INDAS 101:

- Deemed Cost for Property, Plant & Equipment: The Company has availed exemption under para D7AA of appendix D to IND AS 101 which permits a first time adoption to continue with the carrying values for its PPE as at date of transition to INDAS measured as per previous GAAP.
- Classification & Fair value measurement of financial assets or financial liabilities at initial recognition:

The financial assets and liabilities have been classified on the basis of facts existing as at the date of transition to IND AS. In addition, the exemption under - Para B8C and para D20 permits prospective application of requirements of IND AS 109 to transactions entered into on or after the date of transition.

An explanation of how the transition from previous GAAP to Ind AS has affected the company's financial position, financial performance and cash flows is set out in following tables and notes.

Ind AS 101 requires an entity to reconcile equity, total comprehensive income and cash flows for prior periods. The following tables represent the reconciliations from previous GAAP to Ind AS:

1. Reconciliation of total equity as at 31.03.2017 and as at 01.04.2016

(₹ in Lakhs)

Sr. No	Particulars	As at 31.03.2017	As at 1.04.2016
A	Total Retained earnings as per Indian GAAP audited financials as at April 1, 2016	-304.37	-59.00
B	<u>Indian GAAP- Prior period adjustments restated FY 2015-16</u>	-	
I	Payment to Consultants for Pre-Incorporation Expenses		-3.99
II	Payment for Pre-Incorporation Expenses	-	-300.03
III	Excess Depreciation written back		2.14
	<u>FY 2017-18</u>		
I	Rectification to Income from External Project for FY 2016-17		
	- Reduction in Income Recognised in FY 2016-17	-285.25	-
	- Increase in Income For FY 2016-17	24.51	-
II	Recognition of Expenses omitted in FY 2016-17	-11.92	-
C	<u>Ind AS Gap Differences</u>	-	
I	Unwinding of Interest Expense for Security Deposit (Liability)	-2.77	-0.31
	<i>Less: Finance Cost of Unwinding taken to CWIP</i>	2.77	0.31
II	<i>Interest income on unwinding of Security Deposit (Asset)</i>	1.11	0.37
III	<i>Differential Interest Income for HBA amount receivable</i>	3.97	0.17
IV	<i>Amortisation of Rent Expense for Security Deposit (Asset)</i>	-1.19	-0.40
	<i>Less: Finance Cost of Unwinding taken to CWIP</i>	1.19	0.40
V	<i>Interest Expense on Subordinate Debt for the period</i>	-26.07	
	<i>Less: Finance Cost of Unwinding taken to CWIP</i>	26.07	
VI	<i>Interest Income on unwinding of Subordinate Debt</i>	75.99	
VII	Reversal of Interest receivable on Loans as per IGAAP	-3.23	-0.18
VIII	Reinstatement of Gratuity Provision as per Actuarial Valuation Report (Ind AS)	0.24	0.24
IX	Recognition of OCI Gratuity Gain/(Loss)	-4.62	
X	Recognition of Impact of Actuarial Valuation Report on Gratuity Exp	-2.52	-
XI	Deferred Tax Liability Created due to Impact of Ind AS Transition	-22.51	
D	Net Impact	-224.22	-301.28
	Total Retained earnings As per Ind AS Financials	-528.59	-360.28

2. Reconciliation of total comprehensive income for the year ended 31.03.2017

(₹ in Lakhs)

	Notes to first time adoption	As at 31.03.2017
<u>Profit/ (Loss) after tax as per previous GAAP</u>		(245.37)
i) Deferred tax impact on Ind AS adjustments		(22.51)
ii) Measurement of financial assets and liabilities at amortised cost		102.76
iii) Re-measurement of Defined Benefit Plans		
Total adjustments		80.25
Profit/ (Loss) after tax reported under Ind AS		(165.12)
Total Comprehensive Profit/ (Loss) under Ind-AS		(168.31)

Note – 1

Deferred Tax

Under Ind AS, deferred tax is created using a balance sheet approach considering the taxable and deductible temporary differences, unlike previous GAAP where a concept of timing difference was applied. Ind-AS adjustments recorded by the Company also have a deferred tax impact which has been recognised in the financial statements.

Note – 2

Measurement of Financial Assets and Liabilities at Amortised Cost

Under previous GAAP, all financial assets and financial liabilities were carried out at cost. Under Ind AS, certain financial assets and financial liabilities are subsequently measured at amortised cost which involves the application of effective interest method. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets or financial liabilities to the fair value amount on the date of recognition of financial assets or financial liabilities.

Note – 3

Other Comprehensive Income

The concept of other comprehensive income did not exist under previous GAAP. Under Ind AS, all items of income and expense recognised in a period should be included in profit or loss for the period, unless a standard requires or permits otherwise. Items of income and expense that are not recognised in profit or loss but are shown in the statement of profit and loss as other comprehensive income includes re- measurements of defined benefits plans.

Note – 4

Retained Earnings

Retained Earnings as at 1st April 2016 has been adjusted consequent to the above Ind-AS transition adjustments.

Note – 5

Impact of Ind AS adoption on the Cash Flows for the year ended 31st March 2017

Under the previous GAAP, all bank balances were part of Cash & Cash equivalents. However, as per Ind AS, only short term fixed deposits with original maturity of less than three months shall be part of Cash & cash equivalents. Accordingly, Term deposits are classified as " Other Non Current assets " in Ind AS. The changes in Term deposits which are not classified as Cash & cash equivalents forms part of operating activities in cash flow statement.

**Maharashtra Metro Rail Corporation Limited
Reconciliation between previous GAAP and Ind AS for the Impact on Balance sheet**

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Note No	Previous GAAP as at 31.03.17	Adjustments	Ind AS as at 31.03.17	Previous GAAP as at 31.03.16	Adjustments	Ind AS at 01.04.2016
	ASSETS							
	NON CURRENT ASSETS							
a)	Property, Plant and Equipment	2	69429.70	-1.26	69428.44	50401.72	2.13	50403.85
b)	Capital work-in progress	3	45697.39	-1144.44	44552.95	7235.29	-227.28	7008.01
c)	Intangible assets	4	5032.85		5032.85	17.94		17.94
d)	Financial assets							
	I. Loans	5	12103.59	-12038.90	64.69	47.47	-40.09	7.38
	II. Others	6		225.97	225.97		7.87	7.87
e)	Deferred tax assets (Net)	8	133.70	-22.51	111.19		4.43	4.43
f)	Other non-current assets	7	6.12	12586.53	12592.65	0.43	-0.43	
2)	CURRENT ASSETS							
a)	Inventories							
b)	Financial assets							
	I. Trade Receivables	9	3982.59	0.81	3983.40			
	II. cash and Cash equivalents	10	16476.67	-6260.83	10215.84	11904.52	-2722.04	9182.48
	Other bank Balances	11		6309.00	6309.00		2737.00	2737.00
	III. Loans	5		13.25	13.25		1.35	1.35
	IV. Others	6	14394.57	-14077.93	316.64	1468.14	-1180.42	287.72
c)	Other current assets	7		14267.20	14267.20		1610.51	1610.51
d)	Current tax assets(Net)	12	340.10	-83.07	257.03	462.62	-403.34	59.28
	Total		167597.28	-226.18	167371.10	71538.13	-210.31	71327.82
	EQUITY AND LIABILITIES							
	EQUITY							
a)	Equity share capital.	13	42994.00		42994.00	15594		15594.00
b)	Other equity	SOCE	6242.30	-6122.89	119.41	4113.97	-3826.25	287.72
	LIABILITIES							
1)	NON-CURRENT LIABILITIES							
a)	Financial liabilities							
	I. Borrowings	16	13573.87	-1874.91	11698.96	700		700
	II. Other financial liabilities	14		37.77	37.77		7.33	7.33
b)	Provisions	15	126.79	11.11	137.90	35.79	-32.26	3.53
c)	Other non-current liabilities	8				14.91		14.91
d)	Government Grants	17		75466.82	75466.82		53166.33	53166.33
2)	CURRENT LIABILITIES							
a)	Financial liabilities							
	I. Trade payables			5483.61	5483.61		1309.39	1309.39
	II. Other financial liabilities	14		30107.66	30107.66		73.09	73.09
b)	Other current liabilities	18	36908.59	-35594.32	1314.27	1501.23	-1361.73	139.50
c)	Short term provisions	15	67751.73	-67741.04	10.70	49578.23	49546.21	32.02
	Total		167597.28	-226.18	167371.10	71538.13	-210.31	71327.82

Maharashtra Metro Rail Corporation Limited
Reconciliation between previous GAAP and Ind AS for the Impact on
Statement of Profit and Loss

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note no.	Previous GAAP for the year ending on 31.03.2017	Adjustments	IND AS for the year Ending on 31.03.2017
INCOME				
I. Revenue from operations		4482.59	-0.36	4482.23
II. Other income	19	751.49	77.49	828.98
TOTAL INCOME		5234.08	77.13	5311.21
EXPENSES				
I. Operating expenses		4104.92	283.53	4388.45
II. Employee benefits expense	20	6.56	2.52	9.08
III. Finance costs	21			
IV. Depreciation & amortisation expense		226.34	-0.01	226.33
V. Other expenses	22	988.35	-11.21	977.14
VI. Prior Period Items (Net)		301.88	-301.88	0.00
TOTAL EXPENSES		5628.05	-27.05	5601.00
PROFIT / (LOSS) BEFORE TAX		-393.97	104.18	-289.79
Tax Expense				
Current tax				
Deferred Tax		148.6	-23.93	124.67
PROFIT / (LOSS) FOR THE YEAR		-245.37	80.25	-165.12
OTHER COMPREHENSIVE INCOME				
I. Item that will not be reclassified to profit & loss		-	-4.62	-4.62
II. Re-measurement of defined benefit plans				
Less: Deferred Tax relating to items that will not be reclassified to profit and loss		-	1.43	1.43
III. Item that will be classified to profit & loss				
OTHER COMPREHENSIVE INCOME / (LOSS) FOR THE YEAR		-	-3.19	-3.19
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME / (LOSS) FOR THE YEAR		-245.37	77.06	168.31

17. Disclosures in respect of Ind AS 107- "Financial Instruments: Disclosures"

17.1 Financial Instruments

(i) Financial Instruments by Categories

The carrying values of financial instruments by categories are as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2018			As at 31.03. 2017			As at 01.04.2016		
	Amortised Cost	FVT PL	FV OCI	Amortised Cost	FVT PL	FV OCI	Amortised Cost	FVT PL	FV OCI
Financial Assets									
Loans(Refer Note 5)	118.05	-	-	77.94	-	-	8.73	-	-
Other financial Assets (Refer Note 6)	7,163.75	-	-	542.61	-	-	295.59	-	-
Trade Receivable (Refer Note 9)	15,998.48	-	-	3,983.40	-	-	0	-	-
cash & cash equivalents (Refer Note 10)	13,662.81	-	-	10,215.84	-	-	9,182.48	-	-
Total	36,943.09	-	-	14,819.79	-	-	9,486.80	-	-
Financial Liabilities									
Borrowings (Refer Note 16)	15,3270.45	-	-	11,698.96	-	-	700.00	-	-
Other financial liabilities(Refer Note 14)	18,524.47	-	-	30,145.43	-	-	80.42	-	-
Trade Payable	17,693.79	-	-	5,483.61	-	-	1,309.39	-	-
Total	1,89,488.71	-	-	47,328.00	-	-	2,089.81	-	-

(ii) Fair Value Hierarchy

Financial assets and liabilities measured at fair value in the statement of financial position are categorized into three levels of a fair value hierarchy. The three levels are defined based on the observation of significant inputs to the measurement as follows:

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical financial instruments that the entity can access at the measurement date.

Level 2- The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques which maximize the use of relevant observable market input and minimize use of unobservable inputs.

Level 3 - If one or more of the significant inputs is not based on observable market input, the instrument is categorized in level 3 of fair value hierarchy.

(iii) Financial Assets/Liabilities measured at amortized cost for which Fair Values are disclosed:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Level	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017		As at 31.03.2016	
		Carrying value	Fair Value	Carrying value	Fair Value	Carrying value	Fair Value
Financial Assets							
Loans (Refer Note 5)	Level 1	118.05	118.05	77.94	77.94	8.73	8.73
Other financial Assets (Refer Note 6)	Level 2	7,163.75	7,163.75	542.61	542.61	295.59	295.59
Total		7,281.80	7,281.80	620.55	620.55	304.32	304.32
Financial Liabilities							
Other financial liabilities (Refer Note 14)	Level 2	18,524.47	18,524.47	30,145.43	30,145.43	80.42	80.42
Total		18,524.47	18,524.47	30,145.43	30,145.43	80.42	80.42

(iv) Valuation techniques and process used to determine fair values

- The carrying value of financial assets and liabilities with maturities less than 12 months are considered to be representative of their fair value.
- Fair value of other financial assets and liabilities carried at amortized cost is determined by discounting of cash flows using a discount rate which is defined as per Accounting Policy no. 22.

17.2 Financial Risk Management

i) Financial risk factors

The Company is exposed to various risks in relation to financial instruments. The company's financial assets and liabilities by category are summarized above. The main types of risks are market risk, credit risk and liquidity risk. The company's risk management focuses on actively securing the Company's short to medium term cash flows by minimizing the exposure to volatile financial markets. The most significant financial risks to which the company is exposed are described below.

A) Market risk

The Company has foreign exchange risk as the Market risk. The company have interest rate risk since KfW and AFD loans of the company bears Variable rate of the interest. The company does not have price risk since company is not having any derivative financial asset.

The exchange fluctuation risk is due to import of property, plant and equipment from outside India. The company does not have any hedging instruments to cover the foreign exchange risk.

The following table analyses foreign currency risk from financial instruments:

(in Lakhs as at 31.03.2018)

Particulars	Euro	USD	Other Currency	Total
Cash and cash equivalent	-	-	-	-
Trade Receivables	-	-	-	-
Other Financial Assets	-	-	-	-
Trade Payables	870.78	1,615.79	-	2,486.57
Other Financial Liabilities	-	-	-	-
Net Assets/(Liabilities)	-	-	-	-

(in Lakhs as at 31.03.2017)

Particulars	Euro	USD	Other Currency	Total
Cash and cash equivalent	-	-	-	-
Trade Receivables	-	-	-	-
Other Financial Assets	-	-	-	-
Trade Payables	184.50	43.31	-	227.81
Other Financial Liabilities	-	-	-	-
Net Assets/(Liabilities)	-	-	-	-

B) Credit Risk

Credit risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. The company is exposed to this risk for various financial instruments, for example by granting advances to employees, receivable from customers, security deposits etc. The maximum exposure to the credit risk at the reporting date is primarily from carrying amount of following types of financial assets:

- Cash and cash equivalents
- Trade receivables
- Other financial assets measured at amortized cost

The company continuously monitors defaults of customers and other counter parties, identified either individually or by the company, and incorporate this information into its credit risk controls. Where available at reasonable cost, external credit ratings and/or reports on customers and other counter parties are obtained and used.

a) Credit Risk Management

Cash and cash equivalent:

Credit risk related to cash and cash equivalents is managed by placing funds in schedule commercial banks which are subject to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India, and these banking relationships are reviewed on an ongoing basis.

Trade Receivables:

The company has outstanding trade receivables (gross) amounting to Rs.15,998.48 Lakhs and Rs. 3,983.40 lakhs of March 31, 2018 and March 31, 2017 respectively. Trade receivables are typically unsecured and are derived from revenue earned from customers.

Credit risks related to trade receivables are mitigated by taking security deposit from customers. The company closely monitors the credit worthiness of the debtors and only deals with creditworthy parties.

Other financial assets:

Other financial asset which includes loans and advances to employees and others are measured at amortized cost.

b) Expected Credit Losses

Company provides expected credit losses based on the following:

Trade receivables:

Trade receivables are impaired when recoverability is considered doubtful based on the recovery analysis performed by the company for individual trade receivables. The company considers that all the above financial assets that are not impaired and past due for each reporting dates under review are of good credit quality.

An analysis of age of trade receivables at each reporting date is summarized as follows:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31.03.2018		As at 31.03.2017		As at 31.03.2016	
	Gross	Impairment	Gross	Impairment	Gross	Impairment
Not past due	14,015.89		3,983.40			
Past due less than three months	--		--		--	
Past due more than three months but not more than six months	--		--		--	
Past due more than six months but not more than one year	1,982.59		--		--	
Past due more than one year but not more than three years	--		--		--	
More than three years	--		--		--	
Total	15,998.48		3,983.40			

Other Financial Assets measured at Amortized Loss:

Credit risks related to employee loans are considered negligible for which loan is granted to the employees. Credit risk related to these other financial assets is managed by monitoring the recoverability of such amounts continuously, while at the same time internal control system in place ensures that the amounts are within defined limits. There are no impairment provisions

as at each reporting date against these financial assets. We consider all the above financial assets as at the reporting dates to be of good credit quality.

C) Liquidity Risk:

Liquidity requirements of the company are monitored on the basis of monthly and yearly projections. The company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, revenue generated from operations, Long term loan from KfW & AFD, Interest free subordinate debt, share capital and grant.

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by maintaining adequate cash and cash equivalents. Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirements consist mainly of sundry creditors, expense payable, employee dues, current maturities of KfW and AFD loans and retention & deposits arising during the normal course of business as of each reporting date. We maintain a sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include KfW and AFD Loans, Interest free subordinate debt, Retentions & deposits and liabilities for Employee benefits.

The table below provides details regarding the contractual maturities of non-derivative financial liabilities. The table have been drawn up based on the cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the company may be required to pay. The table includes both principal & interest cash flows.

(₹ in Lakhs as at 31.03.2018)

Particulars	Less than 6 months	6 Months to 1 years	More than 1 year to 3 years	More than 3 years to 5 years	More than 5 years	Total
Borrowings (Note-16)	-	-	-	36,241.72	1,17,028.73	1,53,270.45
Other Financial Liabilities (Note-14)	17,873.30	143.60	255.70	251.87	-	18,524.47
Trade Payables	17,693.79	-	-	-	-	17,693.79
Grand Total	35,567.09	143.60	255.70	36,493.59	1,17,028.73	1,89,488.71

(₹ in Lakhs as at 31.03.2017)

Particulars	Less than 6 months	6 Months to 1 years	More than 1 year to 3 years	More than 3 years to 5 years	More than 5 years	Total
Borrowings (Note-16)	-	-	-	-	11,698.96	11,698.96
Other Financial Liabilities (Note-14)	29,391.16	641.68	95.43	17.16	-	30,145.43
Trade Payables	5,483.61	-	-	-	-	5,483.61
Grand Total	34,874.77	641.68	95.43	17.16	11,698.96	47,328.00

(₹ in Lakhs as at 31.03.2016)

Particulars	Less than 6 months	6 Months to 1 years	More than 1 year to 3 years	More than 3 years to 5 years	More than 5 years	Total
Borrowings (Note-16)	-	-	-	-	700.00	700.00
Other Financial Liabilities (Note-14)	80.42	-	-	-	-	80.42
Trade Payables	1,309.39	-	-	-	-	1,309.39
Grand Total	1,389.81	-	-	-	700.00	2,089.81

18. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard Ind AS- 108:"Operating Segment"

a. Business segment:

The operating segments used to present segment information are identified on the basis of internal reports used by the company's management to allocate resources to the segments and assess their performance. The company's principal business segments are External Projects and Consultancy.

b. Segment Revenue and Expense:

External Projects: Revenue is recognised by including eligible contractual items of expenditure plus proportionate departmental charges.

Consultancy: Revenue directly attributable to the segment including income from consultancy and sale of tender forms are considered.

Expenses directly attributable to the each segment and common expenses allocated on systematic basis are considered as segment expenses.

c. Segment Assets and Liabilities:

Segment assets include all operating assets in respective segments comprising of net fixed assets and current assets, loans and advances and capital work in progress, construction stores & advances. Segment liabilities include liabilities and provisions directly attributable to respective segment.

(₹ in Lakhs)

Particulars		External Projects		Consultancy		Other		Total	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
A	Segments Revenue								
	Operating income	12964.01	4482.23	274.50				13238.51	4482.23
	Other income					3608.69	828.98	3608.69	828.98
Less:	interest from bank deposit					1738.97	730.84	1738.97	730.84
	Total Revenue	12964.01	4482.23	274.50		1869.72	98.14	15108.23	4580.37
Less:	Employee benefits expense	235.45	9.08					235.45	9.08
	Operating & other exp.	12611.61	4388.45	274.5		3475.74	977.14	16361.85	5365.59
B	Segments Results (EBDT)	116.95	84.70			-1606.02	-879.00	-1489.07	-794.30
Less:	Depreciation					1561.47	226.33	1561.47	226.33
	Finance costs								
C	Profit Before Tax (PBT)	116.95	84.70			-3167.49	-1105.33	--3050.54	-1020.63
Add:	Interest from bank deposit					1738.97	730.84	1738.97	730.84
Add:	Deferred Tax Credit					-24853.75	124.67	-24853.75	124.67
	Net Profit	116.95	84.70			-26282.27	-249.82	-26165.32	-165.12
D	Other Information								
D.01	Segment Assets								
	Assets	15996.45	3983.40	274.50		534302.42	163387.70	550573.37	167371.10
	Total Assets	15996.45	3983.40	274.50		534302.42	163387.70	550573.37	167371.10
D.02	Segment Liabilities								
	Liabilities					442352.32	124257.69	442352.32	124257.69
	Total liabilities					442352.32	124257.69	442352.32	124257.69
D.03	Capital Expenditure								
	Net Addition to Fixed Assets					146505.70	24266.62	146505.70	24266.62
D.04	Revenue from Major Customers (Customers having 10% or more of entity revenue) NAHI	12504.80	4482.59					12504.80	4482.59



ANNUAL REPORT / 2017-2018



19. Previous year's figures have been regrouped/rearranged/reclassified, whenever necessary, to make them comparable to the current year's presentation.
20. Figures have been rounded to the nearest Lakhs of Rupees.

FOR JODH JOSHI & CO.
Chartered Accountants
FRN. 104317W

Yash K. Verma,
Partner
Membership No: 105954

Place: Nagpur
Date: 23.07.2018

Nitika Agrawal
Company Secretary

S. Sivamathan
Director (Finance)
(DIN 07534472)

Brijesh Dixit
Managing Director
(DIN 07065694)

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT



JODH JOSHI AND CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

To The Members of MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Report on the Ind AS Financial Statements

We have audited the Ind AS financial statements of **MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED** ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31st March 2018, statement of the profit and loss (including other comprehensive income), the statement of cash flows and the statements of changes in equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as "Ind AS financial statements").

Management's Responsibility for the Ind AS Financial Statement:

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting standard (Ind AS) specified under section 133 of the Act, read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, and other accounting principles generally accepted in India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on these Ind AS financial statements based on our audit. In conducting our audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and the matters which are required to be included in the audit report under the provision of the Act and rules made thereunder and the order issued under section 143(11) of the Act.

We have conducted our audit of Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those standards require that we comply with ethical requirements plan and perform the audit to obtain reasonable

assurance about whether the Ind AS financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS financial statements .

We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Ind AS financial statements.

Opinion:

In our opinion to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind AS finance statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India, of the state of affairs of the company as at 31 March 2018 and its loss and its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Other Matter:

As per Ind AS 16 - "Property, Plant & Equipment", the cost incurred on account of Rehabilitation & Resettlement (R&R) for the acquisition of "relevant part" of land required for the project is to be treated as the cost of land itself. Such expenses have been treated as part of CWIP in accordance with existing accounting policy followed by the company which is not in line with Ind AS 16-"Property, Plant & Equipment".

Report on other Legal and regulatory requirements:

- 1) As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure A, a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the order.
- 2) The Comptroller and Auditor General of India has issued directions indicating the areas to be examined in terms of sub-section (5) of section 143 of the Companies Act, 2013, the compliance of which is set out in Annexure -B.
- 3) As required by section 143(3) of the Act, we report that;
 - a) We have sought and obtain all the information and explanations, which, to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books.

- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income) and Statement of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of account.
- d) In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with relevant rules issued there under;
- e) According to the information and explanation given to us, the company is a government company. Therefore, provision of Section 164(2) of the act is not applicable pursuant to the Gazette Notification no. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Government of India.;
- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in "Annexure C";. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the company's internal financial controls over financial reporting.
- g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements.
 - The company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

**FOR JODH JOSHI AND CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM NO. 104317W)**

Date:- 23.07.2018

Place:-NAGPUR

**SD/-
CA YASH VERMA
(PARTNER)
(Mem No. – 105954)**

Annexure-A to the Independent Auditor's Report

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements section of our report of even date)

With reference to the Annexure referred to in the Independent Auditor's Report to the Members of **Maharashtra Metro Rail Corporation Limited** ('the Company') on the Financial Statements for the year ended 31st March 2018, we report the following:

- (i) a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of the property, plant and equipment.
b) The property, plant and equipment were physically verified by an external agency appointed by the management for this purpose, the physical verification was carried out in accordance with a regular programme of verification which in our opinion provides for physical verification of all property, plant and equipment at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
c) With respect to immovable properties acquired like land and buildings, according to the information and explanations given to us and the records examined by us and based on the examination of the registered sale deed/ transfer deed/ conveyance deed and other documents provided to us we report that , only in case of few parcels of land the title deeds are held in the name of the company as at the balance sheet date. (Refer point 1 of Annexure B)
- (ii) As per our examination of the financial statements of the company and on the basis of information and explanations provided to us, the company does not have any inventory as on 31st March 2018. Therefore, paragraph 3(ii) of the Order is not applicable to the Company.
- (iii) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not granted any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013. Accordingly, paragraph 3 (iii) of the order is not applicable to the company.
- (iv) The company has not granted any loans or provided any guarantees or securities to the parties covered u/s 185 of the Act. The company has complied with the provisions of section 186 of the Act with respect to loans and Investments. The company has not provided any guarantee or security to the parties covered u/s 186 of the Act.
- (v) According to the information and explanations given to us, the company has not accepted any deposit from the public in accordance with the provisions of sections 73 to 76 of the Act and the rules framed there under.
- (vi) The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 148 (1) of the Act, for any of the services rendered by the company.

(vii) In respect of statutory dues:

(a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, amounts deducted/accrued in the books of accounts in respect of undisputed statutory dues including Provident fund , income tax, sales tax, works contract tax, Goods and Services Tax, service tax, cess and other material statutory dues have been regularly deposited during the year by the company with the appropriate authorities.

In our opinion and according to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, Employees' Group Insurance, Income-tax , Sales tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Works contract tax, Cess, GST and other material statutory dues were in arrears as at 31st March 2018 for a period of more than six months from the date they become payable except in the case given below-

Nature of dues	Amount in lakhs	Period	Remarks
Service Tax	39.23	2017- 18	Dues paid on 26.06.2018

(b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of Income Tax, Sales Tax , Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Value Added Tax, Goods and Service Tax which have not been deposited with the appropriate authorities on account of any dispute.

(viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not defaulted in the repayment of loans or borrowings to government. The company does not have any debentures holders and loans from financial institutions & banks as at balance sheet date.

(ix) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or term loans during the year. Accordingly, the provisions of clause 3(ix) of the Order are not applicable to the company.

(x) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no material fraud by the company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit.

(xi) According to the information and explanations given to us, the company is a government company. Therefore provision of section 197 of the act is not applicable pursuant to the Gazette Notification no. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. Accordingly, provisions of clause 3(xi) of the Order arc not applicable to the Company.

- (xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company is not a Nidhi Company as prescribed under Section 406 of the Act. Accordingly, paragraph 3(xii) of the order is not applicable to the Company.
- (xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, all transactions with the related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of the Act, where applicable, and details of such related party transactions have been disclosed in the Ind AS financial statements as required by the applicable accounting standard.
- (xiv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, paragraph 3(xiv) of the Order is not applicable to the Company.
- (xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the company, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable to the Company.
- (xvi) According to the information and explanations given to us, the Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, paragraph 3(xvi) of the Order is not applicable to the Company.

**FOR JODH JOSHI AND CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM NO. 104317W)**

Date:- 23.07.2018

Place:-NAGPUR

SD/-

**CA YASH VERMA (PARTNER)
(Mem No. – 105954)**

Annexure-B to the Independent Auditor's Report

Report on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General under sub-section 5 of Section 143 of the Companies Act 2013 ("the Act")

- 1. Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold land respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available.**

Land parcels at various locations have been acquired from various Government agencies and private parties admeasuring 11,12,964.709 sq. mtrs. However, execution of title deeds of some land is still pending. The following is the detail regarding the area for which title deeds are not available:-

Particulars	Freehold Land (Sq. Mts.)	Leasehold Land (Sq. Mts.)	Total (Sq. Mts.)
Sale/Lease deed not executed. (Nagpur)	3,56,761.342	4,27,275.64	7,84,036.982
Sate/Lease deed not executed. (Pune)	1,59,664.00	1,56,155.00	3,15,819
Total	5,16,425.342	5,83,430.64	10,99,855.982

- 2. Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.**

As per the information and explanation given to us, the company has not written off any debts, loans, interest etc during the year.

- 3. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant(s) from Government or other authorities.**

As per the information and explanation given to us and the records examined by us, proper records (like collector's award letter, letter of holding of construction stores with 3rd party, etc.) are maintained.

**FOR JODH JOSHI AND CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM NO. 104317W)**

SD/-

**CA YASH VERMA (PARTNER)
(Mem No. – 105954)**

Date:- 23.07.2018

Place:-NAGPUR

Annexure - C to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 3 (f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the members of Maharashtra Metro Rail Corporation Limited of even date).

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Maharashtra Metro Rail Corporation Limited ("the Company") as of 31 March 2018 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an

understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2018, based on the internal control over financial



ANNUAL REPORT / 2017-2018



reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**FOR JODH JOSHI AND CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(FIRM NO. 104317W)**

Date:- 23.07.2018

Place:-NAGPUR

SD/-

**CA YASH VERMA (PARTNER)
(Mem No. – 105954)**

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of financial statements of Maharashtra Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23 July 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Maharashtra Metro Rail Corporation Limited for the year ended 31 March 2018 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to my comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

**SD/-
(Guljari Lal)
Director General of Commercial Audit and
ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai**

**Place : Mumbai
Date : 21st September 2018**

This page is intentionally left blank

fo"ki; & l iph

1.	निदेशक मंडल.....	1
2.	अध्यक्ष का अभिभाषण	2
3.	वर्ष 2017-18 में घटनाक्रम.....	4
4.	महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पुरस्कार.....	12
5.	निदेशक की रिपोर्ट.....	16
6.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2017-18.....	51
7.	कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट.....	54
8.	वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष 2017 -18	72
9.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां.....	76
10.	सांविधिक लेखा-परीक्षक रिपोर्ट.....	130
11.	भारत के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां.....	139

l kfof/kd ys[kk&i jh{k d
मैसर्स जोध जोशी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
नागपुर

l fpoh; ys[kk&i jh{k d
मैसर्स पराग दासरवार
कम्पनी सेक्रेटरीज
नागपुर

vkarfj d ys[kk&i jh{k d
मैसर्स इकबोटे देशमुख एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
नागपुर

dā uh l fpo
सुश्री नितिका अग्रवाल

i athkr dk; kly;
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड,
मेट्रो हाउस, 28/2, आनंद नगर,
सी. के. नायडु मार्ग, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001
दूरभाष : +91 0712-2554217
फैक्स: +91 0712-255300
वेबसाइट: www.metrorailnagpur.com
l hvkbl, u% U60100MH2015SGC262054

fun's kd eMy

Jh nqkz 'kadj feJk	अध्यक्ष, महा मेट्रो लिमिटेड एवं सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110 011
MkW c'ts'k nhf{kr	प्रबंध निदेशक, महा मेट्रो लिमिटेड, मेट्रो हाउस, 28/2, आनंद नगर, सी.के. नायडु मार्ग, सिविल लाइन्स, नागपुर – 440 001
Jherh Ökkatk f=i kBh	निदेशक, महा मेट्रो लिमिटेड एवं संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, (शहरी विकास), (आवासन, एवं शहरी कार्य मंत्रालय), निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110 011
Jh edn d'ekj fl Ugk	निदेशक, महा मेट्रो लिमिटेड एवं संयुक्त सचिव (शहरी विकास), (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय), निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110 011
Jh vouh'k i kMs	निदेशक, महा मेट्रो लिमिटेड एवं मुख्य अभियंता/निर्माण, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर – 440 001
Jh ukxI su <kds	निदेशक, महा मेट्रो लिमिटेड एवं निदेशक (आरएसई एवं ओएम) बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, शांतिनगर बैंगलोर – 560 027
Jh ;wih ,l enku	निदेशक, महा मेट्रो लिमिटेड एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई – 400 032
MkW fufru djhj	निदेशक, महा मेट्रो लिमिटेड एवं प्रधान सचिव (शहरी विकास-1), शहरी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई – 400 032
Jh l kJHk jko	निदेशक, महा मेट्रो लिमिटेड एवं नगरपालिका आयुक्त, पुणे नगर निगम, शिवाजी नगर, पुणे – 411 005
Jh ohjWæ çl g	निदेशक, महा मेट्रो लिमिटेड एवं नगरपालिका आयुक्त, नागपुर नगर निगम, सिविल लाइन्स, नागपुर – 440 001
Jh egs'k d'ekj	निदेशक (परियोजना), महा मेट्रो लिमिटेड, मेट्रो हाउस, 28/2, आनंद नगर, सी. के. नायडु मार्ग, सिविल लाइन्स, नागपुर – 440 001
Jh l qhy ekFkj	निदेशक (चल स्टॉक एवं सिस्टम्स), महा मेट्रो लिमिटेड, मेट्रो हाउस, 28/2, आनंद नगर, सी. के. नायडु मार्ग, सिविल लाइन्स, नागपुर – 440 001
Jh ,l - f'koekFku	निदेशक (वित्त)/सीएफओ, महा मेट्रो लिमिटेड, मेट्रो हाउस, 28/2, आनंद नगर, सी. के. नायडु मार्ग, सिविल लाइन्स, नागपुर – 440 001

v/; {k dk vfHkHkk" k. k



प्रिय शेयरधारकों,

महा मेट्रो की तीसरी आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यधिक खुशी हो रही है।

मुझे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी का कार्यनिष्पादन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को पहले ही आपको परिचालित कर दिया गया है। आपकी कंपनी ने दिनांक 01.04.2017 से वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक भारतीय लेखा मानक को अपनाया है।

वास्तव में यह हर्ष की बात है कि आपकी कंपनी ने प्राथमिकता वाले 5.4 किमी एट ग्रेड सेक्शन को 3 स्टेशनों (मिहान डिपो से एयरपोर्ट साउथ स्टेशन) के साथ 27 माह में ट्रायल रन चरण तक पहुंचा कर एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इसके लिए सी एम आर एस का प्राधिकार रिकार्ड 33 माह में दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गया। चूंकि यह छोटा एवं कम आबादी वाला सेक्शन है इसलिए इस सेक्शन में वाणिज्यिक परिचालन मार्च 2019 में सीताबुल्डी तक एलेवेटेड सेक्शन के साथ प्रारंभ होगा। तथापि, इस बीच नागपुर के प्रतीक्षारत नागरिकों के लिए शहरी परिवहन के इस नए साधन को शुरू करने के लिए "ज्वाय राइड" नामक कुछ राइड्स को आयोजित किया गया है। अब तक, 3000 से अधिक लोगों ने ज्वाय राइड्स का आनंद उठाया है और इसकी सराहना की है तथा उपयोगी सुझाव दिए हैं।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि नागपुर मेट्रो रेल परियोजना ने दिनांक 31 मार्च, 2018 तक 60.01 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 40.11 प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल कर ली है।

परियोजना को शीघ्र चालू करना, आपकी कंपनी द्वारा एल एवं टी मेट्रो रेल से पट्टा आधार पर चल स्टॉक के 2 रैक लिए जाने से संभव हो सका। इससे महा मेट्रो को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की नीति के अनुसार विभिन्न उपकरणों के मानकीकरण के लाभ को आगे बढ़ाने में भी सहायता मिली है।

आपकी कंपनी ने 14 एम डब्ल्यू पी सृजित करके ऊर्जा अपेक्षा का 65 प्रतिशत पूरा करने के लिए आरंभ से ही सौर ऊर्जा को एकीकृत करके एक अन्य बेंचमार्क स्थापित किया है और इससे यह "हरित मेट्रो" बन गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय हरित भवन परिषद (आई जी बी सी) ने प्राथमिकता वाले सेक्शन के तीन नए मेट्रो स्टेशनों अर्थात् एयरपोर्ट साउथ, न्यू एयरपोर्ट एवं खापरी के लिए महा मेट्रो नागपुर को प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की है। प्लेटिनम रेटिंग, आई जी बी सी हरित एम आर टी एस रेटिंग प्रणाली के अनुसार मेट्रो स्टेशनों के लिए प्रदान की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है।

मैं कई विशिष्ट एवं अभिनव पहलें किए जाने के आपकी कंपनी के प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ जिनके परिणामस्वरूप सिविल और प्रणाली अवसंरचना के डिजाइन का इष्टतम उपयोग हुआ है और उसे युक्तिसंगत बनाया जा सका है, 5 डायमेंशनल बिल्डिंग इन्फॉर्मेशनस मॉडलिंग (5 डी बी आई एम) प्रौद्योगिकी पर आधारित डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्लेटफॉर्म का सृजन हुआ है और इसे एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई आर पी) के साथ जोड़ा गया है जिससे समय, लागत और गुणवत्ता पर पूरा नियंत्रण प्राप्त हुआ है।

आपकी कंपनी ने नॉन-मोटराइज्ड परिवहन सुविधाओं में सुधार करने की पहलें की हैं और सभी मेट्रो स्टेशनों पर परिवहन के सभी मोड्स को जोड़ने की योजना बनाई है। मल्टीमोडल इन्टीग्रेशन से अनुमानित सवारियों की संख्या प्राप्त होगी, यात्रियों को निर्बाध एवं आरामदायक यात्रा का सुख मिलेगा और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार होगा।

यह उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार और महा मेट्रो वहनीय किराये के साथ दीर्घ काल में कैपिटल इन्टेंसिव मेट्रो रेल प्रणालियों को वित्तीय रूप से स्थायी बनाने में अग्रणी है। इस दृष्टि से, बेटरमेंट लेवी के रूप में स्टॉप शुल्क के रूप में 1 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज (दिनांक 31.03.2018 तक महाराष्ट्र सरकार द्वारा 85.61 करोड़ रु. संग्रह किए गए हैं), किराये से इतर स्रोत से राजस्व संग्रहण, नागपुर मेट्रो कॉरीडोर (टी ओ डी) पर ट्रांजिट ओरिएन्टेड विकास क्योंकि टी ओ डी अधिसूचना वाला नागपुर पहले शहरों में से एक है (दिनांक 31.03.2018 तक 3.08 करोड़ रु. की राशि अर्जित की गई है), लैंड वैल्यू कैप्चर, विज्ञापन, स्टेशन के नामकरण, ट्रेन रैप आदि के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए बाहरी परियोजना कार्यान्वित करके मेट्रो कॉरीडोरों पर संपत्ति विकास पर जोर दिया जा रहा है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक परिचालनों से पहले भी दिनांक 31.03.2018 तक किराये से इतर स्रोत से राजस्व के रूप में 91.87 करोड़ रु. अर्जित किए हैं।

आपकी कंपनी विशिष्ट निर्माण तरीकों को भी अपना रही है जिसमें मल्टीपल यूटिलिटीज एक ही राइट ऑफ वे को साझा करते हैं। इसमें कुल 8 किमी लंबाई के लिए स्टेशनों सहित मेट्रो कॉरीडोरों पर देश में पहली बार 3/4 स्तरीय परिवहन प्रणाली का निर्माण शामिल है। यहां एक राइट ऑफ वे को मल्टीपल यूटिलिटीज द्वारा साझा किया जा रहा है। इसने न केवल कम लागत एवं स्थान वाली संरचना सृजित की है बल्कि शहर की सुंदरता में भी वृद्धि की है।

पुणे में कंपनी की नई मेट्रो रेल परियोजना के लिए ए एफ डी फ्रांस एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ई आई बी) से ओ डी ए ऋण प्रदान किए जाने हेतु बातचीत अंतिम चरण में हैं। स्टेशनों और सेतुओं (वायडक्ट) पर सिविल कार्य रीच 1 (पी सी एम सी से रेंज हिल) तथा रीच 2 (वनाज से सिविल कोर्ट) में पूरे जोर शोर से चल रहा है तथा शेष कार्यों के लिए निविदाएं जारी की जा रही हैं। दिनांक 31 मार्च, 2018 तक परियोजना ने 15 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 14.08 प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल कर ली है।

मैं भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार, दोनों के विभिन्न विभागों, के एफ डब्ल्यू जर्मनी, ए एफ डी फ्रांस, नागपुर और पुणे के स्थानीय निकायों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संविदाकारों, कंपनी के परामर्शदाताओं तथा सभी स्तरों के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं नागपुर एवं पुणे के नागरिकों के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं जिनकी सहायता के बिना हमारी निरंतर प्रगति संभव नहीं होती।

मैं बोर्ड के साथी सदस्यों को भी कंपनी को नई ऊंचाई तक ले जाने में उनकी निरंतर सहायता और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

धन्यवाद,

ह/-

१/११/११ '११/११ ११/११

१/१/११

११/११/११ ११/११ ११/११ ११/११ ११/११

११/११/११ ११/११/११

११/११/११ ११/११/११

2017 & 18 का वार्षिक रिपोर्ट

महानगरीय परिवहन निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का सारांश



महानगरीय परिवहन निगम ने मेट्रो हाउस में अत्यधिक उत्साह के साथ 71वां स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया। प्रबंधक निदेशक ने तिरंगा झंडा फहराया। झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रीय गीत के गायन से पूरा परिवेश भक्ति से सराबोर हो गया।

महानगरीय परिवहन निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का सारांश



कार्य आरंभ होने के 115 दिनों के भीतर 7 अक्टूबर, 2017 को नासिक फाटा में महानगरीय परिवहन निगम द्वारा पहला स्तंभ खड़ा किया गया (पाया 298)।

महानगरीय परिवहन निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का सारांश



दिनांक 7 नवंबर, 2017 को राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी, पुलेला गोपीचंद, पारुपल्ली कश्यप और साई प्रनीथ ने नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के ग्रेड पर के कॉरीडोर का दौरा किया। बैडमिंटन के ये अंतरराष्ट्रीय सितारे महानगरीय परिवहन निगम द्वारा प्रयोजित किए जा रहे 82वें सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप के लिए नागपुर में थे।

पुलेला गोपीचंद, पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, जो इस समय भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच हैं, ने कहा कि महानगरीय परिवहन निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का सारांश

पी वी सिंधु ने निर्बाध यात्रा अनुभव के लिए महानगरीय परिवहन निगम के प्रयासों की प्रशंसा की तथा महानगरीय परिवहन निगम के लिए भविष्य में बड़ी सफलता की कामना की।

प्रबंध निदेशक ने रीच-I के लिए वल्लभ नगर तथा रीच-II के लिए पौद रोड, वनाज में 20 नवंबर 2017 को उद्घाटन किया गया। सहयोग केंद्र सप्ताह में सातों दिन 7 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे अपराह्न तक कार्य करता है।



प्रबंध निदेशक ने रीच-I के लिए वल्लभ नगर तथा रीच-II के लिए पौद रोड, वनाज में 20 नवंबर 2017 को उद्घाटन किया गया। सहयोग केंद्र सप्ताह में सातों दिन 7 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे अपराह्न तक कार्य करता है।

महा मेट्रो ने नागपुर के नागरिकों में स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने और लोगों को सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 26 नवंबर, 2017 को नागपुर मैराथन आयोजित किया। इस अवसर पर ओलंपिक पदक प्राप्त मैरी कॉम ने आकर शोभा बढ़ाई तथा प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित ने हरी झंडी दिखाई।



महा मेट्रो ने नागपुर के नागरिकों में स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने और लोगों को सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 26 नवंबर, 2017 को नागपुर मैराथन आयोजित किया। इस अवसर पर ओलंपिक पदक प्राप्त मैरी कॉम ने आकर शोभा बढ़ाई तथा प्रबंध निदेशक बृजेश दीक्षित ने हरी झंडी दिखाई।

चल रही परियोजना के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन के साथ त्वरित कार्रवाई दल (क्यू आर टी) को पुणे में दिनांक 27 नवंबर, 2017 को तैनात किया गया। त्वरित कर्रवाई दल में विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्मिक शामिल हैं जो किसी भी घटना/अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा सचेत और तैयार रहते हैं तथा पूरे रीच में नियमित रूप से गश्त लगाते हैं।



चल रही परियोजना के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन के साथ त्वरित कार्रवाई दल (क्यू आर टी) को पुणे में दिनांक 27 नवंबर, 2017 को तैनात किया गया। त्वरित कर्रवाई दल में विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्मिक शामिल हैं जो किसी भी घटना/अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा सचेत और तैयार रहते हैं तथा पूरे रीच में नियमित रूप से गश्त लगाते हैं।

मेट्रो कॉरीडोर पर प्रस्तावित विकास में भूमि डेवलपर्स तथा इस उद्योग के अन्य सभी हस्तियों को शामिल करने के उद्देश्य से महा मेट्रो ने नागपुर में दिनांक 8 दिसंबर, 2017 को निवेशकों की बैठक (इन्वेस्टर्स मीट) आयोजित की। पचास (50) से अधिक रियल एस्टेट डेवलपर्स और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने नागपुर में आयोजित रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर



मेट्रो कॉरीडोर पर प्रस्तावित विकास में भूमि डेवलपर्स तथा इस उद्योग के अन्य सभी हस्तियों को शामिल करने के उद्देश्य से महा मेट्रो ने नागपुर में दिनांक 8 दिसंबर, 2017 को निवेशकों की बैठक (इन्वेस्टर्स मीट) आयोजित की। पचास (50) से अधिक रियल एस्टेट डेवलपर्स और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने नागपुर में आयोजित रियल एस्टेट डेवलपमेंट पर

आयोजित एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया।

महा मेट्रो शहर के 6 प्रमुख स्थलों पर बड़े स्तर पर संपत्ति विकास का कार्य शुरू कर रहा है। ये 6 स्थल हैं – जीरो माइल, सीताबुल्डी, मिहान में मेट्रो सिटी, कॉटन मार्केट, कस्तूरचंद पार्क स्टेशन और रेलवे स्टेशन के निकट ओरेंज मार्केट (संतरा बाजार के रूप में लोकप्रिय)। इन क्षेत्रों में कुल 2,65,859 वर्गमीटर में निर्माण की योजना बनाई गई है।

वृक्षारोपण की शुरुआत



दिनांक 12 दिसंबर, 2017 को महा मेट्रो – पुणे द्वारा "वृक्षारोपण" किया गया। वैश्विक प्रौद्योगिकी आर्बोकल्चर का प्रयोग करके भारत में यह अपने प्रकार का पहला वृक्षारोपण है। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार लगभग 301 वृक्षारोपण किया गया और दोनों क्षेत्रों (रीच) में वृक्षों की शत-प्रतिशत उत्तरजीविता दर है।

यद्यपि यह प्रक्रिया 3-4 माह से अधिक चली है और वृक्षों को चिह्नित करने से लेकर वास्तविक रूप में वृक्षारोपण तक अत्यधिक ध्यान रखा गया है तथापि, उत्तरजीविता की सफल दरों की तुलना में यह प्रयास का भी प्रतिफल है।

रीच-1 के पहला सेगमेंट का शुभारंभ



पी सी एम सी से रेंज हिल क्षेत्र तक रीच -1 के पहला सेगमेंट का शुभारंभ खारलवाड़ी के निकट ग्राउन्ड लॉचिंग सिस्टम के माध्यम से पाया पी 348 से पी 349 के बीच दिनांक 14 दिसंबर 2017 को किया गया।

सिंगापूर में आयोजित कार्यशाला



टिमासेक फाउन्डेशन इन्टरनेशनल – सिंगापुर को-ऑपरेटर एन्टरप्राइजेज (टी एफ आई एवं एस सी ई) द्वारा पुणे में महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और पुणे नगर निगम के समन्वय से एक 3 दिवसीय कार्यशाला (10-12 जनवरी, 2018) आयोजित की गई।

इस अवसर पर पुणे में शहरी प्रबंधन (मल्टी मोडल परिवहन) कार्यक्रम पर क्षमता निर्माण

कार्यक्रम हेतु अनुदान करार पर हस्ताक्षर किए गए। टी एफ आई एवं एस सी ई, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पुणे नगर निगम के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर मल्टी मोडल इंटीग्रेशन के लिए डॉ. बृजेश दीक्षित, प्रबंध निदेशक, महा मेट्रो, सुश्री प्रेरणा देशभ्रतार, अपर नगरपालिका आयुक्त (विशेष) पी एम सी और श्री कांग वाई मून, सी ई ओ, एस सी ई द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

egk es/ks ukxig }kjk VV/k Vkoj dk 'kqkkj jk



महा मेट्रो नागपुर के पहले अत्याधुनिक संचार टावर का उद्घाटन खापरी मेट्रो स्टेशन पर 12 जनवरी को प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया। इस उद्घाटन के बाद महा मेट्रो नागपुर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है तथा वह अपनी परियोजना के लिए दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ गया है।

नागपुर मेट्रो के खापरी स्टेशन पर संस्थापित टावर से रेलगाड़ी परिचालक और केंद्रीकृत नियंत्रण, मार्ग में स्टेशन नियंत्रक तथा अनुरक्षण के बीच बेहतर संचार हो सकता है। इसका प्रयोग मेट्रो के सुरक्षित एवं भरोसेमंद परिचालन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को प्रमुख रूप से 'टेट्रा' (टेरेस्टेरियल ट्रंक रेडियो) के रूप में जाना जाता है तथा यह 'पुश टू टॉक' प्रणाली पर कार्य करता है।

इस प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पृष्ठभूमि ध्वनि को दबा देती है तथा केवल आवाज को पकड़ती है और इस प्रकार श्रवण संबंधी अत्यधिक समस्याओं में भी बातचीत में स्पष्टता सुनिश्चित करती है।

py LVKld &ukxig es/ks dk l h , e vkj , l }kjk fujh{k.k



मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सी एम आर एस) की एक 3 सदस्यीय टीम ने चल स्टॉक के निरीक्षण के लिए दिनांक 16 जनवरी, 2018 को महा मेट्रो नागपुर का दौरा किया। इस टीम ने ब्रेकिंग प्रणाली, आपात स्थिति के दौरान यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रणाली और यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित अन्य ऑन बोर्ड उपायों की जांच की। टीम ने रेलगाड़ी में रेलगाड़ी की विभिन्न विशेषताओं तथा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछताछ की और चल स्टॉक को विलयरेंस प्रमाण पत्र दिया।

i q ks es/ks j sy i fj ; kst uk es b/vkbch rFkk , , QMh eM; kadu fe'ku



एजेंस फ्रेंकाइस डी डेवलपमेंट (ए एफ डी) और यूरोपीय निवेश बैंक (ई आई बी) महा मेट्रो – पुणे के मूल्यांकन मिशन पर थे। दोनों वित्तपोषण एजेंसियों, ई आई बी एवं ए एफ डी ने अपने-अपने मूल्यांकन मिशन को पूरा किया तथा अगले दो माह में प्रत्येक के लिए क्रमशः ई आई बी 600 और ए एफ डी 245 मिलियन यूरो की अंतिम स्वीकृति के लिए संबंधित बोर्ड में भेजे जाएंगे।

पुणे मेट्रो परियोजना का वित्तीय समापन (क्लोजर) अंतिम रूप दिए जाने के निकट है और हमें विश्वास है कि हम अक्टूबर, 2018 तक दोनों वित्तपोषण एजेंसियों के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर कर देंगे।

१९ अक्टूबर 2018

महा मेट्रो पुणे की प्रथम वार्षिकी और साथ ही नागपुर मेट्रो तथा पुणे मेट्रो दोनों का महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निगमन की वार्षिकी के अवसर पर महा मेट्रो – पुणे द्वारा आयोजित पांच दिवसीय कार्यक्रम बहुत सफल रहा।

- १९ अक्टूबर 2018
- 20 अक्टूबर 2018
- 21 अक्टूबर 2018
- 22 अक्टूबर 2018
- 23 अक्टूबर 2018

१९ अक्टूबर 2018

मुथा नदी तट के 1.45 किमी लंबे क्षेत्र के लिए सफाई अभियान के साथ पांच दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया। महा मेट्रो के लगभग 250 अधिकारियों तथा जनरल कन्सल्टेंट्स (जी सी) कालेज के छात्रों, संविदाकार के कर्मचारियों ने पंचलेश्वर मंदिर से वृधेश्वर मंदिर तक 1.45 किमी के क्षेत्र में आयोजित सफाई अभियान में भाग लिया। इस अभियान में नदी तट में फेंके गए मुख्य रूप से प्लास्टिक सहित कूड़े को

एकत्र किया गया और इसमें कूड़े की 250 थैलियां भरी गईं। ई आई बी टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और महा मेट्रो टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। यह उल्लेखनीय है कि सफाई अभियान के दौरान, कॉलेज के कई छात्रों, पुणे के नागरिकों ने इसमें शामिल होकर इस सद्कार्य में योगदान दिया।



२० अक्टूबर 2018

दूसरे कार्यक्रम में पी एम सी एवं पी सी एम सी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में ड्राइंग एवं रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का विषय मेट्रो और पुणे शहर के बारे में था। लगभग 850 छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और महा मेट्रो, पुणे के अधिकारियों और विद्यालय के प्राधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेताओं का अभिवादन करने के लिए होटल साइट्स में अंतिम दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।



21 तुओज 2018 दस ओ रक्री ओ

तीसरा कार्यक्रम 'वसंतोत्सव' था, श्री वसंतराव देशपांडे की यादगारी में एक म्यूजिकल नाइट उत्सव शुरू किया गया। पूरे भारत के कई प्रसिद्ध कलाकारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रबंध निदेशक श्री बृजेश दीक्षित ने इस अवसर पर 10,000 दर्शकों के समक्ष आगामी महा मेट्रो, पुणे परियोजना को प्रस्तुत किया।



fnukd 23 तुओज 2018 दस i uy ppkz

श्रृंखलाबद्ध अगला कार्यक्रम प्रबंध निदेशक श्री बृजेश दीक्षित, शशिकांत लिमये और जीवन के सभी क्षेत्रों से विख्यात अन्य हस्तियों की उपस्थिति में दिनांक 23 जनवरी, 2018 को पेनल चर्चा आयोजित की गई। चर्चा का विषय था **eS/kekj QkfI I vkIQ n fl Vh Fk eS/ks j y**। पेनलिस्ट की भागीदारी तथा नागरिकों की सहभागिता प्रशंसनीय एवं सराहनीय थी।



egk eS/ks i q ks dh i gyh okf"kdh i j cS nkj k

पांचवें दिन समारोह का समापन होटल साइट्स, पिंपरी में हुआ जिसमें दोनों रीच के लिए सुबह से मीडिया का दौरा हुआ तथा दोपहर बाद प्रेस कांफ्रेंस एवं पुरस्कार वितरण हुआ।



eS/ks gkml j ukxi j eS x.kra= fnol I ekj kg



मेट्रो हाउस में गणतंत्र दिवस 2018 आयोजित किया गया। प्रबंध निदेशक ने नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के अधिकारियों, स्टाफ और जनरल कंसल्टेंट्स की उपस्थिति में राष्ट्रीय झंडा फहराया। मेट्रो हाउस के सुंदर ढंग से सजे प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

उत्प्रेषण एवं प्रकल्प 2 की पहली चरण & लक्ष्यगत मूल्यांकन



नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए चरण 2 डी पी आर को राइट्स द्वारा तैयार किया गया है। प्रस्तावित चरण 48.3 किमी में फैला होगा जिसमें 35 स्टेशन होंगे तथा यह नागपुर के ग्रामीण इलाके में परिवहन कनेक्टिविटी सुविधाओं को मजबूती प्रदान करेगा। चरण 2 के लिए चिह्नित कॉरीडोर है, ऑटोमोटिव स्क्वायर से कनहन, मिहान से बूटीबोरी एम आई डी सी ई एस आर, प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर, लोकमान्य नगर से हिंगना तथा वासुदेव नगर से दत्तावाड़ी।

एक उत्प्रेषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया



Safety Week



Helpline No: 18002700557

f /metrorailnagpur @metrorailnagpur www.metrorailnagpur.com

महा मेट्रो नागपुर में 4 और 10 मार्च के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजित किया गया। यह सप्ताह आकूपेशनल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित

किया जाता है। सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की शुरुआत करते हुए, सुरक्षा शपथ दिलायी गई। कार्यक्रम के भाग के रूप में सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश (मन की बात) को यहां उपस्थित लोगों के लिए प्रसारित किया गया। सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजना स्थलों में इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम यथा, जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, सुरक्षा प्रहसन (स्किट) की योजना बनाई गई।

रैलवे सुरक्षा सप्ताह का आयोजन



महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिनांक 17 फरवरी, 2018 को अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया। 'महा मेट्रो अपग्रेडिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ नागपुर' विषय पर एक पेनल चर्चा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नंदाताई जिचकार (नागपुर की महापौर), श्री अश्विन मुदगल (एन एम सी आयुक्त) तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई। इस अवसर पर, मेट्रो मित्र ने 'यंग जनरेशन परसेप्शन ऑफ मेट्रो', 'हाउ मेट्रो इज बेनिफिशियल टू वर्किंग वूमन' आदि जैसे विषयों पर प्रस्तुति दी।

lkyk Tok; j kbM

दिनांक 22 फरवरी, 2018, नागपुर के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ जब पहला ज्वाय राइड आयोजित किया गया। यह विशेषकर सुविधा वंचित बच्चों के लिए आयोजित किया गया। आरंभिक ज्वाय राइड के बाद नागपुर और उसके आसपास के शहरों के समाज के विभिन्न वर्गों यथा, वरिष्ठ नागरिकों, भिन्न रूप से सक्षम बच्चों, ओल्ड एज होम के निवासियों, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों, स्कूली बच्चों, विभिन्न गैर-अधिकारीक संगठनों और सामाजिक संगठनों, विभिन्न पेशेवर समूहों, मीडिया हाउस, बॉलीवुड की हस्तियों तथा राजनीतिज्ञों के लिए कई अन्य ज्वाय राइड आयोजित किए गए हैं।



18002700557



[/metrorailnagpur](https://www.facebook.com/metrorailnagpur) [@metrorailnagpur](https://twitter.com/metrorailnagpur) www.metrorailnagpur.com

एगरोइ व कल मि यफ/क; क; वकस; इ ग लकज

एगरोइ व कल मि यफ/क; क;

1. उकखि ग एव/स & वक; य जु क्यस वकड रफक एग दकड दक 'कककक' क

महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, श्री देवेन्द्र फडनवीस और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन एवं जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने दिनांक 30 सितंबर, 2017 के शुभ अवसर पर मिहान डिपो से एयरपोर्ट साउथ स्टेशन तक नागपुर मेट्रो के 5.4 किमी ग्रेड सेक्शन (प्राथमिकता वाले सेक्शन) के सरकारी ट्रायल रन को झंडी दिखाई।

माननीय मुख्यमंत्री, श्री देवेन्द्र फडनवीस ने 27 माह में नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिकता वाले सेक्शन को पूरा करने के लिए महा मेट्रो टीम को बधाई दी। इतने कम समय में इस चरण तक कार्य पूरा करने वाले यह सर्वाधिक तेज गति वाले मेट्रो में से एक है और मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस परियोजना से ओरेंज सिटी को आर्थिक प्रगति की दिशा में नई ऊंचाई तक पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही, इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य ने "महा कार्ड" का शुभारंभ किया, जो शहर के लिए अगली पीढ़ी का कॉमन मोबिलिटी कार्ड है।

2. उकखि ग एव/स py लकड दक इ ह, ए वक, इ }कक फुज ह{क.क

मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सी एम आर एस) की एक तीन सदस्यीय टीम ने चल स्टॉक निरीक्षण के लिए 16 जनवरी, 2018 को महा मेट्रो नागपुर परियोजना का दौरा किया। टीम ने ब्रेक प्रणाली, आपात स्थितियों के दौरान यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने संबंधी प्रणाली और यात्री सुरक्षा से संबंधित अन्य ऑन-बोर्ड उपायों की जांच की। टीम ने रेलगाड़ी के विभिन्न रेलगाड़ी विशेषताओं एवं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी पूछताछ की तथा चल स्टॉक को क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रदान किया।

3. 5-4 फदेह, व&xM इ ड'कु दस फु, इ ह, ए वक, इ दक कक/ककज

5.4 किमी एट-ग्रेड प्राथमिकता वाले सेक्शन का अंतिम निरीक्षण दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को किया गया जिसमें नागपुर मेट्रो को क्लियरेंस प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ जिसमें प्रणाली की सुरक्षा एवं सक्षमता को प्रमाणित किया गया और एयरपोर्ट साउथ एवं खापरी मेट्रो स्टेशनों के बीच बहुप्रतीक्षित ज्वाय राइड के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। महा मेट्रो नागपुर केवल 33 माह में इसे हासिल करने में सक्षम रहा।

4- आई जी बी सी ने प्राथमिकता वाले सेक्शन के तीन मेट्रो स्टेशनों अर्थात साउथ एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट और खापरी के लिए नागपुर मेट्रो रेल परियोजना को प्लेटिनम रेटिंग से पुरस्कृत किया है। प्लेटिनम रेटिंग, आई जी बी सी ग्रीन एम आर टी एस रेटिंग प्रणाली के अनुसार पुरस्कृत किए जाने वाले मेट्रो स्टेशनों के लिए सबसे बड़ी रेटिंग है।

यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मान्यता देती है कि महा मेट्रो नागपुर का कार्यान्वित डिजाइन दक्ष एवं स्थायी हैं। इस समय देश में सरकारी या निजी क्षेत्र में कोई दूसरा संगठन नहीं है जो परियोजना को स्थायित्व की पहलुओं पर आंकता हो। आई जी बी सी लाभ कमाने वाला संगठन नहीं है तथा आई जी बी सी रेटिंग प्रोग्राम में भागीदारी परियोजना प्रस्तावकों के लिए स्वैच्छिक है। ऐसे परिदृश्य में यह महा मेट्रो के लिए सराहनीय है कि आई जी बी सी रेटिंग के लिए डिजाइन एवं अन्य प्रशासनिक अपेक्षाएं इस परियोजना पर कार्य कर रहे सिविल संविदा करारों में ही निहित हैं।

इस पहल के परिणामस्वरूप, पर्याप्त जल (सामान्य परिदृश्य में व्यवसाय पर 30 प्रतिशत से अधिक बचत) तथा ऊर्जा बचत (15 प्रतिशत से अधिक) होगी तथा और अधिक आराम एवं सुविधा शहर की संस्कृति, विरासत एवं परंपराओं के बारे में जानकारी प्रदान करके यात्री के यात्रा अनुभव को सुखद बनाया जाएगा।

5- महाराष्ट्र सरकार ने अपनी दिनांक 11 जून, 2018 की अधिसूचना सं. टी पी एस-2417/183/ सीआर-172/2017/यूडी-09 के तहत महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (महा मेट्रो) को नागपुर मेट्रो रेल एलायनमेंट पर महा मेट्रो के स्थायित्व वाले क्षेत्रों के लिए "विशेष योजना प्राधिकरण" के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी दिनांक 11 जून, 2018 की अधिसूचना सं. टी पी एस-2417/183/ सीआर-172/2017/यूडी-09 के तहत महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (महा मेट्रो) को नागपुर मेट्रो रेल एलायनमेंट पर महा मेट्रो के स्थायित्व वाले क्षेत्रों के लिए "विशेष योजना प्राधिकरण" के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

egRoI w kZ i j Ldkj

100ka vclU ekfcfYVh bfM; k dklWYd & cLV , DtfcVj



10वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2017 और XVII सी ओ डी ए टी यू कॉन्फ्रेंस 4-6 नवंबर, 2017 तक हैदराबाद में आयोजित किया गया। इस वर्ष महा मेट्रो ने अन्य सभी भाग लेने वाले मेट्रो में बेस्ट एक्जटिहिटर का पुरस्कार जीता। महा मेट्रो ने डबल डेकर स्ट्रक्चर, 5 डी बी आई एम, मल्टीमोडल इंटीग्रेशन और मोबाइक एवं इसपूरो को प्रदर्शित करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदर्शित की।

70ka okf"kd eVks jsy bfM; k l Eesyu 2018 & l okf/kd çxfr' khy eVks jsy i fj ; kstuk



7वां वार्षिक मेट्रो रेल इंडिया सम्मेलन आई टी पी मीडिया (इंडिया) तथा कन्स्ट्रक्शन वीक मैगजीन द्वारा आयोजित किया गया। महा मेट्रो नागपुर को इसके द्वारा कार्यान्वित विभिन्न अभिनव विशेषताओं के कारण 'सर्वाधिक प्रगतिशील मेट्रो रेल प्रोजेक्ट' के रूप में सम्मानित किया गया।

egk eS/k s dks , l , i h , l h bZ i g Ldkj



महा मेट्रो को प्रतिष्ठित एस ए पी ए सी ई पुरस्कार प्रदान किया गया है। नागपुर मेट्रो को यह पुरस्कार 5 डी बी आई एम के क्षेत्र में उसके अग्रणी कार्य के लिए दिया गया है। महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक, डॉ. बृजेश दीक्षित तथा निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणाली), श्री सुनील माथुर ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। कुल मिलाकर 80 सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों ने इस पुरस्कार के लिए आवेदन किया था और महा मेट्रो नागपुर इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले गौरवान्वित प्राप्तकर्ता में से एक है।

fun's kd dh fj i k&Z

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

çeq[k ckr

- आपकी कंपनी ने रिकॉर्ड 27 माह में 3 स्टेशनों सहित प्राथमिकता वाले 5.4 किमी एट-ग्रेड सेक्शन (नागपुर मेट्रो के मिहान डिपो से एयरपोर्ट साउथ स्टेशन तक) को ट्रायल रन तक पहुंचाकर एक बेंचमार्क स्थापित किया है।
- इसके लिए सी एम आर एस का प्राधिकार रिकॉर्ड 33 माह में दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हुआ।
- नागपुर के प्रतीक्षारत नागरिकों को शहरी परिवहन के इस नए साधनों से अवगत कराने के लिए 'ज्वाय राइड्स' आयोजित किए गए हैं। अब तक 3000 से अधिक लोगों ने ज्वाय राइड्स का आनंद उठाया है और इसकी सराहना की है तथा उपयोगी सुझाव दिए हैं।
- परियोजना का शीघ्र चालू होना एल एंड टी मेट्रो रेल, हैदराबाद से पट्टा आधार पर चल स्टॉक के 2 रैक प्राप्त करने से संभव हुआ जो आपकी कंपनी की उल्लेखनीय उपलब्धि है।
- महाराष्ट्र सरकार ने आपकी कंपनी को नागपुर मेट्रो रेल एलायनमेंट पर महा मेट्रो की स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए "विशेष योजना प्राधिकरण" नियुक्त किया है। इससे आपकी कंपनी मेट्रो एलायनमेंट पर आगामी वाणिज्यिक/आवासीय संरचनाओं के लिए अपने विनियम बना सकेगी।

1- ukxi g eS/k s jsy i fj ; kstuk%


दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार परियोजना की प्रगति की स्थिति निम्नवत है :

Hkkf rd çxfr % 60.01%

वित्तीय çxfr % 40.11%

Hkife vf/kxg.k % 91.78%

jhp&okj çxfr %




fMi ks ¼2 ua% % डिपो के लिए डी डी सी 80.05 प्रतिशत और निर्माण 42.47 प्रतिशत पूरा गया है।

2- i q ks es/ks jsy i fj ; kst uk%

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार परियोजना की प्रगति की स्थिति निम्नलिखित है :

हक्कंरद ङ्ख्र	%	15.00%
वित्तीय ङ्ख्र	%	14.08%
हक्के व्/कख्ग.क	%	85.00%

jhp&okj ङ्ख्र



सिविल कार्य/सेतु स्टेशन

- jhp&3% निविदा प्रक्रिया चल रही है।
- jhp&4% निविदा दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं और निविदाएं आमंत्रित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) के लिए वित्तपोषण एजेंसी को भेजे गए।
- fMi ks ¼2¼% डिपो के लिए डी डी सी 19% है।

3- vki dh dā uh }kj k dk; kflor vfHkuo , oa fof' k"V fo' k's'krk, %

- igyh ckj d"kl k ds fy, Åtkl l fgr vl; Åtkl vi\$kk ds 65 ङ्ख्र'kr dks i jk djus ds fy, vkjHk l s gh l kj Åtkl dk , dhj.k] ftl l s ; g **gfjr es/ks** cu x; k gA

14 एम डब्ल्यू पी सौर ऊर्जा संस्थापित की जा रही है जिसे भविष्य में 25 एम डब्ल्यू पी में उन्नत किया जाएगा। सभी स्टेशन की छतों, डिपो चहारदिवारियों, डिपो शेड की छतों तथा खाली स्थानों पर सोलर पी वी चैनल "ग्रिड कनेक्टेड" "नेट मीटर्ड" को आर ई एस सी ओ मॉडल के तहत लगाया जाएगा। आर ई एस सी ओ मॉडल के अंतर्गत महा मेट्रो 9.53 रु. प्रति यूनिट की एम एस ई डी सी एल दर के मुकाबले 3.5 रु. प्रति यूनिट की लागत की बचत होगी। इसके परिणामस्वरूप मेट्रो की परिचालन लागत में कमी आएगी।



- ii. vc rd igyh ckj 5 Mk; eđ kuy & fcfYMax bUQkLbZ kuy ekMfyax ¼5&Mh ch vkbZ , e½ cks| kfxdh & pkj cęq[k l kWD-Vos j ¼cVys| vkj Dy] , l , i h rFkk vkj vkbZ ch½ dks fo'ks'k : lk l s tkMđj l e;] ykxr , oa xq koRrk ij Bksl fu; ã. k½ dk c; ksx dj ds cHkkoh ij; kstuk cca'ku

आपकी कंपनी 5 डायमेंशनल बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग (5 डीबीआईएम) को अपनाने तथा इसे 'एक परियोजना एक प्लेटफॉर्म' सृजित करने के लिए ई आर पी से जोड़ने और इस प्रकार अपने परियोजना प्रबंधन प्लेटफॉर्म को स्वचालित बनाने में अग्रणी है। इससे कंपनी लागत एवं समय में वृद्धि की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकती है और परियोजना की विश्वस्तरीय गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित कर सकती है।



- iii. vfHkuo , oa u; k fMtkbu rFkk fuekZ k rkj & rjhds , oa dk; Ÿhfr; k%
fl foy cfu; knh <kpk%

- सेतु (वायडक्ट) की चौड़ाई को 10.3 मीटर से 8.5 मीटर तक इष्टतम किया गया।
- भूमि के लिए राइट ऑफ वे को 20 मीटर से 18 मीटर तक युक्तिसंगत बनाया गया जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित भूमि के 10 प्रतिशत क्षेत्र की अनुमानित बचत हुई।
- सेतुओं (वायडक्ट) का निर्माण स्टेशनों से स्वतंत्र है। सेतुओं का डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि इससे कुछ कार्यशील स्टेशनों के साथ संपूर्ण लीनीवेन को चालू किया जा सकता है।
- स्टेशन प्लेटफॉर्म की लंबाई को 3 कोच विन्यास (कॉन्फिगरेशन) के लिए 140 मी से युक्तिसंगत बनाकर 75 मीटर किया गया। भविष्य में विस्तार की गुंजाइश भी उपलब्ध है।

fMi k%

- डिपो में अनुरक्षण शेड: आकार को युक्तिसंगत बनाकर आधा कर दिया गया है।
- स्टेबलिंग लाइन्स: डिपो में ट्रेनों का अनुरक्षण तीन दिन में एक बार किया जाना होता है। केवल अनुरक्षण की आवश्यकता वाली ट्रेनों (एक तिहाई) को डिपो में स्टेबल किए जाने की आवश्यकता है और शेष ट्रेनों (दो तिहाई) को टर्मिनल स्टेशनों पर स्टेबल किया जाना होता है।
- स्टेबलिंग लाइन्स के लिए छत को कवर करने की आवश्यकता नहीं।
- डिपो की कुल ट्रैक लंबाई 10 किमी. से कम करके 8 किमी. की गई।
- निरीक्षण बे लाइनों की लंबाई 166 मी. से कम करके 80 मी. की गई।
- मरम्मत बे लाइनों की लंबाई 166 मी. से कम करके 80 मी. की गई।
- ओईएम की एएमसी में शामिल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत के लिए जिग्स तथा फिक्सचर्स की खरीद की आवश्यकता नहीं।
- दो डिपो में से केवल एक डिपो में बड़ी मरम्मत शॉप।

दृश्य

- ट्रेक्शन सब-स्टेशन की संख्या चार से घटा कर दो करना।
- ओएचई को सपोर्ट देने के लिए सॉलिड सेक्शन वर्टिकल मास के बजाय होलो ट्यूबुलर पोर्टल



लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए रिजेनरेटिव वीवीवीएफ ड्राइव जिससे 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है।

- स्टेशनों पर सब मास्टर क्लॉक और इनके सर्वर को हटाना।
- ओसीसी में टेलीकोम सबसिस्टम सर्वर का वर्चुएलाइजेशन जिससे हार्डवेयर का इष्टतम उपयोग होता है।
- टेलीकोम प्रणाली के डिजाइन में 48 वोल्ट की डीसी आपूर्ति समाप्त करना।
- सिगनलिंग रूम को बिना इंटरलॉकिंग वाले स्टेशन से हटाना।

लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए रिजेनरेटिव वीवीवीएफ ड्राइव जिससे 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है।

- लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए रिजेनरेटिव वीवीवीएफ ड्राइव जिससे 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होती है।
- पूरी मेट्रो प्रणाली में एक समान आधार पर केवल एलईडी लाइटिंग।

भारत में पहली बार ग्रेड 1080 के लिए 25 मी. लंबी रेल (एचएच रेल) का प्रापण किया गया जिससे वेल्ड किए जाने वाले जोड़ की कुल संख्या कम हो गई है। इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा, यात्रा में आराम, रख-रखाव बेहतर हुआ है तथा समग्र लागत में कमी आई है।

भारत में पहली बार ग्रेड 1080 के लिए 25 मी. लंबी रेल (एचएच रेल) का प्रापण किया गया जिससे वेल्ड किए जाने वाले जोड़ की कुल संख्या कम हो गई है। इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा, यात्रा में आराम, रख-रखाव बेहतर हुआ है तथा समग्र लागत में कमी आई है।



iv. सर्वत्र भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में कंसोर्टियम को बी ओ टी मॉडल पर स्वचालित किराया संग्रहण संविदा प्रदान की गई।

260 करोड़ रु. की पूरी अप्रॉक़िमाट पंजी लागत का वहन कंसोर्टियम द्वारा किया जाना।

- मैसर्स ऑरियन प्रो एंड मैसर्स एस सी सॉफ्ट सहित मैसर्स भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में कंसोर्टियम को बी ओ टी मॉडल पर स्वचालित किराया संग्रहण संविदा प्रदान की गई।
- 260 करोड़ रु. की पूरी अप्रॉक़िमाट पंजी लागत का वहन कंसोर्टियम द्वारा किया जाना।
- 10 वर्षों के लिए रख-रखाव लागत कंसोर्टियम द्वारा वहन किया जाना।



- कंसोर्टियम महा मेट्रो को 30 करोड़ रु. की रॉयल्टी का भुगतान करेगा। 2.30 करोड़ रु. का भुगतान किया जा चुका है।
- कंसोर्टियम को नागपुर मेट्रो को किराये से प्राप्त होने वाले राजस्व में 4 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
- महा मेट्रो कार्ड के नॉन-ट्रांजिट प्रयोग की ट्रांजेक्शन लागत पर 25 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
- कंसोर्टियम को मेट्रो एवं बस यात्रियों के लिए जारी करने का अनन्य अधिकार होगा।

egk dkmZ dk rduhdh C; kSj k%

- महा कार्ड एक डूवेल इन्टरफेस कार्ड है अर्थात चिप आधारित कन्टेक्ट और ई वी एम आधारित कन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड।
- महा कार्ड का प्रयोग महा मेट्रो, फीडर बसों, पार्किंग, रिटेल कारोबार, यूटिलिटी भुगतान आदि में ट्रांजिट प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।
- महा कार्ड को मेट्रो स्टेशनों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में जारी किया जा सकता है।



v. py LVkMb dk l okf/kd fdQk; rh eM; i j çki .k

- पात्रता संबंधी मानदंड को उदार किया गया जिससे प्रतियोगी बोली होती है और प्रति कोच न्यूनतम दर प्राप्त होती है।
- भारत में पहली बार कंपनी ने 2 कार विन्यास (कॉन्फिगरेशन), 25 के वी एसी ट्रेक्सन तथा 16 टी एक्सल लोड (66.67 प्रतिशत पावरिंग) के साथ विशिष्ट डिजाइन को अपनाया है।
- विशिष्ट एन्टेरियर –प्लग टाइप बाय-पार्टिंग डोर्स, बेहतर दृष्टि के लिए चौड़ी खिड़कियां, चौड़े गैंगवे और इसेन्ट्रिक इमरजेंसी इवेकुएशन डोर।
- 70 किमी प्रति घंटे से 10 किमी प्रति घंटे तक केवल रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के प्रयोग से रेलगाड़ी की विशिष्ट ऊर्जा खपत (एस ई एस) को बेहतर करने में मदद मिली है।

vi. fdjk; s l s brj&l ks l s jktLo

यह उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार और महा मेट्रो कैपिटल-इन्वेंसिव मेट्रो रेल प्रणाली को दीर्घ काल में वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने में अग्रणी रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किराया संरचना आम जनता के लिए वहनीय हो। इसे पूरा करने में निम्नलिखित साधनों के माध्यम से किराये से इतर स्रोतों से राजस्व अर्जित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

- बेटरमेंट ड्यूटी के रूप में स्टॉप शुल्क के रूप में 1 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज—महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक 85.61 करोड़ रु. संग्रह कर लिए गए हैं। इस शीर्ष से भविष्य में होने वाली आय सहित उक्त राशि को रिवेन्यू ओपनिंग डेट (आर ओ डी) से महा मेट्रो को जाएगी।
- नागपुर मेट्रो कॉरीडोर पर ट्रांजिट उन्मुख विकास, नागपुर टी ओ डी अधिसूचना वाले शहरों में से एक है। दिनांक 31.03.2018 तक 3.08 करोड़ रु. आपकी कंपनी द्वारा अर्जित किए गए हैं।
- लैंड वैल्यू कैप्चर के माध्यम से मेट्रो कॉरीडोरों पर संपत्ति विकास।
- विज्ञापन, स्टेशन का नामकरण, ट्रेन रैप आदि।
- अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए बाहरी परियोजना का कार्यान्वयन।
- उपर्युक्त अभिनव वित्तपोषण के कारण, महा मेट्रो न केवल अपनी ओ एवं एम लागत को कम करने में समर्थ रहा है बल्कि स्वयं ही प्रवासी विकास सहायता (ओडीए) की सर्विस करने में भी सक्षम रहा है।

vii. I eku jkbV vkiQ os dks I k>k djrs gq eYVhi y ; fVfyVht % fof'k"V fMtkbu vkj fuekZ k rkj & rj hds %

- महा मेट्रो विशिष्ट डिजाइन का प्रयोग करके वर्धा—कान्टी रोड पर मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रासिंग, मेट्रो स्टेशनों सहित 8 किमी 3/4 स्तरीय सुपर स्ट्रक्चर को कार्यान्वित कर रहा है जिससे शहर की सुंदरता बढ़ रही है।
- यह 4—स्तरीय परिवहन प्रणाली साझा पाया तथा निम्नलिखित द्वारा साझा किए जा रहे राइट ऑफ वे पर सभी सुविधाओं को एकीकृत करके एक लागत—दक्ष संरचना है :
 - भू—स्तर पर मौजूदा सड़क
 - प्रथम स्तर पर मौजूदा रेलवे लाइन
 - द्वितीय स्तर पर मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग
 - तृतीय स्तर पर मेट्रो कॉरीडोर
- यह बहुत ही कम लागत और स्थान वाली संरचना है क्योंकि राइट ऑफ वे को चार द्वारा साझा किया जा रहा है।
- सभी सुविधाएं साझा पाया पर एकीकृत हैं।
- निर्माण के लिए रिब और स्पाइन डिजाइन का प्रयोग किया गया है।
- लागत बचतों में वृद्धि के लिए, आपकी कंपनी किए गए कार्य के लिए एन एच ए आई से पर्यवेक्षण/प्रशासनिक शुल्क के रूप में 3 प्रतिशत अर्जित करेगी।

viii. bVyh ds eS I L C; jks ofj Vkl ds varj k'Vh; I g; ksx I s vR; k/kfud vYVk ekMuZ I kexh I j h{k. k c; ksx' kkykvka dh LFkki uk%

आपकी कंपनी ने निर्माण कार्यों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ब्यूरो वेरिटास (परीक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन में ग्लोबल लीडर) के साथ एक सुसज्जित अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है। इस सुविधा का उपयोग महा मेट्रो के स्टाफ तथा संविदाकारों और परामर्शदाताओं में तकनीकी ज्ञान का प्रसार करने के लिए प्रशिक्षण प्रयोजन हेतु भी किया जाता है। यह सुविधा नागपुर और मध्य भारत स्थित अन्य

सरकारी एजेंसियों को भी परीक्षण सेवाएं प्रदान करेगी। ब्यूरो वेरिटास अपने राजस्व का हिस्सा आपकी कंपनी के साथ साझा कर रहा है।

ix. **। ढरृ ढक; MDV½ ds fy, ङHkkoh vkj ½ | xeMŸy ckDI xMŸj %**

नागपुर मेट्रो रेल परियोजना में प्रयोग किए जा रहे सेगमेंटल बाक्स गर्डरों की शीर्ष की चौड़ाई 8.5 मीटर (नॉन ओ एच ई अवस्थानों पर) तथा 9.52 मीटर (ओ एच ई अवस्थानों पर) है जबकि अन्य मेट्रो परियोजनाओं में प्रयुक्त पारंपरिक बाक्स गर्डरों की शीर्ष चौड़ाई 9.91 मी. (नॉन ओ एच ई अवस्थानों पर) तथा 10.7 मीटर (ओ एच ई अवस्थानों पर) है। यह 'साइड इवेक्यूशन' के बजाए 'फ्रंट एवं रीयर इवेक्यूशन' को अपनाने से संभव हुआ है तथा इस प्रकार वायडक्ट के दोनों ओर वाकवे की आवश्यकता नहीं रहती है। पारापेट्स को अभिन्न रूप से बाक्स सेगमेंट के साथ कास्ट किया गया है और पारापेट की ऊंचाई को भी कम करके 700 एम एम किया गया है। इन विशिष्ट विशेषताओं को अपनाने से निम्नलिखित फायदे हुए हैं :

- गर्डर का वजन कम हुआ है क्योंकि गर्डर की चौड़ाई को साइड वाकवे के नहीं होने से कम कर दिया गया है।
- साइड वाकवे के नहीं होने से सुपर स्ट्रक्चर पर सुपरइम्पोज्ड डेड लोड (एस आई डी एल) कम हुआ। इस प्रकार काफी लोड कम हुआ जिसे सर्विस के दौरान सब स्ट्रक्चर को अंतरित किया जाना होता है।
- प्रिकास्ट पारापेट्स को खड़ा करने से बचा जाता है क्योंकि पारापेट को अभिन्न रूप से बाक्स गर्डर सेगमेंट के साथ कास्ट किया जाता है।
- उच्चतर स्तर पर बाक्स गर्डर के साथ पारापेट की स्टिचिंग से भी बचा जाता है जिससे निर्माण में सुरक्षा बढ़ती है।
- निर्माण के समय एवं लागत को भी काफी हद तक कम किया जाता है क्योंकि पारापेट की लांचिंग एवं स्टिचिंग के चरण को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

4- वित्तीय Ökyfd; ka

- वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित कुल राजस्व 168.47 करोड़ रु. (विगत वर्ष 53.11 करोड़) था।
- व्यय को पूरा करने के बाद, कर उपरांत वर्ष की हानि 261.55 करोड़ रु. (विगत वर्ष 1.65 करोड़ रु.) है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में आबंटित कुल इक्विटी प्रत्येक 618.96 करोड़ रु. (प्रत्येक 309.48 करोड़ रु.) है। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, इससे दोनों सरकारों के पक्ष में आबंटित कुल इक्विटी शेयर पूंजी 1048.90 करोड़ रु. (प्रत्येक 524.45 करोड़ रु.) है।
- वर्ष के दौरान 1,152.26 करोड़ रु. का के एफ डब्ल्यू एवं ए एफ डी ऋण प्राप्त हुआ। इससे बकाया के एफ डब्ल्यू एवं ए एफ डी ऋण 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार 1,265.00 करोड़ रु. है।
- वर्ष के दौरान, केंद्रीय कर के लिए 300 करोड़ रु. का ब्याज रहित अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ। इससे दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, ब्याज रहित अधीनस्थ ऋण के लिए कुल आबंटन 349.21 करोड़ रु. है।

5- fo' k"V LFkki R; eV'ks LV's ku


ukxi g eV'ks jsy i fj; kstuk % LV's kuka dh LFkki R; I adYi uk

नागपुर मेट्रो के लिए स्टेशन का डिजाइन अपने आप में विशिष्ट है। वह विरासत का भाव प्रदान करता है और इसे आधुनिक स्थापत्य बनाता है। नागपुर मेट्रो का थीम 3टी – टाइगर – टीक – ट्राइब पर आधारित है। नागपुर, वर्धा और महाराष्ट्र के इतिहास को चित्रित करती हुई कलाकृति के साथ आधुनिक आंतरिक साज-सज्जा को ले आउट और फेकेड में शामिल किया गया है।

स्टेशनों पर यात्रियों को यूजर-फ्रेंडली सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सभी स्टेशनों को अत्याधुनिक स्वचालित किराया संग्रहण गेट्स (ए एफ सी गेट्स), यात्री सूचना प्रदर्शनी प्रणाली (पी आई डी एस), एनेलॉग क्लॉक तथा यात्रियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों से सज्जित किया गया है। नागपुर के कुछ स्टेशनों में विशिष्ट स्थापत्य विशेषताएं हैं जिनमें विशिष्ट परिवेश को प्रतिलिखित किया गया है और नागपुर के समृद्ध इतिहास एवं सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कॉरीडोरों के इन्टर सेक्शन पर अवस्थित, प्रस्तावित नागपुर सिटी सेंटर शहरी रूप के सृजक तथा नागपुर शहर के शहरी सुधार के लिए प्रेरक का कार्य करेगा। इसमें शहर के बीच में दो प्रीमियम संपत्तियों – सीताबुल्डी एवं जीरोमाइल का विकास शामिल है।

➤ I hrkcy/Mh e bUVj pqt LV's ku%

19889 वर्ग मी. (5 एकड़) के कुल क्षेत्र में प्रीमियम मंहगे रिटेल, पृथक पार्किंग तथा सांस्कृतिक एवं संस्थागत स्थान होंगे। इंटरचेंज स्टेशन के साथ निर्बाध, सुरक्षित एवं सुविधाजनक इंटर-कनेक्टिविटी, आकर्षक हरित नदी तट विहार स्थल, स्काई गार्डन कनेक्शन, नए शहरी बुर्ज इसे एक आइकोनिक टावर बनाएंगे। सीताबुल्डी इंटरचेंज स्टेशन को सिटी सेंटर से जोड़ा जाएगा।



➤ thjks ekby LV's ku&20 efty eV'ks LV's ku fti e i kph efty ij lysVQkib%

138090.21 वर्ग फुट के कुल क्षेत्र में यह प्रस्तावित नागपुर सिटी सेंटर के लिए एक केंद्रीय स्टेशन होगा। इसे शहरी विकास के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा :

- देश में पहला 20 मंजिला स्टेशन भवन।
- प्लेटफॉर्म पांचवीं मंजिल पर होगा। पांचवीं मंजिल के उपर वाणिज्यिक विकास होगा।
- प्रस्तावित स्टेशन में उपर्युक्त स्टेशन में मिश्रित उपयोग विकास की भी परिकल्पना की गई है



और सभी पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को जोड़ने वाले सावधानीपूर्वक आयोजित हेरिटेज वॉक की भी परिकल्पना की गई है।

- सीताबुल्डी पर इंटरचेंज स्टेशन और जीरो माइल पर आइकोनिक स्टेशन बिल्डिंग के लिए मुख्य वास्तुविद् के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रसिद्ध एक फ्रेंच वास्तुकार मैसर्स इनिया को नियुक्त किया गया है
- इसी प्रकार अन्य स्टेशनों यथा, धर्मपेट कॉलेज (अम्बाजारी झील) स्टेशन, एयर पोर्ट स्टेशन, नागपुर रेलवे स्टेशन, गड्डीगोदाम स्टेशन, उज्ज्वल नगर स्टेशन, एनईई आर आई, जयप्रकाश नगर, छत्रपति स्ववायर को भी आधुनिक स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

i q ks eS/ks j sy i fj ; kst uk%

विशेष रूप से उल्लेखनीय बात पुणे के स्टेशन विकास के बारे में यह है कि वहां एक बहुत ही विशिष्ट स्टेशन संरचना का विकास किया जा रहा है जिसमें पुणे के प्रसिद्ध शहर के समृद्ध इतिहास, विरासत, कला और संस्कृति को पूरी तरह दर्शाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्टेशनों में औद्योगिक थीम दिखाए गए हैं। ऐतिहासिक स्मारकों के निकट के स्टेशनों में ऐतिहासिक थीम दिखाए गए हैं। नदी तट के स्टेशनों में उसे इस प्रकार दिखाया गया है कि वे शहर की आधुनिक पहचान बन गए हैं और आस-पास के क्षेत्रों के पूर्ण जीर्णोद्धार के लिए तैयार हैं। शहर की समृद्ध संगीत विरासत को भी स्टेशन के डिजाइन में समुचित रूप से शामिल किया जाएगा।



छत्रपति सम्भाजी उद्यान और डक्कन नदी तट स्टेशनों की प्रस्तावित झलक

I j {kk} vki nk çca/ku rFkk vojks/k j fgr fo' k's'krk, a

- fHKUu : i l s l {ke 0; fDr; ka ds fy, vuply fo' k's'krk, % आपकी कंपनी दिव्यांग हितैषी बन सके, इसके लिए अवरोध रहित आवाजाही हेतु एक डिजाइन मानदंड का अनुपालन दिव्यांग और वृद्ध जनों के लिए अवरोध रहित बिल्ट इन्वायरमेंट हेतु सी पी डब्ल्यू डी सिफारिशों तथा स्थान मानकों के अतिरिक्त किया गया है। दिव्यांगों, वृद्ध जनों और छोटे बच्चों वाले माता-पिता के लिए प्रत्येक प्लेटफार्म पर एक विशेष लिफ्ट यात्रियों के लिए प्रदान किए गए हैं। दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले लोगों के लाभ के लिए लिफ्ट बटन में ब्रेल की सुविधा है।

बच्चों और भिन्न रूप से सक्षम लोगों के लिए एक विशेष टिकट काउंटर प्रस्तावित है। कम दृष्टि वाले लोगों को स्ट्रीट से प्लेटफार्म स्तर तक गाइड करने के लिए टेक्टाइल फ्लोरिंग प्रस्तावित है। सामान्य लोगों के लिए शौचालय सुविधा तथा भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए अलग से यूनिसेक्स शौचालय का प्रस्ताव कनकोर्स स्तर पर किया गया है।

पार्किंग जोन में दिव्यांग लोगों के लिए अलग से कार पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी जिसमें पार्किंग जोन से स्टेशन के मुख्य प्रवेश तक अवरोध रहित पहुंच प्रदान की जाएगी तथा भवन तक कम से कम एक निर्दिष्ट अवरोध रहित मार्ग जाएगा जिसे बिल्ट इन्वायरमेंट में पहुंच के बारे में लागू संहिताओं एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए भवन के भीतर यात्री के सभी संभव गंतव्य स्थानों से जोड़ा जाएगा।



- **सुरक्षा:** सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को लोगों की पसंद की प्रणाली बनाने और मेट्रो प्रणाली की पूर्वपेक्षा के रूप में सवारियों की संख्या बढ़ाने में सुरक्षा की अहम भूमिका होती है। सुरक्षा मॉडल मेट्रो नेटवर्क के तेजी से विस्तार तथा बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप तैयार किया गया है।

स्टेशन स्पेस और फंक्शन का डिजाइन तैयार करते समय डेड एन्ड, कॉर्नर एवं डार्क एरिया को कम करने के लिए एक स्व-पुलिसिंग डिजाइन अर्थात् "पर्यावरणीय डिजाइन के माध्यम से अपराध की रोकथाम" (सी पी टी ई डी) सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। मेट्रो परिसरों में यात्री सुरक्षा को नियंत्रित करने और किसी खतरे से सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए यात्री की आवाजाही के मुख्य स्थान पर हस्तचालित या स्वचालित प्रणाली से सुरक्षा जांच हेतु स्थान मुहैया कराया जाएगा। ऐसे मामलों में, स्टेशन के सभी प्रवेश द्वारों, एक्स-रे, बैगेज स्कैनर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डी एफ एम डी) और हैंड होल्ड एक्सप्लोजिव डिटेक्टर (एच एच ई डी) में एक सुरक्षा स्क्रीनिंग सेक्शन सभी स्टेशन भवनों में ए एफ सी तथा टिकट गेट्स से पहले स्थापित किया जाएगा ताकि कंट्रोल लाइन को आसानी से प्राप्त किया जा सके और इन एवं आउट के प्रवाह का प्रबंधन बिना अतिरिक्त प्रयास के किया जा सके।

सभी पेड एवं अनपेड क्षेत्रों का डिजाइन इस प्रकार किया जाएगा कि वहां अच्छी रोशनी हो और अंधेरे वाले स्थान नहीं हों ताकि सी सी टी वी/कैमरा कवरेज अधिक से अधिक हो तथा प्रमुख संरचनात्मक घटकों को तोड़-फोड़ से समुचित रूप से सुरक्षा प्रदान की जा सके।

- **सुरक्षा चिह्न:** स्टेशनों में संकेतक प्रणालियों की योजना इस प्रकार है कि वे दृष्टिगोचर सूचना प्रणालियों हों जिसमें संकेत, मानचित्र, तीर के निशान, कलर कोडिंग प्रणालियां, चित्र एवं विभिन्न टाइपोग्राफिक घटक होंगे।

मेट्रो ट्रांजिट संकेतक प्रणाली की योजना इस प्रकार तैयार की गई है कि वह यात्रियों की उनके गंतव्य स्थान तक निर्बाध, तेज और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित कर सके और उन्हें अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में मदद कर सके तथा यात्री स्पष्ट रूप से सुविधाओं का पता लगा सकें।

- आपकी कंपनी सुभाष नगर स्टेशन और धरमपेट कॉलेज (अम्बाजारी लेक-व्यू) स्टेशन को जोड़ते हुए 730 मीटर लंबा एलेवेटेड व्यूइंग गैलरी विकसित कर रही है। इसका डिजाइन शांत अम्बाजारी लेक और इसके आकर्षक लैंडस्केप के नए एंगल का आनंद उठाते हुए लोगों के ठहरने एवं फिर आगे बढ़ने के लिए किया गया है। इसमें आराम करने, बैठने, रेस्टोरेंट/भोजनालय, दुकानों आदि के लिए स्थान होंगे। आंतरिक साज-सज्जा (एन्टेरियर) और इसमें सुंदर रोशनियों का डिजाइन विभिन्न आधुनिक थीमों पर किया गया है। वाकवे में बैठक एवं पार्टी के स्थान भी होंगे जिससे कैजुअल एवं औपचारिक बातचीत के लिए अवसर प्रदान होंगे। वह शहर के रात्रि जीवन का भी हिस्सा बनेगा जहां वाकवे पर जनता की सुरक्षा एवं संरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। शाम में एक विशेष समय पर दोनों स्टेशनों के वाकवे के एक्सटेरियर फेकेड पर लाइट शो होंगे। यह परियोजना भारत में अपने प्रकार की पहली परियोजना है तथा यह पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण केन्द्र बन जाएगा।

6- फीडर बस सेवा: आपकी कंपनी की योजना नागपुर में फर्स्ट एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी

- फीडर बस सेवा: आपकी कंपनी की योजना नागपुर में फर्स्ट एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बफर जोन के 2.5 किमी तक मेट्रो स्टेशनों के आसपास ई-वाहन शुरू करने की है जिसमें सभी मेट्रो स्टेशनों को जोड़ते हुए लगभग 210 किमी क्षेत्र के लिए 6-8 लोगों की बैठने की क्षमता वाले 151 इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ 40 फीडर मार्गों को चिह्नित करना शामिल है।
- मल्टी मोडल इन्टीग्रेशन: सभी स्टेशनों एवं आसपास के क्षेत्रों में परिवहन के विभिन्न मोड्स यथा, सार्वजनिक परिवहन, परा ट्रांजिट, प्राइवेट वाहनों तथा पैदल मार्ग को जोड़ने की योजना है। वर्तमान में महा मेट्रो ने प्राथमिकता वाले तीन मेट्रो स्टेशनों अर्थात एयरपोर्ट साउथ, न्यू एयरपोर्ट एवं खापरी में मल्टी मोडल इन्टीग्रेशन के पहलुओं को कार्यान्वित करना शुरू किया है:
 - फीडर सर्विस पिक-अप एवं ड्रॉप ऑफ जोन;
 - सिटी बस सेवा पिक-अप एवं ड्रॉप ऑफ जोन;
 - परा ट्रांजिट/टैक्सी पिक-अप एवं ड्रॉप ऑफ जोन;
 - पार्किंग सुविधाएं स्टेशन-वार प्रदान की गईं:
- सिटी बस के मार्ग को युक्तिसंगत बनाना: मेट्रो प्रणाली के परिचालन शुरू होते ही, मेट्रो कॉरीडोर पर मौजूदा सिटी बस के मार्ग व्यवहार्य नहीं रह जाएंगे। इसलिए, सिटी बस मार्गों को मेट्रो प्रणाली के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए युक्ति संगत बनाए जाने की जरूरत है। मैसर्स यू एम टी सी के माध्यम से यह अध्ययन किया गया है जिसके कार्यान्वयन के लिए के एफ डब्ल्यू से वित्तपोषण हुआ है और इसे एन एम सी के साथ साझा किया गया है।
- मेट्रो ने मेट्रो स्टेशन पहुंचने के लिए मेट्रो कॉरीडोर पर 210 किमी साइकिल नेटवर्क को चिह्नित किया है।

- संपूर्ण नागपुर और पुणे शहर के लिए नॉन-मोटराइज्ड परिवहन का उपयोग करने वालों की सुरक्षा, आराम एवं पहुंच बेहतर करने की योजना बनाई गई है।
- साइकल ट्रेक, साइकल पार्किंग, पैदल आने-जाने के लिए फूटपाथ आदि की व्यवस्था की योजना ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्राप्त करने हेतु दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार बनाई गई है। इसी प्रकार की व्यवस्था सभी मेट्रो स्टेशनों के लिए भी प्रस्तावित है।

7- वि.क. ख.। ग. {क. व.क. ध. ख.। ग. य.}

यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा विषय है। आपकी कंपनी अपने यात्रियों को पुरा सुरक्षित एवं संरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी द्वारा किए गए उपायों एवं की गई पहलों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

- जनरल कन्सेल्ट्स/महा मेट्रो के साथ संविदाकार की सुरक्षा टीम प्रत्येक सप्ताह नियमित सेफ्टी वाक कर रही है। कार्य स्थलों पर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जनरल कन्सेल्ट्स एवं संविदाकार चौबीसों घंटे कार्य कर रहे हैं तथा मासिक सुरक्षा जांच (ऑडिट) भी की जाती है।
- प्रत्येक निविदा संविदा में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण (एस एच ई) मैनुअल शामिल होता है जिसमें कार्य को सुरक्षित रूप से निष्पादित किए जाने और जनता को कम-से-कम कठिनाई दिए जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश, दिशानिर्देश दिए जाते हैं।
- सभी निर्माण क्षेत्रों की घेराबंदी की जाती है तथा कार्य बंद क्षेत्र में किए जाते हैं।
- संपूर्ण मेट्रो कॉरीडोर पर अलर्ट ट्रैफिक साइनेज प्रदान किए जाते हैं।
- आपात स्थितियों में मदद के लिए महा मेट्रो के विभिन्न अवस्थानों पर त्वरित कार्रवाई दल (क्यू आर टी) तैनात किया गया है।
- जहां कहीं निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, सड़कों को अच्छी तरह तैयार किया जाता है और जनता के लिए खोला जाता है।
- सभी लिफ्टिंग उपकरणों की जांच एवं प्रमाणन उनका प्रयोग शुरू करने से पूर्व प्रत्येक छह माह पर प्राधिकृत तृतीय पक्ष विशेषज्ञ एजेसियों द्वारा किया जा रहा है। प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए कलर कोडिंग का पालन किया जा रहा है। कार्य स्थल पर नियमित विद्युत निरीक्षण किया जा रहा है।
- स्थल कार्मिकों और जनता के लिए नियमित सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो निम्नलिखित है:
 - जागरूकता अभियान
 - स्कूलों एवं कॉलेजों के भीतर प्रतियोगिता
 - नुक्कड़ नाटक और रोड शो
- ट्रैफिक मार्शल सहित क्रेन ऑपरेटर्स, रिगर्स, भारी उपकरण के ऑपरेटर्स/डायवर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों को सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संविदाकार को सुरक्षा संबंधी मैनुअल जारी किया गया है।

- यातायात अधिकारी के परामर्श से यातायात को नियंत्रित करने और सड़क पर यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए पूरे परियोजना स्थल पर पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक मार्शल तैनात किए गए हैं।
- संविदाकारों के पास आपात कार्रवाई प्रणाली है जिसका प्रयोग किसी भी आपात स्थिति के दौरान किया जाना होता है। किसी आपात स्थिति के दौरान प्रणाली के कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए स्थल पर मॉक ड्रिल नियमित प्रक्रिया है।
- किसी भी आपात स्थिति के लिए नजदकी अस्पतालों से संविदाकारों को जोड़ा गया है।
- मेट्रो प्रणाली को कई सुरक्षा उपकरण और प्रणालियां प्रदान की गई हैं जो किसी अप्रिय घटनाओं से बचने और यात्री की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होने देना सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे उच्च स्तरीय निगरानी एवं निवारक जांच सुनिश्चित करेंगी। इसमें किसी शरारती तत्व की संदिग्ध आवाजाही का पता लगाने के लिए सी सी टी वी, एक्स-रे, स्क्रीनिंग मशीन, मेटल डिटेक्टर, विजनल एनेलाइटिक्स जैसी प्रणालियां शामिल हैं। ये पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। पुणे मेट्रो में भूमिगत स्टेशनों में समुचित रूप से डिजाइन की गई अग्निशमन प्रणाली और टनल वेंटिलेशन प्रणाली हैं।

8- द"क क ङ. क्यह फो | र वकि र वक byfDV'dy rFkk e'dfudy

- नागपुर मेट्रो ने अपने कॉरीडोरों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का डिजाइन दो प्रकार से किया है। आर एस एस को कार्यनीतिक रूप से केंद्र में रखा गया है। जी आई एस पर डबल बस प्रणाली के साथ विचार किया गया है जिसमें संपूर्ण कॉरीडोर में 33 के वी रिंग मुख्य नेटवर्क के साथ ए एम एस (132/33 के वी) और टी एस एस (132/25 के वी) के लिए साझा बस बार होता है ताकि स्टेशनों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। जी आई एस सब स्टेशन पर विचार किया है क्योंकि इसके लिए ए आई एस की तुलना में बहुत कम स्थान आवश्यक होता है। इसलिए, जी आई एस के प्रयोग से स्थान की बचत का लाभ होता है। साथ ही, यह रख-रखाव से मुक्त है और इसलिए यह अधिक भरोसेमंद प्रणाली है।
- दो आर एस एस सीताबुल्डी एवं झांसी रानी स्क्वायर में रखे गए हैं, प्रत्येक कॉरीडोर के लिए एक-एक। विद्युत आपूर्ति 132 के वी भूमिगत डबल सर्किट केबल के माध्यम से एम एस ई टी सी एल के मंकापुर जी एस एस से झांसी रानी आर एस एस के लिए तथा एम एस ई टी सी एल के जत्रोदी जी एस एस से सीताबुल्डी आर एस एस को की जाती है। साथ ही, दो आर एस एस को 132 के वी, 33 के वी एवं 25 के वी भूमिगत केबल्स के माध्यम से जोड़ा गया है ताकि एक सबस्टेशन के विफल होने की स्थिति में दूसरा सब स्टेशन स्वयं ही दोनों कॉरीडोरों की सहायक एवं कर्षण विद्युत की आपूर्ति करेगा। प्राथमिकता वाले सेक्शन के सिवाय दोनों कॉरीडोरों की योजना ओवरहेड केटेनरी प्रणाली के लिए ट्यूबलर पोर्टल के साथ बनाई गई है।
- प्राथमिकता वाले सेक्शन के लिए मिहान डिपो में एक पृथक 33/25 के वी टी एस एस संस्थापित किया गया है। विद्युत आपूर्ति, डबल सर्किट 3 फेज भूमिगत केबल के माध्यम से 33 के वी पर खापरी में एम एस ई टी सी एल के निकटतम सबस्टेशन से की जाती है।
- प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर, स्टेशन के लिए पूर्ण इलेक्ट्रिकल विद्युत आपूर्ति हेतु 33/0.415 केवी सहायक उपस्टेशन संस्थापित किया गया है, प्रत्येक ए एस एस में 33/0.415 केवी ड्राई टाइप

ट्रांसफॉर्मर संस्थापित किया गया है। पूरे उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर ए एस एस तथा पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर ए एस एस में डबल केबल सर्किट के साथ 33 केवी केबल रिंग मुख्य नेटवर्क का डिजाइन किया गया है ताकि एक सर्किट से आपूर्ति ठप होने की स्थिति में दूसरा स्टैंडबाय कार्य कर सके। 33 केवी रिंग नेटवर्क की दोनों आपूर्तियों के ठप हो जाने की स्थिति में, स्टेशनों को सिगनलिंग, अग्नि सुरक्षा, रोशनी आदि जैसे आवश्यक लोड को पूरा करने के लिए अनिवार्य सेवाओं हेतु डी जी सेट्स मुहैया कराए गए हैं।

- सभी स्टेशनों को यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार से कनकोर्स तथा स्टेशन के पेड एरिया तक निर्बाध आवाजाही का प्रबंधन करने हेतु औद्योगिक ग्रेड, डिजाइन एवं आकार के लिफ्ट, एस्केलेटर्स प्रदान किए जाएंगे। आग का पता लगाने एवं उसे नियंत्रित करने के लिए समुचित प्रणाली की व्यवस्था की गई है जो अग्नि सुरक्षा के सुसंगत विश्व मानकों के अनुरूप है।

9- सिगनलिंग प्रणाली का विवरण

- नागपुर मेट्रो रेल परियोजना में अपनाई गई संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) पद्धति मूविंग-ब्लॉक परिचालन सिद्धांत पर आधारित है जो सतत ट्रेन से ट्रेक साइड संचार के साथ उच्च प्रणाली निष्पादन (अर्थात् न्यूनतम हेडवे) सुनिश्चित करती है। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना द्वारा अपनाई गई सी बी टी सी प्रौद्योगिकी पर आधारित सिगनलिंग एवं रेलगाड़ी नियंत्रण प्रणाली मैसर्स सिमेन्स इंडिया लिमिटेड और मैसर्स सिमेन्स रेल ऑटोमेशन लिमिटेड, स्पेन को सौंपी गई है।
- सिगनलिंग पद्धति एक कुशल ट्रेन नियंत्रण के लिए माध्यम उपलब्ध कराएगी जो ट्रेन परिचालन में सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह मेट्रो अवसंरचना निवेश के इष्टतम उपयोग में और नेटवर्क पर कुशल ट्रेन सेवा के परिचालन में सहायता करती है। ट्रेन परिचालन धारणाओं के अनुसार सिगनलिंग डिजाइन निम्नलिखित हैं :
 - 90 सेकंड का डिजाइन हेडवे और 120 सेकंड का परिचालन हेडवे
 - ड्रवेल समय: अधिकतम 45 सेकंड और न्यूनतम 15 सेकंड
 - 3 कार की ट्रेन की लंबाई
 - परिचालन पद्धति जीओए 2
 - संचार आधारित रेलगाड़ी नियंत्रण प्रणाली (सी बी टी सी) के आधार पर निरंतर स्वचालित रेलगाड़ी नियंत्रण प्रणाली (सी ए टी सी) जिसमें स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षण (ए टी पी), स्वचालित रेलगाड़ी परिचालन (ए टी ओ) तथा स्वचालित रेलगाड़ी पर्यवेक्षण (ए टी एस) शामिल हैं।
- नागपुर मेट्रो के तीन स्टेशनों के लिए सिगनलिंग प्रणाली कार्य प्राथमिकता वाले सेक्शन में पूरा हो गया है और शेष सेक्शनों में चल रहा है।
- पुणे मेट्रो रेल के लिए सिगनलिंग एवं रेलगाड़ी नियंत्रण प्रणाली की मूविंग ब्लॉक टाइप (सी बी टी सी) आधारित सिगनलिंग प्रणाली होगी, इस प्रकार की सिगनलिंग प्रणाली रियल टाइप आधार पर सभी रेलगाड़ियों के सही अवस्थान की मॉनीटरिंग करती है, यह बहुत ही भरोसेमंद है। वेसाइड हार्डवेयर उपकरण में काफी कमी के कारण बहुत ही कम रख-रखाव (मेंटेनेंस) की अपेक्षा रहती है। निविदा तैयार कर ली गई है और वित्तपोषण एजेंसी की सहमति प्राप्त कर ली गई है। महा मेट्रो के ई-पोर्टल के माध्यम से बोली लगाने वालों के लिए निविदा ऑनलाइन है।

10- Lopkfyf fdjk; k l xg.k ¼, , Q l h½

आपकी कंपनी ईएमवी (यूरो मास्टर वीजा) स्मार्ट कार्ड आधारित ओपन लूप स्वचालित किराया संग्रहण पद्धति अपना रही है जिसे सभी मेट्रो स्टेशनों में कार्यान्वित किया जाएगा। यह पद्धति यात्रियों को यात्रा के लिए भुगतान हेतु अतिरिक्त किराया माध्यम के रूप में स्मार्ट कार्ड को सक्षम बनाएगी। यात्री मैन्युअली परिचालित टिकट कार्यालय मशीनों से और स्वचालित टिकट बिक्री मशीन से एकल यात्रा टिकट तथा बहु किराया उत्पादों के लिए स्मार्ट कार्ड खरीद पाएंगे। टिकट के संबंध में होने वाली असुविधा के संबंध में यात्रियों की शिकायतों को देखने के लिए स्टेशनों में और अधिक किराया कार्यालय तथा उपभोक्ता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

आधुनिक स्वचालित किराया संग्रहण पद्धति उचित एवं पारदर्शी राजस्व संग्रहण तथा निपटान सुनिश्चित करेगी। इससे वित्तीय धोखाधड़ी तथा चोरी को हतोत्साहन मिलेगा। यह पद्धति ट्रांजिट प्राधिकरण के लिए भी सटीक राइडरशिप तथा राजस्व सृजित करती है।

स्मार्ट कार्ड में शेष राशि के साथ यात्री की सूचना स्टोर होती है। यह सूचना मेट्रो स्टेशनों के एक्सेस गेट पर संस्थापित वैलीडेटर द्वारा पढ़ी जाती है।

गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित गेट रिट्रैक्टेबल प्लैप प्रकार के होंगे और स्टेशन में टेल गेटिंग (अनधिकृत पहुंच) को रोकते हैं। स्टेशन में व्हील चेयर पर चलने वालों के लिए चौड़े प्रवेश तथा निकास गेटों के साथ विशेष रूप से सक्षम लोगों को ध्यान में रखते हुए एएफसी पद्धति प्रस्तावित की गई है। कंपनी द्वारा निर्धारित कार्य नियमों के आधार पर कार्ड में स्टोर की गई सूचना, विशेष रूप से शेष राशि, के आधार पर यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी/ नहीं दी जाएगी। अतिरिक्त लचीलापन लाने के लिए यात्रियों को ईएमवी स्मार्ट कार्ड के अतिरिक्त निम्नलिखित किराया माध्यम विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे:

क. क्यूआर कोड टिकटिंग

ख. मोबाइल टिकटिंग प्रणाली

पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए ए एफ सी प्रणाली की परिकल्पना नागपुर की ए एफ सी प्रणाली की तर्ज पर की गई है।

11- 5 Mh ch vkbZ , e , oa m | e l d k/ku vk; kst uk ¼bZ vkj i h½

आपकी कंपनी ने प्रमाणित एकीकृत ई आर पी (उद्यम संसाधन आयोजना) और 5डी – बी आई एम (5-डायमेंशनल बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग) के साथ एकीकृत सॉल्यूशन के माध्यम से परियोजना का प्रबंधन करने के लिए, डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्लेटफॉर्म को तैनात करने हेतु एक परियोजना की संकल्पना की है जो इसके परिचालनों को स्वचालित करेगी और इसकी प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगी। उपर्युक्त सफलता कारकों को साकार करने के लिए महा मेट्रो ने डिजिटल कार्यनीति से पूरी तरह समरूप एवं समर्थित ऑवनर सपोर्ट ऑफिस (ओ एस ओ) द्वारा संपूरित परियोजना सुपुर्दगी हेतु एक डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्लेटफॉर्म को अपनाने का निर्णय लिया।

आपकी कंपनी में ई आर पी कार्यान्वयन में सभी व्यवसाय प्रक्रियाओं के निर्बाध एकीकरण, सूचना के आधार पर निर्णय लेने को समर्थ बनाने, जो सभी स्तरों पर स्पष्ट एवं पारदर्शी हो, की परिकल्पना की गई है। एकल ट्रांजेक्शन बेस से, जिसे संपूर्ण संगठन द्वारा साझा, अद्यतन किया जाता है और उससे लिया जाता है, सभी व्यवसाय कार्यों के सभी मास्टर डाटा का मानकीकरण किए जाने की आशा है। इसके कार्यान्वयन हेतु बिजनस प्रॉसेस आवनर एवं कोर कमिटी गठित

कर ली गई है। महा मेट्रो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्पादों यथा, बेंटले, एस ए पी, प्रिमावेरा एवं आर आई बी तथा सिस्टम इंटीग्रेटर (एस आई) को नागपुर एवं पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए कार्यान्वित किया गया है तथा सभी डिजाइन और ई आर पी प्रणाली के लिए कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है।

5 डी बी आई एम की यही सुविधा आरंभ से ही पुणे मेट्रो परियोजना को दी गई है तथा इंजीनियरिंग डिजाइन 3 डी मॉडल पर बनाए जा रहे हैं एवं उसकी समीक्षा की जा रही है। वित्तीय प्रगति तथा कारोबार/भुगतान ई आर पी प्रणाली (ई ए पी) से किए जा रहे हैं। इससे सभी संविदाकारों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है तथा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता बनी रहती है।

12- vkbM/h ः; kl

कम्पनी की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने कम्पनी के सभी परिचालन क्षेत्रों के प्रभावी कम्प्यूटरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक आई टी प्रकोष्ठ स्थापित किया है। पर्याप्त आई टी अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए आई टी प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- महा मेट्रो के अत्याधुनिक डाटा सेंटर का विकास धीरू भाई अंबानी नॉलेज पार्क (डी ए के सी) मुम्बई में किया गया है। सभी परियोजना स्थल कार्यालय, अधिक गति वाले समर्पित मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एम पी एल एस) कनेक्शन पर डाटा सेंटर से जुड़े हैं। अधिक गति वाला वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी पी एन) डाटा कनेक्शन भी नेटवर्क बैक अप के रूप में स्थापित है।
- कंपनी की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऑफ द शेल्व साफ्टवेयर का प्रापण किया गया है और इसका प्रयोग कार्यालय के कार्य को स्वचालित बनाने और कागजी कार्य को कम करने के लिए किया जा रहा है।
- महा मेट्रो की डायनेमिक इन्टरनेट वेबसाइट का डिजाइन करना, उसे विकसित एवं होस्ट करना
- न्यूनतम मूल्य के उपर की वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए सभी निविदाएं अब कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं ताकि प्रापण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके।

13- eS/ks ः. kkyh dk i fj pkyu vkj vug {k. k

आपकी कंपनी में दो विंग है अर्थात परियोजना विंग और परिचालन एवं अनुरक्षण विंग। चूंकि यह परियोजना चक्र का आरंभिक चरण है जहां 3 स्टेशनों सहित 5.4 किमी के प्राथमिकता वाले सेक्शन तथा मिहान स्थित अनुरक्षण डिपो को शीघ्र ही जनता के लिए खोला जाना है। दोनों विंगों में मिली जुली प्रकृति के कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी स्टाफ है अर्थात संविदा आधार पर या केंद्रीय सरकार के विभागों/केंद्रीय पी एस यू से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए या आवश्यकता के आधार पर नियमित प्रकृति के।

i fj pkyu vkj vug {k. k uhfr%

परिचालन और अनुरक्षण कार्यनीति बनाई गई है जिसमें परिचालन एवं अनुरक्षण संबंधी अपेक्षाओं, परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एवं एम) संरचना, अनुरक्षण समूह तथा अनुभवी एवं नए कार्मिकों सहित

विभाग-वार जनशक्ति, इन-हाउस और आउटसोर्सड सहित स्टाफ की संख्या, 5 डी बी आई एम प्लेटफॉर्म पर ओ एवं एम को लाने के लिए डिजिटल प्रबंधन प्रणालियों, मल्टी-स्किल विकास, प्रशिक्षण आदि की ब्यौरा दिया गया है।

वर्ष, 2017-18 के दौरान, 100% तक पहुंचा गया है।

आपकी कंपनी के मिशन एवं विजन को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता वाले सेक्शन के परिचालन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक अनुभवी जनशक्ति की समय भर्ती पर की गई और उन्हें आवश्यकता के आधार पर एल टी एम आर एच एल, हैदराबाद के प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

आवश्यकता आधारित भर्ती चरणबद्ध तरीके से की गई है। बाद के राजस्व परिचालनों के लिए रीच-1 एवं रीच-3 के लिए पीक निर्माण कार्यों के मद्देनजर, अधिक अनुभवी जनशक्ति को लेने का कार्य प्रगति पर है ताकि वे नए (फ्रेशर) भर्ती होने वाले कार्मिकों की क्षमता बढ़ा सकें और सक्षम ओ एवं एम टीम विकसित कर सकें।

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, महा मेट्रो में प्राथमिकता वाले सेक्शन के ओ एवं एम के लिए आवश्यक अत्यधिक समप्रित अनुभवी कार्मिकों की टीम है। अनुभवी स्टाफ में ओ एवं एम विंग में विभिन्न विषयों के निम्नलिखित स्टाफ शामिल है:

वर्ष, 2017-18 के दौरान, 100% तक पहुंचा गया है।	वर्ष, 2017-18 के दौरान, 100% तक पहुंचा गया है।
मुख्य नियंत्रक	08
वरिष्ठ स्टेशन नियंत्रक/वरिष्ठ रेलगाड़ी परिचालक	17
वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर	11
वरिष्ठ तकनीशियन	07

वर्ष, 2017-18 के दौरान, 100% तक पहुंचा गया है।

सभी आवश्यक ओ एवं एम दस्तावेज यथा, स्टेशन कार्य आदेश, मानक परिचालन प्रक्रिया, विशेष अनुदेश आदि और साथ ही ओ एवं एम मैनुअल को प्राधिकृत अधिकारी अर्थात निदेशक (चल स्टॉक एवं सिस्टम) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

प्राथमिकता वाले सेक्शन में सिविल, रेलपथ, कर्षण ओ एच ई, कर्षण उपस्टेशन, स्टेशनों पर सहायक उपस्टेशन, स्टेशनों पर ई एवं एम, सिगनलिंग, दूरसंचार, स्वचालित किराया संग्रहण आदि के लिए संस्थापन, परीक्षण एवं कमिशनिंग संबंधी अधिकतर कार्य पूरे हो गए हैं और सेक्शन तैयार है। ओ एवं एम कार्यों को संविदा में प्रावधानों के अनुसार संविदाकारों/ओ ई एम द्वारा भी सहायता प्रदान की जाएगी।

आपकी कंपनी ने विभिन्न परिचालन कार्यों यथा, हाउसकीपिंग, सुरक्षा, ग्राहक सुविधा, टी ओ एम आपरेटर आदि में सहायता के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाओं (एफ एम एस) हेतु एक एजेंसी की भी नियुक्ति किया है।

14- दक्षिण कोचों के लिए संचार, ऑनलाइन सेवाओं का विकास

आपकी कंपनी का कॉरपोरेट संचार विभाग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यों एवं आंकड़ों को चित्रित करते हुए जन साधारण को परियोजना एवं संबद्ध क्रियाकलापों के बारे में अवगत कराने हेतु उन तक पहुंचने के लिए संचार के सभी माध्यमों के विकल्पों की संभावना का पता लगा रहा है। आपकी कंपनी ने नागरिकों के साथ दो तरफा संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रत्यक्ष रीच आउट एवं सिटीजन सेंट्रिक हेल्प सेंटर्स को स्थापित करने के लिए सभी संभव माध्यमों का उपयोग करके अपने सिटीजन आउटरीच कार्यक्रम के भाग के रूप में बड़ी पहलें की हैं। इसने इस प्रयास में विभिन्न माध्यमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इनकी संक्षिप्त रूपरेखा का वर्णन नीचे दिया गया है :

नागपुर में जीरो माइल तथा पुणे में संभाजी उद्यान में अवस्थित, महिति केंद्र मेट्रो कोच की प्रतिकृति है जो नागपुर एवं पुणे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। मेट्रो कोच की आंतरिक एवं बाहरी संरचना के बारे में नागरिकों को अवगत कराने के लिए इसका डिजाइन तैयार किया गया है। हमारे प्रतिनिधि एक दिन में 2 पालियों में वहां खड़े होते हैं, समय पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 9 बजे है।

नागपुर में जीरो माइल तथा पुणे में संभाजी उद्यान में अवस्थित, महिति केंद्र मेट्रो कोच की प्रतिकृति है जो नागपुर एवं पुणे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई है। मेट्रो कोच की आंतरिक एवं बाहरी संरचना के बारे में नागरिकों को अवगत कराने के लिए इसका डिजाइन तैयार किया गया है। हमारे प्रतिनिधि एक दिन में 2 पालियों में वहां खड़े होते हैं, समय पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 9 बजे है।



नागरिक परियोजना के बारे में ब्यौरा प्राप्त करने के लिए पूरे सप्ताह कार्य समय के दौरान कभी भी आ सकते हैं तथा अपने सुझाव/शिकायतें भी प्रस्तुत कर सकते हैं। चल स्टॉक के सभी सुसंगत ब्यौरे उस कोच में दिए गए हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ज्ञान का भी भंडार रखा गया है।

महिति केंद्र में प्रतिदिन औसतन लगभग 250 लोग आते हैं।

नागपुर और पुणे में अवस्थित सहयोग केंद्र एक पगोडा संरचना है और यह नागपुर एवं पुणे के लोगों के लिए वाक-इन इन्टरैक्शन/इन्फॉर्मेशन सेंटर के रूप में कार्य करता है। यह नागपुर एवं पुणे के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र में अवस्थित है तथा इस क्षेत्र में घनी आबादी है। आपकी कंपनी ने सहयोग केंद्र के रूप में यहां नागरिकों के लिए फॅसिलिटेशन केंद्र की योजना बनाई।

नागपुर और पुणे में अवस्थित सहयोग केंद्र एक पगोडा संरचना है और यह नागपुर एवं पुणे के लोगों के लिए वाक-इन इन्टरैक्शन/इन्फॉर्मेशन सेंटर के रूप में कार्य करता है। यह नागपुर एवं पुणे के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र में अवस्थित है तथा इस क्षेत्र में घनी आबादी है। आपकी कंपनी ने सहयोग केंद्र के रूप में यहां नागरिकों के लिए फॅसिलिटेशन केंद्र की योजना बनाई।

लोग शिकायतें दर्ज कराने और परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं। इस केंद्र की प्रमुख उपयोगिता लोगों को सड़क के अवरोधों तथा वैकल्पिक मार्ग के बारे में अवगत कराने की है। वे सहयोग केंद्र के पास स्थापित की गई मेट्रो गैलरी के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को भी देख सकते हैं। इस केंद्र में प्रत्येक दिन लगभग 54 शिकायतें/सुझाव प्राप्त होते हैं।

प्रत्यक्ष नागरिक संपर्क के संपूर्ण पहलू के इर्द-गिर्द घूमते कार्यकलापों का मुख्य केन्द्र नियंत्रण केंद्र है। यह टॉल फ्री नम्बर वाला एक कॉल सेंटर है जो नागरिकों के बीच काफी प्रचलित है। पूरे वर्ष 24 x 7 परिचालन के साथ यह शिकायतें दर्ज कराने या कोई सुझाव देने के लिए सभी नागरिकों हेतु संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह सहयोग महिति केंद्र और क्यू आर टी के बीच समन्वय केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। सभी नागरिक सुविधा इकाइयां नियंत्रण केंद्र के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों के गहन समन्वय से कार्य करती है।

आपकी कंपनी ने सोशल मीडिया के चैनलों की उपयोगिता को बहुत पहले समझ लिया है और आरंभ से ही सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों के साथ संवाद शुरू कर दिया है, परिणामस्वरूप, यह अपने सोशल मीडिया चैनलों पर सर्वाधिक संख्या के फोलोअर्स के साथ सबसे आगे है।

नागपुर मेट्रो भारत में अन्य सभी मेट्रो के बीच सर्वाधिक संख्या में पेज लाइक के साथ फेस बुक पर अग्रणी है जिसके 4,42,379 पेज लाइक हुए हैं और 4,42,283 पेज फोलोअर्स हैं। वहीं पुणे मेट्रो पेज के फेसबुक पेज का लाइक 16 माह के रिकॉर्ड समय में 3 लाख को पार कर गया है।

नागपुर मेट्रो के ट्विटर हैंडल के 4,525 फोलोअर्स हैं। पुणे मेट्रो 17 माह के रिकार्ड समय में अधिकतम संख्या के फोलोअर्स के साथ ट्विटर हैंडल में पहले स्थान पर है।

- नागपुर मेट्रो की वेबसाइट के अब तक लगभग 32,16,757 विजिटर्स हुए हैं।
- पुणे मेट्रो की वेबसाइट के अब तक लगभग 4,45,800 विजिटर्स हुए हैं।

आपकी कंपनी ने 'संवाद' के जरिए नागरिकों से बातचीत करने के लिए एक अभिनव माध्यम शुरू किया है जो मूलतः जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का एक जगह एकत्र होना है जिसमें उन सुविधाओं के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया जाता है जो वे मेट्रो रेल सुविधा के शुरू होते और स्टेशनों के बनते ही प्राप्त करेंगे। यह सामान्यतया सार्वजनिक स्थान पर लोगों का एकत्र होना है और लोगों को आसपास के क्षेत्र से आमंत्रित किया जाता है। परियोजना की बुनियादी बातों के बारे में एक प्रस्तुति दी जाती है जिसके बाद प्रश्नोत्तरी सत्र होता है।

इसी प्रकार मेट्रो संवाद की संकल्पना को पुणे शहर के लिए भी शुरू किया गया है। अब तक, नागपुर मेट्रो ने लगभग 83 संवाद किए हैं जिसमें लगभग सभी स्टेशनों को शामिल किया गया जबकि पुणे में ऐसे 15 संवाद हुए हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी परियोजना चरण में है और कोई परिचालन लाभ नहीं है। चूंकि कोई परिचालन आय नहीं है इसलिए, आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अंतर्गत यथापेक्षित सी एस आर कार्यकलापों के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

15- दक्षिण मेट्रो के लिए 2017-18 के लिए कार्ययोजना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी परियोजना चरण में है और कोई परिचालन लाभ नहीं है। चूंकि कोई परिचालन आय नहीं है इसलिए, आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अंतर्गत यथापेक्षित सी एस आर कार्यकलापों के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

16- एकीकृत कर्मचारियों का विकास

आपकी कंपनी की रोजगार पद्धतियों को मेट्रो रेल उद्योग में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने एवं उन्हें बनाए रखने के अनुरूप बनाया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 313 थी। आपकी कंपनी के निर्माण कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा तेजी से निकट आने के मद्देनजर, जनशक्ति की नियुक्ति और उनके क्षमता निर्माण में भी काफी तेजी लाई जा रही है। आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है तथा उनके लिए कार्यक्रम, कार्यशालाएं आदि आयोजित कर रही है। इसके अतिरिक्त, सभी स्तरों के कर्मचारियों के बीच कंपनी के विजन, मिशन एवं संस्कृति को प्रमुखता से रखने के लिए इसके बारे में कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं।

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/दिव्यांग व्यक्तियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया है। संपर्क अधिकारी के कार्यालय में एक पृथक शिकायत रजिस्टर भी रखा गया है।

आपकी कंपनी अपने महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य माहौल प्रदान करने के प्रति कटिबद्ध है। आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए गठित की है।

कर्मचारियों का विकास

आपकी कंपनी ने अन्य मेट्रो रेल और भारतीय रेल से मेट्रो रेल संगठन के क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति/संविदा/नियमित/पुनर्नियुक्ति आधार पर अनुभवी जनशक्ति की भर्ती की है ताकि सभी दृष्टि से कार्य को त्वरित रूप से और दक्षतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके।

आपकी कंपनी प्रत्येक कर्मचारी को नई अपनाई गई 5 डी बी आई एम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत फाइल लाइफ साइकल मैनेजमेंट सिस्टम (एफ एल एम) नामक विशिष्ट साफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करती है जिससे न केवल कार्यलय के कागजी कार्य कम करने बल्कि फाइल को ऑनलाइन, तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट तरीका प्रदान करने में भी सहायता मिलती है और डिजिटल रिकॉर्ड हमेशा के लिए कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध होता है।

आपकी कंपनी अपने प्रत्येक कर्मचारी को नई अपनाई गई 5 डी आई एम प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें ऑनलाइन फाइल मूवमेंट, जिसे फाइल लाइफ साइकल मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, कर्मचारी स्वयं सेवा (ई एस एस) एवं प्रबंधक स्वयं सेवा (एम एस एस) और सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट (एस ए पी) शामिल हैं।

कंपनी सभी स्तर के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करती है। सामान्यतया, भारत के सुप्रसिद्ध मेट्रो रेल प्रशिक्षण संस्थान में अर्थात् हैदराबाद मेट्रो रेल प्रशिक्षण संस्था, हैद्राबाद और दिल्ली मेट्रो रेल प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

आपकी कंपनी सिविल, चल स्टॉक, इलेक्ट्रिकल, सिगनलिंग एवं दूरसंचार, रेलगाड़ी परिचालन, प्रापण, मानव संसाधन तथा वित्त के क्षेत्र में अपने कर्मचारियों को कार्यशाला, सेमिनार तथा प्रशिक्षण आदि में भेजकर विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करवाता है।

इस संगठन द्वारा प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक पैकेज की तुलना डी एम आर सी तथा भारत के अन्य मेट्रो रेल कंपनियों में दिए जाने वाले पैकेज से की जा सकती है। इससे प्रशिक्षण को आकर्षित करने और उसे अपने पास बनाए रखने में मदद मिलती है।

17- jktHkk"kk%

वर्ष के दौरान, कंपनी में अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) की अध्यक्षता में एक पृथक राजभाषा प्रभाग स्थापित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट को भी द्विभाषी बनाया गया है।

18- l ipuk dk vf/kdkj%

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। वर्ष के दौरान कुल 142 आर टी आई आवेदनों एवं अपीलों पर कार्रवाई की गई।

19- l rdrrk%

कंपनी में सतर्कता विभाग के प्रमुख, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जो प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं। सतर्कता इकाई केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों, कंपनी के व्यवसाय एवं कार्यों से संबंधित मौजूदा आंतरिक दिशानिर्देशों का पालन करती है। निवारक जांच में दंडात्मक कार्रवाई के बजाए रोकथाम पर अधिक जोर दिया गया है। जांच के निष्कर्ष को प्रणालीगत सुधार संबंधी परिपत्रों में सावधानीपूर्वक शामिल किया जाता है ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

20- Åtkl l j {k.k çks} kfxdñ vo' kks'k.k vksj fons' kh epk vtñ , oa cfgxñe%

आपकी कंपनी ने ऊर्जा की बचत करने तथा वैधानिक माध्यम से ऊर्जा सृजित करने एवं उसका प्रयोग करने के लिए कई उपाय किए हैं :

- Hkouka ds vkfdMdpjy Ldsi rFkk cfu; knh <kps %bUÝkLVdpj½ ds fMtkbu ds ek/; e l %
- सभी तकनीकी, पेड एवं अनपेड एरिया में दिन के समय स्टेशनों पर नैसर्गिक रोशनी का अधिकतम उपयोग।
- पूरे एलेवेटेड कॉरीडोर में ओ एच ई के लिए अलग-अलग मास्ट के बजाए ट्यूबलर पोर्टलों का प्रयोग। इससे उन स्थानों की सुंदरता बढ़ती है और खोखले (होलो) ट्यूब से स्टील की खपत में बचत होती है।
- स्टेशनों में और चुनिंदा स्टेशनों में वी एफ डी आधारित चिलर्स में वी आर वी/वी आर एफ (वेरिएबल रेफ्रिजेंट फ्लो) का प्रयोग करके पब्लिक आकूपेशन के आधार पर नियंत्रित वातानुकूलन।
- l ks vk/kfjr Åtkl mri knu%
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में, सौर ऊर्जा संयंत्रों को सभी मेट्रो स्टेशनों की छतों और डिपो क्षेत्र में संस्थपित किया जा रहा है।
- सभी मेट्रो स्टेशनों की छतों, डिपो एवं चहारदिवारी में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

- यह योजना है कि परिचालन चरण के दौरान कर्षण ऊर्जा सहित 65 प्रतिशत ऊर्जा अपेक्षाओं को सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। आपकी कंपनी सौर ऊर्जा के ऐसे आकांक्षी प्रयोग के लिए योजना बनाने हेतु सौर ऊर्जा अनुकूल पर्यावरण का लाभ उठा रही है। निवेश, डिजाइन, संस्थापन, कमिशनिंग और ओ एवं एम का कार्य आर ई एस सी ओ मॉडल पर चुनिंदा बोली लगाने वालों द्वारा किया जाना होता है। सौर ऊर्जा के परिणामस्वरूप ओ एवं एम लागत में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी आएगी।
 - आपकी कंपनी ने तीन मेट्रो स्टेशनों अर्थात खापरी, न्यू एयरपोर्ट एवं एयरपोर्ट साउथ तथा मेट्रो भवन में संस्थापित की जाने वाली क्रमशः 312.65 के डब्ल्यू पी एवं 273 के डब्ल्यू पी सौर पी पी प्रणालियों के विकास के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एस ई सी आई) के माध्यम से चयनित प्रसिद्ध सोलर पी वी डेवलपर के साथ पहले ही करार कर लिया है।
- न {k çkS| kfxf d; k d k ç; ksx dj ds ykbfVx , oa , p oh , l h fu; æ. k
- सभी मेट्रो स्टेशनों, कार्यालयों, डिपो क्षेत्रों, सेतु (वायडक्ट), पार्किंग क्षेत्रों, संपत्ति विकास क्षेत्रों तथा रोशनी की अपेक्षा वाले अन्य सभी स्थानों में शत-प्रतिशत एल ई डी लाइटिंग का प्रयोग।
 - रेलगाड़ियों के आंतरिक एवं बाह्य संरचना में रोशनी के लिए ऊर्जा दक्ष एल ई डी लाइट्स का प्रयोग किया जाता है।
 - बिना प्रयोग वाले समय के दौरान या खाली क्षेत्रों में ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए स्टेशनों और प्रशासनिक भवन में विशेष के एन एक्स आधारित रोशनी नियंत्रण प्रणाली।
 - प्रशासनिक भवन और चुनिंदा स्टेशनों में उच्च दक्ष वी एफ डी (वेरिबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव) आधारित चिलर प्लांट्स का प्रयोग। शेष स्टेशनों में वी आर वी/वी आर एफ प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है जो पारंपरिक डी एक्स आधारित यूनिटों की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक दक्ष है।
 - लिफ्ट एवं एस्केलेटर्स के लिए वेरिबल वोल्टेज वेरिबल फ्रिक्वेंसी (वी वी वी एफ) ड्राइव जो यात्रियों के नहीं रहने पर लिफ्ट के लिए स्लीप मोड और एस्केलेटर्स के लिए आइडलिंग या स्लो स्पीड मोड प्रदान करता है।
- py LVkld ds ek/; e l %
- रेलगाड़ी की नोदन (प्रोपल्सन) प्रणाली के लिए वेरिबल वोल्टेज वेरिबल फ्रिक्वेंसी (वी वी वी एफ) ड्राइव जो रेलगाड़ी की पावरिंग के दौरान ऊर्जा को इष्टतम करता है। रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के दौरान उच्च विशिष्ट ऊर्जा खपत।
 - डिब्बों (कोच) में एच वी ए सी में दक्ष हीट एक्सचेंज।

संसाधनों का वित्त, व्यय और आय

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	2017&18	2016&17
क	कंपनी सामग्री	शून्य	शून्य
	भंडार एवं कल पुर्जे	शून्य	शून्य
	पूंजीगत वस्तु	5,307.19	शून्य
ख	पेशेवर एवं परामर्श शुल्क	1,040.06	721.27
	यात्रा (टूर एवं ट्रेवल्स)	47.50	50.19
	संविदा	7,573.20	280.52
	अन्य	0.17	शून्य
ग	परामर्श	शून्य	शून्य
	ब्याज	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य
घ	आयातित	शून्य	शून्य
	स्वदेशी	शून्य	शून्य

21- पर्यावरण संरक्षण

आपकी कंपनी ने कई अभिनव एवं विशिष्ट विशेषताओं के साथ हरित मेट्रो के लिए योजना बनाई है, डिजाइन किया है और इसे कार्यान्वित किया है। इसमें कई स्थायी विशेषताएं हैं जो आरंभिक चरण से ही शामिल की जा चुकी हैं। जल एवं गैर-नवीकरणीय ऊर्जा जैसे संसाधनों का संरक्षण करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण संबंधी विभिन्न पहलें निम्नलिखित हैं :

पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, श्रमिकों/उपायों को अपनाने, ऊर्जा दक्षता के लिए अत्याधुनिक सामग्री एवं अभियांत्रिकी का प्रापण करने, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन योजना का अनुपालन करने के लिए परियोजना के डिजाइन हेतु बिल्ट-इन कॉन्ट्रेक्टुअल प्रावधान, इस परियोजना को पर्यावरण रूप से हितैषी उपायों, सामग्री एवं अभियांत्रिकी की व्यवस्था करते समय बेहतर रूप से अनुकूल स्थिति में रखता है।

पर्यावरण एवं परिसंचन चरण के दौरान पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन के लिए परियोजना विशिष्ट ई एस एम पी (के एफ डब्ल्यू, वित्तपोषण एजेंसी) तैयार की गई है। ई एस एम पी में पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियां शामिल हैं। इसका मौके पर कार्यान्वयन, इसे अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं से बिल्कुल भिन्न परियोजना बनाती है।

आपकी कंपनी के साथ कार्य कर रहे सभी संविदाकार निर्माण चरण के दौरान ई एस एम पी योजना का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं। ई एस एम पी उपायों के साथ-साथ आपकी कंपनी ने विभिन्न दिशानिर्देशों यथा, आवाज नियंत्रण उपायों, मौनसून से निपटने की तैयारी योजना, बैचिंग प्लांट और लेबर कैम्प की स्थापत्य आदि भी तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों ने स्थलों पर पर्यावरणीय संरक्षण उपायों को बढ़ाने में मदद की है। कार्य स्थल पर परिवेशी पर्यावरणीय मानदंडों की मॉनीटरिंग संविदाकारों के लिए एक नियमित पद्धति है। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना की मासिक पर्यावरणीय मॉनीटरिंग की स्थिति नीचे दी गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण चरण के दौरान तत्कालिक एवं संचयी प्रभाव अनुमेय/स्वीकार्य स्तरों से अधिक नहीं हों, चिह्नित संवेदनशील पर्यावरणीय रिसेप्टर्स की मॉनीटरिंग की जाती है। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए मार्च 2018 तक परिवेशी पर्यावरणीय मॉनीटरिंग की स्थिति नीचे दी गई है।

i) तु 2017 ल स ि फ ; क्स्तुक द्स् बहं&fxnल ि फ्ज ओ' क्ख ओक ; ग्ख क्ख र्क १/ि क्ख/द्वयस्/ ए/ज १/१ धि एकुह/व्ज १/१

मॉनीटर किए गए अवस्थानों की सं. 620 तथा सभी वायु गुणवत्ता मानदंड सी पी सी बी द्वारा निर्धारित मानक सीमा के भीतर है।

ii) ि फ ; क्स्तुक द्स् बहं&fxnल ि फ्ज ओ' क्ख /ोफु ख्ख क्ख र्क १/ज क्ख= द्स् ल ए ; /ोफु ल्ज १/१ धि एकुह/व्ज १/१

मॉनीटर किए गए अवस्थानों की सं. 620 तथा 1.45 प्रतिशत (9) सी पी सी वी द्वारा निर्धारित ध्वनि स्तरों की सीमा से अधिक है।

iii) ह्कल&त्य , ओ एनक फु{क्ख्यु १/य्थिपस्/१/१

मॉनीटर किए गए अवस्थानों की सं. 22 तथा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों तथा भारी धातुओं जैसे मानदंड सीमा के भीतर हैं।

iv) वि फ'क"व च्च/कु

रिसाइकिल किए गए निर्माण अपशिष्ट की गुणवत्ता प्राधिकृत एजेंसी द्वारा घरेलू अपशिष्ट के निपटान 70 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत से अधिक है।

ि ज्द ओह्दज . क्ख शहर में आधारभूत ढांचे के विकास कार्य से पारिस्थितिकीय या पर्यावरणीय क्षरण नहीं होना चाहिए। हरित पहलों के भाग के रूप में, महा मेट्रो ने नागपुर के अमबाजारी क्षेत्र में 30 हेक्टेयर में 5000 पौध (सैंपलिंग) का रोपण किया है और इसे "लिटल वूड" कहा गया है। 38 किस्मों के वृक्षों का रोपण किया गया है और उनमें से सभी स्थानीय जलवायु के लिए उपयुक्त हैं और उनकी उत्तरजीविता दर 90 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए आपकी कंपनी सर्वश्रेष्ठ वैश्विक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी – अरबोरी कल्चर का प्रयोग कर रही है और अब तक लगभग 301 वृक्षों का रोपण



किया गया है और उनकी उत्तरजीविता दर 100 प्रतिशत है। आपकी कंपनी ने हरित परिवेश बढ़ाने के लिए शहर के विभिन्न भागों में पौध (सैपलिंग) एवं वृक्षों का रोपण करने की योजना बनाई है। रास्ते में आ रहे कुछ वृक्षों को काटने के बजाए वैकल्पिक अवस्थान पर प्रत्यारोपित करने का प्रस्ताव है।

आपकी कंपनी ने स्तंभों पर वर्टिकल गार्डन को शुरू किया है जो न केवल सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है बल्कि शहर में कार्बन फूटप्रिंट को कम करने में भी मदद करता है। यह हरियाली बढ़ाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, परिवेशी वायु की गुणवत्ता बेहतर करने, मनोरंजन के लिए आनंददायक माहौल सृजित करने तथा पास में रह रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने के उद्देश्य से मिहान क्षेत्र में "इको-पार्क" विकसित कर रहा है। यह योजना बनाई गई है कि इको-पार्क के लिए जल की आवश्यकता को कोच/रेलगाड़ी के वाशिंग प्लांट के शोधित जल से पूरा किया जाएगा।

आपकी कंपनी और इसकी यूटिलिटीज में भारतीय हरित भवन परिषद (आई जी बी सी) के अंतर्गत प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने की योजना बनाई गई है। सभी स्टेशनों, प्रशासनिक भवन और डिपो की योजना एवं डिजाइन आई जी बी सी मानदंडों के अनुसार किया गया है। नागपुर में दो डिपो के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। स्टेशनों के लिए ऊर्जा सिमूलेशन मॉडलिंग चल रहा है। परियोजना से निम्नलिखित लाभ होंगे :



- परियोजना के स्थायित्व में वृद्धि करना
- संसाधन संरक्षण के संदर्भ में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना
- ऊर्जा एवं जल की खपत को कम करना
- शहरी आधारभूत ढांचे (सीवर एवं स्टॉर्म वाटर लाइन्स आदि) पर भार को कम करना
- बेहतर अंतरंग पर्यावरण के माध्यम से ओकूपेंट्स के लिए आराम बढ़ाना

आई जी बी सी ने प्राथमिकता वाले सेक्शन के तीन मेट्रो स्टेशनों के लिए नागपुर मेट्रो रेल परियोजना को प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की है अर्थात एयरपोर्ट साउथ-न्यू एयरपोर्ट और खापरी। प्लेटिनम रेटिंग आई जी बी सी हरित एम आर टी एस रेटिंग प्रणाली के अनुसार प्रदान किया जाने वाला मेट्रो स्टेशनों के लिए सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है।



इस पहल से पर्याप्त मात्रा में जल (सामान्य स्थिति से 30 प्रतिशत से अधिक) और ऊर्जा (15 प्रतिशत से अधिक) की बचत होगी और अधिक आराम एवं सुविधा, शहर की संस्कृति, विरासत एवं परंपराओं के बारे में सूचना से यात्रा अनुभव और अधिक सुखद होगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आपकी कंपनी ने नागपुर मेट्रो के निर्माण चरण के लिए बाह्य पर्यावरणीय एवं सामाजिक मॉनीटरिंग विशेषज्ञों के साथ बातचीत की है। ये विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विनियमों (विश्व बैंक कार्यनिष्पादन मानकों) के अनुपालन में कार्यान्वित हो और यह कि स्थापित सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए, स्वतंत्र आवधिक समीक्षा करते हैं।

मॉनीटरिंग स्थापित सामाजिक प्रबंधन योजना (एस एम पी), पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ई एम पी), पुनर्व्यवस्थापन कार्य योजना (आर ए पी) तथा पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्वास (आर एवं आर) नीति पर आधारित होती है। नवंबर 2017 के दौरान मैसर्स ई आर एम द्वारा पहली लेखा परीक्षा की गई और उसके बाद वर्ष 2018 की पहली तिमाही के दौरान तिमाही मॉनीटरिंग लेखा परीक्षा की गई। पहली लेखा परीक्षा रिपोर्ट को फरवरी 2018 के दौरान वित्तपोषण एजेंसियों के अवलोकनार्थ उनको प्रस्तुत किया गया।

आपकी कंपनी ने परियोजना के निर्माण एवं परिचालन चरण के लिए व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन योजना की रूप रेखा तैयारी की है। निर्माण चरण के दौरान सृजित अपशिष्ट में अधिक मृदा, सी एवं डी अपशिष्ट, कचरा एवं सीवेज शामिल हैं। निर्माण के दौरान सृजित अधिक मृदा का दोबारा उपयोग पृष्ठभराव (बैकफिलिंग), लैंडस्केपिंग और परियोजना यूटिलिटीज में वृक्षारोपण के लिए किया जाता है। सी एवं डी अपशिष्ट को उनकी आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्धारित अवस्थान पर एकत्र किया जाता है। स्थलों पर सृजित कचरों को स्थलों पर ही तीन श्रेणियों में पृथक किया जाता है अर्थात् रिसाइक्लेबल अपशिष्ट, बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट। रिसाइक्लेबल अपशिष्टों को रिसाइकल वैंडरों को बेचा जाता है। खतरनाक अपशिष्टों को पर्यावरण रूप से स्वीकार्य निपटान हेतु प्राधिकृत रिसाइकलर्स को सौंपा जाता है। निर्माण के दौरान सृजित सीवेज को यह सुनिश्चित करके कि उत्सर्जित कूड़े-कर्कट, भूमि निस्सरण मानकों के अनुरूप हों, बायो-डाइजेस्टर्स की मदद से शोधित (ट्रीट) किया जाता है।

मेट्रो के परिचालन के दौरान, आपकी कंपनी मौके पर मानव अपशिष्ट के निपटान के लिए सभी स्टेशनों, डिपो और मुख्यालय में पारि-हितैषी रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (डी आर डी ई) द्वारा विकसित बायो-डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी को संस्थापित करेगी। प्रस्तावित प्रौद्योगिकी न्यूनतम ऊर्जा के प्रयोग और जीरो स्लज फॉर्मेशन के साथ सीवेज को शोधित करने के लिए प्राकृतिक तरीका है। यह परिचालन चरण के दौरान सृजित सीवेज का शत-प्रतिशत शोधन स्टेशन के अवस्थान पर सुनिश्चित करेगी और इसका विभिन्न प्रयोजन के लिए दोबारा उपयोग किया जाएगा। डी आर डी ई प्रौद्योगिकी के लाभ निम्नलिखित हैं :

- मानव अपशिष्ट का पारि-हितैषी तरीके से निपटान
- कोई स्लज फॉर्मेशन एवं अनुरक्षण शुल्क नहीं
- कोई ऊर्जा आवश्यकता नहीं
- उत्सर्जित कचरा पर्यावरणीय निस्सरण के लिए सुरक्षित है
- कोई भू-जल प्रदूषण नहीं
- सार्वजनिक आधारभूत ढांचे पर शून्य प्रदूषण भार।



शोधित जल को सतह धोने एवं बागवानी प्रयोजनों के लिए दोबारा उपयोग में लाने का प्रस्ताव है।

[krjukd vif'k"V çc/ku% खतरनाक ठोस अपशिष्टों यथा, ऑयल फिल्टर्स, तेल से संदूषित कपड़े, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स आदि के लिए समर्पित भंडारण स्थान प्रदान किए गए हैं। अपशिष्ट को फैलने से रोकने के लिए अपशिष्ट तेल, डीजल, बैटरियों, पेंटों के लिए अभेद्य और छायादार भंडारण प्लेटफॉर्म प्रदान किए गए हैं। तेल को फैलने से नियंत्रित करने के लिए फ्यूल ट्रांसफर पम्प और ड्रिप ट्रे का प्रयोग किया जा रहा है तथा भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपशिष्ट तेल कक्ष में जले लूब्रिकेंट तेल को अलग से भंडारित किया जाता है।

बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकल अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए लेबर कैम्प कास्टिंग यार्ड तथा स्थल पर विभिन्न कार्य अवस्थानों पर पृथक अपशिष्ट कूड़ादान प्रदान किए गए हैं।

ty | j{k.k% आई जी बी सी मानदंडों के अनुसार मेट्रो परियोजना के डिजाइन से जल के उपयोग में 30 प्रतिशत तक कमी सुनिश्चित होती है और यह संरक्षण मानव सुविधा से कोई समझौता किए बिना प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी बागवानी एवं सतह धोने के प्रयोजन के लिए शोधित जल का उपयोग करके जल की मांग कम करेगी। छिड़काव सिंचाई प्रणाली द्वारा वृक्षारोपण एवं लैंडस्केपिंग के लिए देशी एवं अनुकूलक तरीके, पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में मीठे जल की मांग को आगे और कम करेंगे।

Ok"kkz ty | p; u %vkj MCY; w , p% ds ek/; e | s ty | j{k.k

- छत पर रन-ऑफ को शत-प्रतिशत संग्रह करने के लिए आर डब्ल्यू एच पिट्स बनाए गए हैं;
- स्टेशन की छत, सेतु (वायडक्ट) तथा भवन की छत पर रन ऑफ के लिए आर डब्ल्यू एच की व्यवस्था;
- सेनिटरी फिक्सचर्स का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि यह विनिर्दिष्ट दबाव पर इष्टतम उत्सर्जन (डिस्चार्ज) प्रदान करता है;
- नॉन कन्टेक्ट उपयोग के लिए शोधित सीवेज का दोबारा उपयोग करने के लिए ड्वेल प्लंबिंग लाइन प्रदान की जाती है।



ok; q çnllk.k dks de djuk% स्थलों पर समर्पित जल छिड़काव इंतजाम, बैचिंग प्लांट में कॉनवेयर बेल्ट के लिए कवर, सिलो से उत्पन्न होने वाले धूल को नियंत्रित करने के लिए बैग



फिल्टर और निर्माण उपकरण एवं वाहन (सी ई वी) और डी जी सेट्स का नियमित रख-रखाव ऐसे उपाय हैं जो निर्माण कार्य से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाते हैं। निर्माण स्थलों पर पर्यावरणीय मानदंडों की नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है जिससे संबंधित प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है। बैरिकोड बोर्डों पर जमा हुए पैर के धूल को नियमित

रूप से साफ किया जाता है ताकि सड़क के धूल प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाए। इससे सड़क को साफ रखने में मदद मिलती है।

LoPN fodkl r# %l hMh, e% स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) एक बाजार प्रेरित तंत्र है और व्यापार परिचालन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थायित्व में योगदान देने का अवसर देता है और साथ ही कार्बन क्रेडिट बेच कर राजस्व अर्जित करने में सहायता करता है।

इस परियोजना के अंतर्गत, आपकी कंपनी निम्नलिखित के लिए प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सी ई आर) अर्जित करेगी :

- चल स्टॉक (रेलगाड़ी) में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली का प्रयोग।
- कारों/बसों तथा सड़क परिवहन की अन्य साधनों (कारों, टैक्सियों, 2/3 पहिया वाहनों) में सार्वजनिक यात्रा को मेट्रो रेलगाड़ियों में शिफ्ट करना।

22- द्वािह द्धि वित्तीय fLFkfr dks ङHkkfor djus okys egRoinkl ifjorlu vkj ङfrc) rk, j ; fn dkbz gq tks द्वािह द्धि वित्तीय o"kl ftl l s वित्तीय foofj.k l xcf/kr gq ds var vkj fji kvZ dh rkjh[k ds chip gq gq vkj nh xbz gq

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं हैं जो 500 करोड़ रु. या इससे अधिक के निवल मूल्य वाली कंपनियों द्वारा अपनाएं जाने के लिए सांविधिक रूप से अपेक्षित भारतीय लेखा मानक को अपनाए जाने के सिवाय कंपनी की वित्तीय स्थिति के वित्तीय वर्ष को प्रभावित कर रहा हो।

23- fofu; kedka ; k U; k; ky; ka ; k vf/kdj .kka }kjk ikfjr , s s rkfRod , oa l kjoku vkn'skka dk C; kjk tks द्वािह द्धि orZeku fLFkfr rFkk Hkfo"; ea द्वािह द्धि ifjpkyyuka dks ङHkkfor djrk gka

विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण और तात्त्विक आदेश जारी नहीं किए गए जो कंपनी की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करता हो।

24- tek%

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत जनता से कोई जमा आमंत्रित नहीं की है।

25- de'pkfj ; ka dk foofj .k%

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(12) के अंतर्गत सूचित किए जाने के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं था। फंक्शनल निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्योरा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने एतद्वारा यह कहा है कि आपकी कंपनी को समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निराकरण) अधिनियम, 2011" के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

26- द्वाि उह व/कफु; ए] 2013 धि /कुक 134 1/3 1/2 (G) दस वुद कु ___ . ककु fuos कका व/कु xकु अ/ह दक फुज . क%

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने

क- किसी व्यक्ति या किसी निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है;

ख- किसी निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है; तथा

ग- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत यथा विहित किसी अन्य निगमित निकाय के सब्सक्रिप्शन, खरीद या अन्यथा द्वारा, प्रतिभूतियां अर्जित नहीं की हैं।

27- ककु, , व/कु ल ह & 2 ए] /कुक 188 धि मि /कुक 1/4 1/2 ए] म/य/य [कुर ल अ/कुर ल {कका दस ल कफु ल फुन/वका ; क 0; ओ/कुक दक फुज . क%

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ कोई संविदा या व्यवस्था नहीं की है।

28- ल क/फ/क/द य/कुक ल ह {कुक धि फु ल क/व/क%

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स जोध जोशी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नागपुर को नियुक्त किया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, जो वित्तीय विवरणों का भाग है, संलग्न है। सुसंगत लेखापरीक्षित टिप्पणियों के साथ पठित सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उनकी टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं और उन्हें आगे और स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है।

29- फु; अ/द , ओ] एग/कुस [कुक ल ह {कुक} ककु र 1/4 द/कु 1/2 धि फु ल क/व/क%

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखाओं तथा लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर * ककु; * टिप्पणियां दी हैं।

30- ल फ/प/ह; य/कुक ल ह {कुक}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसरण में मैसर्स प्राग दसावर, कार्यरत कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

31- दकु ल कु/व 'कुक ल ह {कुक}

आपकी कंपनी अपने सभी क्रियाकलापों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व का अनुसरण करने के लिए कॉरपोरेट शासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाने के लिए लगातार प्रयास करती है। कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

32- त/क/के क/कु/कु उ/ह/र/क%

जोखिम प्रबंधन, कंपनी की कार्यनीतिक आयोजना का अभिन्न अंग है, इसका उद्देश्य परिसंपत्तियों तथा संसाधनों को सुरक्षित रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों को लगातार स्वीकार्य एवं प्रबंधन योग्य स्तर तक कम रखा जाए। आपकी कंपनी संभावित जोखिमों के होने से पहले उन्हें चिन्हित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रबंधन क्रियाकलापों की योजना बनाई जा सके तथा परियोजना की पूरी अवधि में जब कभी इसकी आवश्यकता हो इनका सहारा लिया जा सके और

साथ ही इसका उद्देश्य बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करना भी है।

इसे ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने समुचित रूप से जोखिम मूल्यांकन नीति अनुमोदित की है और निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को चिह्नित भी किया है :

1. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी मौजूदा एवं भावी सामग्री जोखिम एक्सपोजर को समय पर चिह्नित किया जाए, आकलन किया जाता है, उसकी मात्रा निर्धारित की जाती है, उसे समुचित रूप से प्रशमित किया जाता है, कम किया जाता है, और उसका प्रबंधन किया जाता है;
2. यह सुनिश्चित करना कि अधिक प्राथमिकता वाले जोखिमों का जोरदार ढंग से प्रबंधन एवं उन्मूलन किया जाए;
3. यह सुनिश्चित करना कि सभी जोखिमों का पूरी परियोजना में किफायती ढंग से प्रबंधन किया जाए;
4. परियोजना की सफलता के लिए आवश्यक मुद्दों पर सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर सूचना को साझा किए जाने को बढ़ावा देना;
5. जहां कहीं लागू हो, उपयुक्त विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

आपकी कंपनी ने विशिष्ट उद्देश्यों का पालन करने और उनमें सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया है:

- स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा तिमाही आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करना; उनकी टिप्पणियों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है और जहां कहीं उपयुक्त पाया जाता है सुधारात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं।
- इस प्रयोजनार्थ गठित टीम और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित अंतराल पर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन;
- डाटा के संचार एवं भंडारण के लिए डाटा इन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जो सुरक्षा एवं डाटा संरक्षा सुनिश्चित करती है;
- कंपनी की परिसंपत्तियों को बीमा करना।

33- वक्रिज द फोररि; फु; अ. क%

बोर्ड ने अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखकर, त्रुटियों एवं धोखाधड़ी की रोकथाम करके और उनका पता लगाकर, लेखा रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णतः सुनिश्चित करके तथा विश्वसनीय वित्तीय विवरणों को समय पर तैयार करके और प्रस्तुत करके आपकी कंपनी के व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने हेतु ठोस नीतियों एवं प्रक्रियाओं को अपनाया है।

34- ओके"कड फूज. क्हि डक म) ज. क%

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी का उद्धरण विहित फॉर्म, एमजीटी - 9 में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

35- फुन'कड वक्य ङेक[क ङक/कु दक/एद १/दस, ऐ ह/१%

इस रिपोर्ट की तारीख तक महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के (निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) में 13 निदेशक शामिल हैं जिनमें से 5 निदेशक भारत सरकार के नामिती हैं, 5 निदेशक महाराष्ट्र सरकार के नामिती हैं और 3 फंक्शनल निदेशक हैं। अध्यक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव हैं जो भारत सरकार के नामिती हैं और प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र सरकार के नामिती हैं।

35-1 ब्लि फुन'कड वक्य ङेक[क ङक/कु दक/एद १/दस, ऐ ह/१%

Ø- l a	fun's kd dk uke	Js kh	Mhvkbz, u	fu; fä dh rkjh[k
1	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, अध्यक्ष, महा मेट्रो एवं सचिव (शहरी विकास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	भारत सरकार के नामिती	02944212	23 / 06 / 2017
2	श्री बृजेश दीक्षित, प्रबंध निदेशक, महा मेट्रो	प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र सरकार के नामिती	07065694	18 / 02 / 2015
3	श्रीमती झांजा त्रिपाठी, निदेशक, महा मेट्रो एवं संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार (शहरी विकास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,	भारत सरकार के नामिती	06859312	18 / 02 / 2015
4	श्री मुकुंद कुमार सिन्हा, निदेशक, महा मेट्रो एवं ओ एस डी (यू टी) और पदेन संयुक्त सचिव (शहरी शहरी विकास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	भारत सरकार के नामिती	06774923	18 / 02 / 2015
5	श्री एन एम ढोके, निदेशक, महा मेट्रो एवं निदेशक (आर एस ई एवं ओ एम) बी एम आर सी एल बंगलौर	भारत सरकार के नामिती	06900265	20 / 10 / 2016
6	श्री ए के पांडेय, निदेशक, महा मेट्रो एवं मुख्य अभियंता/निर्माण, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर/भारत सरकार के नामिती	भारत सरकार के नामिती	07941012	21 / 08 / 2017
7	श्री यू पी एस मदान, निदेशक, महा मेट्रो एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र सरकार	महाराष्ट्र सरकार के नामिती	03570256	02 / 05 / 2018
8	श्री नितिन करीर, निदेशक, महा मेट्रो एवं प्रधान सचिव (शहरी विकास-1), शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार	महाराष्ट्र सरकार के नामिती	01624863	18 / 02 / 2015

9	श्री सौरभ राव, निदेशक, महा मेट्रो एवं नगरपालिका आयुक्त, पुणे नगर निगम (पी एम सी)	महाराष्ट्र सरकार के नामिती	08127958	17 / 04 / 2018
10	श्री वीरेन्द्र सिंह, निदेशक, महा मेट्रो एवं नगरपालिका आयुक्त, नागपुर नगर निगम, (एन एम सी)	महाराष्ट्र सरकार के नामिती	08158247	04 / 05 / 2018
11	श्री महेश कुमार, निदेशक (परियोजना), महा मेट्रो	पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक	06564150	06 / 01 / 2016
12	श्री सुनील माथुर, निदेशक (आरएस एवं एस), महा मेट्रो	पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक	07434150	21 / 01 / 2016
13	श्री एस. शिवमाथन, निदेशक (वित्त), महा मेट्रो	पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक	07534472	14 / 09 / 2016

35-2 वित्तीय 0"क 2017&18 ds nkj ku funs'kd es gq i fjo r u %

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड की चार बैठकें हुईं। वर्ष के दौरान निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, 23 जून, 2017 को श्री राजीव गौबा, पूर्व सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के स्थान पर बोर्ड में शामिल हुए।
- श्री अरुण शिंदे, मुख्य अभियंता/निर्माण, दक्षिण पूर्व मध्य रेल, नागपुर 21 अगस्त, 2017 को श्री शैलेन्द्र सिंह, पूर्व ई डी एम ई (चं), रेलवे बोर्ड के स्थान पर बोर्ड में शामिल हुए।
- श्री अश्विन मुदगल, नगरपालिका आयुक्त, नागपुर नगर निगम, 21 अप्रैल 2017 को श्री श्रवण हार्दिकर, पूर्व आयुक्त, नागपुर नगर निगम (एन एम सी) के स्थान पर बोर्ड में शामिल हुए।

35-3 pkyw foRrh; 0"क 2018&19 ds nkj ku %okf"kd vke cBd dh rkjh[k l s i n % i fjo fr r gq funs'kd %

- श्री उरविन्दर पाल सिंह मदान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शहरी विकास (महाराष्ट्र सरकार) दिनांक 2 मई, 2018 को श्री दिनेश कुमार जैन, पूर्व अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शहरी विकास (महाराष्ट्र सरकार) के स्थान पर बोर्ड में शामिल हुए।
- श्री सौरभ राव, नगरपालिका आयुक्त, पुणे नगर निगम, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को श्री कुनाल, पूर्व नगरपालिका आयुक्त, पुणे नगर निगम के स्थान पर बोर्ड में शामिल हुए।
- श्री वीरेन्द्र सिंह, नगरपालिका आयुक्त, नागपुर नगर निगम दिनांक 4 मई, 2018 को पूर्व नगरपालिका आयुक्त, नागपुर नगर निगम के स्थान पर बोर्ड में शामिल हुए।

आपकी कंपनी में वार्षिक साधारण बैठक की तारीख की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक हैं। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा निम्नवत है:

उके	इनके	फु; (ä dh rkjh[k
श्री बृजेश दीक्षित	प्रबंध निदेशक	18.02.2015
श्री एस. शिवमाथन	वित्त निदेशक/मुख्य वित्तीय अधिकारी	14.09.2016
सुश्री नितिका अग्रवाल	कंपनी सचिव	09.03.2017

36- कर्मिकों की फेरि धि कर्कडक धि क; क्क%

कर्मिकों की कर्कडक %

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निदेशक मंडल की 4 बैठकें हुईं। इन बैठकों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

कर्मिकों की कर्कडक धि क	कर्मिकों की कर्कडक धि क्क%	मि फ्लफ्र फुन'कडक धि क
1	1 जुलाई 2017	10
2	23 सितंबर 2017	9
3	6 जनवरी 2018	4
4	9 फरवरी 2018	11

कर्मिकों की फेरि; क्क%

बोर्ड ने चार उप-समितियां गठित की हैं। ये हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. परियोजना समिति
3. निवेश समिति
4. मानव संसाधन समिति

इनमें से प्रत्येक उप-समिति, कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर बैठक करती हैं। बोर्ड की उप-समितियों का ब्यौरा "कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट" के अंतर्गत दिया गया है।

37- फुन'कड उत्तरदायित्व फोज. क्क%

वित्तीय विवरणों को कतिपय वित्तीय लिखतों के सिवाय, जिन्हें उचित मूल्यों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आकलित किया जाता है, प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत भारतीय लेखा मानक के अनुसार किया गया है।

कंपनी ने सभी लागू भारतीय लेखा मानक को अपनाया है और अपनाने का यह कार्य लागू ट्रांजिशन मार्गदर्शन के अनुसार अब किया जाता है। लेखा नीतियों को लगातार लागू किया है सिवाय उसके जहां नए जारी किए गए लेखा मानक को आरंभ में अपनाया जाता है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन में अब तक प्रयोग में रही लेखा नीति में परिवर्तन अपेक्षित होता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग), और 134 (5) के अधीन निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण के संबंध में अपेक्षा के अनुसरण में,

निदेशकों ने एतद्वारा यह पुष्टि की कि :

- क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखा मानकों का तथ्यात्मक विचलनों के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ अनुपालन किया गया है;
- ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उनका लगातार प्रयोग किया है और यह निर्णय और अनुमान किया है जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि के बारे में सत्य एवं निष्पक्ष विचार देने के लिए समुचित एवं विवेक संगत हो;
- ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए समुचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है;
- घ) निदेशकों ने सतत आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया है; और
- ड.) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हों और प्रभावी रूप से परिचालित हो रही हों, समुचित प्रणालियां तैयार की हैं।

38- Lora= funs' kdkk }kj k ?kks" k. kk%

यह कंपनी भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का 50:50 हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम है और इसे स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने से छूट प्राप्त है।

39- vkbZ | h , | vkbZ ds | fpoh; ekud%

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसरण में, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने जून, 2017 को निदेशक मंडल की बैठकों के बारे में सचिवीय मानकों (एसएस-1) तथा साधारण बैठकों के बारे में सचिवीय मानकों (एसएस-2) को अधिसूचित किया है जो 01 अक्टूबर 2017 से प्रभावी है। कंपनी इसका अनुपालन कर रही है।

40- vkHkkj %

निदेशक मंडल भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, विनियामक प्राधिकारियों, स्थानीय प्राधिकारियों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, के एफ डब्ल्यू और ए एफ डी, भारतीय स्टेट बैंक, आई सी आई सी आई बैंक, यूनियन बैंक, ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा कंपनी में कार्य से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के सहयोग के

लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है। निदेशक मंडल आपकी कंपनी के अधिकारियों, जनरल कंसल्टेंट्स के कंसोर्टियम सदस्यों, संविदाकारों तथा अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं उनकी प्रतिबद्धता का हार्दिक अभिवादन करता है।

LFkku % ubz fnYyh
fnukad % 28-09-2018

कृस funs'kd eMy]
egk esVks j sy dkl ksj s ku fyfeVM vksj mudh vksj l s

g-@&
¼nqkz 'kdj feJk½
v/; {k

वित्तीय विवरण



PARAG DASARWAR
Company Secretaries

वित्तीय विवरण

दिनांक 31-03-2018 के लिए वित्तीय विवरण
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्य,
एगजिक्यूटिव्स जस्य दक्षिण को फिफेवम,
(पूर्व में "नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड" के रूप में ज्ञात)
मेट्रो हाउस, 28/2, आनन्द नगर,
सी के नायडु मार्ग, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001

मैंने एगजिक्यूटिव्स जस्य दक्षिण को फिफेवम (पूर्व में "नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड" के रूप में ज्ञात) (जिसे यहां इसके बाद "दा उ" कहा गया है), जिसका सीआईएन- U60100MH2015SGC262054 है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों और उत्तम कारपोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा कर ली है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई कि इससे मुझे कारपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए समुचित आधार प्राप्त हुआ।

सचिवीय लेखापरीक्षा किए जाने के दौरान कंपनी की बहियों, कागज-पत्रों, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के सत्यापन के आधार पर, मैं, एतद्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में कंपनी ने दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में उस सीमा, रीति तथा यहां इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अध्यक्षीन समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र स्थापित हैं :

मैंने निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागज-पत्रों, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल फार्म और अन्य रिकार्डों की जांच कर ली है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 (1) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
2. मेट्रो रेल (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978;
3. मेट्रो रेल (परिचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002;
4. मेट्रो रेल (संशोधन) अधिनियम, 2009
5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अंतर्गत विहित विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे, क्योंकि कंपनी वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं थी।

मैंने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

कंपनी के निदेशक मंडल का सम्यक रूप से गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं;

कंपनी के निदेशक मंडल का सम्यक रूप से गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं;

संयुक्त रूप से आयोजित

क्र. सं.	नाम	पद	दिनांक	दिनांक
1.	श्री श्रवण प्रमोद हार्दिकर	नामिती निदेशक (पदेन)	—	21.04.2017
2.	श्री अश्विन अशोक मुदगल	नामिती निदेशक (पदेन)	21.04.2017	—
3.	श्री शैलेन्द्र सिंह	नामिती निदेशक (पदेन)	—	24.05.2017
4.	श्री राजीव गौबा (आई ए एस), सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	अध्यक्ष एवं नामिती निदेशक	—	23.06.2017
5.	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव शहरी विकास मंत्रालय	अध्यक्ष एवं नामिती निदेशक	23.06.2017	—
6.	श्री अवनीश कुमार पांडेय	नामिती निदेशक	21.08.2017	—

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (के एम पी) की नियुक्ति नहीं की गई है।

बोर्ड की बैठकों की समय-सारणी के बारे में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया, एजेंडा और एजेंडे के बारे में विस्तृत बोर्ड नोट्स को अग्रिम रूप से भेजा गया तथा बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अतिरिक्त सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

बहुमत से लिए गए निर्णय को माना जाता है जबकि मतांतर वाले सदस्यों की राय को लिया जाता है और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित के कोई दृष्टांत नहीं थे:

1. प्रतिभूतियों का शोधन/बाय-बैक
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए बड़े निर्णय।
3. विलयन/आमेलन/पुनर्निर्माण आदि।
4. विदेशी तकनीकी सहयोग

कृपया संपर्क करें
डा. उ. ए. ए. ए.

दिनांक 30-07-2018
ल. ए. ए. ए.

g-@&
ijxx nkl jokj
dā uh l fpo
ckckbVj
, Q l h , l uā 9304
l hi h u-% 8227

संयुक्त रूप से आयोजित & 1

वृत्तीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 30-07-2018 दिनांक
लेखा परीक्षा रिपोर्ट 30-07-2018 दिनांक

हमारी रिपोर्ट को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकार्ड का रख-रखाव कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. मैंने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। मेरा विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करते हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में वित्तीय कानून एवं सम्बद्ध अधिनियम शामिल नहीं हैं।
4. आवश्यकतानुसार, मैंने कानूनों/नियमों और विनियमों तथा कार्यक्रमों के आयोजन आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का रिप्रजेंटेशन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, जांच आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए और न ही जिस प्रभावकारिता दक्षता से कंपनी के कार्यों को संचालित किया है, उसके बारे में आश्वासन है।

दिनांक 30-07-2018
स्थान : मुंबई

कृष्ण कुमार शर्मा
दिनांक 30-07-2018

g-@&
i j k x n k l j o k j
d i a u h l f p o
c k c k b v j
, Q l h , l u a 9304
l h i h u-% 8227

दक्षिण कोश 'क' की उच्च शिक्षा वर्ष 2017-18 के लिए,

कॉर्पोरेट शासन ऐसे मानकों का सेट है जिसका उद्देश्य कंपनी की छवि, दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करना है। महाराष्ट्र मेट्रो एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, किंतु कॉर्पोरेट शासन के निहित सिद्धांतों यानि मूल्य, नैतिकता और प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के हितों में कंपनी का अच्छी तरह प्रबंधन किया जाए, कंपनी के निदेशकगण कंपनी के सदस्यों के सम्मुख निम्नलिखित कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :

अपने कार्यों के निष्पादन में, महा मेट्रो, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी अधिनियम, 2013, लागू भारतीय लेखा मानकों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे प्राधिकारियों द्वारा विहित विनियमों, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों से मार्ग निर्देशित होता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों और संविदाकारों के माध्यम से लगाए गए कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कल्याण के संबंध में संगठन के कार्यकरण को शासित करने वाली सभी लागू संविधियों, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रावधान का समुचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

1- फंक्शनल एम

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, बोर्ड की सदस्य संख्या 3 निदेशकों से कम नहीं होगी और अधिकतम संख्या सरकारी कंपनियों पर लागू छूटों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार होगी। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक कार्यरत (फंक्शनल) निदेशक या अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

2- फंक्शनल एम की फो/कु

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के भीतर महा मेट्रो एक सरकारी कंपनी है। वर्तमान में कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 100 प्रतिशत भाग भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में धारित है। दोनों ही सरकारों को निदेशक मंडल में 5 निदेशकों को नामित करने का अधिकार है। भारत सरकार को अपने नामितियों में से अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार है। तदनुसार, सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार कंपनी के पदेन अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र सरकार को अपने नामितियों में से प्रबंध निदेशक को नामित करने का अधिकार है।

3- फंक्शनल एम की एक्स/बु

इस रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार, बोर्ड के 13 निदेशकों, जिनमें से 3 फंक्शनल निदेशक हैं, अध्यक्ष सहित 5 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित किए गए हैं और पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक सहित 5 निदेशक महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित किए गए हैं। उक्त नामिती निदेशक भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनके पास सरकारी कामकाज का व्यापक अनुभव और सामान्य प्रबंधन, निर्माण परियोजना प्रबंधन, डिजाइन व्यवसाय कार्यनीति, वित्त आदि सहित कई विषयों में सुविज्ञता है।

4- nkf; Ro

बोर्ड की प्रमुख भूमिका मार्गदर्शक की तरह यह देखना है कि कंपनी को सरकार द्वारा सौंपा गया लक्ष्य पूरा किया जाता है और साथ ही शेयरधारकों के धन की सुरक्षा और उसमें वृद्धि की जाती है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के स्पष्ट लक्ष्य हों और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियां हों। बोर्ड कंपनी के नीतिगत निर्देशों का निरीक्षण करता है, कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है, कार्यनीतिक निर्णयों को अधिकृत व उनकी मानीटरिंग करता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है और शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा करता है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का प्रबंधन इस तरीके से हो कि हितधारकों की इच्छाएं और सामाजिक उम्मीदें पूरी हों। बोर्ड के सदस्य यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके अन्य दायित्वों का कंपनी के निदेशक के दायित्वों से टकराव न हो।

5- fun'skd eMy@l fefr dh cBdka vkj cfØ; k

dk½ l LFkkr fu.kk; yus dh cfØ; k@ckMz dh cfØ; k, a

सभी कॉर्पोरेट शासन को संस्थागत रूप देने और चर्चा तथा बोर्ड द्वारा सूचित एवं दक्ष तरीके से निर्णय किए जाने की अपेक्षा वाले विशयों के लिए अग्रिम योजना हेतु प्रणालियों एवं प्रक्रिया स्थापित करने के उद्देश्य से, कंपनी में निदेशक मंडल तथा उनकी समितियों की बैठकों के लिए परिभाषित प्रक्रियाएं हैं।

[kk½ ckMz@l fefr dh cBdka grq, tMk enka dk fu/kkzj .k vkj p; u

1. बैठकों का आयोजन बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त सूचना देकर किया जाता है। अति तत्काल जरूरतों के समाधान हेतु बैठकें अल्प सूचना पर बोर्ड ऐसे मुद्दों, जो अति तत्काल प्रकृति के होते हैं और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय होते हैं, के लिए परिचालन द्वारा भी प्रस्ताव पारित करता है;
2. एजेंडा पेपर संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार किए जाते हैं और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संबंधित कार्यरत (फंक्शनल) निदेशक के पास उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। बैठकों में सार्थक, संकेंद्रित चर्चा एवं निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए निदेशकों/सदस्यों के मध्य समय रहते प्रबंध निदेशक के परामर्श से कंपनी सचिव द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित विस्तृत एजेंडा, नोट्स प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण पहले ही परिचालित किए जाते हैं;
3. उस समय, जब कोई दस्तावेज संलग्न करना वांछनीय न हो या एजेंडा संवेदनशील प्रकृति का हो, तो उसे प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से बैठक की मेज पर प्रस्तुत किया जाता है। विशेष और अपवादात्मक परिस्थितियों में, अतिरिक्त और पूरक मद/मदों, जो एजेंडा में नहीं होते हैं, पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार-विमर्श किया जाता है।
4. बोर्ड को प्रमुख घटनाक्रमों/मदों तथा लिए गए अनुमोदनों, जब कभी आवश्यक हो, की सूचना दी जाती है। प्रबंध निदेशक बोर्ड की बैठकों में बोर्ड को कंपनी के समग्र कार्यनिष्पादन से अवगत कराते हैं।
5. बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी सूचना प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
6. बोर्ड की बैठकें लागू सचिवीय मानकों के अनुरूप आयोजित की जाती हैं।

बोर्ड की प्रत्येक बैठक के आरंभ में, प्रबंध निदेशक/निदेशक बोर्ड के सदस्यों को परियोजना की स्थिति सहित प्रमुख विकास कार्यों और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/विकास कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हैं और बोर्ड के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुति देते हैं। शीर्ष प्रबंधन के सदस्यों, परामर्शदाताओं और विशेषताओं को भी बोर्ड को ब्रीफ करने तथा अपेक्षानुसार प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है।

बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड किया जाता है तथा कार्यवृत्त का विवरण कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। बैठकों के कार्यवृत्त को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा लागू सचिवीय मानकों के अनुसार परिचालित किया जाता है। बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त के विवरण पर अध्यक्ष के अनुमोदन एवं हस्ताक्षर होने के बाद इसे अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड की उप-समिति की बैठकें कार्यवृत्त का विवरण भी बोर्ड के पास इसकी जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

विभागाध्यक्ष और कार्यरत (फंक्शनल) निदेशक एजेंडा नोट्स तैयार करते समय लागू कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हैं। कंपनी सचिव कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1 जुलाई, 2017, 23 सितंबर, 2017, 06 जनवरी, 2018 और 9 फरवरी, 2018 को बोर्ड की चार बैठकें हुईं।

पदनाम, निदेशकों की श्रेणी, बोर्ड की कितनी बैठकों में उपस्थित रहे, पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1 जुलाई, 2017, 23 सितंबर, 2017, 06 जनवरी, 2018 और 9 फरवरी, 2018 को बोर्ड की चार बैठकें हुईं।

पदनाम, निदेशकों की श्रेणी, बोर्ड की कितनी बैठकों में उपस्थित रहे, पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

क्र. सं.	नाम	श्रेणी	वर्ष 2017-18 में बैठकें	वर्ष 2016-17 में बैठकें	वर्ष 2017-18 में उपस्थिति
1.	श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, अध्यक्ष, महा मेट्रो एवं सचिव (शहरी विकास), आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	भारत सरकार के नामिती	4	4	हां
2.	श्री बृजेश दीक्षित, प्रबंध निदेशक, महा मेट्रो	प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र सरकार के नामिती	4	4	हां
3.	श्रीमती झांजा त्रिपाठी, निदेशक, महा मेट्रो एवं संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार (शहरी विकास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	भारत सरकार के नामिती	4	4	हां

4.	श्री मुकुंद कुमार सिन्हा, निदेशक, महा मेट्रो एवं ओ एस डी (यू टी टी) और पदेन संयुक्त सचिव (शहरी विकास), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	भारत सरकार के नामिती	4	4	हां
5.	श्री एन एम ढोके, निदेशक, महा मेट्रो एवं निदेशक (आर एस ई एवं ओ एस) बी एम आर सी एल बंगलौर	भारत सरकार के नामिती	4	3	हां
6.	श्री ए के पांड्ये, निदेशक, महा मेट्रो एवं मुख्य अभियंता/निर्माण, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर/ भारत सरकार के नामिती	भारत सरकार के नामिती	3	1	नहीं
7.	श्री डी के जैन, निदेशक, महा मेट्रो एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र सरकार	महाराष्ट्र सरकार के नामिती	4	0	नहीं
8.	श्री नितिन करीर, निदेशक, महा मेट्रो एवं प्रधान सचिव (शहरी विकास-1), शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार	महाराष्ट्र सरकार के नामिती	4	2	हां
9.	श्री कुनाल कुमार, निदेशक, महा मेट्रो एवं नगरपालिका आयुक्त, पुणे नगर निगम (पी एम सी)	महाराष्ट्र सरकार के नामिती	4	2	नहीं
10.	श्री अश्विन मुदगल, निदेशक, महा मेट्रो एवं नगरपालिका आयुक्त, नागपुर नगर निगम, (एन एम सी)	महाराष्ट्र सरकार के नामिती	4	1	नहीं
11.	श्री महेश कुमार, निदेशक (परियोजना), महा मेट्रो	पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक	4	3	हां
12.	श्री सुनील माथुर, निदेशक (आरएस एवं एस), महा मेट्रो	पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक	4	3	हां
13.	श्री एस. शिवमाथन, निदेशक (वित्त), महा मेट्रो	पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक	4	3	हां

6- फुं'कद एम्य दस | एफ़ च़लर्र धि त्कुस okyh tkudkjh

निदेशक मंडल ने वित्तीय शक्तियों सहित कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए सभी रूटीन विषयों पर प्रबंध निदेशक को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी हैं। कंपनी में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम बनाने, दिन-प्रतिदिन के परिचालन में तेजी लाने तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल को जिम्मेदारी प्रत्यायोजित करने के लिए शक्तियों की अनुसूची (एस ओ पी) तैयार की गई है तथा

इसे अनुमोदित एवं परिचालित किया गया है। जो विषय प्रत्यायोजित शक्तियां से बाहर हैं, उन्हें बोर्ड के समक्ष लाया जा रहा है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट इत्यादि।
- बोर्ड की सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- सभी प्रस्ताव, जिनमें डी पी आर में विचारित से अलग प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकी मानकों में परिवर्तन शामिल हैं।
- सभी प्रस्ताव, जिनमें कोरिडोर में परिवर्तन अतिरिक्त स्टेशन आदि शामिल है।
- परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट।
- संपत्ति विकास के मामले।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के पालन में उत्पन्न दायित्वों के संबंध में रखी जाने वाली अपेक्षित जानकारी।
- बड़ी संविदाओं का सौंपा जाना।
- अन्य तात्विक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी।
- समय-समय पर बोर्ड द्वारा वांछित अपेक्षित अन्य मामले।

7- fun's'kd eMy dh | fefr; k%

बोर्ड ने निम्नलिखित उप समितियां स्थापित की हैं :

1. लेखापरीक्षा समिति।
2. परियोजना समिति।
3. निवेश समिति
4. मानव संसाधन समिति।

कंपनी सचिव विभिन्न समितियों के सचिव हैं। इनमें से बोर्ड प्रत्येक उप-समिति की बैठक कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर आयोजित की जाती है।

बोर्ड की समितियों की बैठकों का विवरण निम्नलिखित है :

1- ys[kki jh{kk | fefr%

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा उसके अंतर्गत लागू नियमों के प्रावधानों तथा साथ ही सरकारी कंपनियों पर लागू छूटों के अनुसार, केवल उनके कंपनियों, जिनके लिए स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, के लिए लेखा परीक्षा समिति गठित किया जाना अपेक्षित होता है। तथापि, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति गठित की है। लेखा परीक्षा समिति का संविधान, कोरम, कार्यक्षेत्र आदि निम्नलिखित है :

xBu

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है :

क्र. सं.	नाम	पद
1	संयुक्त सचिव/वित्त सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय/भारत सरकार के नामिती (श्रीमती झांजा त्रिपाठी)	अध्यक्ष
2	पी एम सी आयुक्त/महाराष्ट्र सरकार के नामिती (वर्तमान में श्री कुनाल कुमार)	सदस्य
3	एन एम सी आयुक्त/महाराष्ट्र सरकार के नामिती (वर्तमान में श्री अश्विन मुदगल)	सदस्य

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य योग्यता प्राप्त हैं और वित्तीय विवरणों के विवेचनों को समझने में उन्हें व्यापक जानकारी है। निदेशक (वित्त), अन्य संबद्ध निदेशकों और महा मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों, आंतरिक लेखापरीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में मत देने के अधिकार के बिना आमंत्रित किया जाता है।

लेखापरीक्षा समिति के लिए कोरम दो सदस्य है।

लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम

लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों सहित लेखापरीक्षा के क्षेत्र के बारे में समय-समय पर विचार-विमर्श करने और बार्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों एवं वार्षिक विवरणों की समीक्षा करने और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अनुपालन सुनिश्चित करने का अधिकार होगा।

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मदों से संबंधित या बोर्ड द्वारा भेजे गए मामले की जांच करने तथा इस प्रयोजन के लिए, लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के अभिलेखों में निहित तथा बाहरी प्रोफेशनल्स की सलाह लेने, यदि आवश्यक हो, का पूरा अधिकार होगा।

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षा से संबंधित विषयों पर किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, कंपनी की वार्षिक आम सभा में उपस्थित रहेंगे।

वित्तीय वर्ष

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 1 जुलाई, 2017, 15 सितंबर, 2017 एवं 8 फरवरी, 2018 को लेखा परीक्षा समिति की तीन बैठकों का आयोजन किया गया।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम	वित्तीय वर्ष 2017&18 में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2017&18 में उपस्थिति
1.	श्रीमती झांजा त्रिपाठी, अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति एवं संयुक्त सचिव/वित्त सलाहकार (शहरी विकास)	3	3
2.	श्री कुनाल कुमार, आयुक्त, पुणे नगर निगम, महाराष्ट्र सरकार, सदस्य लेखापरीक्षा समिति	3	3
3.	श्री अश्विन मुदगल, सदस्य लेखा परीक्षा समिति एवं आयुक्त, नागपुर नगर निगम, महाराष्ट्र सरकार	3	3

इस रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति के गठन में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम	पद
1.	संयुक्त सचिव/वित्त सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (श्रीमती झांजा त्रिपाठी)	अध्यक्ष
2.	पी एम सी आयुक्त/महाराष्ट्र सरकार का नामिती (श्री सौरभ राव)	सदस्य
3.	एन एम सी आयुक्त/महाराष्ट्र सरकार का नामिती (श्री वीरेन्द्र सिंह)	सदस्य

2. निदेशक

किन्हीं परियोजना कार्यान्वयन मुद्दों तथा बोर्डों द्वारा भेजे गए अन्य विषय की जांच एवं सिफारिश के लिए परियोजना समिति का 9 मार्च, 2017 को गठन किया गया।

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार परियोजना समिति का गठन निम्नवत है:

क्र. सं.	नाम	पद
1.	श्री बृजेश दीक्षित (प्रबंध निदेशक)	अध्यक्ष
2.	श्री एन एम ढोके (भारत सरकार के नामिती)	सदस्य
3.	श्री कुनाल कुमार (महाराष्ट्र सरकार के नामिती)	सदस्य
4.	श्री अश्विन मुदगल (महाराष्ट्र सरकार के नामिती)	सदस्य
5.	संबंधित फंक्शनल निदेशक : सिविल कार्य के लिए – निदेशक (परियोजना) प्रणालीगत कार्य के लिए – निदेशक, (चल स्टॉक एवं प्रणाली)	सदस्य

समिति की दो बैठकें 01 जुलाई, 2017 तथा 18 जनवरी, 2018 को आयोजित की गईं। सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड निम्नवत है :

क्र. सं.	नाम	वित्तीय वर्ष 2017&18	सदस्यता
1.	श्री बृजेश दीक्षित (प्रबंध निदेशक)	2	2
2.	श्री एन एम ढोके (भारत सरकार का नामिती)	2	2
3.	श्री कुनाल कुमार (महाराष्ट्र सरकार का नामिती)	2	2
4.	श्री अश्विन मुदगल (महाराष्ट्र सरकार का नामिती)	2	शून्य
5.	संबंधित फंक्शनल निदेशक : सिविल कार्य के लिए-निदेशक (परियोजना) प्रणालीगत कार्य के लिए-निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणाली)	2	2

bl fj i kV/ dh fLFkfr ds vuq kj] i fj; kstuk l febr ds xBu e fuEufyf[kr funs'kd 'kkfey g%

Ø- l a	i fj; kstuk l febr ds l nL;	i nuke
1.	श्री बृजेश दीक्षित (प्रबंध निदेशक)	अध्यक्ष
2.	श्री एन एम ढोके (भारत सरकार का नामिती)	सदस्य
3.	श्री सौरभ राव (महाराष्ट्र सरकार का नामिती)	सदस्य
4.	श्री वीरेन्द्र सिंह (महाराष्ट्र सरकार का नामिती)	सदस्य
5.	संबंधित फंक्शनल निदेशक : सिविल कार्य के लिए – निदेशक (परियोजना) प्रणालीगत कार्य के लिए – निदेशक (चल स्टॉक एवं प्रणाली)	सदस्य

3- fuos'k l febr%

कंपनी की परियोजना निधियों के निवेश पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने, निवेश नीति की समीक्षा करने तथा संशोधनों का सुझाव देने और बोर्ड द्वारा भेजे गए किसी अन्य विषय पर विचार करने के लिए निवेश समिति का गठन दिनांक 9 मार्च 2017 को किया गया। निवेश समिति का गठन निम्नलिखित है :

1. श्री बृजेश दीक्षित, प्रबंध निदेशक
2. श्री महेश कुमार, निदेशक (परियोजना)
3. श्री एस. शिवमाथन, निदेशक (वित्त)

उपलब्ध परियोजना निधियों के अस्थायी शेष के निवेश/पुनः निवेश की अपेक्षा के आधार पर निवेश समिति की वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 28 बैठकें हुईं।

4- ekuo l d k/ku l febr%

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 तथा उसके अधीन लागू नियमों के प्रावधानों तथा साथ ही सरकारी कंपनियों पर लागू छूटों के अनुसार, केवल ऐसी कंपनियों, जिनके लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाना अपेक्षित होता है, के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार, निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति के बजाय आंतरिक मानव संसाधन समिति गठित की है।

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार मानव संसाधन समिति का गठन इस प्रकार है:

Ø- l a	ekuo l d k/ku l febr ds l nL;	i nuke
1.	श्री महेश कुमार (निदेशक परियोजना)	अध्यक्ष
2.	श्री अश्विन मुदगल (महाराष्ट्र सरकार के नामिती)	सदस्य
3.	श्री एस. शिवमाथन (निदेशक वित्त)	सदस्य

समिति की एक बैठक दिनांक 18 सितंबर, 2017 को हुई।

सदस्यों की उपस्थिति का रिकार्ड:

Ø- l a	fnukad 31 ekp] 2018 dh fLFkfr ds vuq kj] ekuo l a k/ku l fefr ds l nL;	funs' kdk ds l æf/kr dk; lky ds nkj ku foRrh; o"kl 2017&18 ea vk; kftr cBda	Hkkx fy, x, cBdk dh l a
1.	श्री महेश कुमार (निदेशक परियोजना)	1	1
2.	श्री अश्विन मुदगल (महाराष्ट्र सरकार के नामिती)	1	1
3.	श्री एस. शिवमाथन (निदेशक वित्त)	1	1

bl fj i kV/ dh rkjh[k dh fLFkfr ds vuq kj] ekuo l a k/ku l fefr ds xBu ea fuEufyf[kr funs' kd g%

Ø- l a	ekuo l a k/ku l fefr ds l nL;	i nuke
1.	श्री महेश कुमार (निदेशक परियोजना)	अध्यक्ष
2.	श्री अश्विन मुदगल (महाराष्ट्र सरकार के नामिती)	सदस्य
3.	श्री एस. शिवमाथन (निदेशक वित्त)	सदस्य

8- l æ) i kVh/ çdVu

सभी संबद्ध पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन कार्य व्यापार के सामान्य कार्य के रूप में निरपेक्ष रूप में किए गए कंपनी द्वारा किसी भी संबद्ध पार्टी के साथ अपने प्रोमोटर्स, निदेशक अथवा प्रबंधन, उनकी सब्सिडरीज अथवा रिश्तेदार आदि से कोई लेन-देन नहीं किया गया जिससे भविष्य में कंपनी के हितों के साथ कोई सम्भावित टकराव हो। संबद्ध पार्टियों के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के नोट में किया गया है।

9- 'ks j/kkj d f' kdk; r fuokj .k l fefr

महा मेट्रो एक सरकारी कंपनी है, वर्तमान में, कुल प्रदत्त 100 प्रतिशत शेयर पूंजी भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में धारित हैं। शेयरधारकों की संख्या 10 है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत शेयरधारकों की न्यूनतम संख्या का पालन करने हेतु रखी गई है। अतएव कंपनी में शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं होती। अतः कोई शेयरधारक शिकायत निवारण समिति गठित नहीं की गई है।

10- vke l Hkk dh cBda

दूसरी वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि, समय और स्थान का विवरण निम्न प्रकार है:

rkjh[k , oa l e;	23 सितंबर, 2017 को 12.45 बजे अपराहन
vk; kstu LFky	9वां तल, "समिति कक्ष", न्यू एम एम आर डी ए बिल्डिंग, बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स, बांद्रा ई, मुम्बई- 400051
ikfjr fo' ks'k çLrko	शून्य

11- द्वां उहं दहं ओऽ कव

कंपनी की वेबसाइट www.mahametro.org है। परियोजनाओं, संविदाओं, निविदाओं, नौकरी, भर्ती प्रक्रिया और परणामों, इत्यादि सहित कंपनी से संबंधित प्रमुख जानकारी वेबसाइट पर दी जाती है। वेबसाइट में मेट्रो रेल परियोजना के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, क्रियाकलापों तथा प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की भी सूचना प्रदान की जाती है और इसे लगातार अद्यतन किया जाता है।

i a t h कृं dk; kly;
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
सी आई एन : U60100MH2015SGC262054;
मेट्रो भवन, 28/2 आनंद नगर,
सी के नायडु मार्ग, सिविल लाइन्स,
नागपुर – 440001

i q ks i fj; kst uk dk; kly;
पुणे मेट्रो रेल परियोजना
ओरियन बिल्डिंग, प्रथम तल,
डॉन बास्को यूथ सेंटर के सामने,
सेंट मीरा गर्ल स्कूल के नजदीक,
कारेगांव पार्क, पुणे-411001

द्वं उहं | fpo %
सुश्री नितिका अग्रवाल
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
मेट्रो भवन, 28/2 आनंद नगर,
सी के नायडु मार्ग, सिविल लाइन्स,
नागपुर – 440001
फोन नं. : +91 0712-2554217
ई-मेल : cs@metrorailnagpur.com

कंपनी, एचएच 9 कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम,
2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

A- संपत्ति, ऋण; C; शेयर

सीआईएन	U60100MH2015SGC262054
पंजीकरण की तारीख	18.02.2015
कंपनी का नाम	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों के आधार पर कंपनी लिमिटेड (सरकारी कंपनी)
पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्योरा	मेट्रो हाउस, 28/2 आनंद नगर, सी के नायडु मार्ग, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001 दूरभाष : 712-2554217 फैक्स: 0712-2553300 ई-मेल : md.nmrc@gmail-com वेबसाइट : www.mahametro.org
क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
रजिस्ट्रार तथा अंतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का तथा नाम, पता और संपर्क ब्योरा	लागू नहीं।

ii. संपत्ति के वर्गीकरण; कर्तव्य; कर्तव्य

सभी व्यावसायिक क्रियाकलाप, जिनका कंपनी के कुल टर्नओवर में 10 प्रतिशत या इससे अधिक
का अंशदान है, का उल्लेख किया जाएगा:-

क्र.सं.	विवरण	आईडी	प्रतिशत
1	बाहरी परियोजना (मुख्य रूप से सेतुओं एवं एलेवेटेड राजमार्ग के संबंध में)	99532213	76.95 प्रतिशत

iii. संपत्ति के वर्गीकरण; कर्तव्य; कर्तव्य

लागू नहीं

iv. 'ks j/kkfjrk i \$uZ %dny bfoVh ds qfr'kr ds : i eabfoVh 'ks j i wth dk foqj .kz

i. Js kh&okj 'ks j/kkfjrk

'ks j/kkj dka dh Js kh	o"kl ds 'kq e\$ vFKkr 01-04-2017 dh fLFkr ds vut kj /kkfjr 'ks jka dh l a ; k		o"kl ds var e\$ vFKkr 31-03-2018 dh fLFkr ds vut kj /kkfjr 'ks jka dh l a ; k		o"kl ds nk\$ku% ea ifjorL
	Mhe\$	hkkfrd ; kx	Mhe\$	hkkfrd ; kx	
d- qorid	-	-	-	-	-
(1) भारतीय	-	-	-	-	-
व्यष्टि / एचयूपफ	-	-	-	-	-
केन्द्रीय सरकार	-	214970000	-	524450000	-
राज्य सरकार	-	214970000	-	524450000	-
निगमित निकाय	-	-	-	-	-
बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-
कोई अन्य	-	-	-	-	-
mi ; kx % %d% %1%	-	429940000	-	1048900000	-
%2% fons kh	-	-	-	-	-
अनिवासी भारतीय-व्यष्टि	-	-	-	-	-
अन्य व्यष्टि	-	-	-	-	-
निगमित निकाय	-	-	-	-	-
बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-
कोई अन्य	-	-	-	-	-
mi & ; kx % %d% %2%	-	-	-	-	-
qorid dh dny 'ks j/kkfjrk d% d %1% \$d %2%	-	429940000	-	1048900000	-
[k l kottud 'ks j/kkfjrk %1% l l Fku E; pmy OM	-	-	-	-	-
बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-
केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-
राज्य सरकार	-	-	-	-	-
वेंचर पूंजीगत निधि	-	-	-	-	-
बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-
एफ आई आई एस	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-

v) फुन्स कलक र फक एल; चरकलह; क्लेकलक लस, e i हल ध वल कक्कलरक %

Øe l a	çr: id funs'kd vlg ds, e i h ds fy,	o"l ds vjkk eal val kkkfjrk 'ks jka dh l al: k	o"l ds ngl ku l p; h val kkkfjrk 'ks jka dh l al: k	o"l ds ngl ku l p; h val kkkfjrk 'ks jka dh l al: k
1.	Jh eapn çekj fl lgg वर्ष के आरंभ में	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-
2.	Jherh Okat k f=i kBh वर्ष के आरंभ में	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-
3.	Jh 'kytæ çl g वर्ष के आरंभ में	1	-	-
	वर्ष के अंत में	0	-	-
4.	Jh , ds i kMls वर्ष के आरंभ में	0	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-
5.	Jh c'tk nhr'kr वर्ष के आरंभ में	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-
6.	Jh fufru djhj वर्ष के आरंभ में	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-
7.	Jh Jo.k gMndj वर्ष के आरंभ में	1	-	-
	वर्ष के अंत में	0	-	-
8.	Jh vf'ou epxy वर्ष के आरंभ में	0	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-
9.	Jh , u , e <kds वर्ष के आरंभ में	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-
10.	Jh Mh ds tL वर्ष के आरंभ में	1	-	-
	वर्ष के अंत में	1	-	-

ukl% funs'kd l jdkj ds ukfer l nL; k ds : i ea 'ks j /kkj .k djrs ga

वित्तीय ०'ल ds vkjrk es .kxLrrk	tek dks NkM+dj çfrHkr __.k	vçfrHkr __.k	tek	dky __.kxLrrk
i) मूलधन	-	13573.87	-	13573.87
ii) ब्याज देय किन्तु असंदत्त	-	0	-	0
iii) ब्याज उपार्जित किन्तु अदेय	-	11.27	-	11.27
; kx (i+ii+iii)	-	13585.14	-	13585.14
वित्तीय ०'ल ds nkjku .kxLrrk es ifjorlu (प्रोद्भूत 0; kt l fgr çdir ns ughk)				
योग	-	148149.90	-	148149.90
कमी	-	0	-	0
निवल परिवर्तन	-	148149.90	-	148149.90
वित्तीय ०'ल ds vfr es .kxLrrk				
i) मूलधन	-	161420.70	-	161420.70
ii) ब्याज देय किन्तु असंदत्त	-	123.99	-	123.99
iii) ब्याज उपार्जित किन्तु अदेय	-	179.01	-	179.01
; kx (i+ii+iii)	-	161723.70	-	161723.70

vi. funs'kdka, oaeq; cca'kdh; d'kedka dk i kfj Jfed
d-cca'k funs'kd] i kdkfyd funs'kdka rFkk@vFlak cca'kd ds fy, i kfj Jfed %

(लाख रु. में)

Øe l a	i kfj Jfed dk foj.k uke, oae i nuke	, e Mh@MCY; ; Vh Mh@cca'kd dk uke				; kx
		Jh c't's'k nhf{kr %, e Mh%	Jh eg's'k d'ekj Mh@MCY; ; Vh Mh%	Jh l'qhy d'ekj Mh@MCY; ; Vh Mh%	Jh, l' f'koek'Fku Mh@MCY; ; Vh Mh%	
1.	सकल वेतन	34.02	35.92	34.47	33.62	138.03
क.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	29.55	31.81	30.36	29.52	121.24
ख.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत अनुलामों का मूल्य	4.47	4.11	4.11	4.10	16.79
ग.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	स्टाक विकल्प	-	-	-	-	-
3.	स्विट इविबटी	-	-	-	-	-
4.	कमीशन लाम की प्रतिशतता के रूप में अन्य (गिनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-
5.	अन्य-पी एफ में अंशदान		3.14		2.60	5.74
6.	अन्य - चिकित्साला में कैम्प ऑफिस भत्ता, पट्टा आदि	49.20	9.66	21.65	12.20	92.71
	; kx %d'k	83-22	48-72	56-12	48-42	236-48
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा (निवल लालाम का 10 प्रतिशत)			लागू नहीं		

[क- वल; fun'skdk ds fy, i kfj Jfed% (लाख रु. में)

Ø- #	i kfj Jfed dk foj .k	funs'kd dk uke	dky jk' k
1	स्वतंत्र निदेशक	-	-
क	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-
ख	कमीशन	-	-
ग	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक	-	-
घ	बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-
ड.	कमीशन	-	-
	dky %2½	-	-
	dky %1½ = ¼ 1\$2½	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क + ख)	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा (निवल लाभ का 11 प्रतिशत)	-	-
	dky %1½	-	-

o"lk ds nlg ku dā uh us xj & dk; ldkjh funs'kdks dks fdl h i kfj Jfed dk Hkqrku ugha fd; k gā

x- çckk funs'kd@çckkd@MCY; ¶ Vh Mh dks NkMej epl; çckkdh; dk i kfj Jfed (लाख रु. में)

Ø- #	i kfj Jfed dk foj .k	epl; çckkdh; dkfed	
		l hblvks h,	l h, Ovks dly
1.	l dy oru	-	8.01
क.	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	-	7.07
ख.	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत अनुलाभों का मूल्य	-	0.94
ग.	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-
2.	स्टाक विकल्प	-	-
3.	स्विट इक्विटी	-	-
4.	कमीशन-लाभ की प्रतिशतता के रूप में - अन्य, विनिर्दिष्ट करें	-	-
5.	अन्य - पी एक अशदान	-	0.66
	योग	-	8.67

vii. 'kkfLr; k@n. M@vijkkk dk ç'keu% (लाख रु. में)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन शास्तियां / दण्ड / अपराधों के प्रशमन का कोई मामला नहीं था।

egkj k"V^a eVks jsy dKj i kj s ku fyfeVM
(i nOZ es ukxi gj eVks jsy dKj i kj s ku ds : lk es Kkr)
fnukad 31 ekpJ 2018 dh fLFkfr ds vuq kj rnyu i =

(लाख रु. में)

fooj . k	fVli . kh l a	31 ekpJ 2018 dh fLFkfr ds vuq kj	31 ekpJ 2017 dh fLFkfr ds vuq kj	1 vcyj 2016 dh fLFkfr ds vuq kj
i fjl a fRr: ka				
1½ xj & pky i fjl a fRr: ka				
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	214,267.64	69,428.44	50,403.85
ख) चल रहे पूंजीगत कार्य	3	202,900.05	44,552.95	7,008.01
ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	4	5,139.63	5,032.85	17.94
घ) वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) ऋण	5	89.66	64.69	7.38
ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	6,878.99	225.97	7.87
ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	7	24,673.59	12,592.65	4.43
च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	8	-	111.19	-
	d	453,949.56	132,008.74	57,449.48
2½ pky i fjl a fRr: ka				
क) वित्तीय परिसंपत्तियां				
i) व्यापार प्राप्य	9	15,998.48	3,983.40	-
ii) नकद एवं नकद समतुल्य	10	13,662.81	10,215.84	9,182.48
iii) अन्य बैंक शेष	11	17,029.35	6,309.00	2,737.00
iv) ऋण	5	28.39	13.25	1.35
v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	6	284.76	316.64	287.72
ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	7	49,142.43	14,267.20	1,610.51
ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	477.59	257.03	59.28
	[k	96,623.81	35,362.36	13,878.34
dy i fjl a fUk: ka	d + [k	550,573.37	167,371.10	71,327.82
इक्विटी और देनदारियां				
इक्विटी				
क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	104,890.00	42,994.00	15,594.00
ख) अन्य इक्विटी	13 d	3,331.05	119.41	287.72
	x	108,221.05	43,113.41	15,881.72
देनदारियां				
1½ xj pky nunkj: ka				
क) वित्तीय देनदारियां				
i) उधार	16	153,270.45	11,698.96	700
ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	14	299.34	37.77	7.33
ख) प्रावधान	15	516.3	137.9	3.53
ग) आस्थगित कर देयताएं	8	24,730.47	-	14.91
घ) आस्थगित आय- सरकारी अनुदान	17	226,446.15	75,466.82	53,166.33
	?k	405,262.71	87,341.45	53,892.10
2½ pky nunkj: ka				
क) वित्तीय देनदारियां				
i) व्यापार देय	14	17,693.79	5,483.61	1,309.39
ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	18	18,225.13	30,107.66	73.09
ख) अन्य चालू देनदारियां	15	1,130.60	1,314.27	139.5
ग) प्रावधान	15	40.09	10.7	32.02
	E	37,089.61	36,916.24	1,554.00
dy bfDoVh , oa nunkj: ka	x + ?k + M-	550,573.37	167,371.10	71,327.82
egRo i rZ yq kk uhr: ka	1			
foRrh: fooj . ka ds fy. fVli f. k: ka	24			

tksk tskh , M dā uh
pkVMZ , dkmUVw
, Q vjk , u 104317w

; 'k ds oekj
i kVLuj
l nL: rk l a%105954
LFku % ukxi j
fnukad % 23-07-2018

fufrdk vxoky
dā uh l fpo

, l - f' koekFku
funs kd %oRr-%
%MhvkbZ, u 07534472%

c'ts k nhf(kr
ccak funs kd
%MhvkbZ, u 07065694%

egkj k"V³ eš/ks jsy dklj i kj's ku fyfeVM
(i d' eš ukxi g' eš/ks jsy dklj i kj's ku ds : lk eš Kkr)
fnukad 31 ekp] 2018 dks l ekir o"kl ds fy, ykHk vkj gkfu fooj.k

(लाख रु. में)

fooj.k	fVli.kh.l.a	31 ekp] 2018 dks l ekir o"kl ds fy,	31 ekp] 2017 dks l ekir o"kl ds fy,
vk;			
i) परिचालनों से राजस्व बाह्य परियोजनाओं से राजस्व परामर्श से आय		12,964.01 274.50	4,482.23 -
ii) अन्य आय	19	3,608.69	828.98
dy vk;		16,847.20	5,311.21
0; ;			
i) परिचालन व्यय बाह्य परियोजना व्यय परामर्शी व्यय		12,611.61 274.50	4,388.45 -
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	20	235.45	9.08
iii) वित्त लागत	21	-	-
iv) मूल्यहास और ऋणशोधन व्यय	2&4	1,561.47	226.33
v) अन्य व्यय	22	3,475.74	977.14
dy 0; ;		18,158.77	5,601.00
d] i d' ykHk@gkfu%		-1,311.57	-289.79
कर व्यय			
i) चालू कर		-	-
ii) आस्थगित कर	8	-24,853.75	124.67
o"kl ds fy, ykHk@gkfu%		-26,165.32	-165.12
o"kl ds fy, vli; 0; ki d vk; @gkfu%			
क (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है			
ख (i) ऐसी मदें जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है			
(क) परिभाषित लाभ देयताओं/(परिसंपत्ति) का पुनर्आकलन	23	-39.13	-4.62
(ii) ऐसी मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क) परिभाषित लाभ देयताओं/(परिसंपत्ति) का पुनर्आकलन	8	12.09	1.43
o"kl ds fy, vli; 0; ki d vk; @gkfu%		-27.04	-3.19
o"kl ds fy, dy 0; ki d vk; @gkfu%		-26,192.36	-168.31
çfr 'ks j vtU %çR; sd 10 #- dk bfDoVh 'ks j % ey	24(14) (M-)	-3.71	-0.05
U; uhdR	24(14) (M-)	-2.50	-0.05
egRoi i kl ys[kk uhr; ka	1		
foRrh; fooj.k ds fy, fVli.f.k; ka	24		

tkk tk'kh ,M dā uh
pKVMl , dkmUVW
, Q vkj , u 104317w

; 'k ds oekj
i KLUj
l nL; rk l a%05954

fufrdk vxoky
dā uh l fpo

, l - f'koekFku
funs'kd %foRr%
%Mhvkbj, u 07534472%

c'ts'k nhf{kr
ççrk funs'kd
%Mhvkbj, u 07065694%

LFku % ukxi j
fnukad % 23-07-2018

egkj k"V" esVks jsy dklj i kjs'ku fyfeVM
%i nL es ukxi gj esVks jsy dklj i kjs'ku ds : lk es Kkr½

fnukd 31 ekpj 2018 dks l eklr o"kl ds fy, bfDoVh es i fjonu dk fooj.k

d. bfDoVh 'ks j i rth
31 ekpj 2018 dks l eklr o"kl ds fy,

(लाख रु. में)

31 ekpj 2018 dh fLFkr ds vuq kj 'ksk	o"kl ds nks'ku i rth es i fjonu	31 ekpj 2017 dh fLFkr ds vuq kj 'ksk
104,890.00	61,896.00	42,994.00

31 ekpj 2017 dks l eklr o"kl ds fy,

(लाख रु. में)

31 ekpj 2017 dh fLFkr ds vuq kj 'ksk	o"kl ds nks'ku i rth es i fjonu	31 ekpj 2016 dh fLFkr ds vuq kj 'ksk
42,994.00	27,400.00	15,594.00

[k. vl; bfDoV
31 ekpj 2018 dks l eklr o"kl ds fy,

(लाख रु. में)

fooj.k	vkcu ds fy, yfcr 'ks j , lyhd's ku euh	qfr/kkfjr vtlu	diy vl; bfDoVh
01.04.2017 dh fLFkr ds vuq kj 'ksk Hkkj rh; ys[kk ekud l ek; kstu	648.00 -	-304.37 -224.22	343.63 -224.22
Hkkj rh; ys[kk ekud l ek; kstu ds ckn 31.03.2017 dh fLFkr ds vuq kj 'ksk	648.00	-528.59	119.41
Hkkj rh; ys[kk ekud l ek; kstu o"kl ds fy, ykHk@%gkfu½ vks l h vkbz es tek	29,404.00	-26,165.32 -27.04	- -26,165.32 -27.04 29,404.00
31.03.2018 dh fLFkr ds vuq kj vfire 'ksk	30,052.00	-26,720.95	3,331.05

(लाख रु. में)

fooj.k	vkcu ds fy, yfcr 'ks j , lyhd's ku euh	qfr/kkfjr vtlu	diy vl; bfDoVh
01.04.2016 (vkbzth, , i h) dh fLFkr ds vuq kj 'ksk igyh kj viuk, tkus ij Hkkj rh; ys[kk ekud l ek; kstu	648.00	-59.00 -301.28	589.00 -301.28
Hkkj rh; ys[kk l ek; kstu ds ckn 01.04.2016 dh fLFkr ds vuq kj 'ksk	648.00	-360.28	287.72
o"kl ds fy, ykHk@%gkfu½ vks l h vkbz es tek	-	-165.12 -3.19	-165.12 -3.19
31.03.2017 dh fLFkr ds vuq kj vfire 'ksk	648.00	-528.59	119.41

egROI m kl ys[kk uhr; ka	1	
foRrh; fooj.kka ds fy, fVl i f.k; ka	24	

tkk tkkh ,M dai uh
pkVMZ , dkmUVW
, O vkj , u 104317w

; 'k ds oekj
i kVUj
l nL; rk l a%105954

fufrdk vxoky
dai uh l fpo

, l - f'koekFku
funs'kd %foRr½
%Mhvkbz, u 07534472½

c'ts k nhf{kr
qark funs'kd
%Mhvkbz, u 07065694½

LFkku % ukxi gj
fnukd % 23-07-2018

एक वर्ष के दौरान की गई कार्रवाई का विवरण
 31 मार्च 2018 तक एक वर्ष के दौरान : एक करोड़ रुपये
 फरवरी 31 2018 तक एक वर्ष के दौरान, उद्देश्य के अनुसार

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च 2018 तक एक वर्ष के दौरान		31 मार्च 2017 तक एक वर्ष के दौरान	
कार्यवाही के लिए समायोजन:				
कर पूर्व लाभ / (हानि)	-1,311.57		-289.79	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनविडिंग ब्याज	-1,200.20		-77.47	
मूल्य ह्रास एवं ऋणशोधन	1,561.47		226.33	
फिक्स्ड डिपोजिट से ब्याज	-1,738.97		-730.84	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि	-0.10		0.53	
विदेशी मुद्रा (आय) / हानि	22.77	-2,666.60	-	-871.24
कुल		-2,666.60		-871.24
कार्यशील पूंजी परिवर्तन:				
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन:				
ऋण	-37.54		-68.46	
अन्य गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	-428.86		-1,457.48	
व्यापार प्राप्य	-12,015.08		-3,983.40	
बैंक के पास फिक्स्ड डिपोजिट	-10,720.35		-3,572.00	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-6,618.72		-255.26	
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-220.55		-197.75	
परिचालन देयताओं में (वृद्धि) / कमी के लिए समायोजन:				
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-11,620.98		30,065.01	
व्यापार प्राप्य	12,210.17		4,174.25	
अन्य चालू देयताएं	-183.67		1,174.76	
प्रावधान	368.66	-29,266.92	108.43	25,988.10
कुल		-31,933.52		25,116.86
स्थिर परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय				
निपटान	-213,146.22		-67,444.45	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि)	7.55		21.71	
एफ डी आर से ब्याज आय	0.10		-0.53	
विदेशी मुद्रा लाभ	1,749.99		739.80	
कुल	-22.74	-211,411.32	-	-66,683.47
इक्विटी शेयर के जारी होने से प्राप्त राशि				
प्राप्त / (वापस किए गए) शेयर एप्लीकेशन मनी	61,896.00		27,400.00	
दीर्घकालिक उधार एवं अनुदान से प्राप्त राशि	29,404.00		-	
	155,491.81		15,199.97	
		246,791.81		42,599.97
वित्तीय क्रियाकलापों से / (में) प्रयुक्त निवल नकद प्रवाह (ख)		246,791.81		42,599.97
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)		3,446.96		1,033.36
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		10,215.84		9,182.48
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य		13,662.81		10,215.84

* नकद एवं नकद समतुल्य में अप्रयुक्त इक्विटी अंशदान के 3,0052.00 लाख रु. (दिनांक 31.03.2017 - 648.00 लाख रु. दिनांक 01.04.2016 - 648.00 लाख रु.) शामिल हैं

उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक-7 "नकद प्रवाह का विवरण" में यथा निर्धारित "अप्रत्यक्ष पद्धति" के अंतर्गत तैयार किया गया है।

तक तक, दिनांक
 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
 एफ आर एन 104317W

: 'क' के अंतर्गत
 ईमेल
 1 नं: रक 1 05954

फुल टाइम
 दिनांक 1 फो

, 'फ' के अंतर्गत
 फुल टाइम
 07534472%

सिटी नं: रक
 फुल टाइम
 07065694%

फुल टाइम
 दिनांक 23-07-2018

fnukad 31 ekp] 2018 dks l eklr o"kl ds fy, foRrh; fooj.kka ds Hkkx ds : i ea fvli f.k; ka ukv 2

l a fRr] l a = , oa mi dj .k

(लाख रु. में)

fooj .k	Hkfe	yhtgkSYM Hkou	Quhpj] fQfVx , oa mi dj .k	l a = e' khujh	dk; kly; mi dj .k	okgu	da; Wj	diy
l dy ogu jkf' k दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार	67,743.16	533.57	344.90	30.98	286.32	46.46	597.92	69,583.30
वर्ष के दौरान परिवर्धन	144,034.76	30.39	113.32	450.31	175.45	0.11	328.98	145,133.32
वर्ष के दौरान निपटान	-	-	-5.94	-	-0.60	-	-2.77	-9.31
भारतीय लेखा मानक समायोजन								
fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj vfire l dy ogu jkf' k	211,777.92	563.96	452.28	481.29	461.17	46.57	924.13	214,707.31
l fpr eW; Hkl , oa _ .k ' kkyku	-	18.70	28.04	1.28	46.27	8.79	51.78	154.86
दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार	-	22.80	35.69	11.15	66.64	5.52	144.76	286.56
वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्य-हास	-	-	-0.68	-	-0.10	-	-0.97	-1.75
निपटान पर मूल्यहास	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय लेखा मानक समायोजन								
fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj vfire l fpr eW; Uqkl @%_ .k ' kkyku	-	41.50	63.05	12.43	112.81	14.31	195.57	439.67
fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj fuoy ogu jkf' k	67,743.16	514.87	316.86	29.70	240.05	37.66	546.14	69,428.44
fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj fuoy ogu jkf' k	211,777.92	522.46	389.23	468.86	348.36	32.26	728.56	214,267.64

नोट: 211,777.92 लाख रु. की कुल भूमि में 79,187.29 लाख रु. की लीजहोल्ड भूमि तथा 132,590.63 लाख रु. की फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है (31.03.2018 को समाप्त हुए वर्ष में)

(लाख रु. में)

वर्ष	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	भूमि का मूल्य (लाख रु.)	भूमि का मूल्य (लाख रु.)	भूमि का मूल्य (लाख रु.)	भूमि का मूल्य (लाख रु.)	भूमि का मूल्य (लाख रु.)	भूमि का मूल्य (लाख रु.)	भूमि का मूल्य (लाख रु.)
दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान परिवर्धन	49,567.69	533.57	80.97	8.67	122.64	39.46	81.35	50,434.35
वर्ष के दौरान निपटान	18,175.47	-	267.76	22.31	171.84	7.00	528.03	19,172.41
भारतीय लेखा मानक	-	-	-3.15	-	-8.09	-	-10.94	-22.18
समायोजन	-	-	-0.68	-	-0.08	-	-0.52	1.28
दिनांक 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार	67,743.16	533.57	344.90	30.98	286.31	46.46	597.92	69,583.30
दिनांक 01-04-2016 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास	-	1.80	3.35	0.03	10.41	3.88	11.01	30.48
निपटान पर मूल्यहास	-	16.90	24.69	1.25	36.23	4.91	40.87	124.85
भारतीय लेखा मानक	-	-	-	-	-0.37	-	-0.10	-0.47
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार	-	18.70	28.04	1.28	46.27	8.79	51.78	154.86
दिनांक 31-03-2016 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान परिवर्धन	49,567.67	531.77	77.62	8.64	112.23	35.58	70.34	50,403.85
दिनांक 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार	67,743.16	514.87	316.86	29.70	240.05	37.66	546.14	69,428.44

नोट: 67.743.16 लाख रु. की कुल भूमि में 20,040.74 लाख रु. की लीजहोल्ड भूमि तथा 47,702.42 लाख रु. की फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है (31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष में)

वर्ष के दौरान भूमि के परिवर्धन, निपटान और समायोजन

1- भूमि के क्षेत्रफल में परिवर्धन:

- मेडिकल कॉलेज (पुणे) की 4815.5927 वर्गमीटर की भूमि अधिगृहीत की गई है। उक्त भूमि का भौतिक कब्जा कंपनी द्वारा दिनांक 06.04.2017 में लिया गया। तथापि, कलेक्टर द्वारा बनाई गई भूमि की लागत पर वर्ष 2016 के लिए लागू रेडी रेकनर दर आधार पर अनंतिम रूप से किया गया है।
- पी डब्ल्यू डी नागपुर के विश्व बैंक डिविजन की 3320.43 वर्गमीटर की भूमि अधिगृहीत की गई है जो पहले मॉरिस कॉलेज की थी। मॉरिस कॉलेज और पी डब्ल्यू डी के बीच स्वामित्व के विवाद के कारण कंपनी द्वारा पी डब्ल्यू डी को कब्जा पत्र जारी नहीं किया गया किंतु कार्य करने संबंधी अनुमति प्रदान की गई। कब्जा पत्र जारी किए जाने के लंबित

रहने तक कंपनी ने निर्माण के लिए भूमि को अपने जिम्मे ले लिया है और भूमि की लागत को अपने जिम्मे लिए जाने की तारीख को लागू रेडी रेकनर दर के आधार पर बुक किया गया।

- 1.3 महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (एमटीडीसी) द्वारा 7495 वर्ग मी भूमि कंपनी को सौंपी गई। उक्त भूमि को पूर्व में मैसर्स ऑर्बिट मोटल्स एंड इन्स लिमिटेड (मैसर्स ऑर्बिट) को एमटीडीसी द्वारा पट्टे पर दिया गया था। मैसर्स ऑर्बिट ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जिसका फैसला पक्षकार के पक्ष में हुआ। कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी गई तथा दोनों पक्षकारों को सलाह दी गई कि शांतिपूर्ण निराकरण प्राप्त करने के लिए एक साथ बैठकर विचार-विमर्श करें। भूमि को निर्माण के लिए कंपनी द्वारा अपने जिम्मे लिया गया तथा भूमि की लागत को प्रचलित रेडी रेकनर दर के अनुसार बुक किया गया है।
- 2- [i] [R] [] [a] = v [k] m i d j . k d s [c] / k e a c d V h d j . k %
- 2.1 मौद्रिक मदों के समाधान या अंतरण (ट्रांसलेशन) के बारे में उत्पन्न मुद्रा अंतरों को उस वर्ष में लाभ या हानि में मान्यता दी गई है जिस वर्ष में यह उत्पन्न हुआ है, सिवाय उसके कि दिनांक 31.03.2017 तक संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण से संबंधित दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर मुद्रा अंतरों को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वहन लागत में समायोजित किया है। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक – 21 के अनुसार पूंजीगत मुद्रा अंतर की राशि शून्य लाख रु. की थी (दिनांक 31.03.2017 डि-कैपिटलाइज्ड 0.27 लाख रु., दिनांक 01.04.2016 – पूंजीकृत शून्य लाख रु.)
- 2.2 भारतीय लेखा मानक –36 "परिसंपत्तियों में क्षीणता" के संबंध में प्रकटन। वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों की क्षीणता का मूल्यांकन किया और उसकी यह राय है कि चूंकि परियोजना निर्माण चरण में है और इसका लंबा समय है, परिसंपत्तियों की क्षीणता के लिए कोई संकेत मौजूद नहीं है इसलिए यह माना गया है कि वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं है।
- 2.3 563.95 लाख रु. मूल्य के प्लैटों वाले लीजहोल्ड भवन को कंपनी द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2016 को नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से अधिगृहित किया गया है। उक्त प्लैटों का कब्जा कंपनी को 14.12.2015 को दिया गया। पट्टा विलेख को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अर्थात् 09.08.2017 को निष्पादित किया गया। पट्टा अवधि 30 वर्ष (दिनांक 14.12.2015 से 13.12.2045 तक)। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पट्टा प्रमाण को 5 प्रतिशत शेष मूल्य को छोड़कर ऋण शोधित किया गया। लेखा नीति सं. 6.3(iv) के अनुसार, संपूर्ण पट्टा प्रभार को 30 वर्षों की अवधि में ऋण शोधित किया जाना है। तदनुसार, 22.80 लाख रु. की राशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है ताकि शेष पट्टा अवधि में ऋण शोधित किए जाने वाले सही मूल्य को प्राप्त किया जा सके। तदनुसार, 4.19 लाख रु. की राशि को भारतीय लेखा मानक-17 के अनुसार अपेक्षित डेबिट किया गया।
- 2.4 दिनांक 31.03.2017 तक 5000 रु. या इससे कम लागत वाली संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के खरीद के समय राजस्व में प्रभारित किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, 5000 रु. या इससे कम लागत की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की खरीद को वर्ष में पूरी तरह मूल्यहासित किया गया है और तदनुसार 1.18 लाख रु. को मूल्य-हास में प्रभारित किया गया।
- 2.5 नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में सरकार द्वारा दी गई भूमि (फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड) और कंपनी द्वारा कब्जे में ली गई भूमि के बारे में : कब्जे की तारीख को प्रचलित रेडी रेकनर दर को लागू करके उचित मूल्यांकन किया गया है, उचित मूल्य को अनुदान माना गया है। तथापि, पुणे मेट्रो रेल परियोजना के संबंध में, भूमि के वर्तमान मूल्य को अधीनस्थ ऋण के रूप में बुक किया गया है तथा उचित मूल्य एवं वर्तमान मूल्य को भारत सरकार द्वारा जारी 9 जनवरी 2017 के मंजूरी आदेश के अनुसार अनुदान के रूप में बुक किया गया है।
- 2.6 बिक्री/पट्टाविलेख निष्पादित नहीं (नागपुर)

fooj .k	YhgkSYM Hkfe %oxehVj %	yhtgkSYM Hkfe %oxehVj %	dly %oxehVj %
बिक्री/पट्टाविलेख निष्पादित नहीं (नागपुर)	3,56,756.342	4,27,275.640	7,84,036.982
बिक्री/पट्टाविलेख निष्पादित नहीं (पुणे)	1,59,664.000	1,56,155.000	3,15,819.000
कुल	5,16,425.342	5,83,430.640	10,99,855.982

fnukad 31 ekp] 2018 dks l eklr o"kl ds fy, foRrh; foofj.kka ds Hkkx ds : i ea fVli f.k; ka fVli .kh 3 py jgk i thxr dk; l

(लाख रु. में)

foofj.k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkr ds vuq kj	Hkkj rh; ys[kk ekud l ek; kstu	fnukad 31-03-2017 dh fLFkr ds vuq kj	Hkkj rh; ys[kk ekud l ek; kstu	fnukad 01-04-2016 dh fLFkr ds vuq kj
l hMcy; mkbh & Hkou	41,546.91	-	5,425.16	-	631.01
l hMcy; mkbh & fo qr	4,018.29	-	1,113.86	-	-
l hMcy; mkbh & LFkk; h i Fk	4,262.64	-	178.22	-	-
l hMcy; mkbh & l j puk	94,818.38	-	22,293.26	-	5,298.86
l hMcy; mkbh & fuekz k ds nkg ku 0; : %fuoy%	36,299.31	1,047.94	14,346.32	28.54	1,078.14
l hMcy; mkbh & py LVkkl	1,460.16	-	-	-	-
l hMcy; mkbh & d"kl k , oa fo qr %i koj%	4,892.54	-	-	-	-
l hMcy; mkbh & , LdsyVI l	392.15	-	-	-	-
l hMcy; mkbh & fl xufyx , oa nj l apkj	5,628.41	-	-	-	-
mi : kx (d)	193,318.79	1,047.94	43,356.82	28.54	7,008.01
fuekz k Hkdkj *	9,581.26	-	1,196.13	-	-
mi : kx ([k)	9,581.26	-	1,196.13	-	-
dlq	202,900.05	1,047.94	44,552.95	28.54	7,008.01

* 7,064.13 लाख रु. (दिनांक 31.03.2017 – 1196.13 लाख रु. दिनांक 01.04.2016 – शून्य रु.) का निर्माण भंडार संविदाकारों के पास पड़ा हुआ है।
* विदेशी करेंसी कारोबार के लेखा के प्रयोजन के लिए सी एए/एमओ एफ (भारत सरकार) द्वारा यथा प्रकाशित मुद्रा दर को अपनाया गया है।

Li "Vtdj .k fVli .kh %

1. भारतीय लेखा मानक-23 "उधार लागत" के अनुसार 529.59 लाख रु. जिसमें 170.21 लाख रु. का प्रतिबद्धता प्रभार शामिल है (दिनांक 31.03.2017 – 57.11 लाख रु. जिसमें 22.76 लाख रु. का प्रतिबद्धता प्रभार शामिल है और दिनांक 01.04.2016 – शून्य रु.) को वर्ष के दौरान सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित किया गया है।

fVli .kh 4

vevz i fj l a fRr; ka

(लाख रु. में)

foofj.k	l kDvos j , oa ykbl i	dlq
I. l dy Cykkl		
fnukad 01-04-2017 dh fLFkr ds vuq kj 'k'k	5,137.87	5,137.87
o"kl ds nkg ku l ek; kstu	1,381.69	1,381.69
o"kl ds nkg ku fui Vku	-	-
fnukad 31-03-2018 dh fLFkr ds vuq kj 'k'k	6,519.56	6,519.56
II. o"kl 2017-2018 ds fy, l fpr .k' kks'ku		
fnukad 01-04-2017 dh fLFkr ds vuq kj 'k'k	105.02	105.02
o"kl ds nkg ku chkkfj r eM; Hkl @ .k' kks'ku	1,274.91	1,274.91
ifj l a fRr; ka ds fui Vku i j l eklr		
fnukad 31-03-2018 dh fLFkr ds vuq kj 'k'k	1,379.93	1,379.93
III. fnukad 31-03-2018 dh fLFkr ds vuq kj fuoy Cykkl (I-II)	5,139.63	5,139.63

(लाख रु. में)

I. l dy Cykkl		
दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार शेष	21.48	21.48
वर्ष के दौरान समायोजन	5,116.39	5,116.39
वर्ष के दौरान निपटान	-	-
fnukad 31-03-2017 dh fLFkr ds vuq kj 'k'k	5,137.87	5,137.87
II. o"kl 2016-2017 ds fy, l fpr .k' kks'ku		
दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार शेष	3.54	3.54
वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास/ऋणशोधन	101.48	101.48
fnukad 31-03-2017 dh fLFkr ds vuq kj 'k'k	105.02	105.02
III. fnukad 31-03-2017 dh fLFkr ds vuq kj fuoy Cykkl (I-II)	5,032.85	5,032.85

fnukad 31 ekp] 2018 dks l ekRr o"kd ds fy, foRrh; foofj.kka ds Hkkx ds : i esa fVli f.k; ka fVli .kh 5 foRrh; i fjl á fRr; ka

(लाख रु. में)

Ø- l a	foofj.k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkr ds vuq kj		fnukad 31-03-2017 dh fLFkr ds vuq kj		fnukad 01-04-2016 dh fLFkr ds vuq kj	
		xj & pky	pkv	xj & pky	pkv	xj & pky	pkv
1	cfRrHkr] mRre ekuk x; k	53.96	18.58	56.56	9.62	7.21	1.35
2	, pch, __.k	2.54	2.25	1.54	.83	-	-
3	dkj __.k	27.19	-	3.50	-	0.17	-
	, pch, , oa dkj __.k ij deapkfj; ka l sol myuh; C; kt						
1	vcfRrHkr] mRre ekuk x; k	4.70	7.56	2.80	2.80	-	-
2	Cgmnns kh; vfxe %, e ih , %	1.27	-	0.29	-	-	-
	, eih, ij deapkfj; ka l sol myuh; C; kt						
	dy	89.66	28.39	64.69	13.25	7.38	1.35

fVli .kh 6

foRrh; i fjl á fRr; ka & vU;

(लाख रु. में)

Ø- l a	foofj.k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkr ds vuq kj		fnukad 31-03-2017 dh fLFkr ds vuq kj		fnukad 01-04-2016 dh fLFkr ds vuq kj	
		xj & pky	pkv	xj & pky	pkv	xj & pky	pkv
1	çkRrHkr C; kt fclq, QMh ij ns ugha	-	205.88	-	216.90	-	225.87
2	Lfonkdjka l s çkRr C; kt	-	-	-	-	-	33.27
3	cfRrHkr tek vnk	1,087.68	68.85	225.97	99.34	7.87	27.26
4	dkml u euh	-	-	-	0.40	-	0.20
5	Hkfe ds fy, vupku	5,791.31	-	-	-	-	-
6	vU;	-	10.03	-	-	-	1.12
	dy	6,878.99	284.76	225.97	316.64	7.87	287.72

fVli .kh

सूटिलिटीज के लिए कनेक्शन हेतु सरकारी प्राधिकरणों को भुगतान की गई प्रतिभूति जमा को भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत कटौती के लिए विचार में नहीं लिया गया

fVli .kh 7

vU; xj & foRrh; i fjl á fRr; ka

(लाख रु. में)

Ø- l a	foofj.k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkr ds vuq kj		fnukad 31-03-2017 dh fLFkr ds vuq kj		fnukad 01-04-2016 dh fLFkr ds vuq kj	
		xj & pky	pkv	xj & pky	pkv	xj & pky	pkv
1	indl mRr 0; mfpr ek; kdlu ds fy, ns vLFkfxr ykxr						
a	कर्मचारी लाभ	32.51	4.07	30.39	2.52	3.97	0.39
b	किराया/किराया प्रभार	3.23	2.89	1.90	1.62	0.46	0.44
c	वृक्ष काटने का व्यय	11.38	9.27	-	-	-	-
d	केएफडब्ल्यू ऋण पर प्रबंधन शुल्क	816.74	47.31	864.05	47.31	-	-
e	अन्य	-	597.55	-	-	-	-
2	पूजी अग्रिम	2,159.86	-	2.88	-	-	-
3	अन्य वसूलनीय	-	324.35	-	568.33	-	-
4	रॉयल्टी	-	-	-	103.00	-	200.00
5	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (अप्रतिभूत, उत्तम माना गया)	-	-	-	-	-	57.16
6	कर्मचारी को अग्रिम (अप्रतिभूत, उत्तम माना गया)	-	-	-	4.92	-	1.15
7	संविदाकारों को अग्रिम (प्रतिभूत, उत्तम माना गया)	-	-	-	-	-	-
d	स्थल पर सामग्री के लिए अग्रिम	-	1,767.69	-	376.28	-	-
[k	मेबिलाइजेशन अग्रिम	21,649.87	46,288.97	11,693.43	13,163.22	-	1,351.37
8	सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	-	100.33	-	-	-	-
	dy	24,673.59	49,142.43	12,592.65	14,267.20	4.43	1,610.51

Li "Vhdj.k fVli .kh % अन्य वसूलनीय राशि में पुणे चिंचवाड़ नगर निगम एवं थाने नगर निगम से वसूल की जाने वाली राशि शामिल है।

fnukad 31 ekpl 2018 dks l eklr o"kl ds fy, foRrh; foobj .kka ds Hkkx ds : i ea fVli f.k; ka fVli .kh 8 vLFkfxr dj

fnukad 31 ekpl 2018 dh fLFkfr ds vuq kj vLFkk; h varj , oa vuko' kkr"kr eM; Uqkl l s mRi lUu vLFkfxr dj

(लाख रु. में)

Ø- l a	foobj .k	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	ykHk , oa gkfu foobj .k ea ekU; rk çklr	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj
1	vLFkfxr dj i fjl i fRr ds ?kVd okyh enka dk dj çHkko सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित ब्याज प्रारंभिक व्यय अनावशोषित मूल्यहास सी डब्ल्यू आई पी में समायोजन पूर्व संदत्त प्रबंधन मूल्य प्रतिभूति जमा उचित मूल्यांकन ओ सी सी का प्रभाव	221.97 74.49 356.64 - -	256.05 -18.13 553.95 307.77 12.09	478.02 56.36 910.59 307.77 12.09
	dy	653.10	1,111.73	1,764.83
2	vLFkfxr dj ns rk ds ?kVd okyh enka dk dj çHkko मूल्यहास भारतीय लेखा मानक समय अंतर सी डब्ल्यू आई पी में समायोजन सी डब्ल्यू आई पी भवन (अनुदान) निर्माण के दौरान सी डब्ल्यू आई पी व्यय अन्य परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर भूमि (अनुदान)	-519.40 -22.51 - - - - -	-227.02 22.51 - -22.76 -337.27 -268.02 -25,120.83	-746.42 - - -22.76 -337.27 -268.02 -25,120.83
	dy	-541.91	-25,953.39	-26,495.30
	vLFkfxr dj i fjl i fRr @ns rk %fuoy½	111.19	-24,841.66	-24,730.47

fnukad 31 ekpl 2017 dh fLFkfr ds vuq kj vLFkk; h varj , oa vuko' kkr"kr eM; gkl l s mRi lUu vLFkfxr dj

(लाख रु. में)

Ø- l a	foobj .k	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj	ykHk , oa gkfu foobj .k ea ekU; rk çklr	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj
1	vLFkfxr dj i fjl i fRr ds ?kVd okyh enka dk dj çHkko आई जी ए ए पी स्थिति सी डब्ल्यू आई पी को अंतरित ब्याज प्रारंभिक व्यय अनावशोषित मूल्यहास	- - - -	221.97 74.49 356.64 653.10	221.97 74.49 356.64 653.10
	dy	-14.91	-504.49	-519.40
	vLFkfxr dj i fjl i fRr %fuoy½	-14.91	148.61	133.70
3	Hkkj rh; ys[kk ekud dk; kUo; u ij dj çHkko %Mh Vh , y½ प्रतिभूति जमा की अनविडिंग पर ब्याज आय Hkkj rh; ys[kk ekud l ek; kst uka ds dkn vLFkfxr dj i fjl i fRr %fuoy½	- -14.91	-22.51 126.10	-22.51 111.19

- 1- dā uh ds ikl vk; dj vf/kfu; e] 1961 ds çko/kku ds vuq kj 910-59 yk[k #- %fnukad 31-03-2017 & 356-64 yk[k #- , oa 01-04-2016 & %kU; %½ dk vuko' kkr"kr eM; Hkl gA
- 2- dā uh dks fo'okl gS fd og Hkfo"; ea vius Hkkj rh; , oa foRrh; dk; fU"i knu ea l qkjk djus ea l {ke gksxA i fjl .kkelo; i] dā uh vuko' kkr"kr eM; Hkl rFkk vYi dkfyd i rthxr gkfu; ka dks l ek; kfr djus ds fy, i; klr Hkkoh dj ; kx; ykHk vftR djus ea l {ke gksxA
- 3- rnuq kj] vuko' kkr"kr eM; Uqkl vKj vLFkk; h varjka ij 24730-47 yk[k #- dh vLFkfxr dj ns rk %fnukad 31-03-2017 ds fy, vLFkfxr dj i fjl i fRr; ka & 111-19 yk[k #-] fnukad 01-04-2016 & 14-91 yk[k #-½ dks fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj ekU; rk nh xbl gA

fnukad 31 ekp] 2018 dks l ektr o"kl ds fy, foRrh; foj.kka ds Hkkx ds : i ea fVli f.k; ka
fVli .kh 9
0; ki j çkl;

(लाख रु. में)

foj.k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
vçfrHkkar mRre ekuk x; k व्यापार प्राप्य	15,998.48	3,983.40	-
clj	15,998.48	3,983.40	-

1- ckgjh ifj;ktuk %

कंपनी ने डिपोजिट कार्य के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नागपुर शहर के भीतर मनीष नगर से एक आर ओ बी सहित अर्जित स्क्वायर से प्राइड होटल के निकट फ्लाइ ओवर और ऑटोमेटिव स्क्वायर से गोड्डीगोदाम तक फ्लाइओवर बनाने का कार्य शुरू किया है। उक्त कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) एन एच ए आई को प्रस्तुत कर दी गई है। पहले दो कार्यों के लिए एन एच ए आई द्वारा कार्य पूरा करने संबंधी लागत में लागत पर 3 प्रतिशत की दर से महा मेट्रो प्रशासन प्रभार शामिल है। एन एच ए आई द्वारा अनुमोदन लंबित रहने तक लागत पर 3 प्रतिशत की दर से प्रशासन प्रभार और दिनांक 31.03.2018 तक किए गए कार्य को ऑटोमेटिव स्क्वायर से गोड्डीगोदाम तक फ्लाइ ओवर पर माना गया है।

2- ,e ,l vkj Mh lh l çkl; %

नागपुर में सेंट्रल एवेन्यू रोड पर संतरा मार्केट आर ओ बी (रामझूला) के उत्तर ओर रैम्प के निर्माण और पूर्वोत्तर ओर रैम्प के माध्यम से महा मेट्रो सेतु (वायडवुक) के निर्माण के लिए कंपनी और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (एम एस आर डी सी एल) के बीच दिनांक 07.07.2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते ज्ञापन के अनुसार पाया पी-7 से पूर्व की ओर (भंडारा की ओर) आर ओ बी रैम्प के भाग का निष्पादन कंपनी द्वारा सभी अनुषंगी कार्यों यथा, स्लिप रोड, यूटिलिटी को अन्यत्र ले जाने तथा मायो होस्पिटल की चहारदिवारी का निर्माण सहित एम एस आर डी सी लिमिटेड की ओर से डिपोजिट शर्त आधार पर निष्पादित किया जाना है। समझौता ज्ञापन में सहमति अनुसार मार्च की लागत 4.37 करोड़ रु. है। समझौता ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि एम एस आर डी सी लिमिटेड बी ओ क्यू की लागत से अधिक कोई लागत वृद्धि, दावे, दरों में संशोधन, कोई अतिरिक्त मदों और अतिरिक्त कार्य आदि पर विचार नहीं करेगा। कंपनी द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक निष्पादित कार्य की वास्तविक लागत 5.14 करोड़ रु. है। कंपनी ने 09.06.2018 के पत्र के तहत एम एस आर डी सी लिमिटेड से अनुरोध किया है कि वह कंपनी द्वारा उपगत वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करे जो लगभग 6.82 करोड़ रु. है। इसलिए, कंपनी द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक व्यय की गई वास्तविक लागत तथा एम ओ यू में उल्लिखित 0.77 करोड़ रु. की राशि को एम एस आर डी सी लिमिटेड से वसूलनीय राशि के रूप में दिखाया गया है।

fnukad 31 ekp] 2018 dks l ektr o"kl ds fy, foRrh; foj.kka ds Hkkx ds : i ea fVli f.k; ka
fVli .kh 10

pkj foRrh; i fj l i fRr; ka & udn vkj udn l erj;

(लाख रु. में)

Ø- l a	foj.k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
1	udn vkj udn l erj; क) पास में नकद [k] cl d ds i kl 'ks'k -चालू खाते में* -फ्लेक्सी डिपोजिट* -एस्करो खाता	- - 10,610.12 3,007.42 45.27	- - -243.50 10,409.02 50.32	0.80 - 9,166.72 - 14.96
	udn çokg ds vuq kj udn vkj udn l erj;	13,662.81	10,215.84	9,182.48

* इसमें प्रयुक्त इक्विटी अंशदान के रूप में 3,0052.00 लाख रु. (31.03.2017 – 648.00 लाख रु., 01.04.2016 – 648.00 लाख रु) शामिल है

fVli . kh 11
pkyw foRrh; i fjl i fRr; ka & vU; c&d 'k'k

(लाख रु. में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
1	एफडीआर में निवेश 3 माह से अधिक किंतु 12 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ	17,002.60	6,309.00	2,737.00
	12 माह से कम की परिपक्वता djy	26.75	6,309.00	2,737.00
		17,029.35	6,309.00	2,737.00

* इसमें प्रयुक्त इक्विटी अंशदान के रूप में 3,0052.00 लाख रु. (31.03.2017 – 648.00 लाख रु., 01.04.2016 – 648.00 लाख रु.) शामिल है

fVli . kh
fy; u ds varxlr /kkfjr fODLM fMi kftV dk C; kjk

(लाख रु. में)

	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए फिक्स्ड डिपोजिट लियन	4,302.60	6,309.00	2,737.00
बैंक गारंटी के लिए फिक्स्ड डिपोजिट लियन	25.75		

fVli . kh 12
pkyw dj i fjl i fRr; ka %fuoy%

(लाख रु. में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
1	vfxe dj	22.75	62.03	-
2	Vh Mh , l	-	28.85	20.25
3	Vh Mh , l - 2016-17	175.09	166.15	-
4	Vh Mh , l - 2017-18	279.75	-	-
5	f'k{kk l d %vk; dj %	-	-	1.55
6	vk; dj (dā uh) 15-16	-	-	34.11
7	l jpkTl %vk; dj %	-	-	3.37
	djy	477.59	257.03	59.28

fVli . kh 13 d
vU; bfDoVh

(लाख रु. में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
1	vkca/u ds fy, yfcr 'ks j , lyhd's ku euh	30,052.00	648.00	648.00
2	cfr/kkfjr vtU	-26,693.91	-525.40	-360.28
3	vU; 0; ki d vk; dh vU; ena - i f j Hkkf"kr ykHk nkf; Ro dk i p v k d y u	-27.04	-3.19	-
	djy	3,331.05	119.41	287.72

ii) vU; bfDoVh ds Hkhrj cR; d f j t o l dh c d f r , o a c ; k s t u
vkb'ntn lnb'it r h n e t a k b o y e r e p l i k e s h u e u h

कंपनी का शेयर एप्लीकेशन मनी मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति (दिनांक 31.03.2018 – 30,052.00 लाख रु.) तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल (31.03.2018 – 648.00 लाख रु.) से प्राप्त धनराशि के कारण है।

cfr/kkfjr vtU %

प्रतिधारित अर्जन में लाभ और हानि का अधिशेष/(घाटा) शामिल है। कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में वितरित की जा सकने वाली राशि का निर्धारण कंपनी के वित्तीय विवरणों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

fnukad 31 ekp] 2018 dks l eklr o"kl ds fy, foRrh; fooj .kka ds Hkkx ds : i ea fVli f.k; ka fVli .kh 13 bfDoVh 'ks j i rth

(लाख रु. में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkr ds vuq kj		fnukad 31-03-2017 dh fLFkr ds vuq kj		fnukad 01-04-2016 dh fLFkr ds vuq kj		
		'ks jka dh l a	jkf' k	'ks jka dh l a	jkf' k	'ks jka dh l a	jkf' k	
1	çkf/kkr 'ks j i rth	5,000,000,000	500,000.00	5,000,000,000	500,000.00	3,000,000,000	300,000.00	
2	tkjh fd; k x; kj l Cl Økbc fd; k x; k vkj ijh rjg Hkprku fd; k x; k	1,048,900,000	104,890.00	429,940,000	42,994.00	155,940,000	15,594.00	
3	प्रति शेयर मूल्य (10 रु.) 'ks jka dh l a; k vkj 'ks j i rth cdk; k dk l ek/kku	429,940,000	42,994.00	155,940,000	15,594.00	-	-	
	आरम्भिक शेयर पूंजी	618,960,000	61,896.00	274,000,000	27,400.00	155,940,000	15,594.00	
	जोड: शेयरों / शेयर की सं. वर्ष के दौरान जारी एवं सब्सक्राइब की गई पूंजी	1,048,900,000	104,890.00	429,940,000	42,994.00	155,940,000	15,594.00	
4	अंतिम शेयर पूंजी	5 çfr' kr l s vf/kd /kkfjr dj us okys 'ks j/kkj dka dk cl uh ea 'ks j Hkkjr ds jk"Vl fr egkj k"V l j dkj	524,450,000	52,445.00	214,970,000	21,497.00	77,970,000	7,797.00
		524,450,000	52,445.00	214,970,000	21,497.00	77,970,000	7,797.00	

- उस तिथि, जिसको तुलनपत्र तैयार किया जाता है, से ठीक पहले दो वर्षों की अवधि के दौरान:
 - नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना संविदा के अनुसरण में पूर्णतः संदत्त के रूप में शेयरों की कोई श्रेणी आबंटित नहीं की गई।
 - नकद से भिन्न प्रतिफल हेतु बोनस शेयरों द्वारा पूर्णतः संदत्त के रूप में शेयरों की कोई श्रेणी आबंटित नहीं की गई।
 - कंपनी द्वारा शेयरों की किसी श्रेणी को वापस नहीं लिया गया।
- कोई भी कॉल अनपेड नहीं है।
- कोई जब्त किए गए शेयर नहीं है।

fVli .kh 14
foRrh; nsunkfj; ka & vU;

(लाख रु. में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkr ds vuq kj		fnukad 31-03-2017 dh fLFkr ds vuq kj		fnukad 01-04-2016 dh fLFkr ds vuq kj	
		xj & pky	pkv	xj & pky	pkv	xj & pky	pkv
1	अग्रिम राशि डिपोजिट	-	268.70	-	247.93	-	43.84
2	प्रतिभूति जमा	299.34	79.77	37.77	70.44	7.33	20.31
3	देय प्रतिबद्धता प्रभार	-	20.28	-	9.07	-	-
4	प्रोद्भूत ब्याज	-	179.01	-	11.27	-	-
5	भारत सरकार से ऋण (पीटीए)	-	13,500.26	-	28,476.13	-	-
6	कर्मचारी संबंधी देय	-	522.45	-	-	-	6.37
7	देय प्रतिधारण	-	3,535.93	-	706.72	-	-
8	स्थिर परिसंपत्तियां की खरीद के लिए देय	-	118.73	-	586.10	-	2.57
	clq	299.34	18,225.13	37.77	30,107.66	7.33	73.09

fnukad 31 ekp] 2018 dks l eklr o"ki ds fy, foRrh; foj.kk ds Hkkx ds : i ea fVli f.k; ka

fVli .kh 15
çko/kku

(लाख रु. में)

Ø- l a	foj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj		fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj		fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj	
		xj & pky	pkj	xj & pky	pkj	xj & pky	pkj
A	depkjh ykth ds fy, अवकाश के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
	नकदीकरण	281.71	6.06	86.26	2.66	-	32.02
	उपदान के लिए प्रावधान	73.18	-	13.77	-	3.53	-
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा के लिए प्रावधान	79.47	0.08	32.67	0.33	-	-
	अवकाश यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	-	33.56	-	6.93	-	-
	अवकाश यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	81.94	0.39	5.20	0.78	-	-
	çty	516-30	40-09	137-90	10-70	3-53	32-02

fVli .kh 16

xj & pky foRrh; ns rk&m/kkj

(लाख रु. में)

Ø- l a	foj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
1	l kof/k tek भारत सरकार से ऋण (केएफडब्ल्यू)	1,06,074.23	11,273.87	-
2	भारत सरकार से ऋण (एएफडी)	20,425.51	-	-
	v/khuLFk .k	-	-	-
3	भूमि	20,005.43	-	-
4	कर	6,765.28	425.09	700.00
	çty	1,53,270.45	11,698.96	700.00

Li "Vhdj .k fVli f.k; ka

- कंपनी ने केंद्रीय करों, राज्य करों एवं भूमि की लागत के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा यू एल बी से ब्याज रहित अधीनस्थ ऋण प्राप्त किया है। परियोजना के लिए लिए गए अन्य दीर्घकालिक ऋणों को पूरी तरह वापस चुकाने के बाद ऋण 5 समान वार्षिक किस्तों में देय हो गया है।
- के एफ डब्ल्यू (जर्मनी) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मेट्रो के निर्माण के माध्यम से नागपुर शहर में स्थायी एवं एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार को पांच किस्तों में 300 मिलियन यूरो का कुल ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। भारत सरकार एवं के एफ डब्ल्यू (जर्मनी) के बीच ऋण करार पर दिनांक 01.04.2016 को हस्ताक्षर किए गए। के एफ डब्ल्यू एवं कंपनी के बीच दिनांक 10.04.2016 को परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए। के एफ डब्ल्यू जर्मनी द्वारा प्रतिबद्ध किस्त-वार ऋण राशि निम्नानुसार है।

__ k fdLr	LoHkwr __ k jkf'k %; j k%;
1	3,10,00,000
2	10,78,00,000
3	14,21,00,000
4	12,87,00,000
5	9,04,00,000

- उपर्युक्त के अतिरिक्त, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, एजेंसी फ्रेंकोइस डेवलपमेंट (ए एफ डी) ने नागपुर, मेट्रो रेल परियोजना के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के लिए कुल 130 मिलियन यूरो ऋण प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है। भारत सरकार तथा ए एफ डी के बीच दिनांक 17.11.2016 को क्रेडिट फेसिलिटी करार पर हस्ताक्षर किए गए। ए एफ डी तथा कंपनी के बीच दिनांक 15.12.2016 को परियोजना करार पर हस्ताक्षर किए गए।
- ऋण राशि दो प्रक्रियाओं अर्थात् प्रतिपूर्ति प्रक्रिया एवं प्रतिबद्धता प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार को संवितरित की गई है। इस ऋण से प्राप्त राशि, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार एवं महा मेट्रो के बीच दिनांक 14.07.2015 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार समान भारतीय रुपए में पास थ्रो एसिस्टेंट (पी टी ए) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कंपनी को दी गई।
- के एफ डब्ल्यू एवं ए एफ डी से ब्याज वाले ऋण की वापसी अदायगी ऋण पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 5 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद 15 वर्षों की अवधि में दो समान वार्षिक किस्तों में की जानी है।
- पुणे मेट्रो रेल परियोजना के मामले में, भारत सरकार तथा शासकीय विकास सहायता (ओ डी ए) वित्तपोषण एजेंसियों के बीच ऋण करार पर अभी हस्ताक्षर किया जाना बाकी है। इसलिए, अधीनस्थ ऋण को वित्तीय वर्ष 2040-2044 से वापसी अदायगी योग्य माना गया है (यह मानते हुए कि ओ डी ए वित्तपोषण एजेंसियों के पास करार पर वर्ष 2019 में हस्ताक्षर किए जाएंगे)।
- दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार, 700 लाख रु. का अधीनस्थ ऋण उचित रूप से मूल्यांकित नहीं था क्योंकि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 में उपलब्ध छूट को अपना लिया है।
- सरकारी भूमि के लिए एस डी : राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि/यूएलबी (फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड) की लागत का हिसाब कब्जा लेने की तारीख को प्रचलित रेडी रेकनर दर के आधार पर लगाया गया है। कंपनी द्वारा वर्तमान मूल्य को "व्यय रहित अधीनस्थ ऋण" के रूप में बुक किया गया है तथा उचित मूल्य और वर्तमान मूल्य के बीच अंतर को अनुदान के रूप में बुक किया गया है।

fVli . kh 17

vkLFkfxr vk; & l jdkjh vupku

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
1	एन आई टी अंशदान	35,016.67	5,898.67	3,598.64
2	भूमि के लिए अनुदान	16,897.18	67,743.16	49,567.69
3	एन आई टी (प्रारंभिक व्यय)	-	-	73.67
3	एन एम सी अंशदान	36,100.00	-	-
4	अधीनस्थ ऋण के लिए अनुदान	1,38,432.30	1,824.99	-
	Total	2,26,446.15	75,466.82	53,166.33

Li "Vhdj . k ukv:

Hkkjr ys[kk ekud&20 **l jdkjh vupku ds fy, ys[kk vkj l jdkjh l gk; rk dk cdVu** ds l dk ea cdVu

विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिनांक 31.03.2018 तक प्राप्त सहायता अनुदान का ब्यौरा निम्नवत है:

विवरण	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
अनुदान अंशदान (यू एल बी) एन आई टी	6,716.67	5,898.67	3,598.64
महाराष्ट्र सरकार का अनुदान	1985.22		
अनुदान – भारत सरकार	25276.33	1824.99	
ekfnd vupku kd%	33,978.22	7,723.66	3,598.64
अनुदान अंशदान (यूएलबी) एन आई टी	28,300.00	28,300.00	21,782.07
अनुदान अंशदान (यू एल बी) एन एन सी	36,100.00	36,100.00	27,785.62
vupku egjk"V" l jdkj	82,458.50	3,343.16	-
अनुदान अंशदान (यू एल बी) पी एम सी	45,609.43		
xj ekfnd vupku %k%	1,92,467.93	67,743.16	49,567.69
dj vupku ckr kd\$[k%	2,26,446.15	75,466.82	53,166.33

सरकारी भूमि के लिए एस डी : राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि/यूएलबी (फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड) की लागत का हिसाब कब्जा लेने की तारीख को प्रचलित रेडी रेकनर दर के आधार पर लगाया गया है। कंपनी द्वारा वर्तमान मूल्य को "व्यय रहित अधीनस्थ ऋण" के रूप में बुक किया गया है तथा उचित मूल्य और वर्तमान मूल्य के बीच अंतर को अनुदान के रूप में बुक किया गया है।

fnukad 31 ekp] 2018 dks l eklr o"kl ds fy, foRrh; fooj .kka ds Hkkx ds : i ea fVli f. k; ka fVli .kh 18 vU; ns rk, a & pky

(लाख रु. में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
1	सांविधिक देयता देय	55.16	502.83	31.25
2	टी डी एस देय	619.58	811.44	108.25
3	देय वस्तु एवं सेवा कर	177.01	-	-
4	देय सेवा कर	37.44	-	-
5	ग्राहकों से अग्रिम	241.41	-	-
कुल		1,130.60	1,314.27	139.50

fVli .kh 19 vU; vk;

(रु. लाख में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj
1	फिक्स्ड डिपोजिट पर ब्याज	1,738.97	730.84
2	अन्य विविध आय	237.46	17.60
3	शास्तियां	63.41	-
4	वेंडर पंजीकरण	53.24	-
5	एफ एस आई से अनुदान	307.93	-
	vkLFkfr vk; %mfpr ew; kadu ij½	-	-
6	उपकरण पर ब्याज की अनविडिंग	1,184.44	75.99
7	कर्मचारी लाभ पर ब्याज की अनविडिंग	9.79	3.80
8	प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अनविडिंग	13.45	0.75
dly		3,608.69	828.98

fVli .kh 20 depkjh ykHk 0; ;

(रु. लाख में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj
1	वेतन, पारिश्रमिक एवं बोनस	223.45	6.56
2	पीएफ, उपदान एवं अन्य निधियों में अंशदान	12.00	2.52
dly		235.45	9.08

fVli .kh 21 foRr ykxr

(रु. लाख में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj
1	cfRrhkr tek ns ij C; kt प्रतिभूति जमा देय पर ब्याज व्यय की अनविडिंग	12.32	2.46
	?kV% निर्माण के दौरान व्यय में अंतरित	-12.32	-2.46
	ih , oa , y fooj .k ea dly varfjr	-	-
2	v/khuLFk __.k ij C; kt अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय की अनविडिंग	1,035.62	26.07
	?kV% निर्माण के दौरान व्यय में अंतरित	-1,035.62	-26.07
	ykHk , oa gkfu fooj .k ea dly varfjr	-	-
dly (1+2)		-	-

fnukad 31 ekp] 2018 dks l eklr o"kl ds fy, foRrh; fooj .kka ds Hkkx ds : i ea fVli f. k; ka
fVli .kh 22
vU; 0; ;

(लाख रु. में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj
1	लेखापरीक्षा शुल्क		
	सांविधिक लेखा परीक्षा कर लेखापरीक्षा	8.47 2.36	5.75 .30
2	प्रदर्शनी, जन संपर्क एवं प्रयोजन व्यय	258.85	198.36
3	उद्यान एवं लैंडस्केपिंग व्यय	2.60	40.08
4	विधिक एवं वृत्तिक व्यय	663.71	31.58
5	फिक्स्ड डिपोजिट की बिक्री पर हानि	-	0.53
6	विविध व्यय	117.97	104.43
7	कार्यालय व्यय	16.72	16.77
8	प्रिंटिंग एवं लेखन सामग्री	102.21	65.88
9	कार्यक्रम, आयोजन, सेमिनार एवं बैठक संबंधी व्यय	460.01	305.37
10	किराया, दर एवं कर	308.78	67.83
11	मरम्मत एवं रख-रखाव	1,515.57	126.86
12	टेलिफोन एवं इंटरनेट प्रभार	18.49	11.40
	dy	3,475.74	977.14

fVli .kh 23
vU; 0; ki d vk;

(लाख रु. में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj
1	उपदान बीमांकिकीय लाभ/हानि	24.16	4.62
2	सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिकीय लाभ/हानि	14.19	-
3	टर्मिनल लाभ बीमांकिकीय लाभ/हानि	0.78	-
	dy	39.13	4.62

egkj k"V^a eS/kS jsy dklj i kj's ku fyfeVM
(i dZ ea ukxi gj eS/kS jsy dklj i kj's ku ds : lk ea Kkr)

fVli .kh tks fnukad 31 ekpj 2018 dks l eklr o"kl ds fy, **वित्तीय** fooj .kka ds Hkkx g\$
fVli .kh 1

वित्तीय fooj .kka dh vU; fVli f.k; ka
da'uh l ipuk vk\$ egloj i kZ ys[kk uhfr; ka

d- da'uh l ipuk

1½ fj i kE Vx l LFkku

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी" के रूप में उल्लिखित) महाराष्ट्र, भारत में स्थित एवं निगमित है (सी आई एन नं. U60100MH2015SGC262054) जिसमें महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार की समान इक्विटी भागीदारी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नागपुर में है। कंपनी मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और पुणे में मेट्रो रेल परियोजनाओं के निर्माण और परिचालन में शामिल है। कंपनी के अन्य व्यवसाय में बाहरी एजेंसियों के लिए निर्माण कार्य और अन्य संगठनों हेतु परामर्श शामिल हैं।

2½ vuq kyuka dk fooj .k&vkdyu vk\$ egloj i kZ ys[kk uhfr; ka dk r\$ kj djus dk vk/kkj

कंपनी का वित्तीय विवरण लेखा के प्रोद्घवन आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनी (भारत लेखा मानक) नियम, 2015 (यथासंशोधित) के तहत यथासूचित भारतीय लेखा मानक और अन्य लागू प्रावधानों तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों/घोषणाओं पर भी, जहां कहीं लागू हो, विचार किया गया है। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि के दौरान लेखा नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

कंपनी ने कंपनी पर यथा लागू सभी भारतीय लेखा मानकों को अंगीकार कर लिया है तथा यह अंगीकरण भारतीय लेखा मानक 101 "भारतीय लेखा मानकों का पहली बार अंगीकरण" के अनुसार किया गया। ट्रांजिशन, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2018 की धारा 13 के अंतर्गत यथा विहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जी ए ए पी) से किया गया।

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरणों हैं। कंपनी आरंभिक तुलनपत्र में प्रयोग की गई कंपनी की कुछ भारतीय लेखा नीतियां दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार लागू की गई भारतीय जी ए ए पी लेखा नीतियों से भिन्न थीं तथा तदनुसार, भारतीय लेखा मानक के अनुसार आरंभिक तुलन पत्रों के पुनर्कथन के लिए समायोजन किया गया। भारतीय लेखा में ट्रांजिशन की तारीख से पहले के घटनाक्रमों

एवं कारोबार को दिनांक 01 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित अर्जनों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से मान्यता दी गई। इस बारे में स्पष्टीकरण कि किस प्रकार भारतीय लेखा मानक में ट्रांजिशन से कंपनी की इक्विटी, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और इसका नकद प्रवाह प्रभावित हुआ है, टिप्पणी सं. 16 में दिया गया है।

लेखा नीतियों को निरंतर रूप से लागू किया गया है सिवाय उसके, जहां किसी नए जारी लेखा मानक को आरंभ में अंगीकार किया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रयोग में रही लेखा नीति में परिवर्तन अपेक्षित है।

सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में उल्लिखित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी ने परिसंपत्तियों/देयताओं का चालू एवं गैर चालू में वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपने परिचालन चक्र को 12 माह के रूप में अभिनिश्चित किया है।

3½ वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित के सिवाय ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है:

वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित के सिवाय ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां, जिनका आकलन उचित मूल्य पर किया जाता है (वित्तीय लिखतों के बारे में लेखा नीति को देखें);
- ख) परिभाषित लाभ योजना तथा योजनागत परिसंपत्तियों का आकलन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- ग) समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना के लिए राज्य सरकार से प्राप्त भूमि का आकलन रेडी रेकनर दर (उचित मूल्य) पर किया जाता है।

उचित मूल्य का आकलन करने के लिए प्रयुक्त तरीकों पर चर्चा आगे वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में की गई है।

4½ भारतीय लेखा मानक के मान्यता एवं आकलन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन द्वारा अनुमानों एवं धारणाओं की आवश्यकता पड़ती है जो प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की सूचित राशियों तथा वित्तीय विवरणों की तिथि को परिसंपत्तियों, देयताओं की सूचित राशियों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटनों को प्रभावित करते हैं। कुछ उपायों के लिए अन्य की तुलना में उच्च स्तरीय निर्णय को लागू किए जाने की अपेक्षा होती है। प्रबंधन उपलब्ध सूचना और अपने अनुभव पर आधारित अपने अनुमानों एवं निर्णयों का लगातार मूल्यांकन करता है और उसे विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमान विवेक संगत एवं समुचित है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात या साकार होते हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के लिए, अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, लेखा नीतियों को लागू करने में अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों, जिनका वित्तीय विवरणों में स्वीकार की

गई धनराशि पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है, के बारे में सूचना आवश्यक है। महत्वपूर्ण अनुमानों या निर्णयों से संबंधित क्षेत्र निम्नलिखित है:

दक्षिण परिसंपत्तियों के लिए निम्नलिखित क्षेत्र निम्नलिखित है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कंपनी के परिसंपत्ति आधार के महत्वपूर्ण भाग हैं। आवधिक मूल्य-हास के संबंध में प्रभार को परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगी अवधि इसकी अवधि के अंत में अपेक्षित अवशेषी मूल्य तथा मूल्य-हास तरीके को अवधारित करने के बाद प्राप्त किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि तथा अवशेषी मूल्य को, परिसंपत्ति को अर्जित करने तथा समीक्षा करने के समय मूल्य-हास के तरीके के साथ प्रबंधन द्वारा अवधारित किया जाता है। उनकी उपयोगी अवधियां ऐसी ही परिसंपत्तियों के साथ ऐतिहासिक अनुभव और भावी घटनाक्रमों, जो उनकी अवधि को प्रभावित कर सकते हैं, यथा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, के पूर्वानुमान पर आधारित होती हैं। उपयोगी जीवन के पूनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य में मूल्य-हास व्यय में परिवर्तन हो सकता है। मूल्यांकन इस बारे में किया जाता है कि किन घटकों एवं लागत को पूंजीकृत किया जाए।

वैश्विक परिसंपत्तियां के लिए निम्नलिखित क्षेत्र निम्नलिखित है:

प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास विगत की घटना के परिणामस्वरूप दायित्व हो और यह संभव है कि दायित्व का समाधान करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित हो जिसके बारे में एक विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है। यह तुलन पत्र की तारीख को दायित्व का समाधान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन अनुमान पर अवधारित किया जाता है।

देनदारियां/परिसंपत्तियां: आकस्मिक देनदारियों/परिसंपत्तियों को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर वित्तीय विवरणों के नोट के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को प्रतिलिखित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

कर्मचारी लाभ दायित्वों का आकलन बीमांकिकीय धारणाओं के आधार पर किया जाता है जिनमें मृत्यु और आहरण दर तथा कटौती दरों में भावी विकास से संबंधित धारणाएं, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति की दर शामिल हैं। कंपनी का विचार है कि उनके दायित्वों का आकलन करने के लिए उपयोग की गई धारणाएं उपयुक्त और प्रलेखित हैं। तथापि, इन धारणाओं में परिवर्तनों का, परिणामी आकलन पर तात्त्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए निम्नलिखित क्षेत्र निम्नलिखित है। इन धारणाओं में किसी परिवर्तन का वसूलनीय राशि के आकलन पर तात्त्विक प्रभाव पड़ सकता है।

egkj k"V^a eS^Vks j sy dklj i kj s ku fyfeVSM

fVli f.k; kj tks fnukad 31 ekp] 2018 dks l eklr o"kl ds fy, **वित्तीय** fooj .kka ds Hkkx g]g

fVli . kh 1

[k- egUoi w kl ys[kk uhfr; ka

1- dk; kRed vkj çLrfr dj h

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की कार्यात्मक करेंसी है।

2- **संपत्ति** l a = , oa mi dj .k vkj veirz **परिसंपत्तियां**

2.1 भारतीय लेखा मानक में ट्रांजिशन के बाद कंपनी ने पूर्व जी ए ए पी के अनुसार आकलित दिनांक 01 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार, अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वहन मूल्य को जारी रखने तथा उस वहन मूल्य का उपयोग संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मानित लागत के रूप में करते रहने का विकल्प चुना है। तदनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को उनकी अधिग्रहण लागत/ऐतिहासिक लागत के रूप में दर्शाया गया है।

स्थिर परिसंपत्ति की लागत में किसी आयात शुल्क और वसूलनीय करों के अन्य कर निवल तथा परिसंपत्ति को उसके आशयित प्रयोग के लिए तैयार करने पर व्यय, जिससे उस तारीख तक, जब परिसंपत्ति अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार है, अर्हक स्थिर परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उधार पर ब्याज शामिल हैं, तथा किसी व्यापार कटौती और रिबेट और अन्य अनुषांगिक व्यय तथा निर्माण को ढाहने; हटाने तथा स्थल, जिस पर यह अवस्थित है, यदि कोई है, पर उसे पुनः बनाने की लागतों के आरंभिक अनुमान सहित खरीद मूल्य शामिल है।

परवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या उन्हें पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभव हो कि उस मद से संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को होगा और कि लागत का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकता हो। अब संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद के भाग के विभिन्न उपयोगी जीवन हैं तो उनका लेखा पृथक मदों (प्रमुख घटक) के रूप में किया जाता है।

2.2 परिसंपत्तियों को उपयोग में लगाने की स्थिति में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान किया जाना शेष है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन की शर्त के अध्याधीन अनंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

2.3 पृथक रूप से अधिग्रहण की गई अमूर्त परिसंपत्तियों का आकलन लागत पर आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियां, संचित ऋणशोधन/हानि को घटाकर लागत के आधार पर निर्धारित होती है।

3- Hkife

- 3.1 भूमि को भारतीय लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए फ्रेमवर्क द्वारा यथा अपेक्षित नियंत्रण के आधार पर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 3.2 विभिन्न सरकारी निकायों एवं विभागों सहित भूस्वामियों द्वारा सौंपे गए तथा कंपनी द्वारा कब्जा, लिए गए भू-खंडों का पंजीकरण कंपनी द्वारा भूमि का कब्जा लेते समय या भुगतान करते समय, जो भी पहले ही, किया जाएगा तथा इसके लिए कंपनी के नाम में विलेख के पंजीकरण की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी।
- 3.3 भू-अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बढ़ाए गए मुआवजे, यदि कोई हो, को तब लेखा में लिया जाएगा जब भुगतान देय होगा क्योंकि राशि अनुमानित नहीं की जा सकती है।
- 3.4 परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की लागत से संबंधित मुआवजा, विस्थापन आदि का लेखा सी डब्ल्यू आई पी में रखा जाता है तथा पूरा होने पर उसे संबंधित निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।
- 3.5 कब्जे में लीज होल्ड भूमि सहित भूमि से संबंधित लागत या मुआवजा के लिए किए गए अनंतिम भुगतानों/प्रदान की गई देयता, ऐसी संरचनाओं की बिक्री से प्राप्त राशि को घटा कर संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत को भूमि या लीज होल्ड भूमि की लागत माना जाएगा।
- 3.6 अस्थायी आधार पर अर्जित भूमि के लिए अनंतिम रूप से किए गए भुगतान/प्रदान की गई देयता को भूमि की कब्जा अवधि में ऋणशोधित किया जाता है।
- 3.7 निर्माण के लिए सौंपी गई भूमि, जो विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों की निःशुल्क है, जिसका नियंत्रण/स्वामित्व कंपनी में निहित है, को प्राप्त भूमि के उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसका आकलन रेडी रेकनर के आधार पर किया जाता है।
- 3.8 तीस (30) वर्षों या अधिक की पट्टा अवधि वाली लीजहोल्ड भूमि को वित्त पट्टा माना जाता है तथा इसे रेडी रेकनर दर (उचित मूल्य) के अनुसार मान्यता दी जाती है।

4- परिचालन के दौरान

- 4.1 निर्माण अवधि से संबंधित आय यथा, अधीनस्थ ऋण एवं इक्विटी के लिए अल्पकालिक जमा को लाभ एवं हानि के विवरण में समायोजित किया जाता है। निर्माण अवधि से संबंधित आय यथा, के एफ डब्ल्यू एवं ए एफ डी से ऋण हेतु पास थ्रो एसिस्टेंस (पी टी ए) पर अर्जित ब्याज और परियोजना संविदाकारों को प्रदान किए गए अग्रिम निविदा दस्तावेजों की बिक्री आदि का समायोजन निर्माण के दौरान व्यय के प्रति किया जाता है।
- 4.2 मूल्य अंतर सहित दावों को उनकी स्वीकृति मिलने पर लेखा में लिया जाता है।
- 4.3 परिसमाप्त नुकसानों का अंतिम बिल के समाधान पर लेखा किया जाता है।
- 4.4 परियोजना से प्रत्यक्षतः संबद्ध प्रशासनिक और सामान्य खर्चों (निवल आय) का आबंटन चालू किए जाने के माह के अंत के अनुसार कुल कार्यशील पूंजी में पूंजीकृत परिसंपत्तियों के अनुपात में किया जाता है।
- 4.5 परिसंपत्तियों के पट्टों, जिनके अंतर्गत स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों के महत्वपूर्ण भाग को पट्टाकर्ता द्वारा रखा जाता है, को कार्यशील पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कार्यशील पट्टा के अंतर्गत पट्टा भुगतान को वाणिज्यिक परिचालनों के प्रारंभ होने तक परियोजना की लागत का भाग माना जाता है।

5- निष्पत्ति के दौरान

वर्ष के दौरान चालू की गई अर्हक परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज उस अनुपात में आबंटित किया जाता है जो अनुपात चालू की गई परिसंपत्तियों के मूल्य और चालू करने के माह के अंत में अर्हक सी डब्ल्यू आई पी के बीच हाता है। अन्य मामलों में, आई डी सी का आबंटन अंतिम भाग के पूंजीकरण की तारीख के आधार पर किया जाता है।

6- निष्पत्ति के दौरान

- 6.1 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्य-हास, निम्नलिखित परिसंपत्तियों/परिसंपत्तियों के घटकों को छोड़कर, जहां उपयोगी अवधि तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अवधारित की जाती है, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - II में विहित उपयोगी अवधि के अनुसार स्ट्रेट लाइन मैथड पर प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्ति / घटकों का वर्गीकरण	वर्गीकरण
निदेशकों से भिन्न कर्मचारियों को प्रदान किए गए मोबाइल हैंडसेट	3
फर्नीचर, फिक्सचर, कार्यालय उपकरण और निदेशकों को आवासीय कैम्प कार्यालय में उपलब्ध कराई गई अन्य परिसंपत्तियां	4

- 6.2 मूल्यहास तरीके, उपयोगी जीवन तथा शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के समय की जाती है तथा इनका उपयुक्त रूप से समायोजन किया जाता है।
- 6.3 परिसंपत्तियों के घटकों को चिह्नित करने के लिए ध्यान में रखे गए मानदंड:
- परिसंपत्तियां, जिनका मूल्य 10 लाख रु. अथवा अधिक है और कम्पोनेन्ट्स, जिनका मूल्य मुख्य संपत्ति के संदर्भ में 10 प्रतिशत से अधिक है, को ही केवल कम्पोनेन्टाइजेशन के लिए लिया गया है। घटक के अधिकतम जीवन को मुख्य परिसंपत्ति के जीवन तक सीमित रखा गया है।
 - परिसंपत्तियों के जिन कम्पोनेन्ट्स का उपयोगी जीवन एक समान है, उन्हें मुख्य परिसंपत्ति के संदर्भ में प्रतिशतता का ध्यान रखे बिना एक साथ क्लब कर दिया गया है।
 - शेष घटकों या गैर महत्वपूर्ण भागों को मुख्य परिसंपत्ति के साथ मिला दिया गया है।
 - लीज होल्ड भवनों को घटक में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इनका लीज की अवधि में कुल भुगतान के विनियोजन के आधार पर ऋणशोधन किया जाता है।
 - वाहन, सुरक्षा उपकरणों, आई टी प्रणाली, कार्यालय उपकरण एवं फर्नीचर और फिक्सचर को घटक में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इन परिसंपत्तियों का मूल्य कंपनी की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य की तुलना में बहुत कम है।
- 6.4 5000 रु. या इससे कम की लागत वाली संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरी तरह मूल्यहास/ऋणशोधन खरीद के वर्ष में किया जाता है।
- 6.5 सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को उपयोगी आर्थिक जीवन की अवधि में ऋण शोधित किया जाता है और जब कभी यह संकेत हो कि परिसंपत्ति में क्षीणता आ सकती है, क्षीणता के लिए उनका आकलन किया जाता है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न भाग है, सहित अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग करने के विधिक अधिकार की अवधि या 5 वर्ष, जो भी पहले हो, में स्ट्रेट लाइन मैथड पर ऋण शोधित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऋण शोधन तरीके (मैथड) एवं अवधि की समीक्षा की जाती है। शेष मूल्य के बहुत अधिक नहीं होने का अनुमान है तथा इसलिए इसे शून्य माना गया है।
- 6.6 भूमि को छोड़कर लीजहोल्ड संपत्तियों का ऋणशोधन पट्टे की शर्तों पर या इसके उपयोगी जीवन, जो भी कमतर हो, के लिए किया जाता है।
- 6.7 मौजूदा परिसंपत्ति, जो पहले पूंजीकृत की गई मुख्य परिसंपत्तियों का अभिन्न अंग है, में परिवर्द्धन/कटौती के संबंध में मूल्यहास उस परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के लिए किया जाता है।
- 6.8 उन वस्तुओं, जिसका स्वामित्व नियंत्रण कंपनी के पास नहीं है, पर व्यय, ऐसे व्यय किए जाने वाले वर्ष में राजस्व में प्रभारित किए जाते हैं।
- 6.9 पांच (5) प्रतिशत का शेष मूल्य अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार सभी मूर्त परिसंपत्तियों के लिए रखा गया है।
- 6.10 पूर्ण रूप से मूल्यहासित परिसंपत्ति, जो अभी भी प्रयोग में है, को वित्तीय विवरण में रखा जाता है।

7- फंडिंग का स्रोत

- 7.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन को उस लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर रिकॉर्ड किया जाता है।
- 7.2 विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदें सूचना की तिथि की विनिमय दर पर अंतरित की जाती हैं।
- 7.3 मौद्रिक मदों के समाधान या ट्रांसलेशन पर उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष, जिसमें यह उत्पन्न होते हैं, में लाभ या हानि माना जाता है।

8- परिसंपत्तियों का मूल्यांकन

परिसंपत्तियों के वहन मूल्यों की प्रत्येक तुलना पत्र पर हानिकरण हेतु समीक्षा की जाती है। यदि ऐसे हानिकरण का कोई संकेत होता है तो ऐसी परिसंपत्ति की वसूलनीय धनराशि का आकलन किया जाता है और हानिकरण अभिज्ञात किया जाता है। अभिज्ञात हानिकरण नुकसान (यदि कोई हो) को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण पर प्रभावित किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की क्षतिग्रस्त के रूप में पहचान की जाती है। यदि वसूलनीय राशि के अनुमान में परिवर्तन होता है तो पूर्व की लेखा अवधियों में अभिज्ञात हानि को पलट दिया जाता है।

9- पूंजी लागत

खुले औजार और कार्बन क्रेडिट सहित सामान का मूल्यांकन, भारत औसत आधार पर अवधारित लागत के न्यूनतम पर और निवल प्राप्ति योग्य मूल्य निर्धारित किया जाता है।

10- पूंजी लागत का स्रोत

- 10.1 जमा पर ब्याज को बकाया राशि तथा लागू दर को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक आधार पर मान्यता दी जाती है
- 10.2 कन्सल्टेंसी/संविदा सेवाओं से आय का लेखा निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी निर्धारण के आधार पर किया जाता है, उन मामलों को छोड़कर जहां संविदाओं में अन्यथा प्रावधान किया गया हो।
- 10.3 बाहरी परियोजना कार्य से राजस्व को निम्न प्रकार से स्वीकार किया जाता है।
 - 10.3.1 संविदा सहित लागत-राजस्व को संविदा के अनुसार आनुपातिक मार्जिन सहित व्यय की पात्र संविदा मदों को शामिल करते हुए स्वीकार किया जाता है।
 - 10.3.2 नियत मूल्य संविदा – राजस्व कार्य पूर्णता के प्रतिशत तरीके का उपयोग करते हुए आनुपातिक मार्जिन सहित संविदा पर किए गए कार्य की लागत दर्शाता है। कार्य पूर्णता का प्रतिशत आज की स्थिति के अनुसार निष्पादित कार्य का अनुमानित संविदा लागत के साथ अनुपात के रूप में निर्धारित किया जाता है।
- 10.4 अन्य गैर अकार्यशील आय को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

11- सेवानिवृत्ति ykHk

- 11.1 किसी अवधि के लिए भविष्य निधि में अंशदान को व्यय माना जाता है और लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों और बैगेज भत्ते, बीमारी अवकाश, अर्जित अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत का वस्तुतः निर्धारण और प्रावधान किया जाता है।
- 11.2 कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक ग्रेच्यूटी ट्रस्ट निधि स्थापित की है और कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी देयता का प्रावधान बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 11.3 पुनर्आकलन, जिसमें बीमांकिकीय लाभ एवं हानियां शामिल हैं तथा योजनागत परिसंपत्ति पर रिटर्न और निवल परिभाषित देनदारी/परिसंपत्तियों पर निवल ब्याज में शामिल राशि के बीच अंतरों को अन्य व्यापक आय आयकर के निवल में मान्यता दी जाती है।
- 11.4 परिभाषित लाभ योजना से संबंधित व्यय को कर्मचारी लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

12- chek nkos

बीमा दावों का लेखा-जोखा दावों को स्वीकार किए जाने के आधार पर तैयार किया जाता है।

13- i vof/k 0; ; vkj vk;

पूर्व अवधि व्यय एवं आय, जो 1,00,000 प्रत्येक से संबंधित अलग-अलग मदों से अधिक है, को माना जाता है।

14- çhi M en

100,000/- रुपए से अधिक के प्रीपेड व्यय की अलग-अलग मदों को मान्यता दी जाती है।

15- l j dkj @LFkk; h fudk; l s l gk; rk vupku

15.1 परिसंपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय के लिए भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार/शहरी स्थानीय निकायों से कंपनी द्वारा प्राप्त सहायता-अनुदान को आरंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया गया है। इन्हें बाद में निम्नानुसार आय के रूप में मान्यता दी गई है :

djk ds fy, , l Mh % स्ट्रेट लाइन आधार पर अधीनस्थ ऋण की अवधि तक।

Hkfe ds fy, , l Mh % स्ट्रेट लाइन पैटर्न पर इस पर निर्मित सुसंगत परिसंपत्तियों को चालू करने के बाद अधीनस्थ ऋण की शेष अवधि पर

i thxr dk; l ds fy, vupku % उन परिसम्पत्तियों पर मूल्य-हास के अनुपात में सुसंगत परिसम्पत्तियों के जीवन में।

15.2 सरकार/गैर-सरकारी या अन्य प्राधिकरणों से राजस्व के लिए प्राप्त अनुदानों को 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

15.3 जहां कंपनी को गैर मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, वहां परिसंपत्ति एवं अनुदान को उचित मूल्य पर सकल रूप में रिकॉर्ड किया जाता है तथा अपेक्षित उपयोगी जीवन और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपयोग के पैटर्न में आय विवरण में रिलीज किया जाता है।

16- m/kkj h ykxr

16.1 परियोजना के लिए विशेष रूप से उधार ली गई तथा उसके साथ चिह्नित निधियों पर उधार लागत को परियोजना के चालू करने के समय तक या उसके भाग के लिए पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक परिचालन के अंतर्गत रहने तक राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है।

16.2 निधियों के उधार से संबंधित ब्याज लागत, जहां तक अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, को ऋण की अवधि में लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

17- dj k/kku

17.1 आयकर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

17.2 आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहन राशि तथा कर योग्य लाभ की संगणना में प्रयोग किए गए सुसंगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों पर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्यतया उस सीमा तक सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है जहां यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके प्रति उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का प्रयोग किया जा सकता है।

17.3 आस्थगित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर आकलित किया जाता है जिसके उस अवधि, जिसमें देयता का समाधान किया जाता है या परिसंपत्ति साकार होती है, में लागू होने की आशा है जो उन कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित होगा जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या सारवान रूप से अधिनियमित किया गया है।

17.4 आय कर व्यय, जिसमें चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं, को उस सीमा के सिवाय, जहां तक यह अन्य व्यापक आय या इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित होता है, लाभ या हानि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिस मामले में इसे ओ सी आई या इक्विटी में मान्यता प्रदान की जाती है।

18- ko/kku] vkdfLed ns rk, a vkj vkdfLed परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब किसी विगत घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान दायित्व हो और यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का प्रवाह अपेक्षित होगा और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान किया जा सके। प्रावधानों का निर्धारण दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित प्रबंधन अनुमान पर तुलन-पत्र की तिथि

को किया जाता है। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है और चालू प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो वित्तीय विवरणों में स्वीकार किया जाता है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

19- उदनी प्रवाह विवरणों पर भारतीय लेखा मानक -7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है। तुलन पत्र में नकद एवं नकद समतुल्यों में बैंक में और पास पड़ी शेष राशि, वित्तीय संस्थानों में हेल्ड एट कॉल जमा, 3 माह से कम परिपक्वता वाले अन्य अल्पकालिक अत्यधिक लिक्विड निवेश, जो नकद में परिवर्तनीय हो और जो मूल्य में परिवर्तनों के बहुत ही कम जोखिमों के अधधीन हों, शामिल है।

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब भुनाए जाने की बात प्रमाणित होने पर इनके देय एवं बट्टे खाते की अवधि को ध्यान में नहीं रखते हुए भुनाए जाने की अनिश्चितता रहती है।

20- लेखा टिप्पणियों में बाह्य परियोजनाओं, परामर्श एवं अन्य कार्यकलाप के पृथक्करण को दर्शाने वाली तालिका को प्रकट किया जाता है।

कंपनी में केवल एक रिपोर्ट योग्य कार्यशील सेगमेंट है जो नागपुर एवं पुणे में मेट्रो रेल प्रणालियों को विकसित, परिचालित एवं अनुरक्षित कर रहा है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशि कंपनी के एकल व्यवसाय सेगमेंट से संबंधित हैं। लेखा टिप्पणियों में बाह्य परियोजनाओं, परामर्श एवं अन्य कार्यकलाप के पृथक्करण को दर्शाने वाली तालिका को प्रकट किया जाता है।

21- वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को उन देनदारियों के सिवाय, जिन्हें आरंभ में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, कारोबार लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर आरंभ में मान्यता दी जाती है और उनका आकलन किया जाता है।

कंपनी में केवल एक रिपोर्ट योग्य कार्यशील सेगमेंट है जो नागपुर एवं पुणे में मेट्रो रेल प्रणालियों को विकसित, परिचालित एवं अनुरक्षित कर रहा है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशि कंपनी के एकल व्यवसाय सेगमेंट से संबंधित हैं। लेखा टिप्पणियों में बाह्य परियोजनाओं, परामर्श एवं अन्य कार्यकलाप के पृथक्करण को दर्शाने वाली तालिका को प्रकट किया जाता है।

22- वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकारों की अवधि समाप्त हो जाती है या जब वित्तीय परिसंपत्ति एवं सभी सारवान जोखिम तथा पुरस्कार अंतरित किए जाते हैं। किसी वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब समाप्त की जाती है जब यह समाप्त हो जाती है, इसे निस्सारित किया जाता है, रद्द किया जाता है या इसकी अवधि खत्म हो जाती है।

22-1 वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को उन देनदारियों के सिवाय, जिन्हें आरंभ में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, कारोबार लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर आरंभ में मान्यता दी जाती है और उनका आकलन किया जाता है।

22.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियों को उन देनदारियों के सिवाय, जिन्हें आरंभ में लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, कारोबार लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर आरंभ में मान्यता दी जाती है और उनका आकलन किया जाता है।

22.1.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकारों की अवधि समाप्त हो जाती है या जब वित्तीय परिसंपत्ति एवं सभी सारवान जोखिम तथा पुरस्कार अंतरित किए जाते हैं। किसी वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब समाप्त की जाती है जब यह समाप्त हो जाती है, इसे निस्सारित किया जाता है, रद्द किया जाता है या इसकी अवधि खत्म हो जाती है।

22-2 वित्तीय परिसंपत्तियों का आकलन, लाभ या हानि का आकलन

22.2.1 परवर्ती आकलन के प्रयोजन के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

- प्रभावी ब्याज दरों (ई आई आर) का उपयोग करते हुए ऋणशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

22.2.2 एफ वी टी पी एल पर वित्तीय परिसंपत्तियों के सिवाय, सभी वित्तीय परिसंपत्तियां कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को क्षीणता के लिए समीक्षा के अध्वधीन होती हैं।

22-3 कर्मचारियों के लिए अग्रिम – प्रत्येक प्रकार के दीर्घकालिक अग्रिम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर्मचारियों के परिलब्धि मूल्य के आकलन के लिए प्रयुक्त ब्याज दर (अर्थात वित्तीय वर्ष के आरंभ में भारतीय स्टेट बैंक की दर)

22.3.1 कर्मचारियों के लिए अग्रिम – प्रत्येक प्रकार के दीर्घकालिक अग्रिम के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर्मचारियों के परिलब्धि मूल्य के आकलन के लिए प्रयुक्त ब्याज दर (अर्थात वित्तीय वर्ष के आरंभ में भारतीय स्टेट बैंक की दर)

22.3.2 वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां, जिन पर बाजार दरों से ब्याज लगती है: इन मामलों में प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) लिखत की ब्याज दर के समकक्ष हैं।

22.3.3 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के लिए जो उचित मूल्य पर नहीं है: सर्वाधिक उपलब्ध अवधि के लिए वित्तीय वर्ष के आरंभ में भारतीय स्टेट बैंक एम सी एल आर/बेस दर

22-4 वित्तीय देनदारियों का आकलन, व्यापार के लिए धारित या एफ वी टी पी एल पर निर्धारित वित्तीय देनदारियों के सिवाय, जिन्हें बाद में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त लाभों या हानियों के साथ उचित मूल्य पर ले जाया जाता है, प्रभावी ब्याज तरीकों का उपयोग करके बाद में ऋणशोधित लागत पर किया जाता है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का लेखा-जोखा एफ वी टी पी एल में किया जाता है।

वित्तीय देनदारियों का आकलन, व्यापार के लिए धारित या एफ वी टी पी एल पर निर्धारित वित्तीय देनदारियों के सिवाय, जिन्हें बाद में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त लाभों या हानियों के साथ उचित मूल्य पर ले जाया जाता है, प्रभावी ब्याज तरीकों का उपयोग करके बाद में ऋणशोधित लागत पर किया जाता है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का लेखा-जोखा एफ वी टी पी एल में किया जाता है।

23- शेयरों के अर्जन का आकलन

23.1 प्रति शेयर मूल अर्जन की संगणना इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले इस अवधि के निवल लाभ या हानि को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

23.2 प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन का आकलन करने के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरधारकों को होने वाले इस अवधि के निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डायल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

24- i V\k

- 24.1 इस बात का निर्धारण करना कि क्या कोई व्यवस्था पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है, पट्टे के आरंभ में व्यवस्था के तत्व पर आधारित है। व्यवस्था का इस बात के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि क्या व्यवस्था को पूरा किया जाना विशिष्ट परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के उपयोग पर निर्भर करता है या व्यवस्था परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार देती है, चाहे वह अधिकार स्पष्ट रूप से व्यवस्था में विनिर्दिष्ट न भी हो। परिसंपत्ति का पट्टा जहां कंपनी को स्थायित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार हैं, को वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 24.2 भारतीय लेखा मानक में अंतरण (ट्रांजिशन) दिनांक 10 अप्रैल, 2016 से पूर्व की गई व्यवस्था के लिए, कंपनी ने यह निर्धारित किया है कि क्या व्यवस्था में अंतरण (ट्रांजिशन) की तारीख को मौजूदा तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर पट्टा शामिल है।
- 24.3 पट्टाधारी के रूप में कंपनी पट्टा को आरंभ की तारीख को एक वित्त पट्टा या एक कार्यशील पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्त पट्टा जो कंपनी को पट्टा मद स्वामित्व से आनुषंगिक सभी जोखिम और लाभ कंपनी को सारवान रूप से अंतरित कर देते हैं, को पट्टा पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य पर पट्टे के प्रारंभ होने के समय पूंजीकृत किया जाता है।
- 24.4 मूल्यहासनीय पट्टा पर दी गई परिसंपत्ति का मूल्यहास पट्टा अवधि या इसकी उपयोगी अवधि, जो भी कम हो, पर होता है।
- 24.5 कार्यशील पट्टा वित्त पट्टा से भिन्न पट्टा है। निर्माण अवधि के दौरान भूमि से भिन्न मदों के लिए उपगत कार्यशील पट्टा भुगतानों को निर्माण के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। उसके बाद, कार्यशील पट्टा भुगतानों को लाभ और हानि के विवरण में एक कार्यशील व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 24.6 कंपनी एक पट्टाकर्ता (लेसर) के रूप में ऐसे पट्टों, जिनमें कंपनी स्थायित्व के सभी जोखिमों और लाभों को सारवान रूप से अंतरित नहीं करती है, को कार्यशील पट्टा से किराया आय, यदि कोई है, को, ऐसे मामले के सिवाय, जहां इन्फ्लेमेटल पट्टा मुद्रास्फीतिक प्रभाव को दर्शाता है, सुसंगत पट्टे की अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्यता दी जाती है और पट्टा व्यय का लेखाकरण ऐसे मामले में उस अवधि के लिए वास्तविक किराये द्वारा किया जाता है।
- 24.7 पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब स्थायित्व के सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों को सारवान रूप से पट्टेकर्ता को अंतरित किया जाता है। वित्त पट्टे के अंतर्गत पट्टेदारों से देय राशि को लेखा अवधियों को आबंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर रिटर्न की सतत आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

25- fj i kÉVx vof/k ds ckn ?kVukØe

तुलन पत्र तारीख के बाद होने वाले प्रमुख समायोजन करने वाले घटनाक्रमों को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है। तुलन पत्र तारीख के बाद होने वाले गैर-समायोजन घटनाक्रम (जो उन स्थितियों के संकेत हैं जो तुलन पत्र की तारीख के बाद उत्पन्न हुई हैं) जो वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, को निदेशक मंडल की रिपोर्टों में प्रकट किया जाता है।

26- ग्यु धि य्स [kk ?kks'k. kk, a

नए एवं संशोधित भारतीय लेखा मानक को लागू किया जाना : कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखा मानक प्रभावी हैं तथा इन्हें कंपनी के लिए सुसंगत एवं लागू होने की सीमा तक महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के लिए विचार में लिया जाता है।

कंपनी ने निम्नलिखित नए एवं संशोधित भारतीय लेखा मानकों को लागू नहीं किया है जिन्हें कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा मार्च 2018 में जारी एवं अधिसूचित किया गया है। ये संशोधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आई ए एस बी) द्वारा किए गए हाल के संशोधनों के अनुसार हैं। कंपनी वित्तीय विवरणों पर इन निर्णयों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

Hkkj rh; ys[kk ekud 115 & xkgdk ds l kfk l fonkvk l s jktLo % दिनांक 28 मार्च, 2018 को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एम सी ए") ने भारतीय लेखा मानक 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व अधिसूचित किया है। नए मानक का प्रमुख सिद्धांत यह है कि संस्थान को ग्राहकों को वचन दी गई वस्तुओं या सेवाओं के अंतरण को चित्रित करने के लिए उस राशि में राजस्व को मान्यता देनी चाहिए जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसके लिए संस्थान उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होने की अपेक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, नए मानक के लिए ग्राहकों के साथ संस्थान की संविदाओं से उत्पन्न राजस्व एवं नकद प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय एवं अनिश्चितता के बारे में व्यापक प्रकटन अपेक्षित है।

मानक में ट्रांजिशन के दो संभावित तरीकों की अनुमति है :

- भूतलक्षी नीति – इस नीति के अंतर्गत, मानक को भारतीय लेखा मानक 8 – लेखा नीतियों, लेखा अनुमानों एवं त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार प्रस्तुत प्रत्येक पूर्व रिपोर्टिंग अवधि पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा।
- आरंभ में लागू किए जाने की तारीख को मान्यता प्राप्त मानक को आरंभ में लागू करने के संघयी प्रभाव के साथ भूतलक्षी प्रभाव रूप से (संघयी कैच-अप नीति), भारतीय लेखा मानक 115 को अपनाए जाने के लिए प्रभावी तारीख 01 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद आरंभ होने वाली वित्तीय अवधि है।

कंपनी आरंभ में लागू किए जाने पर भारतीय लेखा मानक 115 के प्रभाव का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है।

Hkkj rh; ys[kk ekud 21 dk ifjf'k"V [k] fon's kh dj h dkj kckj , oa vfxæ çfrQy% दिनांक 26 मार्च, 2018 को कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एम सी ए") ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2018 अधिसूचित किया है जिसमें भारतीय लेखा मानक 21, विदेशी करेंसी कारोबार और अग्रिम प्रतिफल का परिशिष्ट ख शामिल है जो संबंधित परिसंपत्ति, व्यय या आय की आरंभिक मान्यता पर प्रयोग करने की विनिमय दर निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु कारोबार की तारीख स्पष्ट करता है, जब किसी संस्थान को विदेशी करेंसी में अग्रिम प्रतिफल प्राप्त हुआ है या उसने इसका भुगतान किया है। यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से लागू हो जाएगा।

एगkj k"V^a eS/kS j sy dkl i kj s' ku fyfeVM
(पूर्व में नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के रूप में ज्ञात)

31 एक् 2018 दks l eklr gkus okys o"kl ds fy, **वित्तीय** foj.k ds Hkkx cuus okys ukS/ ukS/ 24

वित्तीय foj.k ds ukS/

1- dā uh वित्तपोषण i S/uz

महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित किया गया है तथा यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के भीतर एक सरकारी कंपनी है। कंपनी को भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है जिसमें 50:50 के अनुपात में समान इक्विटी शेयरधारिता है और उसका कार्य नागपुर एवं पुणे शहरों में मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित करना है। अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न निम्नलिखित है :

Ø- l a	foj.k	ukxig eS/kS i fj; kst uk	i q ks eS/kS i fj; kst uk
1	भारत सरकार द्वारा इक्विटी	1,11,400	1,31,000
2	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय करों के लिए अधीनस्थ ऋण	44,100	64,400
3	महाराष्ट्र सरकार द्वारा इक्विटी	1,11,400	1,31,000
4	महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय करों के लिए अधीनस्थ ऋण	44,100	64,400
5	महाराष्ट्र सरकार और यूएलबी द्वारा राज्य करों के लिए एसडी	18,100	58,100
6	यू एल बी द्वारा अनुदान	22,000	2,850
7	यू एल बी से भूमि अधिग्रहण के लिए अंशदान	64,400	93,200
8	के एफ डब्ल्यू ए एफ डी आदि से ऋण के प्रति पी टी ए	4,52,100	5,83,150
9	महाराष्ट्र सरकार/यू एल बी द्वारा निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी)	-	13,900
	i fj; kst uk dks i j k dj us l c/kh d y ykx r	8]68]000	11]42]000

2- vkdfLed nkf; rk, a

Ø- l a	foj.k	fnukad 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
क)	कंपनी के प्रति दावे जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए हैं और इनमें निम्नलिखित के लिए विदेशी करेंसी दावा शामिल हैं.			
	- पूंजीगत निर्माण कार्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- भूमि मामले #	477.33	शून्य	शून्य
	d y	477.33	शून्य	शून्य

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 15,911.07 लाख रु. की अर्जित निजी भूमि की कुल लागत पर 3 प्रतिशत की दर से 477.33 लाख रु. के स्थापना और स्थापना प्रभारों की मांग की है। कंपनी ने महाराष्ट्र

सरकार से अनुरोध किया है कि वह उक्त प्रभारों के भुगतान से छूट प्रदान करें। उक्त अनुरोध के बारे में निर्णय महाराष्ट्र सरकार के पास लंबित है।

- नागपुर नगर निगम (एन एम सी) ने महा मेट्रो को दी गई भूमि के कुछ टुकड़ों पर देय लाभ के 50 प्रतिशत की मांग यह कहते हुए की है कि भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए थी। महा मेट्रो को दी गई भूमि का उपयोग अनन्य रूप से मेट्रो के निर्माण के लिए किया जा रहा है न कि वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए और इसलिए भूमि की लागत में लाभ घटक को शामिल करना उपयुक्त नहीं है। कंपनी ने दिनांक 23.08.2017 के पत्र के तहत नागपुर नगर निगम से अनुरोध किया है कि वह महाराष्ट्र सरकार के अनुमोदन के अनुसार इसे सही कर ले तथा तदनुसार इसका प्रावधान लेखा बहियों में नहीं किया गया है।
- नागपुर नगर निगम (एन एम सी) ने सड़क के बीच में आ रहे मेट्रो एलायनमेंट के बारे में राइट आफ वे के लिए 216.56 करोड़ रु. की मांग की है। डी पी आर के अनुसार सड़क के बीच में आ रहे मेट्रो एलायनमेंट के लिए कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है। कंपनी ने दिनांक 23.08.2017 के पत्र के तहत नागपुर नगर निगम से अनुरोध किया है कि राइट ऑफ वे के लिए लागत को शून्य के रूप में सही कर ले। नागपुर नगर निगम ने दिनांक 28.09.2017 के पत्र के तहत कंपनी के विचारों से सहमति प्रदान की। इसलिए, इसका प्रावधान लेखा बहियों में नहीं किया गया है।
- कंपनी ने स्टेशनों पर प्रवेश-निकास संरचना तथा यात्री सुविधाओं के निर्माण के लिए लागू पूर्ण प्रतिफलों का भुगतान करके प्राइवेट पक्षकारों से भूमि के कुछ टुकड़ों की खरीद की है। उक्त भूमि को नागपुर नगर निगम द्वारा इन पक्षकारों को पट्टे पर दिया गया। मौजूदा नीति के अनुसार, प्रदान किए गए मूल्य (5140.59 वर्ग मी.) के 1.5 गुना पर 8 प्रतिशत की दर से मांग, नागपुर नगर निगम द्वारा कंपनी से की गई है। नागपुर नगर निगम की मांग के अनुसार देय राशि 1.97 करोड़ रु. बैठती है। कंपनी द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि का उपयोग अनन्य रूप से स्टेशनों पर प्रवेश-निकास संरचना तथा यात्री सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा, न कि वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए। कंपनी ने दिनांक 02.06.2018 के पत्र के तहत नागपुर नगर निगम से अनुरोध किया है कि वह मांग की समीक्षा करे। नागपुर नगर निगम से अनुपालन के लंबित रहने तक राशि का प्रावधान लेखा बहियों में नहीं किया गया है।

वर्ष के लिए निष्पादित किए जाने के लिए शेष अग्रिमों के विदेशी करेंसी संविदा निवल

3- वर्ष के लिए निष्पादित किए जाने के लिए शेष अग्रिमों के विदेशी करेंसी संविदा निवल

द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए शेष अग्रिमों के विदेशी करेंसी संविदा निवल

पूजीगत लेखा पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अग्रिमों के विदेशी करेंसी संविदा निवल सहित संविदाओं की अनुमानित लागत और जिनका प्रावधान नहीं किया है 5,85,647.88 लाख रु. (दिनांक 31.03.2017 को 358421.55 लाख रु., दिनांक 01.04.2016 को 37,441.31 लाख रु.) है।

द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए शेष अग्रिमों के विदेशी करेंसी संविदा निवल

बाह्य परियोजनाओं के मद्दे निष्पादित किए जाने वाले अग्रिमों के विदेशी करेंसी संविदा निवल सहित संविदाओं की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, 56,175.71 लाख रु. (दिनांक 31.03.2017 – 31,909.16 लाख रु. दिनांक 01.04.2016 को शून्य) है

4- लेखापरीक्षा शुल्क

(लाख रु. में)

विवरण	2017&18	2016&17
लेखापरीक्षा शुल्क	7.00	5.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	2.00	2.00
जी एस टी/सेवा कर	1.62	1.05

5- निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की गैर-निष्पादित राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	मुद्रा	निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की गैर-निष्पादित राशि		
			31-03-2018 की अवधि	31-03-2017 की अवधि	01-04-2016 की अवधि
क.	प्रोद्भूत ब्याज सहित किंतु उनपर देय नहीं, उधार	यूरो	शून्य	शून्य	शून्य
		यूएसडी			
ख.	विविध ऋणदाता/जमा तथा प्रतिधारण राशि	यूरो	870.78	184.50	शून्य
		यूएसडी	1,615.79	43.31	शून्य
ग.	विविध ऋणग्राही और बैंक जमा	यूरो	शून्य	शून्य	शून्य
		यूएसडी	शून्य	शून्य	शून्य
घ.	निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की गैर-निष्पादित राशि	यूरो	25,136.14	17,083.18	शून्य
		यूएसडी	67,546.85	67,369.28	शून्य

6- निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की गैर-निष्पादित राशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2017&18	2016&17	
क.	निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की गैर-निष्पादित राशि			
		1. कच्ची सामग्री	शून्य	शून्य
		2. भंडार एवं कलपुर्जे	शून्य	शून्य
		3. पूंजीगत सामान	5,307.19	शून्य
ख.	निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की गैर-निष्पादित राशि			
		1. व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क	1,040.06	721.27
		2. दौरे एवं यात्राएं	47.50	50.19
		3. संविदाएं	7,573.20	280.52
		4. अन्य	0.17	शून्य
ग.	निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की गैर-निष्पादित राशि			
		1. परामर्श	शून्य	शून्य
		2. ब्याज	शून्य	शून्य
		3. अन्य	शून्य	शून्य
घ.	प्रयुक्त घटकों, कल-पुर्जे तथा भंडार का मूल्य			
		1. आयातित	शून्य	शून्य
		2. स्वदेशी	शून्य	शून्य

7- i {kdjk ka ds dqN MfcV@ØfMV 'ks'k i f"V , oa l ek/kku ds v/; /khu gñ ml dk i fj .kkeh çHkko fuEufyf[kr gS %

(रु लाख में)

fooj .k	fnukrd 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj MfcV 'ks'k				fnukrd 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj ØfMV 'ks'k %uksV 14]15] 17] 18 , oa 0; ki kj ns dks ns[kk%	
	0; ki kj çkl; %uksV & 9 ns[kk%		vU; %uksV 5] 6] 7 , oa 12 ns[kk%		0; ki kj ns dks ns[kk%	
	jkf' k	(%) ea	jkf' k	(%) ea	jkf' k	(%) ea
शेष जिसके लिए पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ या ग्राहकों/वेंडरों के साथ समाधान किया गया	15,998.48	100.00	65,989.26	81.76	13,667.35	3.28
सरकार/पी एस यू से संबंधित शेष	—	—	7,946.36	9.85	3,95,626.87	94.80
कानूनी कार्यवाहियों के अंतर्गत मामले	—	—	—	—	—	—
सुरक्षा जमा	—	—	—	—	285.41	0.07
प्रतिधारण राशि	—	—	—	—	1,478.83	0.35
ई एम डी	—	—	—	—	54.20	0.01
समाधान के तहत शेष	—	—	6,767.81	8.39	6,210.32	1.49
बहियों के अनुसार कुल डेबिट / क्रेडिट शेष	15]998-48	100-00	80]703-43	100-00	4]17]322-98	100-00

उपर्युक्त आंकड़े कारोबार मूल्य हैं न कि उचित मूल्य

8- l [(e) y?kq , oa e/; e m | eks ds l ca/k ea l ipuk

(रु लाख में)

Ø- l a	fooj .k	2017&18	2016&17
1	किसी आपूर्तिकर्ता को असंदत्त रह गई धनराशि क) मूल धन ख) उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
2	नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को संदत्त धनराशि के साथ सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसरण में संदत्त ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय एवं संदेय ब्याज की धनराशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है किन्तु नियत दिन के बाद) किन्तु सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बगैर	शून्य	शून्य
4	उपार्जित तथा असंदत्त ब्याज की धनराशि	शून्य	शून्य
5	शेष बची तथा उत्तरवर्ती वर्षों में भी उस तारीख तक संदेय ब्याज की अतिरिक्त राशि, जब उपर्युक्त देय ब्याज का सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत एक कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ लघु उद्यम को वास्तविक रूप से भुगतान किया जाता है।	शून्य	शून्य

Hkkj rh; ys[kk ekudk dh çdVu vi s[kk, a

9- Hkkj rh; ys[kk ekud & 1 foRrh; fooj .kk dh çLrfr ds l çdk es çdVu i with ç/ku

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का मूल उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी डेविट : इक्विटी अनुपात, जो दीर्घकालिक ऋण को स्वामी की कुल पूंजी से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, का उपयोग करके अपनी पूंजी संरचना की मॉनीटरिंग करती है :

(रु लाख में)

fooj .k	fnukd 31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukd 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukd 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
(क) कुल ऋण	1,66,770.71	40,175.09	700.00
(ख) कुल इक्विटी	1,08,221.05	43,113.41	15,881.72
ऋण: इक्विटी अनुपात (क/ख)	1.54	0.93	0.04

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के प्रयोजन के लिए, पूंजी में, जारी की गई पूंजी और रिजर्व शामिल हैं। ऋण में दीर्घकालिक ऋण और उधार तथा पी टी ए शामिल हैं।

10- Hkkj rh; ys[kk ekud & 11 **fuek k l fonk** ds l çdk es çdVu

(दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार लाख रु. में)

mi HkkDrk dk uke	o"kl ds nkj ku ekU; rkçl r jktLo	o"kl ds nkj ku mi xr ykxr	xkgd l s vfxe	xkgd l s ns jkf' k
एन एच ए आई	12,504.80	12,152.40	शून्य	15,875.09
एम एस आर डी सी	459.21	459.21	शून्य	121.34
dy	12]964-01	12]611-61	शून्य	15]996-43

(दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार लाख रु. में)

xkgd dk uke	o"kl ds nkj ku ekU; rkçl r jktLo	o"kl ds nkj ku mi xr ykxr	Xkkgd l s vfxe	xkgd l s ns jkf' k
एन एच ए आई	4,482.23	4,388.45	शून्य	3,983.40
एम एस आर डी सी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
dy	4]482-23	4]388-45	शून्य	3]983-40

11- Hkkj rh; ys[kk ekud ¼, , l ½ & 17 pi eß ds l çdk es çdVhdj .k

i) कंपनी ने कर्मचारियों के लिए परिसरों को पट्टे/किराये पर लिया है। ये पट्टे संबंधी व्यवस्थाएं पारस्परिक रूप से सहमतिजन्य शर्तों पर प्रायः नवीकरणीय होती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 340.22 लाख रु. (दिनांक 31.03.2017 – 157.95 लाख रु. और दिनांक 01.04.2016 – 44.51 लाख रु.) किराये/पट्टे (वसूली का निवल) के लिए दिया है तथा ये व्यय-वेतन एवं मजदूरी/व्यय शीर्ष के अधीन शामिल किए गए हैं।

- ii) कंपनी ने एल एवं टी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड से पट्टे पर प्रत्येक 3 कोच के दो रैक लिए हैं। पट्टा करार चार वर्ष की अवधि के लिए है जिसमें 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि है। इस करार की अवधि को पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति से दो अतिरिक्त वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 1,770 लाख रु. का पट्टा किराया (कुल राशि) का भुगतान किया है (जिसमें सी 1,232 लाख रु. की राशि और प्रिपेड व्यय के रूप में 538 लाख रु., दिनांक 31.03.2017 शून्य, दिनांक 01.04.2016 शून्य शामिल है)
- iii) कंपनी ने परिचालन लीज आधार पर अपनी किन्ही भी परिसंपत्तियों को निर्माण के दौरान व्यय (ई डी सी) लीज पर नहीं दिया है तथापि, कंपनी को विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से प्राप्त भूमि के अस्थायी उपयोग के लिए संविदाकार से 1.12 लाख रु. (दिनांक 31.03.2017 – 1.25 लाख रु., दिनांक 01.04.2016 – 1.34 लाख रु.) की राशि प्राप्त हुई है।

Hkkj rh; ys[kk ekud & 17 ds vuq kj yht 0; ol k; i fj l a fUk; k ij l dy fufgr eM; vkj eM; हकल dk ङdVu%

(लाख रु. में)

fooj .k	i fj l a fUk; k dk l dy fufgr eM;		l fpr eM; हकल		o"kl ds fy, eM; हकल	
	2017&18	2016&17	2017&18	2016&17	2017&18	2016&17
भवन	563.96	533.57	41.50	18.70	22.80	16.90
कुल	563-96	533-57	41-50	18-70	22-80	16-90

12- Hkkj rh; ys[kk ekun. M ¼, , l ½ & 19 ^deþkj h ykHk**ds l xrk ea ङdVhdj .k

12.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजना का सामान्य विवरण निम्नलिखित है:

d½ Hkfo"; fuf/k%

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में नियत अंशदान देती है। दायिता को संग्रहण आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

[k½ mi nku%

कंपनी की सुनिश्चित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्षों या अधिक की निरंतर सेवा की है, वह अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी तथा अशक्तता अथवा मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से (15/26x अंतिम आहरित मूल वेतन +महंगाई वेतन/महंगाई भत्ता) उपदान पाने का हकदार है। इस प्रयोजनार्थ एक न्यास गठित किया गया है।

इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए कंपनी ने एक मास्टर पॉलिसी ली है।

इस स्कीम का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है। भारतीय लेखा मानक -19 के अंतर्गत यथापेक्षित सूचना का प्रकटन बीमांकिकीय मूल्यांकन के अनुसार किया गया है और देयताओं बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। बीमांकिकीय मूल्यांकन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी का सर्वश्रेष्ठ अनुमान उपदान निधि अंशदान के लिए 118.54 लाख रु. है (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 73.18 लाख रु. के बीमांकिकीय घाटे सहित)

तथापि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई मांग के अनुसार निधि में अंशदान कर रही है।

x½ i d ku

प्रतिनियुक्त कर्मचारी के संबंध में, पेंशन अंशदान की गणना, अंशदाता संगठन, भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है और संचयी आधार पर संयोजित होती है।

?k½ l okfuofr mi jkr fpfdRI k ykHk %

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नियों को उसी दर पर, जो नियमित कर्मचारियों के लिए लागू हों, इन्डोर इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है।

इस मद्दे देनदारी को बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

M-½ vfre Vfeluy ykHk %

अंतिम लाभों में गृह नगर या भारत में ऐसे स्थान पर, जहां कर्मचारी या उसका परिवार बसना चाहता है, व्यवस्थापन तथा उसके लिए सामान भत्ता शामिल है।

इस मद्दे देनदारी को बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

p½ vodk' k%

कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश के लाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) तथा अर्ध वेतन अवकाश प्रदान करती है जो प्रतिवर्ष क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन उपार्जित होते हैं। केवल नकदीकरण योग्य अवकाश खाते में इस अवकाश का सेवाकाल में एक कैलेण्डर वर्ष में एक बार तथा अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिनों (कम्यूटेशन के बिना अर्धवेतन अवकाश और गैर नकदीकरण योग्य भाग सहित) का नकदीकरण किया जा सकता है।

इस लेखे से संबंधित दायिता को बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में अवकाश वेतन अंशदान आहरित वेतन मंहगाई वेतन और विशेष वेतन सहित मूल वेतन) के 11 प्रतिशत पर उनके मूल विभाग को देय होता है और इसका लेखा जोखा प्रोद्गावन आधार पर किया जाता है।

N½ vodk' k ; k=k fj ; k; r ¼, y Vh l h½%

कंपनी अपनी नीति के अनुसार कर्मचारियों और उनके परिवारों को आवधिक रूप से मुख्यालय से गृह नगर या कहीं और विश्राम या मनोरंजन के लिए जाने से संबंधित यात्रा में व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस मद्दे देयता को बीमांकिकीय मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत देयता 33.56 लाख रु. (दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 6.93 लाख रु.) है।

12.2 लाभ एवं हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओ सी ई) और तुलन पत्र एवं अन्य प्रकटनों में मान्यता प्राप्त विभिन्न लाभों का सारांश निम्नलिखित है :

परिभाषित लाभ दायित्व; Ro%

(लाख रु. में)

वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	परिभाषित लाभ दायित्व	परिभाषित लाभ दायित्व	परिभाषित लाभ दायित्व	परिभाषित लाभ दायित्व
परिभाषित लाभ दायित्व	चालू वर्ष	(93.39)	(79.55)	(246.88)	(12.48)	
	विगत वर्ष	(27.55)	(33.00)	(88.92)	(5.98)	
योजना और परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चालू वर्ष	20.21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	13.78	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तपोषण स्थिति	चालू वर्ष	(73.18)	(79.55)	(246.88)	(12.48)	
	विगत वर्ष	(13.77)	(33.00)	(88.92)	(5.98)	
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	चालू वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां (देयता)	चालू वर्ष	(73.18)	(79.55)	(246.88)	(12.48)	
	विगत वर्ष	(13.77)	(33.00)	(88.92)	(5.98)	

परिभाषित लाभ दायित्व; Ro एवं आयु

(लाख रु. में)

वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	परिभाषित लाभ दायित्व	परिभाषित लाभ दायित्व	परिभाषित लाभ दायित्व	परिभाषित लाभ दायित्व
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष का प्रारंभ	चालू वर्ष	27.55	33.00	88.92	5.98	
	विगत वर्ष	3.53	शून्य	32.01	शून्य	
चालू सेवा लागत	चालू वर्ष	21.83	29.92	22.01	5.28	
	विगत वर्ष	2.60	33.00	7.38	5.98	
ब्याज लागत	चालू वर्ष	2.04	2.44	5.94	0.44	
	विगत वर्ष	0.27	शून्य	2.43	शून्य	
संदत्त लाभ	चालू वर्ष	शून्य	शून्य	(17.29)	शून्य	
	विगत वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
विगत सेवा लागत – योजना संशोधन और अधिग्रहण	चालू वर्ष	18.33	शून्य	36.43	शून्य	
	विगत वर्ष	12.33	शून्य	50.42	शून्य	
पुनर्आकलन – बीमांकिकीय हानि / (लाभ)	चालू वर्ष	23.64	14.19	110.87	0.78	
	विगत वर्ष	8.82	शून्य	(3.32)	शून्य	
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष का अंत	चालू वर्ष	93.39	79.55	246.88	12.48	
	विगत वर्ष	27.55	33.00	88.92	5.98	

; kst uk i fj l a i fRr; k e l pyu

(लाख रु. में)

fooj . k		xP; ¶ Vh	i h vkj , e , Q ¼xj &foUki kf"kr½	vodk' k ¼xj &foUki kf"kr½	Vfeluy ykHk ¼xj &foUki kf"kr½
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चालू वर्ष	13.78	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज आय	चालू वर्ष	1.23	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	0.35	शून्य	शून्य	शून्य
नियोक्ता अंशदान	चालू वर्ष	5.72	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	9.23	शून्य	शून्य	शून्य
संदत्त लाभ	चालू वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनर्आकलन—बीमांकिकीय हानि / (लाभ)	चालू वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पुनर्आकलन—कटौती दर से अधिक / (कम) योजनागत परिसंपत्तियों पर रिटर्न	चालू वर्ष	(0.52)	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	4.20	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चालू वर्ष	20.21	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	13.78	शून्य	शून्य	शून्य

ykHk vkj gkfu fooj . k e ekl; rkçklr jkf' k

(लाख रु. में)

fooj . k		xP; ¶ Vh	i hvkj , e , Q ¼xj &foUki kf"kr½	vodk' k ¼xj &foUki kf"kr½	Vfeluy ykHk ¼xj &foUki kf"kr½
चालू सेवा लागत	चालू वर्ष	21.83	29.92	22.01	5.28
	विगत वर्ष	2.60	33.00	7.38	5.98
विगत सेवा लागत —योजना संशोधन	चालू वर्ष	9.49	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कटौती लागत (क्रेडिट)	चालू वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समाधान लागत / (क्रेडिट)	चालू वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विगत वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सेवा लागत (क)	चालू वर्ष	31.32	29.92	22.01	5.28
	विगत वर्ष	2.60	33.00	7.38	5.98
निवल परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज (रु.)	चालू वर्ष	0.81	2.44	5.94	0.44
	विगत वर्ष	(0.08)	शून्य	2.43	शून्य
(लाभ) / हानियों की तत्काल मान्यता—अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजना	चालू वर्ष	शून्य	शून्य	110.87	शून्य
	विगत वर्ष	शून्य	शून्य	(3.32)	शून्य
	चालू वर्ष	32.13	32.36	138.82	5.72
	विगत वर्ष	2.52	33.00	6.49	5.98

वर्ष के दौरान बीमांकिकीय (लाभ)/हानि

(लाख रु. में)

वर्ष	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
डी बी ओ अनुभव के कारण बीमांकिकीय (लाभ)/हानि	चालू वर्ष: 27.50 विगत वर्ष: 8.11	17.75 शून्य	120.95 (5.67)	1.04 शून्य	
धारणा परिवर्तन के कारण बीमांकिकीय (लाभ)/हानि	चालू वर्ष: (3.86) विगत वर्ष: 0.71	(3.56) भून्य	(10.08) 2.35	(0.26) शून्य	
अवधि के दौरान उत्पन्न बीमांकिकीय (लाभ)/हानि	चालू वर्ष: 23.64 विगत वर्ष: 8.82	14.19 NIL	110.87 (3.32)	0.78 NIL	
कटौती दर से (अधिक)/कम योजनागत परिसंपत्तियों पर रिटर्न	चालू वर्ष: 0.52 विगत वर्ष: (4.20)	NIL NIL	NIL NIL	NIL NIL	
ओ सी आई में मान्यताप्राप्त बीमांकिकीय (लाभ)/हानि	चालू वर्ष: 24.16 विगत वर्ष: 4.62	14.19 NIL	NIL NIL	0.78 NIL	

वर्ष के दौरान बीमांकिकीय (लाभ)/हानि

(31.03.2018 के अनुसार लाख में)

वर्ष	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
कटौती दर	+0.50%: (5.94) -0.50%: 6.57	(8.89) 10.46	(15.49) 17.15	(0.40) 0.44	
वेतन वृद्धि दर	+1.00%: 13.96 -1.00%: (11.59)	- -	36.43 (30.21)	- -	
मूल्य मुद्रास्फीति दर	+1.00%: - -100%: -	- -	- -	0.93 (0.80)	
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	+1.00%: - -1.00%: -	22.61 (16.58)	- -	- -	
मृत्यु दर	+3 years: - -3 years: -	- -	(5.53) 5.40	- -	

(31.03.2017 के अनुसार लाख)

वर्ष	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
कटौती दर	+0.50%: (1.72) -0.50%: 1.90	- -	(5.69) 6.30	- -	
वेतन वृद्धि	+1.00%: 4.02 -1.00%: (3.35)	- -	13.36 (11.08)	- -	
मूल्य मुद्रास्फीति दर	+1.00%: - -1.00%: -	- -	- -	- -	
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	+1.00%: - -1.00%: -	- -	- -	- -	
मृत्यु दर	+3 years: - -3 years: -	- -	- -	- -	

चेकफॉलोव; /करोड़. प्रतिशत

विवरण	वर्ष	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका
प्रयुक्त तरीका	चालू वर्ष	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका
	विगत वर्ष	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका
कटौती दर	चालू वर्ष	7.70%	7.70%	7.70%	7.70%	7.10%
	विगत वर्ष	7.40%	7.40%	7.40%	7.40%	6.30%
वेतन वृद्धि दर	चालू वर्ष	6.00%	-	6.00%	-	-
	विगत वर्ष	6.00%	-	6.00%	-	-
मूल्य मुद्रास्फीति दर	चालू वर्ष	-	-	-	5.00%	5.00%
	विगत वर्ष	-	-	-	5.00%	5.00%
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	चालू वर्ष	-	6.00%	-	-	-
	विगत वर्ष	-	6.00%	-	-	-
मृत्यु दर	चालू वर्ष	भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु	वार्षिक मृत्यु दर 96-98 (समुचित मृत्यु दर सुधार में लागू)	भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु (2006-08) Ult.	भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु (2006-08) Ult.	भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु (2006-08) Ult.
	विगत वर्ष	भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु (2006-08)	भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु (2006-08)	भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु (2006-08)	भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु (2006-08)	भारतीय आश्वस्त जीवन मृत्यु (2006-08)

वित्तिय यत्न किये

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका	अनुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांकिकीय तरीका
1	31 मार्च, 2019	1.24	0.08	6.29	0.40
2	31 मार्च, 2020	4.34	0.94	11.56	2.21
3	31 मार्च, 2021	8.87	1.90	15.43	2.28
4	31 मार्च, 2022	10.75	2.95	17.77	12.58
5	31 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2027	228.74	54.02	255.41	34.34

; kstukxr i fjl i fRr; k ds fuos'k dh Js kh%

fuos'k dh Js kh	; kstukxr i fjl i fRr; k ds mfpr eW;
एल आई सी –पारंपरिक उत्पाद	100%

13- Hkkj rh; ys[kk ekud 21 & **fon's kh epk nj e i fjonu ds cHkko** ds l c/k e qdVu लाभ और हानि विवरण में डेबिट किए गए मुद्रा अंतर (निवल) की राशि 22.74 लाख रु. (पिछला वर्ष 0.27 लाख रु.) है।

14- Hkkj rh; ys[kk ekud 24 & Bl c/f/kr i {kdj qdVu ds l c/k e qdVu d- eq[; ccku 0; fa

- श्री बृजेश दीक्षित, प्रबंध निदेशक
- श्री महेश कुमार, निदेशक (परियोजना)
- श्री सुनिल माथुर, निदेशक (चल स्टॉक)
- श्री एस शिवमाथन, निदेशक (वित्त)

[k- ceq[k ccku 0; fa; k ds l kfk dā uh ds l 0; ogj k dk qdVhdj .k

(रु. लाख में)

fooj .k	2017&18	2016&17
वेतन एवं भत्ते	138.03	111.84
भविष्य निधि और अन्य निधियों, उपदान और सामूहिक बीमा में अंशदान	5.74	4.11
अन्य लाभ	92.71	53.18
dy %depkj h ykxr 'kkfey%	236.48	169.13
वर्ष के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	—	—
वर्ष के दौरान जारी अग्रिम	—	—
ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष	—	—

mi ; k i kfj Jfed ds vfrfj ä%

- पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी के नियमों के अनुसार वसूली के अध्यक्षीन स्टाफ कार का प्रयोग करने (निजी यात्राओं सहित) की अनुमति दी गई है।
- उपदान, अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ तथा अंतिम लाभ, जो बीमांकिकीय मूल्यांकन पर अभिनिश्चित किया गया है, के लिए अंशदान हेतु प्रावधान 18.53 लाख रु. (दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 7.12 लाख रु.) था।

x½ dā uh ds jkstxkj mi jkr ykHk ; kstukv k ds fy, l ftr VLV ds l kfk dkj cckj dk qdVu %

(लाख रु. में)

fooj .k	2017&18	2016&17
उपदान ट्रस्ट में अंशदान ट्रस्ट (भुगतान) से रिफंड	5.72	9.23
	शून्य	शून्य

14- दिनांक 31.03.2018 को बकायों का विवरण; (लाख रु. में)

क्र.सं.	विवरण	2017&18	2016&17
1	उपदान ट्रस्ट	39.88	13.78

15- निम्नलिखित विवरणों का विवरण; (लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2016-17
लाभ और हानि के ववरण के अनुसार कराधान के बाद लाभ	(26,165.32)	(165.12)
बकाये इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या:		
मूल	70,47,75,726	30,98,30,411
न्यूनीकृत	104,65,32,229	33,55,89,541
प्रति शेयर मूल अर्जन (रु) (प्रति शेयर अंक मूल्य 10 रु)	(3.71)	(0.05)
प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन (रु) (प्रति शेयर अंक मूल्य 10 रु)	(2.50)	(0.05)

16- निम्नलिखित विवरणों का विवरण; (लाख रु. में)

ववरण	दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान जमा/अंतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वापस लखत	दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार अंतिम शेष
सेवा निवृत्ति लाभ	137.90	378.40	-	-	-	516.30
व्यय	10.70	35.11	(5.72)	-	-	40.09
भूमि अधग्रहण के लिए प्रावधान	67,743.16	-	-	(67,743.16)	-	-

(लाख रु. में)

ववरण	दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान जमा/अंतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वापस लखत	दिनांक 01.04.2017 की स्थिति के अनुसार आरंभिक शेष
सेवा निवृत्ति लाभ	3.53	134.37	-	-	-	137.90
व्यय	32.02	(21.32)	-	-	-	10.70
भूमि अधग्रहण के लिए प्रावधान	49,567.69	18,175.47	-	-	-	67,743.16

16- Hkkj rh; ys[kk ekud &101% **Hkkj rh; ys[kk ekudka dks i gyh ckj vi uk; k tkuk**% ; s fnukd 31-03-2018 dks l eklr gq o"kl ds fy, dā uhi ds i gys foRrh; fooj.k gā टिप्पणी 1 में उल्लिखित लेखा नीतियों को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत तुलनात्मक सूचना तैयार करने तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2016 (कंपनी की ट्रांजिट की तारीख) की स्थिति के अनुसार आरंभिक भारतीय लेखा मानक तुलनपत्र को तैयार करने में लागू किया गया है। भारतीय लेखा मानक में ट्रांजिशन के लिए कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के अनुसार निम्नलिखित अनिवार्य/वैकल्पिक छूटों का लाभ उठाया है :

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मानित लागत : कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 101 के परिशिष्ट घ के पैरा डी-7कक के अंतर्गत छूट का लाभ उठाया है जिसमें पिछले जी ए ए पी के अनुसार आकलित भारतीय लेखा मानक अंतरण की तारीख की स्थिति के अनुसार पी पी ई के लिए वहन मूल्य को जारी रखने के लिए पहली बार अपनाए जाने की अनुमति देता है।

ख) आरंभिक मान्यता के समय वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण एवं उचित मूल्य आकलन :

भारतीय लेखा मानक में अंतरण की तारीख की स्थिति के अनुसार मौजूदा तथ्यों के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताओं को वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, पैरा बी 8ग तथा डी 20 के अंतर्गत छूट में अंतरण की तारीख को या उसके बाद किए गए कारोबार के लिए भारतीय लेखा मानक 101 की अपेक्षाओं के प्रत्याशित एप्लीकेशन की अनुमति है।

इस बारे में स्पष्टीकरण कि किस प्रकार पिछले जी ए ए पी से भारतीय लेखा मानक में अंतरण से कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकद प्रवाह प्रभावित हुआ है, नीचे तालिकाओं एवं टिप्पणियों में दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक 101 में संस्थान से अपेक्षा की गई है कि वह पिछली अवधि के लिए इक्विटी कुल व्यापक आय तथा नकद प्रवाह का मिलान करें। निम्नलिखित तालिकाओं में पिछले जी ए ए पी से भारतीय लेखा मानक के मिलान को दर्शाया गया है :

1- fnukad 31-03-2017 vkj 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj dny bfDoVh dk feyku
(लाख रु. में)

Ø- l a	fooj .k	fnukad 31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj	fnukad 01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj
d	दिनांक 1 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार भारतीय जी ए ए पी लेखा परीक्षित वित्त के अनुसार कुल प्रतिधारित अर्जन	-304.37	-59.00
[k	Hkkj rh; th , , ih & i noZ vof/k ds l ek; kstuka dk foRrh; o"kl 2015&16 ea nksckjk mYys[k fd; k x; k	-	-
l	निगमन पूर्व व्यय के लिए परामर्शदाताओं के लिए भुगतान	-	-3.99
li	निगमन पूर्व व्यय के लिए भुगतान	-	-300.03
lii	आधिक्य मूल्यहास वापस लिखित	-	2.14
	foRrh; o"kl 2017-18		
l	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बाह्य पयोजना से आय में सुधार		
	- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय में कमी	-285.25	-
	- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आय में वृद्धि	24.51	-
li	वित्तीय वर्ष 2016.17 में लोप किए गए व्यय की मान्यता	-11.92	-
x	Hkkj rh; ys[kk ekud xj vrj	-	-
l	प्रतिभूति जमा (देयता) के लिए ब्याज व्यय का प्रकटीकरण	-2.77	-0.31
	?kVk: प्रकटीकरण की वित्त लागत को सी डब्ल्यू आई पी में ले जाया गया	2.77	0.31
li	प्रतिभूति जमा (परिसंपत्ति) के प्रकटीकरण पर ब्याज आय	1.11	0.37
lii	प्राप्य एच बी पी ए राशि के लिए अंतरनीय ब्याज आय	3.97	0.17
lv	प्रतिभूति (परिसंपत्ति) के लिए किराया व्यय का ऋणशोधन	-1.19	-0.40
	?kVk: प्रकटीकरण की वित्त लागत को सी डब्ल्यू आई पी में ले जाया गया	1.19	0.40
V	इस अवधि के लिए अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय	-26.07	
	?kVk: प्रकटीकरण की वित्त लागत को सी डब्ल्यू आई पी में ले जाया गया	26.07	
Vi	इस अवधि के लिए अधीनस्थ ऋण पर ब्याज व्यय	75.99	
Vii	आई जी ए ए पी के अनुसार ऋणों पर प्राप्य ब्याज का रिवर्सल	-3.23	-0.18
Viii	बीमांकिकीय मूल्यांकन रिपोर्ट (भारतीय लेखा मानक) के अनुसार उपदान प्रावधान का पुनर्विवरण	0.24	0.24
lx	ओ सी आई उपदान लाभ/(हानि) की मान्यता	-4.62	
X	उपदान गैप पर बीमांकिकीय मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रभाव की मान्यता	-2.52	-
Xi	भारतीय लेखा मानक अंतरण (ट्रांजिशन) के प्रभाव के कारण सृजित आस्थगित कर देयता	-22.51	
?k	fuoy çHkko	-224.22	-301.28
	Hkkj rh; ys[kk ekud foRr ds vuq kj dny çkf/k/kkj .k vtü	-528.59	-360.28

2- फनुकड 31-03-2017 दकस ल एकर ओ"कल दस फु, दगु 0; कि द वक; दक फेयकु

(लाख रु. में)

फुगुह ककु वलुक, तकुस दस ककुस ए फुवल .कह	फनुकड 31-03-2017 दह फुफुकर दस वुद कु
पिछले जी ए ए पी के अनुसार कर के उपरांत लाभ/(हानि)	(245.37)
i) भारतीय लेखा मानक समायोजनों पर आस्थगित कर प्रभाव	(22.51)
ii) ऋणशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं का आकलन	102.76
iii) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्आकलन	
दगु ल एक; कस्तु	80-25
हकुकुरह; यसुकु एकुद दस वरखर दकु मलकुर यकुकु@गुकुफुकु	(165-12)
हकुकुरह; यसुकु एकुद दस वरखर दगु 0; कि दकु यकुकु@गुकुफुकु	(168-31)

फुवल .कह & 1

वकुलफुकुर दकु

भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत, आस्थगित कर का सृजन पिछले जी ए ए पी से हटकर, जहां समय में अंतर की संकल्पना को लागू किया जाता था, कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों को ध्यान में रखते हुए तुलनपत्र नीति का प्रयोग करके किया जाता है। कंपनी द्वारा दर्ज भारतीय लेखा मानक समायोजनों में भी आस्थगित कर प्रभाव है जिसे वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है।

फुवल .कह & 2

__ .कुकुकु/कुर यकुर ल कु फुकरह; ल कु ल अलर; ककु, ओ नकु रकुवकु दकु वकुदु

पिछले जी ए ए पी के अंतर्गत, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को लागत पर निष्पादित किया जाता है। भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत, कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को ऋणशोधित लागत पर पर्याप्त रूप से आकलित किया जाता है जिससे प्रभावी ब्याज तरीके को लागू किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं की मान्यता की तारीख को उचित मूल्य राशि से वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के प्रत्याशित जीवन के माध्यम से सही-सही कटौती अनुमानित भावी नकद भुगतान या प्राप्तियां होती हैं।

फुवल .कह & 3

वकु 0; कि द वक;

अन्य व्यापक आय की संकल्पना पिछले जी ए ए पी के अंतर्गत मौजूद नहीं थी। भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत, किसी अवधि में मान्यता प्राप्त आय एवं व्यय की सभी मदों को उस अवधि के लिए लाभ या हानि में शामिल किया जाना चाहिए जब तक कि मानक के लिए अन्यथा अपेक्षित या अनुमति नहीं हो। आय एवं व्यय की जो मदें लाभ या हानि में मान्यताप्राप्त नहीं हैं किंतु जिन्हें लाभ या हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय के रूप में दिखाया गया है, में परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्आकलन शामिल है।

फुवल .कह & 4

कुर/कुकुकर वतु

दिनांक 01 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार प्रतिधारित अर्जनों का समायोजन उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक अंतरण (ट्रांजिशन) समायोजनों के परिणामस्वरूप किया गया है।

विवरण & 5

नकद 31 मार्च 2017 तक के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण, नकद प्रवाह के विवरण; नकद प्रवाह के विवरण

पिछले जी ए ए पी के अंतर्गत, सभी बैंक शेष नकद एवं नकद समतुल्य के भाग थे। तथापि, भारतीय लेखा मानक के अनुसार, तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाले केवल अल्पकालिक फिक्स्ड डिपोजिट नकद एवं नकद समतुल्य के भाग होंगे। तदनुसार, अवधि जमा (टर्म डिपोजिट) को भारतीय लेखा मानक में "अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवधि जमा (टर्म डिपोजिट), जिन्हें नकद एवं नकद समतुल्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, में परिवर्तन नकद प्रवाह विवरण में परिचालन कार्यकलापों के भाग होते हैं।

नकद प्रवाह के विवरण, नकद प्रवाह के विवरण; नकद प्रवाह के विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	विवरण	नकद 31-03-2017 के लिए वित्तीय विवरण	नकद प्रवाह	नकद 31-03-2017 के लिए वित्तीय विवरण	नकद प्रवाह 31-03-2016 के लिए वित्तीय विवरण	नकद प्रवाह	नकद 01-04-2016 के लिए वित्तीय विवरण
	वित्तीय विवरण							
1)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2	69429.70	-1.26	69428.44	50401.72	2.13	50403.85
ख)	चल रहा पूंजीगत कार्य	3	45697.39	-1144.44	44552.95	7235.29	-227.28	7008.01
ग)	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	5032.85		5032.85	17.94		17.94
घ)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
	i. ऋण	5	12103.59	-12038.90	64.69	47.47	-40.09	7.38
	ii. अन्य	6		225.97	225.97		7.87	7.87
ड.)	आस्थित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	8	133.70	-22.51	111.19		4.43	4.43
च)	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	7	6.12	12586.53	12592.65	0.43	-0.43	
2)	माल सूची							
क)	माल सूची							
ख)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
	i. व्यापार प्राप्य	9	3982.59	0.81	3983.40			
	ii. नकद और नकद समतुल्य	10	16476.67	-6260.83	10215.84	11904.52	-2722.04	9182.48
	अन्य बैंक शेष	11		6309.00	6309.00		2737.00	2737.00
	iii. ऋण	5		13.25	13.25		1.35	1.35
	iv. अन्य	6	14394.57	-14077.93	316.64	1468.14	-1180.42	287.72
ग)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	7		14267.20	14267.20		1610.51	1610.51
घ)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	12	340.10	-83.07	257.03	462.62	-403.34	59.28
	कुल		167597.28	-226.18	167371.10	71538.13	-210.31	71327.82

	bfDoVh vkj ns rk, a							
	bfDoVh							
क)	इक्विटी भोयर पूंजी	13	42994.00		42994.00	15594		15594.00
ख)	अन्य इक्विटी	SOCE	6242.30	-6122.89	119.41	4113.97	-3826.25	287.72
	ns rk, a							
1)	xj pky ns rk, a							
क)	वित्तीय देयताएं							
	i. उधार	16	13573.87	-1874.91	11698.96	700		700
	ii. अन्य वित्तीय देयताएं	14		37.77	37.77		7.33	7.33
ख)	प्रावधान	15	126.79	11.11	137.90	35.79	-32.26	3.53
ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	8				14.91		14.91
घ)	सरकारी अनुदान	17		75466.82	75466.82		53166.33	53166.33
2)	pkj ns rk, a							
क)	वित्तीय देयताएं							
	i. व्यापार प्राप्य			5483.61	5483.61		1309.39	1309.39
	ii. अन्य वित्तीय देयताएं	14		30107.66	30107.66		73.09	73.09
ख)	अन्य चालू देयताएं	18	36908.59	-35594.32	1314.27	1501.23	-1361.73	139.50
ग)	अल्पकालिक प्रावधान	15	67751.73	-67741.04	10.70	49578.23	49546.21	32.02
			167597.28	-226.18	167371.10	71538.13	-210.31	71327.82

egkj k"V" eVks j sy dkj i kjs' ku fyfeVM
nyui = ij çHkko ds fy, i nZ th, , ih rFkk Hkkj rh; ys[kk ekud ds chip feyku

(लाख रु. में)

fooj . k	fVli . kh l a	fnuka 31-03-2017 dks l ekir o"kZ ds fy, fi Nyk th, , ih	l ek; kstu	fnuka 31-03-2017 dks l ekir o"kZ ds fy, Hkkj rh; ys[kk ekud
vk;				
I. परिचालनों से राजस्व		4482.59	-0.36	4482.23
II. अन्य आय	19	751.49	77.49	828.98
clj vk;		5234.08	77.13	5311.21
0; ;				
I. परिचालन व्यय		4104.92	283.53	4388.45
II. कर्मचारी लाभ व्यय	20	6.56	2.52	9.08
III. वित्त लागत	21			
IV. मूल्यहास एवं ऋणशोधन व्यय		226.34	-0.01	226.33
V. अन्य व्यय	22	988.35	-11.21	977.14
VI. पूर्व अवधि मद (निवल)		301.88	-301.88	0.00
clj 0; ;		5628.05	-27.05	5601.00
dj i nZ ykHk@gkfu½		-393.97	104.18	-289.79

दृश्य 0; ;				
पक्यु दृश्य				
वर्कफोर दृश्य		148.6	-23.93	124.67
ऑपरेशनल कोस्ट, एमपीएल		-245.37	80.25	-165.12
वर्कफोर; 0; कि द वर्क;				
I. ऐसी मद जिसे लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-4.62	-4.62
II. परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्आकलन				
ऑपरेशनल ऐसी मदों से संबंधित आस्थगित कर जिसे लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	1.43	1.43
III. ऐसी मदें जिसे लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा				
ऑपरेशनल कोस्ट, एमपीएल; 0; कि द वर्क; एमपीएल		-	-3.19	-3.19
ऑपरेशनल कोस्ट, एमपीएल; 0; कि द वर्क; एमपीएल		-245.37	77.06	168.31

17- एमपीएल कोस्ट का अनुमान 107 करोड़ रुपये के लिए है।
17-1 एमपीएल कोस्ट का अनुमान

(i) एमपीएल कोस्ट का अनुमान

श्रेणी-वार वित्तीय लिखतों का निहित मूल्य निम्नलिखित है :

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार			31.03.2017 की स्थिति के अनुसार			01.04.2016 की स्थिति के अनुसार		
	ऋणशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवी ओसीआई	ऋणशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	एफवी ओसीआई	ऋणशोधित लागत	एफवी टीपीएल	एफवी ओसीआई
एमपीएल कोस्ट का अनुमान									
ऋण (टिप्पणी 5 देखें)	118.05	-	-	77.94	-	-	8.73	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (टिप्पणी 6 देखें)	7,163.75	-	-	542.61	-	-	295.59	-	-
व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 9 देखें)	15,998.48	-	-	3,983.40	-	-	0	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य (टिप्पणी 10 देखें)	13,662.81	-	-	10,215.84	-	-	9,182.48	-	-
दृश्य	36,943.09	-	-	14,819.79	-	-	9,486.80	-	-
एमपीएल कोस्ट का अनुमान									
उधार (टिप्पणी 16 देखें)	15,3270.45	-	-	11,698.96	-	-	700.00	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 14 देखें)	18,524.47	-	-	30,145.43	-	-	80.42	-	-
व्यापार देय	17,693.79	-	-	5,483.61	-	-	1,309.39	-	-
दृश्य	1,89,488.71	-	-	47,328.00	-	-	2,089.81	-	-

(ii) mfpr eW; vuØe

उचित मूल्य पर आकलित वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को उचित मूल्य अनुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। इन तीन स्तरों को आकलन के महत्वपूर्ण इनपुट की अनुपालनीयता के आधार पर परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित हैं :

Lrj 1% समान वित्तीय लिखतों के लिए सक्रिय बाजारों में कोट किए गए (असमायोजित) जिसे संस्था न आकलन की तारीख को देख (एक्सेसस) सकता है।

Lrj 2% ऐसे वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य, जिनका व्यापार सक्रिय बाजार में नहीं किया जाता है, को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है जिससे सुसंगत अनुपालनीय बाजार इनपुट का उपयोग अधिकतम और गैर अनुपालनीय इनपुट का उपयोग न्यूनतम होता है।

Lrj 3% यदि एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अनुपालनीय बाजार इनपुट पर आधारित नहीं होता है तो लिखत को उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर में वर्गीकृत किया जाता है।

(iii) __.k' kksfkr ykxr ij vkdfyr foUkh; i fj l i fUk; ka@nsunkfj; k] ftuds fy, mfpr eW; dks çdV fd; k tkrk g%

(लाख रुपए में)

fooj .k	Lrj	31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj		31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj		31-03-2016 dh fLFkfr ds vuq kj	
		fufgr eW;	mfpr eW;	fufgr eW;	mfpr eW;	fufgr eW;	mfpr eW;
foRrh; i fj l i fRr; ka							
ऋण (टिप्पणी 5 देखें)	Lrj&1	118.05	118.05	77.94	77.94	8.73	8.73
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (टिप्पणी 6 देखें)	Lrj&2	7,163.75	7,163.75	542.61	542.61	295.59	295.59
djy		7]281-80	7]281-80	620-55	620-55	304-32	304-32
foRrh; nsunkfj; ka							
अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 14 देखें)	Lrj&2	18,524.47	18,524.47	30,145.43	30,145.43	80.42	80.42
djy		18]524-47	18]524-47	30]145-43	30]145-43	80-42	80-42

(iv) mfpr eW; voekkfj r djus ds fy, ç; jã eW; kãdu rduhd vkj çfØ; k

क) 12 माह से कम की परिपक्वता वाली वित्तीय परिसंपत्ति एवं देनदारियों के निहित मूल्य को उनके उचित मूल्य का द्योतक माना जाता है।

ख) ऋणशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का उचित मूल्य, कटौती दर, जिसे लेखा नीति सं. 22 के अनुसार परिभाषित किया गया है, का उपयोग करके नकद प्रवाह की कटौती करके अवधारित किया जाता है।

17-2 foUkh; tkf[ke çcæku

1- foUkh; tkf[ke dkj d

कंपनी का सामना वित्तीय लिखतों से संबंधित विभिन्न जोखिमों से होता है। कंपनी की श्रेणी-वार वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का सारांश ऊपर दिया गया है। प्रमुख प्रकार के जोखिम हैं, बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं लिक्विडिटी जोखिम। कंपनी के जोखिम प्रबंधन में अस्थिर वित्तीय बाजारों के प्रभाव को कम-से-कम करके कंपनी के अल्प से मध्यकालिक नकद प्रवाहों को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जिन सर्वाधिक प्रमुख वित्तीय जोखिमों से कंपनी का सामना होता है, उनका वर्णन नीचे किया गया है।

d% cktkj tkf[ke

कंपनी में बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम रहता है। कंपनी में कोई ब्याज दर जोखिम नहीं रहता है क्योंकि कंपनी के सभी ऋणों पर नियत ब्याज दर लागू होती है। साथ ही कंपनी में मूल्य जोखिम नहीं रहता है क्योंकि कंपनी में कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं होती है।

भारत से बाहर से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आयात के कारण मुद्रा में उतार-चढ़ाव का जोखिम रहता है। कंपनी में विदेशी मुद्रा जोखिम को कवर करने के लिए कोई सुरक्षा लिखत नहीं है।

निम्नलिखित तालिकाओं में वित्तीय लिखतों से विदेशी करेंसी जोखिम का विश्लेषण किया गया है:

(31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार लाख रुपए में)

fooj .k	; jks	; w , l Mh	vU; dj d h	dqy
नकद एवं नकद समतुल्य	—	—	—	—
व्यापार प्राप्य	—	—	—	—
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	—	—	—	—
व्यापार देय	870.78	1,615.79	—	2,486.57
अन्य वित्तीय देनदारियां	—	—	—	—
कुल परिसंपत्तियां/देयताएं	—	—	—	—

(31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार लाख रुपए में)

fooj .k	; jks	; w , l Mh	vU; dj d h	dqy
नकद एवं नकद समतुल्य	—	—	—	—
व्यापार प्राप्य	—	—	—	—
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	—	—	—	—
व्यापार देय	184.50	43.31	—	227.81
अन्य वित्तीय देनदारियां	—	—	—	—
कुल परिसंपत्तियां/देयताएं	—	—	—	—

[k] ØfMV tkf[ke

क्रेडिट जोखिम का संदर्भ प्रति पक्षकार (काउंटर पार्टी) द्वारा उनके अपने दायित्व में चूक के जोखिम से है जिससे वित्तीय हानि होती है। कंपनी का सामना विभिन्न वित्तीय लिखतों से होता है, उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम, ग्राहकों से प्राप्य राशि, प्रतिभूति जमा आदि। रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार क्रेडिट जोखिम पर अधिकतम प्रभाव मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की निहित राशि से हुआ है।

- नकद एवं नकद समतुल्य तथा अन्य बैंक शेष
- व्यापार प्राप्य राशि
- ऋणशोधित लागत पर आकलित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी, व्यक्तिकृत रूप से या कंपनी द्वारा चिह्नित ग्राहकों एवं अन्य प्रति पक्षकारों (काउंटर पार्टी) के चूकों की लगातार मॉनीटरिंग करती है और इस सूचना को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रणों में शामिल करती है। जहां समुचित लागत पर उपलब्ध होती है वहां बाह्य क्रेडिट रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य प्रति पक्षकारों पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और उनका उपयोग किया जाता है।

d] ØfMV tkf[ke çcæku

नकद और नकद समतुल्य:

नकद और नकद समतुल्यों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन निधियों को ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखकर किया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक निगरानी के अधीन होते हैं और इन बैंकिंग संबंधों की लगातार समीक्षा की जाती है।

व्यापार प्राप्य राशि:

कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2017 को क्रमशः 15,998.48 लाख रु. और 3983.40 लाख रु. की राशि बकाया व्यापार प्राप्य (कुल) है। व्यापार प्राप्य सामान्यतया अप्रतिभूत होते हैं और उन्हें ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त किया जाता है। कंपनी ऋण ग्राहियों की क्रेडिट योग्यता की गहन मानीटरिंग करती है और क्रेडिट के लिए योग्य पक्षकारों के साथ ही डील करती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां में कर्मचारियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा ऋणशोधित की लागत पर आकलित अन्य शामिल हैं।

[k] vi f{kr ØfMV gkfu; ka

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानियां प्रदान करती हैं :

व्यापार प्राप्य राशि:

व्यापार प्राप्य राशि क्षीण होती है जब वसूलनीय राशि को अलग-अलग व्यापार से प्राप्य राशि के लिए कंपनी द्वारा निष्पादित वसूली विश्लेषण के आधार पर संदिग्ध माना जाता है। कंपनी यह मानती है कि उपर्युक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, जो क्षीण नहीं होती हैं और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीखों के लिए विगत की देय राशि समीक्षाधीन हैं, उत्तम क्रेडिट गुणवत्ता की होती हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को व्यापार प्राप्य की अवस्था का विश्लेषण संक्षेप में निम्नलिखित है :
(लाख रुपए में)

fooj . k	31-03-2018 dh fLFkfr ds vuq kj		31-03-2017 dh fLFkfr ds vuq kj		01-04-2016 dh fLFkfr ds vuq kj	
	l dy	gkl	l dy	हkl	l dy	हkl
विगत का देय नहीं	14,015.89		3,983.40			
तीन माह से कम विगत का देय	-		-		-	
तीन माह से अधिक किंतु छह माह तक के विगत का देय	-		-		-	
छह माह से अधिक किंतु एक वर्ष तक के विगत का देय	1,982.59		-		-	
एक वर्ष से अधिक किंतु तीन वर्ष तक के विगत का देय	-		-		-	
तीन वर्ष से अधिक के विगत का देय	-		-		-	
clqy	15]998-48		3]983-40			

ऋणशोधित की हानि पर आकलित अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां:

कर्मचारी के ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण, उस संपत्ति के प्रति प्रतिभूत होता है जिसके लिए कर्मचारियों को ऋण प्रदान किया जाता है। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि की वसूलनीयता की लगातार मानीटरिंग करके किया जाता है जबकि साथ ही, स्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि धनराशि परिभाषित सीमाओं के भीतर हों। ये इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार कोई द्वासा प्रावधान नहीं हैं। कंपनी रिपोर्टिंग तारीखों की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उत्तम क्रेडिट गुणवत्ता का मानती है।

x½ fyfDofMVh | cækh tkf[ke

कंपनी की लिक्विडिटी आवश्यकताओं की मानीटरिंग, मासिक एवं वार्षिक प्रोजेक्शन के आधार पर की जाती है। कंपनी की लिक्विडिटी के मूल स्रोत हैं, नकद और नकद समतुल्य, परिचालनों से सृजित राजस्व, जी आई सी ए से दीर्घकालिक ऋण, ब्याज रहित अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी एवं अनुदान।

हम अपनी नकद अंतर्प्रवाहों की लगातार मॉनीटरिंग करके और पर्याप्त नकद एवं नकद समतुल्यों को बनाए रखकर अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। किन्हीं कमियों को अवधारित करने के लिए निवल नकद अपेक्षाओं की तुलना उपलब्ध नकद से की जाती है।

अल्पकालिक लिक्विडिटी अपेक्षाओं में प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार, व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान मुख्य रूप से विविध ऋणदाता, देय व्यय, कर्मचारी देय, जे आई सी ए ऋण की चालू परिपक्वता तथा प्रतिधारण एवं जमा शामिल हैं। कंपनी अपनी अल्पकालिक

लिक्विडिटी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नकद एवं नकद समतुल्यों का पर्याप्त शेष बनाए रखती है।

हम दीर्घकालिक लिक्विडिटी अपेक्षाओं का आवधिक आधार पर मूल्यांकन करते हैं और आंतरिक रूप से प्रोदभूत राशि के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। कंपनी की गैर-चालू देनदारियों में जे आई सी ए ऋण, ब्याज रहित अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण एवं जमा तथा कर्मचारी लाभ के लिए देनदारियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार से प्राप्त पी टी ए के संबंध में देनदारी का समायोजन जे आई सी ए ऋण से साथ किया जाएगा।

निम्नलिखित तालिका में गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताओं से संबंधित ब्यौरा प्रदान किया गया है। इस तालिका को शीघ्रतम तारीख, जिसको कंपनी द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है, के आधार पर वित्तीय देनदारियों के नकद प्रवाह के आधार पर तैयार किया गया है। तालिका में मूल और ब्याज नकद दोनों का प्रवाह शामिल है।

(31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार लाख रुपए में)

fooj.k	6 ekg l s de	6 ekg l s 1 o"kl	1 o"kl l s 3 o"kl	3 o"kl l s 5 o"kl	5 o"kl l s vf/kd	dlj
उधार (टिप्पणी 16) देखें	—	—	—	36,241.72	1,17,028.73	1,53,270.45
अन्य वित्तीय देनदारियां (टिप्पणी 14) देखें	17,873.30	143.60	255.70	251.87	—	18,524.47
व्यापार प्राप्य	17,693.79	—	—	—	—	17,693.79
dlj ; kx	35]567-09	143-60	255-70	36]493-59	1]17]028-73	1]89]488-71

(31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार लाख रुपए में)

fooj.k	6 ekg l s de	6 ekg l s 1 o"kl	1 o"kl l s 3 o"kl	3 o"kl l s 5 o"kl	5 o"kl l s vf/kd	dlj
उधार (टिप्पणी 16) देखें	—	—	—	—	11,698.96	11,698.96
अन्य वित्तीय देनदारियां (टिप्पणी 14) देखें	29,391.16	641.68	95.43	17.16	—	30,145.43
व्यापार प्राप्य	5,483.61	—	—	—	—	5,483.61
dlj ; kx	34]874-77	641-68	95-43	17-16	11]698-96	47]328]00

(31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार लाख रुपए में)

fooj.k	6 ekg l s de	6 ekg l s 1 o"kl	1 o"kl l s 3 o"kl	3 o"kl l s 5 o"kl	5 o"kl l s vf/kd	dlj
उधार (टिप्पणी 16) देखें	—	—	—	—	700.00	700.00
अन्य वित्तीय देनदारियां (टिप्पणी 14) देखें	80.42	—	—	—	—	80.42
व्यापार प्राप्य	1,309.39	—	—	—	—	1,309.39
dlj ; kx	1]389-81	—	—	—	700-00	2]089-81

18- Hkkj rh; ys[kk ekud 108 % ^*çpkyu Hkkx** ds l çk ek çdVu
d- 0; ol k; Hkkx %

भाग संबंधी सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन भागों को, भागों को संसाधन आबंटित करने एवं उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर चिह्नित किया जाता है। कंपनी के प्रधान व्यवसाय भाग हैं, यातायात परिचालन, रियल एस्टेट, बाह्य परियोजनाएं और कन्सल्टेंसी,

[k- Hkkx jktLo , oa 0; ; %

ckgjh ifj; kstuk, a & व्यय की पात्र संविदात्मक मदों और आनुपातिक विभागीय प्रभारों को शामिल करके राजस्व को मान्यता दी जाती है।

ijke' k' %dUl YVh h% & परामर्श और निविदा फॉर्मों की बिक्री से आय सहित भाग (सेगमेंट) से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित राजस्व पर विचार किया जाता है।

प्रत्येक भाग (सेगमेंट) से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित व्यय और चरणबद्ध तरीके से आबंटित साझा व्यय पर भाग (सेगमेंट) व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

x- Hkkx %l XeVh% ifj l fUk; ka , oa nsunkfj; ka

भाग (सेगमेंट) परिसंपत्तियों में निवल स्थिर परिसंपत्तियों और चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों एवं चल रहे पूंजीगत कार्य, निर्माण भंडारों एवं अग्रिमों से मिलकर बने संबंधित भागों (सेगमेंट) में सभी परिचालन परिसंपत्तियां शामिल हैं। भाग (सेगमेंट) देनदारियों में संबंधित भाग (सेगमेंट) से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित देनदारियां एवं प्रावधान शामिल हैं।

(लाख रु. में)

fooj.k		Ckká ifj; kstuk, a		ijke' k'		vU;		dy	
		2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
d	Hkkx jktLo								
	कार्यशील आय	12964.01	4482.23	274.50				13238.51	4482.23
	अन्य आय					3608.69	828.98	3608.69	828.98
?kVk:	बैंक जमा से ब्याज					1738.97	730.84	1738.97	730.84
	dy jktLo	12964.01	4482.23	274.50		1869.72	98.14	15108.23	4580.37
?kVk:	कर्मचारी लाभ व्यय	235.45	9.08					235.45	9.08
	परिचालन और अन्य	12611.61	4388.45	274.5		3475.74	977.14	16361.85	5365.59
[k	Hkkx ifj. kke %bZchVhVh%	116.95	84.70			-1606.02	-879.00	-1489.07	-794.30
?kVk:	मूल्यहास					1561.47	226.33	1561.47	226.33
	वित्त लागत								
x	dj i bZ ykHk %i hchVh%	116.95	84.70			-3167.49	-1105.33	--3050.54	-1020.63
tek:	बैंक जमा ब्याज					1738.97	730.84	1738.97	730.84

tek:	आस्थिगत कर क्रेडिट					-24853.75	124.67	-24853.75	124.67
	fuoy ykHk	116.95	84.70			-26282.27	-249.82	-26165.32	-165.12
?k	vU; l ipuk								
?k.1	भाग परिसंपत्तियां								
	परिसंपत्तियां	15996.45	3983.40	274.50		534302.42	163387.70	550573.37	167371.10
	dly i fj l a fUk; ka	15996.45	3983.40	274.50		534302.42	163387.70	550573.37	167371.10
?k.2	भाग देयताएं								
	देयताएं					442352.32	124257.69	442352.32	124257.69
	dly ns rk, a					442352.32	124257.69	442352.32	124257.69
?k.3	i thxr 0; ;								
	स्थिर परिसंपत्तियों में निवल योग					146505.70	24266.62	146505.70	24266.62
?k.4	मुख्य ग्राहकों से राजस्व (10 प्रतिशत या अधिक इन्स्टी राजस्व वाले ग्राहक) एनएचआई	12504.80	4482.59					12504.80	4482.59

19- fi Nys o"kl ds vkrdMka dk fQj l s l eig cuk; k x; k gS@mlUga i puD; ofLFkr@i puoZkr fd; k x; k gS rkfd mudh rnyuk pkyw o"kl dh cLrfr l s dh tk l dA

20- vkrdMs dks fudVre yk[k #- ea i w kkfdR fd; k x; k gA

tk/k tk'kh , M dia uh
pkVMZ , dkmUVW
, Q vkj , u 104317w

; 'k ds oekJ
i kVUj
l nL; rk l a%105954

fufRdk vxokY
dia uh l fpo

, l - f'koekFku
funs'kd %foR-%
%MhvkbZ, u 07534472%

c'ts'k nhf{kr
c'ak funs'kd
%MhvkbZ, u 07065694%

LFkku % ukxi g
fnukad % 23-07-2018

Loa= ys[kki jh{kd fj i kSVZ



tks/k tks'kh , M dai uh
pkVMZ , dkmUV&V

I ok ed| l nL;] egkj k"V³ esV'ks j sy dklj i kj s' ku fyfeVSM

Hkkj rh; ys[kka du ekud foRrh; fooj .kka i j fj i kSVZ

हमने egkj k"V³ esV'ks j sy dklj i kj s' ku fyfeVSM के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और 31 मार्च, 2018 के अनुसार तुलन पत्र, तत्कालीन समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) तथा नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां (यहां इसके बाद "भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण" के रूप में उल्लिखित) शामिल हैं।

Hkkj rh; ys[kka du ekud foRrh; fooj .kka ds fy, cca/ku dh ftEepkj h%

कंपनी के निदेशक मंडल इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के नियम यथासंशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन भारतीय लेखा मानक सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, नकद प्रवाहों और इक्विटी में परिवर्तनों का वास्तविक एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

उनकी जिम्मेवारी में कंपनी की परिसंपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने तथा पता लगाने, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय करने एवं अनुमान लगाने तथा समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार, लागू एवं अनुरक्षित करने, जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के लिए संगत लेखा अभिलेखों की परिशुद्धता तथा परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत थे, के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में समुचित लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है जिनसे वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्राप्त होता है और जो तात्विक मिथ्या विवरण, जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है।

ys[kki jh{kd dh ftEepkj h

हमारी जिम्मेवारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करनी है। हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखा एवं लेखापरीक्षा के मानदंडों तथा उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बने नियमों और अधिनियम की धारा 143(11) के अंतर्गत जारी आदेश के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानदंडों के अनुसार भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानदंडों में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा इसे निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण तालिका मिथ्या विवरण से मुक्त है अथवा नहीं।

किसी लेखा परीक्षा में भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में धनराशि तथा प्रकटीकरण के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्रियाविधियों का निष्पादन किया जाना निहित होता है। चयनित क्रिया-विधियों वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्या विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो अथवा त्रुटिवश, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कंपनी के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जिनसे वास्तविक एवं निष्पक्ष चित्र प्राप्त होता है ताकि लेखापरीक्षा की ऐसी क्रियाविधियां तैयार हो सकें जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हों। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा नीतियों के औचित्य तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों की तर्कसंगतता तथा भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी निहित होता है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

jk; %

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में यथा अपेक्षित तरीके से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना दी गई है और दिनांक 31 मई, 2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों के बारे में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष राय तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन का ब्यौरा दिया गया है।

vll; ekeyk%

Hkkjrh; ys[kk ekud 16 & **l a fRr] l a a= vkj mi dj.k** ds vuq kj] i fj; kstuk ds fy, vi f{kr Hkfe ds **l a xr Hkx** ds vf/kxg.k ds fy, i quokl , oa i qu0; bLFkki u vkj , oa vkj% ds enns mi xr ykxr dks Hkfe dh gh ykxr ekuk tkuk gsrk gA , s s 0; ; dks da uh }kjk vuq kyu dh xbl ekstmk ys[kk uhr ds vuq kj l h MGY; vkbz i h ds Hkx ds : i ea ekuk x; k gs tks Hkkjrh; ys[kk ekud 16& **l a fRr] l a a= , oa mi dj.k ds vuq i ugha gA

vll; fof/kd rFkk fofu; ked vi {kkvka l s l a f/kr fj i kv%

- 1) अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसरण में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 द्वारा यथा अपेक्षित, हम आदेश के पैरा 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में अनुलग्नक-क में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
- 2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 5 के अनुसरण में जांचे जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करते हुए निदेश जारी किए हैं जिनका अनुपालन अनुलग्नक-ख में प्रदर्शित किया गया है।
- 3) अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित हम सूचित करते हैं कि;

- क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- ख) हमारी राय में समुचित लेखाबही, जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है, कंपनी द्वारा रखी गई है जहां तक उन बहीखातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) तथा नकद प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखाबही के अनुरूप हैं।
- घ) हमारी राय में उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जारी सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानदंडों का अनुपालन किया गया है।
- ङ.) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सरकारी कंपनी है। अतः, अधिनियम की धारा 164(2) का उपबंध भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 463, दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसरण में लागू नहीं है।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता के संबंध में "अनुलग्नक-ग" में हमारे पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता एवं परिचालन प्रभावकारिता के बारे में अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई है।
- छ) कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम 2014, के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- कंपनी ने अपने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है।
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदा सहित कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैं जिनके लिए कोई तात्त्विक पूर्वाभासी हानि हुई थी।
 - कोई ऐसी धनराशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

तक/क तक/क, M dā u h
pkVMZ, dkmUVw
%QeZ l a 104317w½

fnukd % 23-07-2018

LFkku % ukxi g

SD/-
l h, ; 'k oekZ
%i kVUj %
%l nL; rk l a105954%

लोकसभेच्या वार्षिक अहवाल व अहवाल व अहवाल

महाराष्ट्र शासनाने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर एग्रेजेंट्स एंड क्लाइंट्स कम्पनी 'कंपनी' के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में उल्लिखित अनुलग्नक के संदर्भ में हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर एग्रेजेंट्स एंड क्लाइंट्स कम्पनी 'कंपनी' के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में उल्लिखित अनुलग्नक के संदर्भ में हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

- (i) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक ब्योरे एवं स्थिति सहित पूरा ब्योरा दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड रखे हैं।
(ख) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन इस प्रयोजनार्थ प्रबंधन द्वारा नियुक्त बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है। भौतिक सत्यापन, सत्यापन के नियमित कार्यक्रम के अनुसार किया गया जो हमारी राय में समुचित अंतरालों में सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के भौतिक सत्यापन के लिए व्यवस्था देता है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन के बाद कोई तात्त्विक विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।
(ग) अधिग्रहण की गई अचल परिसंपत्तियों यथा, भूमि एवं भवन के संबंध में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्डों के अनुसार और पंजीकृत बिक्री विलेख/अंतरण विलेख/कॉन्वेयेंस विलेख तथा हमें प्रदान किए गए अन्य दस्तावेजों की जांच के आधार पर हम सूचित करते हैं कि कुछ भूखंडों के मामले में ही, हक विलेख, तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी के नाम में धारित हैं। (अनुलग्नक ख की बिंदु सं. 1 को देखें)
- (ii) कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी जांच के अनुसार तथा हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास कोई माल नहीं है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(ii) कंपनी पर लागू नहीं है।
- (iii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों फर्मों या अन्य पक्षों को कोई ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत, नहीं दिया है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3(ii) कंपनी पर लागू नहीं है।
- (iv) कंपनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है तथा अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत कवर पक्षकारों को कोई ऋण या गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है। कंपनी ने अधिनियम 186 के अंतर्गत कवर पक्षकारों को कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है।
- (v) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 अथवा उसके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
- (vi) केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन लागत के रिकॉर्ड रखने को निर्धारित नहीं किया है।
- (vii) सांविधिक देयताओं के बारे में :

(क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, कार्य संविदा कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकरण तथा

अन्य तात्विक सांविधिक देयताओं सहित निर्विवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में लेखापरीक्षा में काटी गई।

उपार्जित धनराशि कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है। हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2018 तक भविष्य निधि, कर्मचारी सामूहिक बीमा, बिक्री कर, कार्य संविदा कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर, तथा अन्य तात्विक सांविधिक देयताओं के संबंध में संदेय कोई निर्विवादित धनराशि संदेय होने की तारीख से 6 माह से अधिक की अवधि तक बकायों में नहीं थी।

ns; rk dh çkfr	yk[k #- ea jkf' k	vof/k	vH; fDr; ka
सेवा कर	39.23	2017-18	दिनांक 26.06.2018 को भुगतान किए गए देय

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर का कोई देय नहीं है जिसे किसी विवाद के कारणवश उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है।

- (viii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचनाएं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सरकार को ऋणों या उधार को वापस चुकाने में चूक नहीं की है। कंपनी का कोई डिबेंचर नहीं है किसी वित्तीय संस्था एवं बैंक नहीं है।
- (ix) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक पब्लिक ऑफर या आगे पब्लिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) या वर्ष के दौरान सावधि ऋणों के माध्यम से राशि नहीं उगाही है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix) कंपनी पर लागू नहीं है।
- (x) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई तात्विक धोखाधड़ी नहीं देखी अथवा सूचित की गई है।
- (xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी सरकारी कंपनी है। अतः, अधिनियम की धारा 197 का उपबंध कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना जी एस आर 463(अ) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसरण में लागू नहीं होता है। तदनुसार, प्रबंधकीय आदेश का पैरा 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी विधेयक की धारा 406 के तहत विहित निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश की पैरा (xii) कंपनी पर लागू नहीं है।
- (xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं तथा ऐसे संव्यवहारों का ब्यौरा लागू लेखा मानदंडों द्वारा यथा अपेक्षित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- (xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों तथा पूर्णतया अथवा अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी स्थापन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xiv) कंपनी पर लागू नहीं है।

- (xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी संव्यवहार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xvi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1क के अधीन पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

fnukd % 23-07-2018
LFkku % ukxi g

tk/k tk' kh , M dai uh
pkVMZ , dkmUVW
%QeZ l a 104317w½

l h, ; 'k oekZ
%i kVUj½
%l nL; rk l a105954½

LoRa= ys[kk ijh{kd dh fj i kVZ dk vuqYud & [k

da uh vf/kfu; e 2013 %**vf/kfu; e**% dh /kkjk 143 dh mi /kkjk 5 ds v/khu Hkkjr ds fu; =d , oa egkys[kk ijh{kd }kkjk tkjh funs' kka ij fj i kVZ

1- D; k da uh ds ikl YhgkYM rFkk yht gkYM ds fy, Øe' k% LoRo@i VVk foyS[k gS ; fn ugha rks कृि ; k YhgkYM rFkk yht gkYM Hkife ds {ks= dk mYys[k dj ftl ds fy, i VVk mi yC/k ugha gA

विभिन्न स्थानों पर 11,12,964.709 वर्ग मीटर भूमि खंड विभिन्न सरकारी एजेंसियों और प्राइवेट पक्षकारों से प्राप्त किए गए हैं। तथापि, स्वत्व विलेख का निष्पादन लंबित है। जिस क्षेत्र के लिए स्वत्व विलेख उपलब्ध नहीं हैं, उसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

fooj . k	YhgkYM Hkife %oxl eh-%	yht gkYM Hkife %oxl eh-%	diy %oxl eh-%
बिक्री/लीज डीड निष्पादित नहीं (नागपुर)	3,56,761.342	4,27,275.64	7,84,036.982
बिक्री/लीज डीड निष्पादित नहीं (पुणे)	1,59,664.00	1,56,155.00	3,15,819
कुल	5,16,425.342	5,83,430.64	10,99,855.982

2- D; k __.k@m/kkj @C; kt bR; kfn dh ekQh@cVV% [kkrs Mkyus dk dkbz ekeyk gS ; fn , d k gS rks ml ds dkj . k , oa fufgr /kujkf'k dk mYys[k dj gA

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण, उधार, ब्याज आदि को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

3- D; k rhl js i {kka ds ikl i Mh eky l iph rFkk Hkkjr l jdkj vFkok vU; çkf/kdj . kka l s mi gjk @vuqku ds : lk ea çklr i fjl a fRr ds fy, l eppr fj dkmMZ j [ks tkrs gA

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा रिकॉर्ड की जांच के अनुसार, समुचित रिकॉर्ड (जैसे कलेक्टर के अवार्ड लेटर, तृतीय पक्षों के पास निर्माण भंडारों का होना) रखे जाते हैं।

tkS'k tkS'kh , M da uh
pkVMZ , dkmUVV
%QeZ l a 104317w%

fnukd % 23-07-2018
LFkku % ukxi g

l h, ; 'k oekZ
%i kVUj %
%l nL; rk l a105954%

वित्तीय विवरणों के तात्विक मिथ्या विवरण यह धोखाधड़ी के कारण से अथवा त्रुटिवश, के जोखिम के इस मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय का आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

forRh; fj i kfVix ij vkrfjd forRh; fu; .k dk vfhkçk;

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में तर्क संगत आश्वासन प्रदान करने हेतु तैयार की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वैसी नीतियां तथा क्रियाविधियों शामिल हैं जो (1) उन रिपोर्टों के रख-रखाव से संबंधित हैं जो कंपनी की परिसंपत्ति के संव्यवहार तथा स्थिति को यथार्थतः एवं निष्पक्षतापूर्वक प्रतिबिंबित करते हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन देने के लिए यथा आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं तथा यह कि कंपनी आय एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं (3) अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग की रोकथाम अथवा समय पर उनका पता लगाने अथवा कंपनी की परिसंपत्ति की स्थिति के संबंध में तर्क संगत आश्वासन देते हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव पड़ सकता है।

forRh; fj i kfVix ij vkrfjd forRh; fu; .k dh varfuigr l hek, a

सांठगांठ की संभावना अथवा अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण नियंत्रणों का उल्लंघन त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण तात्विक मिथ्या विवरण उत्पन्न हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन का भावी अवधियों में अनुमान (प्रोजेक्शन) इस जोखिम के अध्यधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भर्ती में परिवर्तन की वजह से अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या क्रियाविधियों के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

jk;

हमारी राय में कंपनी के पास सभी तात्विक प्रकारों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार प्रभावी ढंग से परिचालित हो रहे थे जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा का मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के दृष्टिगत कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

tk/k tk'kh , M dai uh
pkVMZ , dkmUVw/
%QeZ l a 104317w½

fnukad % 23-07-2018

LFkku % ukxi g

l h, ; 'k oekZ
%i kVUj½
%l nL; rk l a105954½

fnukad 31 ekp] 2018 dks l eklr o"kl ds fy, egkj k"V³ esV³ks j sy dkl] i kjs'ku fyfeVM ds foRrh; fooj.kka ij da uh vf/kfu; e 2013 dh /kkjk 143(6)(a) [k½ ds v/khu Hkkjr ds fu; æd , oa egkys[kk ij h{kd dh fVli f.k; ka

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेवारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखापरीक्षा संबंधी मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेवार है। ऐसा बताया जाता है कि यह उनके द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2018 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(अ) के अधीन पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग पेपर प्राप्त किए बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों और की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में वैसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी की जा सके या इसे संपूरित किया जा सके।


कुरस Hkkjr ds fu; æd , oa egkys[kk i j h{kd
, oa mudh vkj l s

lxqy tkjh yky½
okf. kfT; d ys[kk i j h{kk egkfun's kd
rFkk i nu l nL;] ys[kk i j h{kk ckM&1

LFkku % e[cbZ
fnukad % 21 fl rcj] 2018

ROUTE MAP

NAGPUR METRO RAIL PROJECT



PUNE METRO RAIL PROJECT





Swargate
Multimodal
Transport Hub, Pune
Proposed View

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(Formerly known as Nagpur Metro Rail Corporation Limited)
A joint venture of Govt. of India & Govt. of Maharashtra

Metro House, 28/2 Anand Nagar, C K Naidu Marg, Civil Lines, Nagpur 440 001

T: 0172 2554217 | F: 0712 2553300

www.mahametro.org